... Library ...

इन्डियन

कंट्राक्ट एक्ट नं० ९ सन १८७२ ई० का

इन्डियन

सेल आव् गुड्स एक्ट

नं० ३ सन १९३० ई०

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या, हाल तककी इङ्गलिश व भारतीय प्रधान अदालतोंकी नज़ीरें, उदाहरण एवं उपयोगी हवालों सहित

सम्पादक

बाबू रूपकिशोर टण्डन

एम० ए०; एलएल० बी०; एम० आर० ए० एस० एडवोकेट,

प्रकाशक

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

सन १९३१ ई०

मुद्रित—
क़ानून प्रेस, कानपुर

मूल्य—
तीन रुपया

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

दो वाक्य

इन्डियन कंट्राक्ट एक्ट नं० ९ सन १८७२ ई० का यह इन्डियन सेल आव् गुड्स एक्ट हिन्दीमें छापकर आंज हम अपने भाइयोंकी सेवामें उपस्थित कर रहे हैं। अदालतोंमें कंट्राक्ट एक्ट सम्बन्धी जितने मुकद्दमें दायर होते हैं उनमेंसे अधिकांश इस क़ानून द्वारा तय किये जाते हैं। क्योंकि भारतके सारे व्यापार व मालके लेने देने, खरीदने, उधार देने, किसी शर्त पर माल बेचने खरीदने, बिक्रीका रुपया न मिलने, खरीदारको माल न उठाने, मालमें बट्टा लगाने, बदनी, व आमदनीका माल बेचने, ख़रीदने, सट्टाका सौदा, तैय्यारी माल और आर्डरके मालका सौदा, मालकी रवानगी, जहाज़में या रेलमें मालके रवाना करनेकी जिम्मेदारी, रवानगी मालमें बेचने वाले और ख़रीदारके हक़ अधिकार व जिम्मेदारी, क़ीमत दिये बिना मालका इन्तकाल, ख़रीदार और बेचने वालेके हक, बेचने वाले या ख़रीदारका दिवालिया हो जाने पर मालके रास्तेमें होनेके हकोंका विचार, कमती व ज्यादा वज़नके झगड़े नमूनेके मुताबिक माल होने या न होनेके मामले, ख़राब माल व समय पर माल न देने व लेनेके झगड़े, जब शर्त न हो तो क़ानूनी पाबन्दियां, इत्यादि हज़ारों तरहके पैदा होने वाले व्यापार सम्बन्धी झगड़ोंका फैसला इस नये क़ानून द्वारा होता है। भारतके व्यापार सम्बन्धी मामलोंके तय करनेका यह प्रधान क़ानून है।

यह क़ानून नं० ३, सन १९३० ई० में नया बना है। भारतीय प्रधान अदालतों की नज़ीरें इस क़ानूनमें अभी नहीं हुयीं, यह क़ानून इङ्गलिश सेल आव् गुड्स एक्ट व अन्य कानूनोंके आधार पर बनाया गया है इसलिये इसमें उन्हीं क़ानूनोंकी नज़ीरों का यथास्थान पूर्ण विवरण आपको मिलेगा। हमें पूर्ण संतोष है कि विद्वान अनुभवी सम्पादकने एकभी नज़ीर नहीं छोड़ी और न पूर्ण व्याख्या लिखनेमें कसर की है। अभी तक जितनी कितावें अङ्गरेजीमें इस कानूनकी प्रकाशित हुयी हैं उनमेंसे एकभी इस मुकाबिलेकी नहीं है जो वास्तविक आवश्यक अङ्गको पूर्ण करती हो। क़ानून पेशा व जनता दोनोंके ध्यानसे सरल एवम् सारगर्भित व्याख्या लिखी गई है। इस क़ानूनकी उत्पत्ति, व्यापकता, उपयोगिता आदिका उल्लेख विद्वान सम्पादककी भूमिकामें आप देखिये, मैं केवल यह बता देना चाहता हूँ कि यह क़ानून व्यापारियों के लिये अत्यन्त लाभदायक है और प्रत्येक व्यापारीको एक बार इसे अवश्य पढ़ना चाहिये। मूल्य बहुतही कम रखा गया है यदि सन्देह हो तो अङ्गरेज़ीमें छपे किसी क़ानूनसे मुक़ाबिला करके देखो। यह न समझिये कि वर्तमान आन्दोलनसे यह क़ानून बेकार है, यह क़ानून प्रत्येक दशामें लागू रहेगा। पाठकोंसे प्रार्थना है कि इसमें जो त्रुटियां रह गई हों और उन्हें पढ़नेके समय मालूम हों तो सूचित करनेकी कृपा करें, ताकि दूसरे बार छपनेमें वे हटाई जा सकें।

विनीत—

चन्द्रशेखर शुक्ल

भूमिका

'भारतमें मालकी विक्रीका क़ानून'
(एक्ट नं० ३, सन १९३० ई०)

यों तो भारतवर्षमें प्रत्येक क़ानूनका हिन्दी-भाषामें हो जाना आवश्यक है परन्तु वह क़ानून जिनका प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है अवश्य इस हिन्दी-भाषामें होना चाहिये। बहुतसे क़ानून विस्तार पूर्वक नागरी लिपीमें लिखे जा चुके हैं परन्तु अब भी बहुतसे ऐसे क़ानून हैं जिनका न तो अनुवादही हिन्दी-भाषामें देखनेमें आता है और न उन पर कोई टीका टिप्पणीही लिखी गई है जिससे इस भाषाके जानने वाले लोग भली भांति क़ानूनके आशयको समझ सकें। व्यापार-क्षेत्र में नागरी भाषाके जानने या समझने वाले लोग बहुतायतसे हैं और इसी कारण व्यापारिक क़ानूनोंका सविस्तर वर्णन इस भाषामें होना परमावश्यक है।

भारतमें मालके विक्रीका क़ानून (The Indian Sale of Goods Act) सन १९३० ई० का तीसरा एक्ट है तथा पहिली जुलाई सन १९३० ई० से लागू किया गया है। यह व्यापार सम्बन्धी क़ानून पिछले क़ानूनोंका संशोधन करते हुए नये रूपमें बनाया गया है जिसका ज्ञान लेना सर्वसाधारणके लिये एक आवश्यक बात है क्योंकि मालकी विक्रीका सवाल हर समय व प्रत्येक स्थानमें रहता है। इसी आवश्यकताको समझते हुए उक्त क़ानून हिन्दी-भाषा जानने वाले लोगोंके सामने उनकी भाषामें रखा जाता है जिससे उक्त क़ानून व उसके प्रयोगसे उनका भली भांति परिचय हो सके। केवल एक्ट मूल दफामें ही हिन्दी-भाषामें नहीं दी जा रही हैं बल्कि प्रत्येक दफा पर भली भांति प्रकाश डालनेका और उस पर विस्तृत टीका लिखने व तत्सम्बन्धी नज़ीरोंके देनेका पूर्ण प्रयत्न किया गयाहै। दफामें प्रयोग किये हुए शब्दोंका अर्थ व भावार्थ समझाते हुए विस्तारसे उनकी व्याख्या की गई है तथा अङ्गरेज़ी एक्ट जिसके आधार पर यह एक्ट बनाया गया है उसके सम्बन्धमें दी हुई अङ्गरेज़ी अदालतोंकी नज़ीरें भी दे दी गई हैं, जिससे हिन्दी जानने वाली जनता तथा उनका प्रयोग करने वाली अदालतें जो हिन्दीमें काम करती हों दफाका आशय समझनेमें उक्त अङ्गरेज़ी नज़ीरोंसे सहायता ले सकें।

क़ानून बनाये जानेकी आधुनिक प्रणाली प्रायः यह देखनेमें आती है कि क़ानूनकी प्रत्येक शाखा एक पृथक् एक्टकी सूरतमें होवे तथा जहां तक हो सके

वह सम्पूर्ण होवे। 'क़ानून मुआहिदा (The Law of Contract) एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें उसकी बहुतसी शाखायें व विभाग सम्मिलित समझना चाहिये। इसी क़ानून मुआहिदाकी एक ख़ास शाखा मालके विक्रीका क़ानून है। पहिले इस सम्बन्धमें कोई प्रथक क़ानून नहीं था। इसका वर्णन सन १८७२ ई० के भारतीय क़ानून मुवाहिदा (The Indian Contract Act of 1872) के सातवें प्रकरणमें मिलता है जिसके स्थानमें अब यह 'मालके बिक्रीका क़ानून एक्ट ३, सन १९३० ई०' प्रथक एक्टके रूपमें बनाया गया है। यह एक्ट इङ्गलिस्तानके 'मालकी बिक्रीके क़ानून सन १८९३ ई०' [The Sale of Goods Act 1893 (56 and 57 Vict. C. 71)] के आधार पर बनाया गया है। उक्त अङ्गरेज़ी क़ानून इन इङ्गलिस्तानके सबसे अच्छे क़ानूनोंमेंसे एक क़ानून समझा जाता है। तथा बनाये जानेसे अब तक बराबर प्रयोग किये जानेके सबब यह भी भली भांति देखा जा सका है कि इसके प्रयोगमें क्या क्या अड़चनें पड़ सकती हैं। अपने विषयमें किसी सीमा तक यह अति उत्तम क़ानून है तथा दूसरे देशोंने भी इसे ऐसाही माना है। इसीके आधार पर ब्रिटिश सामाज्यके अन्य विभागोंमें वहांकी स्थानीय बातोंका ध्यान रखते हुए 'मालके बिक्रीके क़ानून' की रचना की गई है। यही नहीं ब्रिटिश साम्राज्यके अतिरिक्त अन्य बहुतेरे देशोंमें इसकी नक़लसी की गई है यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिकाकी बहुतेरी रियासतोंने भी इसे अपने रूपमें पास करके अपने यहां प्रचलित कर रखा है।

सदैवसे यह धारणा रही है कि व्यापारिक क़ानून सारे संसारमें एकही प्रकारके होवें जिससे व्यापार सम्बन्धमें उठने वाले झगड़े साधारणतया निपटाये जा सकें। आजकल सभी प्रदेश एक दूसरेके साथ व्यापार करते हुए पाये जाते हैं तथा व्यापार सम्बन्धमें अकसर ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं, जिनको तय करनेके लिये व्यापारिक क़ानूनकी सहायता लेना पड़ती है। जिस देशमें झगड़ा पैदा होता है उसी देशके क़ानूनका प्रयोग किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु यदि सभी देशोंके क़ानून इस सम्बन्धमें एकही होवें तो झगड़ोंके सुलझानेमें कितनी अधिक सुविधा रहे। प्रायः एक देशका रहने वाला दूसरे देशके क़ानूनसे सर्वथा अनभिज्ञ होता है ख़ास कर उस समय तक जबतक कि वह वहां जाकर उसको भली भांति समझनेका प्रयत्न न करे। यदि व्यापार सम्बन्धी क़ानून एक देशका दूसरे देशसे बिलकुल भिन्न होवे तो ऐसे अवसर आ सकते हैं कि व्यापारियोंको बड़े नुक़सान उठाना पड़ें। व्यापार सम्बन्धी क़ानून एकही प्रकारका होना ऐसी हालतमें उचित ठहराया गया है और इसी बातका ख्याल रखते हुये बहुतसे देशोंने ब्रिटिश क़ानून (The English Sale of Goods Act 1893) को उचित मानते हुए उसका अनुकरण करनेका प्रयत्न किया है।

भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्यका एक अङ्ग है तथा इसका बहुत कुछ व्यापारिक सम्बन्ध भी इङ्गलिस्तानसे रहता है और इसी कारण बहुत कालसे यह सोचा जा रहा था कि ब्रिटिश व्यापारिक क़ानूनके नियमोंका प्रयोग इस देशमें भी किया जावे। इसके अतिरिक्त सन १८७२ ई० के क़ानून मुवाहिदा (Indian Contract Act 1872) के सातवें प्रकरणमें जो नियम मालकी बिक्रीके सम्बन्धमें दिये हुए हैं वह

अपर्याप्त समझे गये तथा उनमें बहुतसी ऐसी त्रुटियां पाई गईं जिनका दूर किया जाना आवश्यक समझा गया इसीलिये यह मसला भारतीय व्यवस्थापक परिषद्‌में उपस्थित किया गया। इस सम्बन्धमें कुछ लोगोंकी एक चुनी हुई कमेटी बनाई गई जिनके सामने बिक्री सम्बन्धी क़ानूनके संशोधनके लिये एकत्रित की हुई बहुत सी बातें रखी गईं तथा उनको अङ्गरेज़ी व अन्य देशोंके क़ानूनों पर भी विचार करनेका अवसर दिया गया। उक्त कमेटीमें भारतके प्रसिद्ध प्रसिद्ध वकील जैसे कि मिस्टर डी० एफ़० मुल्ला (आजकल प्रिवी कौन्सिलके मा० जज नियुक्त हुए हैं), मि० जयकर मि० कृष्णस्वामी अय्यर तथा सर बी० एल० मित्तर शामिल थे।

इन लोगोंने मालके बिक्रीके क़ानूनके इतिहास पर जो प्रकाश डाला है उसके आधार पर इस विषयका कुछ इतिहास जान लेना रुचिकर व शिक्षाप्रद प्रतीत होगा—

सन् १८७२ ई० का भारतीय क़ानून मुवाहिदा जिसके सातवें प्रकरणमें माल के बिक्रीका क़ानून दिया हुआ है उसके पास होनेसे पहिले इस विषयका क़ानून समस्त ब्रिटिश भारतहीमें एक प्रकारका नहीं था। हाईकोर्टोंको भी उक्त क़ानूनके प्रयोगमें बड़ी अड़चनें उपस्थित होती थीं। प्रेसीडेंसी टाउन्समें अंगरेजी क़ानूनका प्रयोग किया जाता था। अधिकतर यह देखनेमें आता था कि जज लोग न्याय समानताको अपने शुद्ध अन्तःकरणका प्रयोग करते हुए मुकद्दमोंके फैसले किया करते थे उनके लिये कोई ख़ास निर्धारित नियम हर प्रश्नको तय करनेके लिये नहीं थे जिनके आधार पर फैसले किये जाते। सन् १८६६ ई० में भारतीय क़ानून बनाने वालोंने मुवाहिदा सम्बन्धी आम क़ानूनके नियमोंका संग्रह किया जिनमें मालकी बिक्री सम्बन्धी नियम भी शामिल थे। इन नियमोंमें भारतके क़ानूनी मेम्बरों सर हेनरीमेन तथा सर जेम्स स्टीफेनने तथा व्यवस्थापक विभागकी सिलेक्ट कमेटीने बहुत कुछ रद्दोबदल किये। मालकी बिक्रीके सम्बन्धमें करीब करीब वही नियम रख दिये गये थे जो उस समयमें इङ्गलिस्तानमें प्रयोग किये जाते थे।

सन् १८७२ ई० के क़ानूनमें किसी हद तक उक्त नियमोंका प्रयोग उचित ठहराया जा सकता था तथा वह समयानुकूल भी इसी प्रकार कहा जा सकता था परन्तु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया उक्त नियमोंकी अपूर्णता तथा उसकी त्रुटियां मालूम होती गयीं जैसाकि हाईकोर्टके बहुतेरे फैसलोंको देखनेसे विदित होता है तथा जजोंके दिये हुए नोटोंसे मालूम होता है।

अंग्रेज़ी क़ानून भी जिसके आधार पर उक्त भारतीय नियमोंकी रचनाकी गई थी अपर्याप्त समझे गये तथा सन् १८७२ ई० के कुछ साल बादही उसको नये ढंग पर लानेका प्रयत्न किया गया। वहांकी अदालतोंके फैसले तथा प्रचलित व्यापार सम्बन्धी नियमोंका भली भांति ध्यान रखते हुए सन् १८९३ ई० में मालकी बिक्री सम्बन्धी (Sale of Goods Act) (56 and 57 Act. C. 71) क़ानूनकी रचना कीगई है जिसमें पहिलेके बहुतेरे नियम नहीं रक्खे गये जो भारतीय क़ानून मुवाहिदेके सातवें प्रकरणमें रक्खे गये थे तथा जिनका प्रयोग उक्त एक्टके अनुसार बराबर जारी रहा।

उक्त अंग्रेजी एक्टका प्रयोग उसके बनाये जानेके समयसे अब तक देखते हुए यह भली भांति प्रकट है कि उक्त क़ानून बहुत कुछ सफल मनोरथ रहा—तथा वह व्यापारिक क़ानूनकी इस शाखाका एक उचित क़ानून है इस बातको संसारके अन्य देशोंने भी इसी प्रकार माना है तथा इसके आधार पर अपने यहां भी इस सम्बन्धके कानूनकी रचना की है जिसमें बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है जो स्थानीय दशाओंके कारण किये गए हैं। ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य विभागोंमें भी क़रीब क़रीब इसी क़ानूनका अनुकरण करते हुए क़ानून बनाये गये हैं और यह सब क़ानून इसी कारण रचे गये हैं कि जिसमें व्यापार सम्बन्धी क़ानूनमें बहुत कम अन्तर रह सके व एक देशको दूसरे देशके साथ व्यापार करनेमें बहुत कम अड़चनें पेश आयें।

उक्त सिलेक्ट कमेटीके मेम्बरोंने भी यही उचित ठहराया कि अङ्गरेजी एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए ही भारतीय क़ानूनकी भी रचना की जावे जिसमें व्यापारिक सौदोंमें क़ानूनी मतभेद न रहे व इस देशका बिक्री सम्बन्धी क़ानून अन्य देशोंके समान होजावे खास कर इङ्गलिस्तान व ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य विभागोंकी तरह यहांका क़ानून हो जावे। इन्हीं मेम्बरोंने यह भी मत प्रकट किया था कि अङ्गरेज़ी एक्ट अच्छी तरतीबसे लिखा गया है तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदेका सातवां प्रकरण उसके मुक़ाबिले तरतीब आदिके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं है। चूंकि अङ्गरेज़ी एक्टके नियमोंका प्रयोग सन १८९३ ई० के बादसे बराबर अबतक ज़ारी है और उन पर प्रकाश डालनेके लिये अङ्गरेज़ी अदालतोंकी बहुतसी नज़ीरें भी हो चुकी हैं इसलिये यदि भारतीय बिक्रीका क़ानून उक्त अङ्गरेज़ीके नियमोंके अनुसार रहेगा तो अङ्गरेज़ी नज़ीरोंके प्रकाशमें इस एक्टके नियम भी भारतीय अदालतों द्वारा समझनेमें मदद ली जा सकेगी।

सिलेक्ट कमेटीने यह भी सर्वथा उचित नहीं समझा था कि उक्त अङ्गरेज़ी क़ानूनकी अक्षरशः नक़ल कर दी जावे, क्योंकि उनकी रायमें भारतवर्षकी हालत देखते हुए बहुतेरे नियम जिनका प्रयोग इङ्गलिस्तानमें उचित प्रतीत होता हो यहां उचित न ठहराया जा सके। विद्वान मेम्बरोंने अङ्गरेज़ी एक्टके नियमोंके साथ साथ उस सम्बन्धमें दी हुई नज़ीरों पर भी विचार किया था तथा जिन नियमोंको उन्होंने भ्रमपूर्ण पाया उनमें उचित संशोधन कर दिया है जिसमें उक्त भ्रम किसी हद तक दूर हो सके।

भारतीय क़ानून मुवाहिदा (Indian Contract Act) के सभी नियम अनुचित नहीं ठहराये गये किन्तु बहुतसे नियम जैसेके तैसे रख भी लिये गयेहैं जिनका प्रयोग भारतवर्षकी दशाको देखते हुए उचित प्रतीत हुआ है।

उक्त सिलेक्ट कमेटीकी रिपोर्टके बाद दुबारा एक सिलेक्ट कमेटी इसी प्रश्न पर विचार करनेके लिये नियुक्त की गई थी। पहिली सिलेक्ट कमेटीके सामने केवल क़ानून मुवाहिदेके सातवें प्रकरणका विचार नहीं था किन्तु क़ानून मुवाहिदे की कुछ और बातों पर विचार करना भी उनके सुपुर्द था। उक्त कमेटीकी रिपोर्टके आधार पर सातवें प्रकरण पर विचार करनेके लिये भारत सरकारने सर डी. एफ़.

मुल्ला; मि० ए० कृष्ण स्वामी एय्यर तथा मि० एम० आर० जयकर की एक सिलेक्ट कमेटी सन १९२९ ई० में नियत की। इस कमेटीकी रायमें मालके विक्रीका क़ानून एक प्रथक एक्ट बना दिया जाना उचित ठहराया गया। उन लोगोंके सुपुर्द इस सम्बन्धमें जो बिल पेश किया गया था उसमें उन्होंने कुछ घटाया बढ़ाया तथा उन लोगों द्वारा तय किया हुआ बिल लोगोंकी राय जाननेके लिये छापकर घुमाया गया व बादमें सितम्बर सन १९२९ ई० में वह लेजिस्लेटिव एसेम्बलीमें पेश किया गया। उक्त बिलके सम्बन्धमें जो रायें वकीलों व व्यापारियोंसे प्राप्त हुई हैं उनके देखनेसे यह प्रकट होता है कि चारों ओर यह उचित ठहराया गया था। तथा कोई मतभेद नहीं मालूम होता था।

सिलेक्ट कमेटीने बिलके साथमें वजहें व आवश्यकतायें भी विस्तार पूर्वक दिखलाई हैं जिसमें भारतीय क़ानून मुआहिदेके नियमोंकी अपूर्णता तथा उसकी कमीको बतलाते हुए आधुनिक नियमों व आवश्यकताओंको भली भांति समझाया गया है। अङ्गरेज़ी 'मालके विक्रीका क़ानून, सन १८९३ ई०' (The English Sale of Goods Act 1893) के नियमोंका सहारा लेते हुए प्रथक रूपमें भारतके लिये भी भारतीय 'मालके विक्रीका क़ानून' (Indian Sale of Goods Act) का बनाया जाना उचित ठहराया गया।

इसी रिपोर्टके आधार पर यह एक्ट सन् १९३० ई० में भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा पास हुआ तथा गवर्नर जनरल हिन्दने अपनी स्वीकृति देकर पहिली जुलाई सन् १९३० ई० से इसका प्रयोग जारी किया।

इस पुस्तकमें इसी एक्टका विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। आशा है कि पाठकगण इसे पढ़कर लाभ उठायेंगे तथा इसकी त्रुटियां बतानेकी कृपा करेंगे जिसमें वह आयन्दा सुधारी जा सकें।

कु० मि०
रूपकिशोर टण्डन

हज़ारों नज़ीरों और पूर्ण व्याख्या सहित

हिन्दीमें क़ानून

हिन्दुस्थान भरमें लागू

हिन्दू-लॉ	१२)
ज़ाब्ता फौजदारी	७)
ज़ाब्ता दीवानी	५)
क़ानून दिवालिया समस्त भारतका	५)
इनकमटैक्स एक्ट	३)
म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट	४)
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट	२)
क़ानून सूद	१।।)
अवध रेन्ट एक्ट	।।=)
क़ानून मदाख़िलत बेजा मवेशियान	१।।)
क़ानून वरासत (उत्तराधिकार)	२)
क़ानून बटवारा	१)
क़ानून शामिल शरीक ख़ानदान	१।।)
क़ानून नाबालिग़ और वलायत	।।।)
क़ानून रजिस्ट्री	।।।)
क़ानून मियाद	।।।)
ग्राम पंचायत एक्ट	।।)
सवालात व जिरहका क़ानून	।।)
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एजुकेशन रूल्स	१)
वालिंटियर्स एक्ट	।=)
पञ्चायत विधान	।=)
मरनेके बादकी दुनियां	≡)
बाल बिवाह निषेधक क़ानून	≡)

हिन्दी-लॉ-जरनल—सोनेकी चमकती हुई ६ मोटी जिल्दोंमें पेज ६५००, नज़ीरें २०००, पूरे क़ानून २५, मूल्य २५) रुपया।

डाक ख़र्च सबका अलग।

क़ानून प्रेस, कानपुर

कंट्राक्ट एक्ट नं० ९ सन १८७२ ई० का

इन्डियन सेल आव् गुड्स एक्ट

नं० ३ सन १९३० ई०

दफ़ावार संविवरण सूची

पहला प्रकरण

दफ़ा	विषय	पेज
१	नाम विस्तार तथा आरम्भ	१
	—कंट्राक्ट एक्टका प्रधान अङ्ग इस क़ानूनका होना	१
	—बेंचने, ख़रीदने, इक़रार करनेमें जाती सम्बन्धका क़ायम होना	२
	—मालकी बिक्रीका तत्व और क़ीमतकी अदायगी	२
	—मालके बदलावमें माल लेने, व देनेका मुआहिदा इस क़ानूनसे लागू होगा	२
	—मालकी बिक्री और मालके पहुंचानेके मुआहिदेका अन्तर	२
	—इस क़ानूनका जायदाद गैर मनकूलासे कोई सम्बन्ध न होना	२
	—छूने वाला और जो मनकूला जायदादकी क़िस्मसे हो उससे यह क़ानून लागू है	२
	—इस क़ानूनके बननेके पूर्वका इतिहास और कारण तथा बनाया जाना	३
	—यह क़ानून किन क़ानूनोंके आधार पर बनाया गया है	३
२	परिभाषाएं	३
	—१ ख़रीदार, २ देना, ३ मालके लिये देनेकी हालत, शब्दोंकी व्याख्या,	३
	—४ मालके हक़की दस्तावेज, बिल आफ़ लेडिंग, ५ भूल, ६ आयन्दा माल, ७ माल, ८ दिवालिया, ९ व्यापारिक एजेण्ट, १० क़ीमत, ११ जायदाद, १२ मालकी क़िस्म, शब्दोंकी व्याख्या	४
	—१३ बेंचने वाला, १४ ख़ास माल, १५ वाक्य शब्दोंकी व्याख्या	५
	—१ ख़रीदार उसे कहते हैं जो ख़रीदे या ख़रीदनेको राजी होवे	५
	—मालकी बिक्रीके बाद माल पर क़ब्ज़ा किस हद तक ख़रीदारका होगा	५
	—माल पर क़ब्ज़ा होना नितान्त जरूरी ख़रीदारका नहीं है	५
	—२ मालका देना कब समझा जावेगा	५
	—माल पर जान बूझ कर क़ब्ज़ा देना या न देनेका असर क्या है	६

—माल पर कब्ज़ा देना तीन हालतोंमें माना जा सकता है ६
—मालका कब्ज़ा अनेकों तरहसे माना जा सकता है ६
—बिल आफ लेडिंगका मुन्तक़िल करनाभी कब्ज़ेदारी हो जाती है ७
—जब कि माल पर कब्ज़ा कुछ दिया गया हो और कुछ बाक़ी हो ७
—३ माल दिये जानेकी हालतका वर्णन, ख़रीदारको माल लेनेके लिये बाध्य होना ७
—४ मालके हक़की दस्तावेजें कौन कौन हो सकती हैं ७
—बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading) किसे कहते हैं ७
—डाक वारण्ट, वेयरहाउस कीपर सारटीफ़िकट, तथा ह्वेयर फिंगर्स सार्टीफ़िकट किसे कहते हैं ७
—रेलवे रसीद या अन्य काग़ज़ात जिनसे यह बात प्रकट होती हो ८
—५ भूल शब्दमें कर्तव्य पालनमें चूक और काम करनेकी ग़लती शामिल है ८
—६ बिक्रीके समय मालका तैयार न होना, आइन्दा तैयार मालका सौदा होना ८
—फ़सलकी पैदावारका सौदा, माल मिलनेकी उम्मेद पर सौदा आदि ८
—रेडी माल और फ़िउचर मालका फ़रक़ व व्याख्या ८
—७ रुपया पैसा नोट आदि माल नहीं माना जाता ८
—स्टाक, शेयर, उगी फ़सल, घास आदि माल माना जाता है ९
—८ दिवालिया शब्दका आशय और विस्तृत विवरण ९
—९ व्यापारिक एजेण्टके अधिकार, कर्तव्य और व्याख्या ९
—१० बिक्री मालकी कब मानी जायगी, अदलाबदला कैसा हो सकता है ९
—क़ीमत रुपये पैसेकी शकलमें होना चाहिये या बदलेमें १०
—मालकी क़ीमतकी अदायगीका रुक्का या दस्तावेज आदि १०
—निश्चित क़ीमतका होना, मालकी बिक्रीके लिये जरूरी है १०
—अगर निश्चित क़ीमत मालकी न तय हुई हो तो बाजारू क़ीमतका होना १०
—उचित क़ीमत पर माल तय होने पर बाजारू क़ीमतका माना जाना १०
—क़ीमत फ़र्ज़ी न होना चाहिये असलियतमें क़ीमत होना जरूरी है १०
—११ जायदादसे मतलब, सब तरहकी चीजोंसे है जो इसमें बताई गई है ११
—१२ मालकी क़िस्मका मतलब है मालकी हालत व हैसियत ११
—१३ बेंचने वालेसे उस व्यक्तिको समझना चाहिये जो माल बेंचे या राजी हो ११
—१४ ख़ास मालसे मतलब उस मालका है जो मुवाहिदेके समय पहिचाना गया हो ११
—१५ जिस वाक्यकी परिभाषा इसमें न हो वह क़ानून मुवाहिदेकी मानी जायगी ११
३ सन १८७२ हीके नये एक्टके नियमोंका प्रयोग ११

दूसरा प्रकरण

मुवाहिदेका होना—बिक्रीका मुवाहिदा

४ बिक्री व बचनका राज़ीनामा १२
—बिक्रीका मुवाहिदा, बेंचनेके लिये राज़ी होना किसे कहते हैं १३

—तयकी हुई क़ीमतके बदले जायदादके पूरे हक़का मुन्तक़िल होना १३
—हिबा या मालके बदलेमें कोई चीजका दिया जाना १३
—किसी हैसियतमें माल बेंचने व किसी हैसियतसे ख़रीदनेका भेद १३
—बिक्री और हिबा (दान) का अन्तर १३
—मालके बदलेमें मालका दिया जाना १३
—मालके बदले कुछ माल देना और कुछ क़ीमत देना १३
—जब मालके बदले माल दिया जानेको हो और न दिया जाय तब क़ीमतका मिलना १४
—मालका रेहन करना, हक़का मुन्तक़िल करना माना जावेगा १४
—जब माल क़र्जेकी अदायगीमें गिरवीं किया गया हो १४
—रेहन करने और गिरवी करनेका फ़र्क़ क्या है १४
—बिक्री व बेंचनेके लिये राज़ी होनेमें अन्तर १४
—क़ीमतके अदा होने पर मालकी मालियतका मुन्तक़िल होना १५
—किराए पर लेकर ख़रीदनेका इक़रारनामा १५
—चुराये हुए मालका बेंच देना और ख़रीदारके हक़ व अधिकार १५
—मुवाहिदा करनेकी योग्यता और मुवाहिदा करनेके लिये अधिकारमें फ़र्क़ है १५
—मुवाहिदेके सम्बन्धमें की जाने योग्य बातें १६
५ विक्रीका मुवाहिदा कैसे किया जाता है १६
—ऐसे मुवाहिदाके लिये कौन कौन बातें ज़रूरी हैं १६
—क़ीमतके बदले मालका ख़रीदना या बेंचना और उसे मंजूर करना १६
—हर एक बात अलहदा और साथ भी तयकी जा सकती है १६
—कब बिक्रीका मुवाहिदा पूरा हुआ मान लिया जायगा १७
—माल पर क़ब्जा हो जानेसेही बिक्रीका पूरा होना नहीं माना जा सकता १७
—हुन्डीका, माल पेटेमें ले लेना, मालकी क़ीमतकी अदायगी मानी जा सकती है १७
—बयाना दे देनेसे या माल लेनेसे बिक्रीका माना जाना १७
—जब मालका दाम लगाया गया मगर मुंहसे बिना कुछ कहे बेंचने वालेने माल भेज दिया १७
—जब माल आम तरीकेसे ख़रीदा जाता हो तो अन्य बेंचने वालेसे भी वही भाव लागू होगा १७
—मालका सौदा ज़बानी और लिखा हुआ कौन होता है १७

मुवाहिदेकी वस्तु

६ मौजूदा या आयन्दा माल १८
—तैयार माल और आयन्दा बनने वाले मालका सौदा हो सकता है १८
—जब कोई माल नमूना देख कर बनवाया गया हो १८
—माल बेंचते समय जब कि वह मालही नहो १८
—फ़सलका सौदा और गायके दूधका सौदा हो सकता है १८
—बेंचने वाला, वही हक़ बेंच सकता है जो उसे माल पर प्राप्त होवे १९
—बेंचते समय माल पर हक़ नहो मगर पीछे पैदा हो जाय तो ठीक माना जायगा १९

—वही माल बेंचा जायगा जो क़ानून व सदाचारसे वर्जित न हो १९
—स्त्री अपने शरीरको बेंच नहीं सकती १९
—भद्दी किताबें व व्यभिचार प्रदर्शन चित्रोंकी बिक्री नहीं हो सकती है १९
—जीवित जानवर बेंचे जा सकते हैं १९

७ **मुवाहिदा किए जानेसे पहले मालका नष्ट हो जाना** २०
—बेंचे जाते समय, बेंचा जाने वाला माल जब नष्ट हो चुका हो २०
—जब बेंचने वालेको, मालके खराब होने या नष्ट होनेका ज्ञान न हो २०
—'खास माल' वह है जो बिक्रीके समय पहचाना गया हो २०
—मालके नष्ट होनेसे मतलब है कि वह असली दशामें न रहा हो २०
—जैसे सीमेन्ट, सरदीमें पड़ा रहनेसे जम गया हो २०
—खराब होना मालका, नष्ट होना समझा जायगा २०
—सौदागरी माल असली सूरतमें न होनेसे नष्ट हुआ माना जा सकता है २०
—क़ीमतका वापिस होना जब मुवाहिदा तोड़ दिया जाय २०
—हरजानेका दावा कौन कर सकता है व किस दशामें २१

८ **बिक्रीसे पहिले, किन्तु बेंचनेका राज़ीनामा किये जानेके बाद, मालका नष्ट होना** २१
—माल बेंचनेका इक़रारनामा होना चाहिये न कि बिक्री २१
—माल, खरीदारकी जिम्मेदारी होनेसे पहिले खराब या नष्ट होगया हो २१
—'नष्ट' शब्दका अर्थ है कि मालका असली रूप जाता रहा हो २१
—'खराब होजाना' शब्दका अर्थ है जैसा बेंचा गया हो वैसा न रहा हो २२
—जबकि मालमें कोई खराबी या नष्ट होना किसी फरीककी ग़लतीसे न हुआ हो २२
—हर्जा, कौन किसे कब देसकता है, कैसे विचार किया जायगा २२
—मुवाहिदेकी पाबन्दी किस फ़रीक पर कब होती है व कब नहीं २२
—जब कोई मुवाहिदा, सरकार या क़ानूनसे रुक जाता हो तो पाबन्दी २२
—लड़ाई छिड़ जाने पर दुश्मनके मुल्कसे पूरे होने वाले मुवाहिदोंका असर २२
—बीमा किये हुए मालकी जिम्मेदारीका असर २३
—ख़ास तरहके मालका सौदा हो और वह न मिल सके तो क्या होगा २३

क़ीमत

९ **क़ीमतका निश्चित किया जाना** २३
—बिक्रीके मुवाहिदेमें 'क़ीमत' आवश्यक अङ्ग है २४
—जब कोई किसी भाव पर माल ले रहा हो, दूसरा बिना भावके वही सौदा देदे तो दरका अनुमान २४
—मालकी क़ीमत न तय की गई हो तो उचित क़ीमत मानी जावेगी २४
—आम तौरसे 'उचित क़ीमत' से मतलब बाज़ारू क़ीमत समझा जाता है २४
—'क़ीमत' मुल्कके सिक्कोंके अनुसार मानी जाती है २४
—अमानतके तौर पर क़ीमतका पहिलेसे ही अदा होजानेका असर २४
—धनी अपने मालको जितनी कम क़ीमत पर चाहे बेंच सकता है २५

—थोक फरोश, फुटकर वालोंको इस शर्त पर माल बेंच सकते हैं कि वे इतनी क़ीमतसे कम न बेंचे २४
—सौदा होनेके बाद जब चुंगी कम ज्यादा हो तो उतना अन्तर होजायगा २४
—सूद, बतौर क़ीमतके कब वाजिबुल अदा समझा जावेगा २५
१० बेंचनेका सौदा क़ीमत तय किये जाने पर होना २५
—जब मालकी क़ीमत किसी तीसरे व्यक्ति पर छोड़ दीजावे २५
—जबकि क़ीमतका तय करना तीसरे व्यक्ति पर छोड़ा गया हो और उससे न तय की हो २५
—मालका कोई भाग ख़रीदार काममें लाया, पीछे तीसरे व्यक्तिने क़ीमत न तय की २५
—विना क़ीमत तय किये हुए माल दिया गया हो तो क़ीमतका असर २५
—बनावट डालने पर हरजानेका दिलाया जाना और ज़िम्मेदारी २६

शर्तें व ज़िम्मेदारियां

११ समयके लिये शर्तें २६
—समय पर यदि मालकी क़ीमत न अदा हो तो मुआहिदा न टूटेगा २६
—मालकी बिक्रीमें समयकी शर्तका असर व उसका फैलाव २६
—समयकी शर्त व्यापारिक दशामें मुआहिदेका जरूरी अङ्ग है २६
—६० दिनके अन्दर जहाजका नाम ऐलान करनेकी शर्त पूरी न होने पर शर्तका टूटना २६
—अगर नियत दिनके अन्दर रुपया न अदा किया गया हो २७
—जहाज द्वारा मालका रवाना करना मुआहिदेकी शर्त मानी गई २७
१२ शर्त व ज़िम्मेदारी २७
—मालके ख़रीदने व बेंचनेमें दोनों पक्ष शर्त लगा सकते हैं २८
—बिक्रीके मुआहिदे शर्त व ज़िम्मेदारियां तथा विस्तार २८
—शर्त और ज़िम्मेदारी शब्दोंका अन्तर तथा प्रभाव २८
—ज़िम्मेदारी और शर्त दोनों शब्दोंका मेल व एक दूसरेसे बदल जाना २८
१३ शर्त कब ज़िम्मेदारी मानी जासकती है २९
—जब शर्त, ज़िम्मेदारी मानी जावेगी तब मुआहिदा न टूटेगा २९
—हरजेकी दावाकी पैदाइश और हक़का निश्चित करना ३०
—जब शर्तकी पाबन्दी मजबूरन न कीजासकती हो तो उसका प्रभाव ३०
—अगर कोई शर्त थोड़ेही समयके लिये छोड़ी गई हो तो नोटिसकी जरूरत ३०
—मुआहिदा तोड़े जाने पर हरजानेका दावा व उसका असर ३०
—जब मुआहिदेके अनुसार पूरा माल न उठाया जाय और वह ख़राब हो तो क़ीमतका दिलाना ३१
—माल जब जांच कर ख़रीदा गया हो तो ख़रीदारकी ज़िम्मेदारी ३१
—नुक़सानकको बचानेकी गरजसे बिक्रीके लिये मालका लेना ३१
—जब माल सिर्फ़ देखने व जांचनेके लिये लिया गया हो तो बिक्री न मानी जायगी ३१
१४ हक़ आदिके लिये छिपी हुई पाबन्दी ३१
—माल बेंचने वालेके कितने हक़ क़ानून द्वारा माने गये हैं ३२

—अदालतके अमीन, नीलाम करने वाले आदिके हक़ व पाबंदियां ३२
—माल पर हक़ बताने पर बार सुबूतका होना ३२
—जब माल बेंचने वालेने अपने मालका ऐब धोखासे छिपाया हो ३२
—नीलामका खरीदार, मदियूनके हक़ न हो पर अपने रुपयेका दावा नहीं कर सकता ३३
—खरीदारको मुवाहिदा तोड़ने और हरजाना या दावा करनेका हक़ ३३
—'पावेगा या रख सकेगा' इन शब्दोंका अर्थ व व्यापकता ३३
—जब खरीदारको बार-अदा करना पड़े तो हरजानेका दावा ३३

१५ तफ़सीलसे बिक्री ३३

—अगर मालकी तफसील बेंचनेके समय बताई गई हो तो माल वैसाही होना चाहिये ३४
—बेंचनेके वक्तका माल न हो; वैसा माल न हो तो मुवाहिदा तोड़ा जा सकता है ३४
—अगर माल निश्चित समयसे पहिले भेजा जावे तो खरीदार इनकार कर सकता है ३४
—जहांका माल मशहूर हो, वहींका वैसा होना चाहिये ३४
—अगर पूरा माल समझ कर खरीदा गया मगर वह बहुत कम बैठा तो सौदा टूट जायगा ३४
—बेंचने वालेके हरजेका दावा खरीदार पर ३४
—बार सुबूत ऐसी दशामें किस पक्ष पर कब होता है ३५
—मालके पैकिंगका तरीक़ा भी जरूरी शर्त है, उसकी पाबन्दी ३५
—जब विश्वास दिलाकर माल बेंचा गया हो, और वह ऐसा न होवे तो सौदा टूट जायगा ३५

१६ क़िस्म उचित ठहराये जानेके लिये छिपी हुई शर्तें ३५

—जब खास काम बता कर माल खरीदा गया हो तो उसे वैसाही होना चाहिये ३६
—गरम पानी भरनेको बोतल खरीदी गई, किन्तु वह फट गई बेंचने वाला जिम्मेदार है ३६
—खास तरहका माल मांगा गया, उसने मिलता हुआ दूसरा माल दिया तो वह जिम्मेदार है ३७
—विलायतसे माल मंगा देनेका सौदा था, बम्बईका दिया गया बेंचने वाला जिम्मेदार है ३७
—ऐसा माल दिया गया हो जो उस मतलबका नहीं है, बेंचने वाला हर्जेका जिम्मेदार है ३७
—ताजी मछली खरीदी गई, खानेसे वह बीमार हुआ बेंचने वाला जिम्मेदार है ३७
—दूध वालेके छपे नियम दूध रखनेके लिये थे, मगर उससे बीमारी हुई दूध वाला जिम्मेदार है ३७
—पहिली बार अच्छा व दुबारा खराब माल दिया गया तो खरीदार इन्कार कर सकता है ३८
—तिजारतके दस्तूरके अनुसार शर्त व जिम्मेदारीका विचार होगा ३८
—खतरेका माल जब कोई बेंचे तो उसे जरूरी है कि वह खतरोंसे आगाह करदे ३९

१७ नमूनेसे बिक्री ३९

—खरीदारको उचित अवसर मालको नमूनेसे मिलानेके लिये देना चाहिये ३९
—क़ीमत देदेने पर भी नमूनेके अनुसार यदि माल न हो तो वापिस होगा ४०
—नमूनेसे कम दर्जेका माल होने पर खरीदार हरजा ले सकता है व लौटा सकता है ४०
—जब माल दिखा कर बेंचा गया हो तो नमूनेका सवाल बाकी नहीं रहता ४०
—कहां पर माल नमूनेसे मिलाया जाना चाहिये ४०

तीसरा प्रकरण

बेंचने वाले व खरीदारके दरमियान जायदादका मुन्तक़िल होना

१८ माल अवश्य निश्चित होना चाहिये ४१
—अनिश्चित मालका मुआहिदा पूरी बिक्री नहीं है ४१
—माल, खरीदारको पहुंचनेके लिये बजुहातका देखा जाना ४१
—'निश्चित माल' और 'खास माल' का अन्तर तथा व्याख्या ४१
—यदि माल किसी तरहसे निश्चित किया जासकता हो तो उसे वैसा करना चाहिये ४१
—अगर बेंचा हुआ माल दूसरे मालमें मिला दिया जावे ४२
१९ मालियत उस वक्त जाती है जबकि उसके लिये ऐसा चाहा जावे ४२
—बिक्रीमें मालियतका मुन्तक़िल होना एक जरूरी अंग है ४२
—एक बार माल नाप कर दिया गया हो और पीछे नापे जानेका असर ४२
—जैसे जैसे काम होता जावे वैसे क़ीमत दी जावे इसका असर ४२
—जब दोनों पक्षकार एक जगहके हों और मालका दिया जाना दूसरी जगह पर हो ४३
२० खास मालका देनेकी हालतमें होना ४३
—बेंचते ही माल खरीदारका होजाता है यदि कोई शर्त न हो ४३
—लगा हुआ इंजन रेल पाससे पहुंचा देनेका सौदा हुआ वह खराब होगया बेंचने वालेका माना गया ४३
—घासके ढेरका सौदा, माल दिये जानेकी हालतमें माना गया ४३
२१ खास मालका दिये जाने योग्य किया जाना ४५
—मालके लिये कोई काम किया जानेको होवे ४५
—मालका लादना आदि, मालके लिये काम करना कहलाता है ४५
—खरीदारको सूचना होना ४५
२२ देने योग्य खास माल जबकि बेंचने वालेको उसकी क़ीमत निश्चित करनेके लिए कोई काम या यत्न करनी होवे ४५
—ढेरका माल जब तक अलग न किया जावे 'खास माल' न कहा जावेगा ४६
—सब माल खरीदारको देना कि वह खरीदा हुआ माल उसमें निकाल ले ४६
—एक हजार ईंटें खरीदनेमें एक ढेरका दिया जाना ४६
—हिसाब लगाने पर जोड न लगाना इससे खरीदारका कब्जा माना जावेगा ४६
—बेंची हुई चीजमें बाया कुछ काम कर चुके कुछ बाकी हो तो मुन्तक़िल मानी जावेगी ४६
—तारपीनके पीपे कुछ खाली थे, बायाने भरनेका वादा किया था ४७
—यह जरूरी नहीं है कि बाया, मालको खरीदारको दे देवे, बल्कि वैसे भी बिक्री हो सकती है ४७
—सौदा होनेके बाद आंधीमें तख्ते उड़ गये सौदा नहीं माना गया ४७
—जमीनमें लगी हुई चीजकी बिक्री तभी समझी जावेगी जब बाया उखाड़ दे ४८
२३ अनिश्चित मालकी बिक्री तथा उसका इस्तैमाल ४८
—'अनिश्चित माल' वह है जो बिक्रीके समय न पहिचाना गया हो ४८

—'आयन्दा माल' की परिभाषा व व्याख्या ४९
—जब माल किसी दूसरेके लिये खरीद किया गया हो तो उसका असर ४९
—खरीदारको मालकी तफसीलमें कोई एतराज हो तो फौरन करना चाहिये ४९
—बिक्रीका समझा जाना जब माल तफसीलके अनुसार होवे ४९
—बेंचने वालेका कब्जा माल पर कब ट्रस्टी आदिकी तरह होगा ५०
—जब कि किसी ढेरसे कुछ माल खरीदा गया हो तो बिक्रीका असर ५०
—यह मुवाहिदा कि आधी कीमत लादने पर व आधी माल मिलने पर दी जावेगी ५०
—जब माल तो मंगाया गया, और वह भेजा गया तो वह खरीदारका होता है ५०
—जब माल बेंचनेके बाद कुर्क हो जाय, बायाका माना जावेगा ५०
—कीमतकी अदायगीसे पहले मालका लिया जाना शर्तके साथ ५०
२४ माल जो मंजूर किए जाने पर या 'बिक्री या वापिसी पर' भेजा गया हो ५०
—अगर खरीदारको पसन्द न आवे तो वह वापिस करदे ५१
—माल नियत समयके अन्दर पसन्द न आवे तो वापिस हो सकेगा ५१
—नियतकी हुई मियादके अन्दर वापिसी न होने पर बिक्रीका माना जाना ५१
—जब वापिसीकी मियाद नियत हो तो उचित समयके बीतने पर बिक्रीका मानना ५१
—जब नियत समयके अन्दर लौटानेकी शर्त हो और माल खराब कर दिया गया हो ५१
—वापिसीकी शर्तके मालको गिरवी कर देना या बेंच देना ५१
—माल वापिसीकी शर्त पर लिया गया मगर खो गया तो जिम्मेदारी ५२
—वापिसीके शर्तके मालको थोड़ा बेंच देना फिर वापिस करनेका नतीजा ५२
—कोई काम जिससे सौदेका होना माना जा सके ५२
२५ अलहदा कर सकनेका हक़ सुरक्षित रखना ५२
—खास मियादके वास्ते मालको अलहदा कर सकनेका हक ५३
—शर्तके पूरा किये बिना खरीदारका हक माल पर नहीं समझा जा सकेगा ५३
—जरमन युद्धके पहले ब्रिटिश रियायाका सौदा जर्मनीके व्यापारके साथ ५४
—माल भेज कर, बिल आव लेडिंग, बैंकको देना या हुण्डी करना ५४
—अगर मालका मुन्तकिल होना कीमतकी अदायगीके ऊपर किया गया हो ५४
२६ प्रकट रूपसे जायदादके साथके नुक़सानका खतरा भी जाता है ५४
—नुकसानके खतरेको माल बेंचते समय दोनों पक्ष तय कर सकते हैं ५५
—शर्तके अनुसार भूल करने वाला पक्षकार नुकसान देनेका जिम्मेदार होगा ५५
—अगर पक्षकार ट्रस्टीके हैसियतसे माल रखता हो तो इसका असर न पड़ेगा ५५
—बाजारके चलन व रवाजका प्रभाव ऐसे सौदों पर ५५
—जब माल किसीके पास अपनेही जिम्मेदारी पर बेंचनेको रखा गया हो ५५
—माल लिये जानेका परवाना दिये जानेसे खरीदारकी जिम्मेदारी ५५
—जब मालका सौदा इस शर्त पर हो कि किराया, कीमत व बीमाका खर्च शामिल है ५६
—अगर यह शर्त हो कि क़ीमत उस समय अदा होगी जब माल पहुंच जावे ५६
—जब क़ीमत पहले अदा होना और माल किसी शर्त या देनेका वादा हो ५६

हक़का मुन्तक़िल होना

२७ उस व्यक्ति द्वारा विक्री जो मालिक न होवे ५६
—बायाके हक़से ज्यादा हक़ ख़रीदारको नहीं पहुच सकता ५७
—ऐसे व्यक्तिका बेंचा हुआ माल; जो मालिक नहो या उसे हक़ बेंचनेका न दिया गया हो ५७
—खुले बाज़ार जब सौदा बेंचा गया हो तो ख़रीदारके प्रति हक़का पहुचना ५७
—जब उसकी रज़ामन्दीसे माल किसी एजेण्टके पास होवे ५७
—रिसीवर मालका स्वयं मालिक नहीं होता मगर बिक्रीसे हक़ ख़रीदारको मिलता है ५७
—आफिशल रिसीवर व एसायनीके द्वारा मालके बेंचनेसे हक़का जाना ५७
—जिसमें माल पर क़ब्ज़ा बिला किसी शर्त आदिसे होवे ५८
—किरायेदारका आदिसे क़ब्ज़ा इस दफ़ाका क़ब्ज़ा नहीं माना जा सकेगा ५८
—नेकनीयती, उचित परवाह, ईमानदारी, होशियारी पर माल बेंचना ५८
—चोरीका माल ख़रीदने वालेको इससे कोई बचत नहीं होगी ५८
—यह दफ़ा चुराये हुए करंसी नोटके लिये लागू नहीं होगी ५९
२८ संयुक्त मालिकोंमेंसे एकके द्वाराकी हुई विक्री ५९
—मालका क़ब्ज़ा अन्य शरीकेदारोंकी रज़ामन्दीके अनुसार होना चाहिये ५९
—जब ख़रीदारको माल लेते समय यह सूचना नहो कि बायाको बेंचनेका हक़ है ५९
२९ ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्री जो रद्द किये जाने योग्य मुवाहिदेके अनुसार क़ब्ज़ेमें होवे ५९
—मंसूख़ी योग्य मुवाहिदेके आधार पर माल हो और वह बेंचा जावे तो ख़रीदारके हक़ ६०
—जब किसीने ग़लतबयानीसे दूसरेको माल बेंच दिया हो ६०
—मालधनीको झूठा यक़ीन दिला कर माल लिया और बेंच दिया गया ६०
—माल ख़रीदा मगर क़ीमत नहीं दी और उसे तीसरे व्यक्तिके पास रेहन कर दिया ६०
—मालके बेंचनेमें नेकनीयतीका सवाल और धोखेबाज़ीका ६०
३० विक्रीके बाद ख़रीदार या बेंचने वालेका क़ब्ज़ा ६१
—जब माल विक्रीके बाद ख़रीदार या बायाके पास हो मगर हक़ दूसरेका हो ६१
—जब माल पहले ख़रीदारने दूसरेके हाथ बेंचा हो तो परस्पर हक़ ६२
—बायाकी रज़ामन्दीसे ख़रीदारको हक़ पहुच जाता है ६२
—नेकनीयती और व्यापारिक एजेण्ट ६२

चौथा प्रकरण

मुवाहिदेका किया जाना

३१ ख़रीदार व बेंचने वालेके कर्तव्य ६३
—ख़रीदार व बेंचने वालेके साधारण कर्तव्य क्या हैं ६३
—मौजूदा मालके सौदेमें उसी तरहका दूसरा माल नहीं दिया जा सकता ६३
—क़ब्ज़ाका मुन्तक़िल करना मालका दिया जाना माना जावेगा ६३
—फ़रीक़ैनको अधिकार है कि मालका दिया जाना किसी प्रकार भी तय कर ले ६४

३२ अदायगी व देना एक साथ की जाने वाली शर्तें हैं ६४
—मालका दिया जाना और क़ीमतकी अदायगी साथ की जाने वाली शर्तें हैं ६४
—उधार माल बेंचनेमें, पीछेसे क़ीमत अदा होना माना जावेगा ६४
३३ देना ६५
—फ़रीक़ैनके बीचमें जब मालका दिया जाना किसी ख़ास काम पर तय हो ६५
—मालका पहुंचा दिया जाना ख़ास जगह पर, दिया जाना माना जायगा ६५
—कोठेकी कुंजी दे देना मालका दिया जाना माना जावेगा ६५
—किरायेदारीकी तब्दीलीसे मालका दिया जाना माना जाता है ६५
—जमा खर्च बदल देनेसे मालका दिया जाना माना जावेगा ६५
—मालका दिया जाना जो मुवाहिदेके अनुसार न हो, दिया जाना नहीं माना जा सकता ६६
—यदि किसी ख़ास जगहसे माल दिये जानेका सौदा किया गया हो ६६
—यह जरूरी नहीं है कि मालका दिया जाना जाती तौरसे किया गया हो ६६
—देनेका तरीका तय न हुआ हो तो सामान्य तरीका इस्तैमाल किया जावेगा ६६
—दूसरे माल भेजनेके वादे पर बायेको चाहिये कि उसकी सूचना खरीदारको दे ६६
—बाजारके व्योहार चलनके अनुसार, काम, माल दिया जाना माना जावेगा ६६
—कब मालका दिया जाना मान लिया जावेगा ६७
—रसीद, टिकट, डाकवारण्ट, सार्टीफिकट आदिका असर ६७
—बिक्रीके बाद मालको दिखा देना मालका देना माना जावेगा ६७
—मालके सम्बन्धमें जाबतेकी कार्रवाईका किया जाना, देना माना जावेगा ६७
—शर्तके साथ मालका दिया जाना ६८
३४ थोड़े मालके दिये जानेका प्रभाव ६८
—पूरे मालके दिये जानेके सिलसिलेमें कुछ माल दिया गया हो ६८
—जब जहाजसे कुल मालमेंसे कुछ दिया गया हो, दिया जाना माना जावेगा ६८
३५ खरीदार मांगे ६९
—बेंचने वाला, माल खरीदारके पास ले जानेके लिये बाध्य नहीं है ६९
—बेंचने वाला उस समय तक माल देनेके लिये बाध्य नहीं है जब तक खरीदार न कहे ६९
—खरीदार और बेंचने वालेके परस्पर हरजानेके दावाकी बुनियादें ६९
— यदि मुवाहिदेमें क़ीमत व माल दिये जानेका समय नियत किया गया हो ७०
३६ देनेके लिये नियम ७०
—माल दिये जानेकी जगह कौन है व तरीक़ा देनेका ७१
—माल, जहां पर बिक्रीके समय हो, प्रायः वहीं पर देना माना जावेगा ७१
—जबकि माल, खरीदारके पास भेजनेका वादा हो और समय न तय किया गया हो ७१
—उचित समय कौन है? कैसी दशामें कितना माना जावेगा ७१
—यदि माल समय पर न भेजा गया हो तो हरजेका हक़ पैदा होजाता है ७१
—जब माल किसी ख़ास दिन देनेकी शर्त हो तो १२ बजे रात तक देनेका हक़ ७२

—अगर बिक्रीके समय माल किसी तीसरे व्यक्तिके कब्जेमें होवे ७२
—मालका मांगना व देनेके लिये तैयार होना उचित समयमें होना चाहिये ७२
—माल दिये जानेकी हालतमें जो खर्च हो बाया बरदास्त करेगा ७२
३७ गलत मिक़दारका दिया जाना ७२
—जब मुवाहिदेसे कम या ज्यादा माल दिया गया हो ७३
—कम माल दिये जाने पर खरीदार मंजूर कर सकता है व इन्कार भी ७३
—बाजार चढ़नेसे कम माल दिये जाने पर बट्टाका दिलाया जाना ७३
—जबकि मुवाहिदेसे अधिक माल देदिया गया हो ७३
—ज्यादा माल देनेसे, खरीदार लौटा सकता है, कुल मंजूर कर सकता है व उतना ही लेसकता है ७४
—माल मुवाहिदेसे ज्यादा लेनेमें वही भाव लागू होगा जो था ७४
—जब मालमें मिलावट कीगई हो और ज्यादा दिया गया हो ७४
—शर्त थी कि १४ दिनके अन्दर मुवाफिक न होने पर लौटा देना, माल कम था, पीछे पता लगा ७५
३८ क़िश्तके साथ दिया जाना ७५
—जब तक तय न हो किश्तसे माल खरीदार नहीं लेसकता ७५
—मुवाहिदेको जैसाका तैसा पूरा करना चाहिये टुकड़े टुकड़े नहीं ७५
—क़ीमत तय न कीगई हो, मुवाहिदेसे किश्तका अन्दाजा लगाया जाना ७६
—किश्तसे माल देना तय हो और कीमत भी उसी तरह देना भी तय किया गया हो ७६
३९ लेजाने वाले या बन्दरगाहके मालिकको देना ७७
—वादेके अनुसार माल, लेजाने वालेको इसलिये दिया जाय कि वह खरीदारको पहुंचा देगा ७७
—माल लेजाने वालेसे बाया पहुचानेके लिये उचित मुवाहिदा कर लेवे ७८
—जब उचित होशियारी, मेहनतसे माल, बंदरगाहके मालिकको दिया गया तो जिम्मेदारी ७८
—खरीदारकी जिम्मेदारी पर जब माल भेजना तय किया गया हो ७८
—रेलसे माल भेजने पर मालियत खरीदारको पहुच जाती है ७९
—जब माल भेजने वालेने रेलवे रसीद अपने नाम ली पीछे बेची करदी तो जिम्मेदारी ७९
४० यदि दूरकी जगह पर माल दिये जावें तो उसमें पैदा होने वाली खराबीकी जिम्मेदारी ७९
—जब खास जगहका माल देना तय हो तो रास्तेकी खराबीकी जिम्मेदारी खरीदार पर है ७९
—रास्तेमें स्वभावतः खराबी मालमें जो पैदा होजावे उसकी जिम्मेदारी खरीदार पर है ७९
—माल तैयार करके दूसरी जगह पर देनेकी शर्त हो तो रास्तेकी खराबी बायाकी होगी ७९
—पत्तियां साफ चमकती हुई भेजी गई, सरदीसे रास्तेमें खराब होगई ८०
४१ खरीदार द्वारा मालको जांचनेका हक़ ८०
—माल देख लिये जाने पर मालका लिया जाना समझना चाहिये ८०
—जब खरीदार माल इस ढंगसे लेवे कि उसकी मंजूरी मालूम होसकती हो ८१
—खरीदनेसे पहिले खरीदारने माल देखा, माल बायाके पास रहा आर्डर पर भेजा गया ८१
—नीलामके खरीदारको हक मालके नापनेका कब होता है ८१

—नमूनेके अनुसार माल बेंचने पर मालके होनेकी जगह पर बेंचना माना जाना ८१

४२ मंजूर करना ८२

—माल तीन तरहसे मंजूर किया जा सकता है ८२

—बेंचने वालेको इत्तला देना, माल देदेना, उचित समयसे ज्यादा रोक रखा जाना ८२

—खरीदारके कामोंसे मालकी मंजूरी समझी जा सकती है ८२

—मंजूरीकी सूचना प्रकट रूपमें होना चाहिये ८२

—मालका पाना और मालका मंजूर करना एकही बात नहीं है ८३

—बेंचने वालेकी मालियतके विरुद्ध कोई काम करना ८३

—मालको सौदेके लिये तैयार कर देना, बिक्री मानी जा सकती है ८३

—खरीदारने माल लेकर जब दूसरेके हाथ बेंच दिया तब जांच करना ८३

—नमूनेके मुताबिक माल न होने पर इनकार व क़ीमतका दावा किया जाना ८४

—नमूनेके मुताबिक माल न होने पर लेलेना पीछे एतराजका असर ८४

—ख़रीदार द्वारा माल बेंचने पर मंजूर शुदा समझा जाना ८५

—बायाकी ख़ामोशीसे ख़रीदारको नामंजूरीका समय मिल सकना ८५

४३ नामंजूर किये हुए मालको वापिस करनेके लिये ख़रीदार बाध्य नहीं है ८५

—ख़रीदार मालको वापिस भेजनेके लिये बाध्य नहीं है ८५

—ख़रीदारकी इनकारी माल न लेनेमें साफ शब्दोंमें होना चाहिये ८५

४४ मालके लेनेमें लापरवाही करने या इनकार करने पर ख़रीदारकी ज़िम्मेदारी ८५

—जब ख़रीदार मालको उचित रूपमें न ले तो हरजानेका हक बायाको ८६

—जब बाया व ख़रीदार दोनों वादे पर फेल हों तो हरजेका दावा नहीं होगा ८६

—मालको रखने व रक्षामें उचित खर्चेका हिसाब व दिलाया जाना ८६

—यदि बरबाद होने वाले मालका सौदा तय हुआ हो ८७

पांचवां प्रकरण

मालके विरुद्ध उसके बेंचने वालेके हक़ जिसकी क़ीमत अदा न कीगई हो

४५ बिला अदा किया हुआ बाया ८७

—'बिला अदा किया हुआ बाया' किसे कहते हैं व कैसे समझा जावेगा ८८

—यदि बेंचने वालेको पूरी क़ीमत अदा न कीगई हो ८८

—क़ीमतकी अदायगीमें हुंडी आदि अगर दीगई हो ८८

—रुक्का, चेक, हुंडी, इन्तक़ाल करने योग्य कागजात इत्यादि ८८

४६ बिला अदा किए हुए बायाके हक़ ८९

—बिला अदा किये हुए बायाके अधिकार हक़ आदि कहां पर क्या हैं ८९

—अगर माल बायाके क़ब्जेमें हो तो उस पर उसका बार समझना चाहिये ८९

—अगर माल रवानगीमें हो तो कब बायाका बार उस पर माना जायगा ८९

—बाया मालको कब किस हालतमें दुबारा बेंच सकता है ८९

—जब ख़रीदारको मालियत मुन्तकिल हो गई हो तो बायाके अधिकार ८९
—बार किफालत, और सिद्धान्तका वर्णन ९०
—माल उधार न दिया गया हो तो बाया उस मालको कैसी दशामें रोक सकता है ९०
—जब माल पर बायाका या उसके एजेण्टका क़ब्ज़ा होवे ९०
—अगर माल उधार बेंचा गया हो तो बारका छोड़ देना समझा जा सकता है ९१
—जब माल पर तीसरे शख़्सका कब्ज़ा हो तो बायाका अधिकार कैसा होगा ९१

बिला अदा किये हुए बायाका बार किफ़ालत

४७ बायाका बार ९२
—बायाका बार कब हो सकता है व कब किस तरह पर काममें लाया जा सकता है ९२
—यदि बाया माल देनेका आर्डर दे देवे तो ख़रीदारका कब्ज़ा कब न माना जायगा ९३
—दिवालियेकी हालतमें जब ख़रीदारके होनेका पता लगे तो बायाके हक ९४
४८ कुछ माल दे चुकना ९४
—थोड़ा माल दिया गया हो तो बाकी माल बेंचने वाला रोक सकता है ९५
४९ बारका समाप्त होना ९५
—बेंचने वालेका बार कब चला जाता है कब नहीं ९५
—पहुंचाने वालेको माल देना, ख़रीदारको देना माना जा सकता है ९५
—बेंचा हुआ माल ख़रीदारके पास बायाके सुपुर्ददारके पास होवे ९६

मालको एक जगहसे दूसरी जगह ले जानेकी हालतमें रोकना

५० मालको ले जाते हुए रोकनेका हक़ ९६
—मालके रवानगीमें रोकनेका हक़ बेंचने वालेको कब प्राप्त होता है ९७
—जब माल ख़रीदारके क़ब्ज़ेमें न पहुंचा हो रास्तेमें हो तब रोका जा सकता है ९७
—माल ले जाने वालेका अगर कुछ रुपया बाक़ी हो उसका बार ९७
—कमीशन एजेण्ट भी मालको रोक सकता है जब तक ख़रीदारके पास न पंहुचा हो ९७
—रास्तेमें माल रोकनेके लिये किन किन बातोंके साबित करनेकी ज़रूरत है ९८
—ख़रीदारके दिवालिया होने पर रास्तेमें मालका रोका जाना ९८
—इन्डियन कंट्राक्ट एक्टकी दफ़ा ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, का विवरण ९८ से १०१
५१ माल ले जानेकी मियाद १०१
—माल ख़रीदारके पास ले जानेके लिये सुपुर्ददारको दिया जाना, रवानगी है १०२
—मालका दिया जाना कब माना जावेगा वाक़याती सवाल है १०२
—जब माल ख़ास मुक़ाम पर पहुंचाया जानेको हो और बीचमें लिया जावे १०२
—बायाके एजेण्टने बीचमें जब माल अपनी गोदाम पर रख लिया हो १०३
—'नियत किये हुए स्थान' शब्दका व्यापक अर्थ और व्याख्या १०३
—जब नियत स्थान पर माल पहुच जावे व ख़रीदारकी तरफ़से बायाका क़ब्ज़ा हो १०३
—ख़रीदार जब मालको नामंजूर करदे और ले जाने वालेके पास वह माल छोड़ दे १०४

—जब माल ऐसे जहाजमें दिया गया हो जिसे खरीदारने तय किया हो १०४
—खरीदार माल मांगे और माल ले जाने वाला देनेसे इनकार कर दे १०४
—जब मालका कुछ भाग खरीदार या उसके एजेण्टको दिया गया हो। १०४
—खरीदारने थोड़े माल पर कब्जा लिया पीछे दिवालिया हो गया १०५

५२ माल जानेकी हालतमें किस प्रकार रोका जाता है १०६
—रास्तेमें माल किस प्रकार रोका जा सकता है १०६
—बेंचने वाला माल पर असलमें कब्जा ले सकता है व अपने एजेण्टको दिला सकता है १०७
—सूचना देनेके तरीके, मालिकको व उसके नौकरको १०७
—नोटिस देने व तार देनेसे भी माल रोका जा सकता है १०७
—जब नोटिस या तारमें 'बिला अदा किये हुए बाया' का जिक्र नहो। १०७
—उधार माल बेंचा गया पीछे पता लगा कि खरीदार दिवालिया हो रहा है १०७
—बेचने वालेका माल पर कब्जा देना चाहिये जब सुपुर्ददारके पास माल हो १०७
—बेंचने वालेको सब खर्च देना होगा जब वह माल पर कब्जा लेगा १०८

खरीदार या बेंचने वाले द्वारा मुन्तकिल किया जाना

५३ खरीदार द्वारा उस मालके फिरसे बेंच दिये जाने या गिरवी रखनेका असर १०८
—खरीदारने मालकी क़ीमत बिला दिये अब रेहन रख दिया हो १०९
—माल दूसरी जगह रेहन करने व बेंच देने पर कब खरीदारके हक़ बने रहेंगे १०९
—खरीदारके रेहन किये हुए माल व दूसरे माल पर बायाका असर ११०

५४ आमतौर पर बिक्री, बायसे माल जानेकी हालतमें रोकनेसे मंसूख़ नहीं हो सकती है १११
—बायाने माल रोका हो तो मुवाहिदाका टूटना नहीं माना जावेगा १११
—माल रवानगीमें रोकनेसे बायाका कब्जा माल पर मालिकाना नहीं होगा ११२
—यदि माल बरबाद हो जाने वाला हो ११२
—बरबाद होने वाला मालका बेंच देना, व नोटिस देनेकी जरूरत ११२
—दूसरे खरीदारका हक़ माल पर किस तरह पर व कितना पहुंचता है ११२
—'उचित समय' इस मामलेमें कैसे विचार किया जायगा ११३

छठवां प्रकरण

मुवाहिदा शिकनीके लिए दावे

५५ क़ीमतके लिए दावा ११४
—मुवाहिदा तोड़ने पर फ़रीकैन कौन कौन कार्रवाई कर सकते हैं ११४
—बेंचने वालेका अधिकार है कि माल देनेके बाद क़ीमत ले ले ११५
—माल चाहे न भी दिया गया हो यदि क़ीमत किसी निश्चित दिन देनेका वादा हो। ११५
—बेंचने वालेको दावा करनेकी बिनाय मुखासमत कैसे होगी ११६

५६ नामंजूर करनेका हर्जा ११६
—मुवाहिदा टूटने पर बाजार चलनके अनुसार हरजाका मिलना ११६

—हरजेकी तादाद मुवाहिदेके साथ तयकी जा सकती है ११७
—क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा ७३ और ७४ का सविस्तर वर्णन ११७ से १२६
५७ माल न देने पर हरजा १२६
—बेंचने वाले व्यक्तिके माल न देने पर हरजा कब किस तरह वसूल होगा १२७
५८ मुवाहिदेका जैसेका तैसा कराया जाना १२७
—'ख़ास माल' और 'निश्चित माल' की व्याख्या १२८
—जब कि माल नेकनीतीसे किसीने ख़रीदा और क़ीमत देदी तो उस हालत पर विचार १२९
—अगर ऐसा हो कि जितना माल लगेगा बाया देता रहेगा १२९
—क़ानून दादरसीकी दफ़ा १२, २१ १२९ से १३१
५९ ज़िम्मेदारीके पूरा न किये जाने पर तजवीज़ १३१
—जो ख़रीदारने स्वयं जिम्मेदारी मानली हो वह जिम्मेदारी समझी जावेगी १३२
—ख़रीदार मालकी क़ीमत कम करके किस हालतमें दे सकता है १३२
—शर्त और जिम्मेदारीका फ़रक़ और दोनोंके पूरा न किये जानेका असर १३२
६० नियतकी हुई तारीख़से पहले मुवाहिदेका तोड़ दिया जाना १३३
—मुवाहिदा पूरा करनेकी तारीखसे पहले जब कोई फ़रीक़ उसे तोड़ दे तो हरजाना १३४
—मुवाहिदा तोड़ देने पर कब व किस हालतमें कौन हरजाना आदि ले सकता है १३४
—क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा ३९ और १२० का विवरण १३४ से १३५
६१ ख़ास हरजा या हरजेके तौर पर सूदका मिलना १३५
—मुवाहिदा टूटनेसे जिस व्यक्तिको नुक़सान हो वही हरजेके तौर पर वसूल होता है १३५
—जिसे हरजा मिलना हो उसका कर्तव्य है कि नुक़सान कम जहां तक हो होने पावे १३५

सातवां प्रकरण

६२ खुलासा इक़रार आदिसे लगाए जाने वाले इक़रार व शर्तोंका तोड़ दिया जाना १३७
—कोई ख़ास नियम या बाजार चलन पर शर्तोंकी पाबन्दी कब होगी १३७
—शहादत किस तरहके बाजार चलनके साबित करनेमें दी जा सकती है १३७
६३ उचित समयका सवाल एक वाक़याती सवाल है १३८
—क़ानून शहादतसे इस क़ानूनका 'उचित समय' में मतभेद और फ़रक़ १३८
६४ नीलाम १३८
—भिन्न भिन्न थोकके नीलाममें सिर्फ़ वही थोकका सौदा समझा जावेगा जो थोक हुआ है १३९
—घंटा बजा कर या 'तीन' कह कर जब नीलाम ख़तम हो तो बिक्री मानी जाना १३९
—बोली ख़तम होनेसे पहले बोली बोलने वाला अपनी बोली वापिस ले सकता है १३९
—माल बेंचने वालाभी बोली बोल सकता है मगर कब व किस सूरतमें १४०

—नीलाममें जब यह न बतया गया हो कि बेंचने वालेकी तरफ़से बोली बोली जायगी १४०
—नीलाममें ख़ास दिन क़ीमत सुरक्षित रखी जा सकती है १४०
—नीलाम करने वाला अगर बनावटी बोली बुलवाए तो खरीदार बिक्री तोड़ सकता है १४१
६५ मंसूख़ी १४१
—क़ानून मुवाहिदा नं० ९ सन १८७२ ई० का सातवां प्रकरण मंसूख़ हुआ १४१
—पूरा क़ानून मुवाहिदा मंसूख़ न समझना चाहिये १४२
६६ बचत १४२
—वे सब काम जिन पर इस क़ानूनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता १४३ से १४४

॥ इति ॥

ॐ

भारतमें मालके बिक्रीका कानून

एक्ट नं० ३, सन १९३० ई०

The Indian Sale of Goods Act
(No. III of 1930).

यह एक्ट मालके बिक्री सम्बन्धी क़ानूनको बतलाने व संशोधित करनेके लिये बनाया गया है

चूंकि यह अति आवश्यक प्रतीत होता है कि मालके बिक्री सम्बन्धी क़ानून को बतलाया व संशोधित किया जावे अतः निम्न लिखित क़ानून बनाया जाता है:—

पहला प्रकरण

प्रारम्भिक

दफा १ नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(१) यह एक्ट 'भारतमें मालकी बिक्रीका क़ानून सन १९३० ई०' (The Indian Sale of Goods Act 1930) कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सारे ब्रिटिश भारतमें होगा जिसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान व सन्थाल परगनाको भी शामिल समझना चाहिये।

(३) यह एक्ट पहिली जुलाई, सन १९३० ई० से लागू होगा।

व्याख्या—

भारतवर्षमें यह एक्ट अपने किस्मका नया एक्ट है क्योंकि इससे पहले मालकी बिक्रीके सम्बन्धमें कोई पृथक एक्ट नहीं था। मालकी बिक्रीको मुवाहिदे (Contract) का एक अङ्ग माना गया है क्योंकि बिक्री मुवाहिदेहीके जरिये होती है। इसी विचारसे मालकी बिक्रीको क़ानून मुवाहिदाकी एक शाखा मानते हुए

इसका विवरण सन १८७२ ई० के भारतीय क़ानून मुवाहिदा (Indian Contract Act 1872) के सातवे प्रकरणमें दिया हुआ है।

क़ानून बनानेकी आधुनिक प्रथाके अनुसार क़ानूनकी प्रत्येक शाखा एक पृथक एक्टकी सूरतमें बनाई जाती है तथा उसे जहां तक हो सकता है सर्वाङ्ग पूर्ण करनेका प्रयत्न किया जाता है। यह एक्ट भी उक्त प्रथाके फलस्वरूप बनाया गया है। मालकी बिक्रीका प्रश्न क़ानून मुवाहिदेका एक ख़ास अङ्ग समझा जाता रहा है और यदि भले प्रकार विचार किया जावे तो वह क़ानून मुवाहिदेके अन्दर पूर्ण रूपसे नहीं आ सकता है। जैसे कि बिक्रीका पूरा किया हुआ मुवाहिदा मामूली तौर पर मुवाहिदेसे कुछ अधिक किया हुआ काम है क्योंकि उसमें मुवाहिदेका होना तथा उसके फलस्वरूप जायदादका मुन्तक़िल किया जाना दो बातें शामिल हैं।

इसी प्रकार किसी चीज़को बेंचने या ख़रीदनेका इक़रार करना एक सादा तथा निख़ालिस मुवाहिदा है जिससे बेंचने व ख़रीदने वालेके दर्मियान एक महज़ ज़ाती सम्बन्ध पैदा हो जाता है परन्तु बिक्रीका मुवाहिदा पूरा होने पर मालका मालिकाना उसके फ़ायदे व नुक़सानके साथ मुन्तक़िल हो जाता है।

मालकी बिक्रीका तत्व यह है कि क़ीमतकी अदायगी पर जायदाद मुन्तक़िल हो जाती है, देखो—हटन बनाम लिपर्ट 8 A. C. 309 P. C.

यदि क़ीमतके लिये प्रकट या अप्रकट रूपमें कोई इक़रार न होवे तो सौदा हिबा (Gift) कहलाता है न कि बिक्री तथा इसके लिये ख़ास नियम आदि लागू होते हैं।

इसी प्रकार यदि किसी चीज़के एवज़में किसी चीज़के दिये जानेका सवाल हो तो इसे बदला (Barter) कहेंगे और यह भी बिक्री नहीं समझा जावेगा तथा इसके लिये भी बिक्रीके सम्बन्धके पूरे नियम लागू नहीं होंगे। देखो—बार्खे बनाम पारकर 1. H. B. 287.

यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि बिक्रीके मुवाहिदेसे बेंची हुई चीज या बेंचनेके लिये तय की हुई चीज़में जायदादका पूर्ण रूपसे मुन्तक़िल किया जाना समझना चाहिये, देखो—जैनकिन्स बनाम ब्राउन 14 Q. B. 496.

किसी चीज़की बिक्रीके मुवाहिदे तथा किसी काम या मालके पहुंचानेके मुवाहिदेमें अन्तर है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिको तख्ते व कड़ियां देनेके लिये आर्डर देवे तो उसे बिक्रीका मुवाहिदा समझा जावेगा और यदि वह उस व्यक्तिसे मकानकी मरम्मत करनेके लिये तय करे तो इसे काम करनेका मुवाहिदा कहेंगे। उक्त दोनों प्रकारके मुवाहिदोंमें अलाहिदा अलाहिदा क़िस्मके नियम लागू होंगे।

जायदाद मनकूला व ग़ैर मनकूला दोनोंही बेची जा सकती हैं और इस प्रकार दोनोंको मालका बेंचना कह सकते हैं इस एक्टमें ग़ैर मनकूला जायदादसे कोई सम्बन्ध नहीं है इसके लिये अलाहिदा क़ानून बना हुआ है भारतवर्षमें 'क़ानून इन्तक़ाल जायदाद' (Transfer of Property Act) ग़ैर मनकूला-जायजायदादके सम्बन्धमें है दूसरे देशोंमें भी ग़ैर मनकूला जायदादके लिये अलाहिदासे कानून बनाया गया है।

एक्टमें कौनसे मालका तात्पर्य है? इस एक्टमें उस मालके बिक्रीका सवाल है जो छूने वाला तथा मनकूला (Moveable) जायदादके तौर पर होवे।

इस एक्टके बनाये जानेसे पहिले जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, मालकी बिक्रीका उल्लेख सन १८७२ ई० के भारतीय क़ानून मुवाहिदाके सातवें प्रकरणमें मिलता है, उससे पूर्व कोई ख़ास नियम इस

सम्बन्धमें नहीं थे । प्रेसीडेन्सी टाउन्स यानी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास व रंगूनमें अंगरेजी कानून लागू समझे जाते थे । मुफ़स्सिलमें जज लोग इन्साफ़, समानता तथा नेकनीयतीका ध्यान रखते हुए फैसला करनेका प्रयत्न करते थे, उनके लिये इस सम्बन्धमें कोई खास नियम नहीं थे जिनके आधार पर वह फैसला कर सकते । भारतीय कानून मुआहिदेके सातवें प्रकरणमें सौदोंकी बिक्रीके सम्बन्धमें जो नियम दिये हुए हैं वह उस समयके इङ्गलिस्तानमें प्रचलित नियमोंके आधार पर बनाये गये थे । इङ्गलिस्तानके भी नियम उस समय तक अच्छी तरतीबके साथमें नहीं थे बल्कि एक प्रकारसे व्यापारकी वृद्धिके साथ व अदालतों द्वारा किये जाने वाले फैसलोंके साथ वह बनतेसे जाते थे । सन १८७२ ई० के बाद इस सम्बन्धमें कुछ नियम इङ्गलिस्तानमें तैयार किये गये परन्तु वह अपूर्णसे थे बादमें वर्तमान व्यापारिक नियमोंको देखते हुए तथा पिछले फ़ैसलों व असुविधाओंको ध्यानमें रखते हुए सन १८९३ ई० में 'मालकी बिक्रीका कानून' [Sale of Goods Act 1893 (56 and 57 Vict. C. 71)] बनाया गया । वह कानून सन १८९३ ई० से अबतक चला आता है । वह अपने क़िस्मका एक बहुत अच्छा कानून समझा जाता है और इसका अनुकरण ब्रिटिश साम्राज्यके विभागोंके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका तककी रियासतोंमें किया गया है ।

यह एक्ट इसी अङ्गरेजी एक्टके आधार पर बनाया गया है । तथा इसका नाम भी उसी प्रकारका रखा गया है । यह भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा पास किया हुआ सन १९३० ई० का तीसरा कानून है इसीलिये एक्ट नं० ३ सन १९३० ई० लिखा जाता है ।

दफ़ाके दूसरे भागमें एक्टका विस्तार बतलाया गया है जिससे प्रकट है कि यह एक्ट सारे ब्रिटिश भारतमें लागू समझना चाहिये । ब्रिटिश बलूचिस्तान व सन्थाल परगना जो अपने खास बसाव व आबादीके कारण प्रत्येक कानूनके लिये ब्रिटिश भारतके और भागोंकी भांति नहीं समझे जाते हैं वह भी इस एक्टके लिये ब्रिटिश भारतमें सम्मिलित समझे जावेंगे अर्थात इस एक्टका प्रयोग इन भागोंमें भी होगा ।

ब्रिटिश भारतकी परिभाषा जनरल क्लाजेज एक्ट नं० १० सन १८९७ ई० की तीसरी दफ़ामें दी हुई है उसके अनुसार ब्रिटिश भारतका अभिप्राय उन भागोंसे है जो गवर्नर जनरल हिन्द या उसके मातहत किसी गवर्नर या दूसरे हाकिमके प्रबन्धमें हों, देखो—जनरल क्लाजेज एक्ट (10 of 1897 S. 5. 3).

दफ़ा २ परिभाषायें

इस एक्टमें यदि कोई बात विषय या प्रसङ्गसे विपरीत न पड़ती हो तो निम्नलिखित शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये :—

(१) खरीदार' (Buyer) से अभिप्राय उस व्यक्तिका है जो माल खरीदे या उसके खरीदनेके लिये राज़ी होवे ।

(२) 'देना' (Delivery) इस शब्दसे अभिप्राय जानबूझ कर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तिको क़ब्ज़ा देनेसे है ।

(३) किसी मालके लिये 'देनेकी हालत' (Deliverable State) में होना उस समय कहा जाता है जब कि वह ऐसी हालतमें होवे जिसमें कि खरीदार मुआहिदेके अनुसार उनको लेने, (Take Delivery) के लिये बाध्य होवे ।

(४) 'मालके हक़की दस्तावेज़' (Document of title to Goods) में यह दस्तावेज़ें भी शामिल समझना चाहिये।

बिल आफ़ लेडिंग (Bill of lading), डाक वारण्ट (Dock-warrant), वेयर हाऊस कीपरका सर्टीफ़िकेट (Warehouse Keeper's Certificate), ह्वार-फिंगर्स सर्टीफ़िकेट (Wharfinger's Certificate), रेलवे रसीद मालके दिये जानेका वारण्ट या हुक्म तथा कोई दूसरी दस्तावेज़ जो व्यापारमें मामूली तौर पर मालके क़ब्ज़े या निगरानीके सुबूतमें इस्तेमाल की जाती हो अथवा जिस पर तहरीर कर देनेसे या जिसे दे देनेसे उस दस्तावेज़ पर क़ब्ज़ा रखने वाला व्यक्ति उसमें दिखलाये हुए मालके दिये जाने या पानेका अधिकारी होता हो या अधिकारी समझा जा सके।

(५) 'भूल' (Fault) से अभिप्राय ग़लत काम या चूकने (Default) से है।

(६) 'आयन्दा माल' (Future Goods) से अभिप्राय उस मालका है जो बिक्रीका मुवाहिदा होनेके बाद बेंचने वाले द्वारा तैयार किया जाने, पैदा किया जाने, या लिया जानेको होवे।

(७) 'माल' (Goods) से अभिप्राय रुपए व चलाये जाने योग्य दावोंके अतिरिक्त हर प्रकारकी मनकूला (Moveable) जायदादसे है; तथा इसमें स्टाक (Stock) व हिस्सों (Shares), उगी हुई फ़सल तथा उन चीज़ोंको भी शामिल समझना चाहिये जो ज़मीनमें लगी हुई हों या उसका भाग होवें जबकि बिक्रीसे पहिले या बिक्रीके मुवाहिदेके मुवाफ़िक़ उनका अलाहिदा कर दिया जाना तय हुआ हो।

(८) कोई व्यक्ति 'दिवालिया' (Insolvent) उस समय कहलाता है जब कि वह व्यापारके मामूली सिलसिलेमें अपने कर्ज़ोंका अदा करना बंद कर देवे या अपने कर्ज़ोंको उनके वाजिबुल अदा होने पर अदा न कर सकता हो चाहे उसने दिवालियेका काम किया हो या न किया हो।

(९) 'व्यापारिक एजेण्ट' (Mercantile Agent) से तात्पर्य उस व्यापारिक एजेण्टका है जिसे व्यापारके मामूली सिलसिलेमें उक्त एजेण्टकी हैसियतसे मालको बेंचने या बिक्रीके सिलसिलेमें मालको दूसरेके नाम कर देने या खरीदने अथवा मालकी ज़मानतमें रुपया लेनेका अधिकार प्राप्त हो।

(१०) 'क़ीमत' (Price) से तात्पर्य मालकी बिक्रीके सम्बन्धमें मिलने वाले मुवाविज़े (Consideration) से है जो रुपयेकी शक्लमें हो।

(११) 'जायदाद' (Property) से अभिप्राय माल सम्बन्धी आम जायदाद (General property) से है तथा केवल किसी खास जायदादसे नहीं है।

(१२) 'मालकी क़िस्म' (Quality of goods) इसमें मालकी हैसियत (State) या हालत (Condition) भी समझना चाहिये।

(१३) 'बेंचने वाला' (Seller) से अभिप्राय उस व्यक्तिका है जो मालको बेंचनेके लिये राज़ी होवे।

(१४) 'खास माल' (Specific goods) से अभिप्राय उस मालका है जो मालकी बिक्रीका मुवाहिदा होते समय पहिचाना गया हो तथा जिस पर रज़ामन्दी हुई हो।

(१५) वह 'वाक्य' (Expression) जिनकी परिभाषा इस एक्टमें न दी हुई हो परन्तु जिनकी परिभाषा सन १८७२ ई० के भारतीय क़ानून मुवाहिदा (Indian Contract Act 1872) में दी होवे और वह इस एक्टमें इस्तेमाल किये गये हों तो उनके वही माने होंगे जो एक्ट (क़ानून मुवाहिदा) में लगाये गये हैं।

व्याख्या—

इस दफामें उनमेंसे कुछ शब्दोंकी परिभाषा दी हुई है जिनका प्रयोग इस एक्टमें किया गया है। यह न समझना चाहिये कि इस दफामें सभी शब्दोंकी परिभाषायें मिल जावेंगी। बहुतेरे ऐसे शब्द व वाक्य प्रयोग किये गये हैं जिनका उल्लेख इस दफामें यहीं पर नहीं है परन्तु इसी दफाके अन्तमें अर्थात पन्द्रहवें भागमें यह बतला दिया गया है कि जिन वाक्योंकी परिभाषा इस एक्टमें न मिले, तथा वह सन् १८७२ ई० के भारतीय कानून मुवाहिदामें दी हुई हो तो उसका वही अर्थ समझना चाहिये जो उस एक्टमें दिया हुआ हो।

एक प्रकारसे इस दफामें यह दिखलानेका प्रयत्न किया गया है कि इस एक्टमें प्रयोग किये हुए कुछ शब्दोंका अर्थ उसी प्रकार समझना चाहिये जिस प्रकार इस दफामें दिया हुआ है।

परिभाषायें अधिकतर अंग्रेजी 'मालके बिक्रीके कानून, (English Sale of Goods Act) से लगी हुई मालूम होती हैं, देखो—Sale of Goods Act 1893, S 62.

(१) 'खरीदार' शब्दकी जो परिभाषा इस एक्टमें दीहुई है वही परिभाषा अंग्रेजी कानूनमें भी दीहुई है, देखो—दफा ६२ मालकी बिक्रीका कानून सन १८९३ ई० Sale of Goods Act 56 & 57 Vict.

इस दफामें खरीदारसे तात्पर्य उस व्यक्तिका बतलाया गया है जो मालको खरीदे या उसके खरीदनेके लिये राजी होवे।

यहां यह प्रश्न उठता है कि मालकी बिक्रीके बाद कब्जा खरीदारका होना किस हद तक आवश्यक है।

मालकी बिक्रीके बाद कब्जा खरीदारका भी होसकता है तथा बेंचने वालेका भी। यदि बिक्रीके साथही माल देदिया जावे तो कब्जा बिक्रीके साथही समझना चाहिये तथा उस समय खरीदारका कब्जा बिक्रीके समयसे हो जावेगा। परन्तु यदि मालकी बिक्री तो होजावे परन्तु उसके देनेके लिये यह तय हुआ हो कि वह कुछ निर्धारित समयके बाद दिया जावेगा ऐसी हालतमें कब्जा बिक्रीके बाद भी बेंचने वालेके पास बना रहेगा।

चूंकि परिभाषाके अनुसार माल खरीदनेके लिये राजी होने परभी 'खरीदार' होसकता है इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति खरीदार उसी समय समझा जावेगा जबकि कब्जा खरीद किये हुए माल पर होजावे।

(२) इस क्लाजमें यह बतलाया गया है कि मालका देना (Delivery) उस समय समझा जावेगा जबकि मालका कब्जा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तिको जानबूझ कर दिया गया हो। इससे यह प्रकट

है कि यदि कब्जा जानबूझ कर (Volenterily) न दिया गया हो तो मालका देना (Delivery) नहीं माना जासकता है। जैसेकि चोरीमें मालका कब्जा एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिके पास पहुंचता है परन्तु वह मालका देना (Delivery) नहीं कहा जासकता है।

यह परिभाषा भी अंग्रेजी एक्टके आधार परही लिखी गई है, देखो—S, 62 English Sale of Goods Act. 1839.

अंग्रेजी भाषामें मालके दिये जानेके सम्बन्धमें (Dilivery) 'डिलीवरी' शब्दका प्रयोग किया गया है परन्तु हिन्दी भाषामें ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जो इस शब्दके आशयको प्रकट करनेके लिये आमतौर पर प्रयोग किया जाता हो।

मालका देना दो प्रकारसे हो सकता है एक तो दरअसल माल पर कब्जेका दिया जाना तथा दूसरे उस पर कब्जेका देना मान लिया जाना।

उदाहरण स्वरूप—धान पैदा होने वाले जमानोंमें मिलिङ्ग नोटिस (Milling Notice) का दिया जाना ही दरअसल चावलका दिया जाना मान लिया जाता है, देखो—24 I. C. 441.

जहां पर दरअसल माल पर कब्जा किया गया हो वहां पर मालके दिये जाने (Delivery) का प्रश्न आसानीसे तय होजाता है। परन्तु जहा पर कब्जेका देना मान लिये जानेका सवाल है वहा उसकी प्रत्येक हालतको समझ लेना आवश्यक है।

कब्जेका देना तीन हालतमें माना जासकता है—

(१) यदि माल बेंचने वालेके पास मालका कब्जा होवे और बेंचनेके बादभी वह खरीदारकी तरफसे धरोहरके तौर पर उसे अपने पास बना रहने दे तो ऐसी हालतमें खरीदारको माल पर कब्जा दिया जाना (Delivery) माना जावेगा गो कब्जा बेंचने वालेके पासही बना है।

(२) यदि बिक्रीके समय माल खरीदारहीके कब्जेमें होवे अर्थात वह बेंचने वालेकी तरफसे अढ़तिये या एजेण्टकी हैसियतसे या अन्य किसी हालतमें उस पर कब्जा रखता हो और बिक्रीके बाद वह उसका मालिक होजावे तो ऐसी हालतमें भी यह मान लिया जावेगा कि खरीदारको माल दिया गया (Delivery) है।

(३) यदि माल किसी तीसरे व्यक्तिके कब्जेमें होवे जो बेंचने वालेकी ओरसे बहैसियत एजेण्ट आदिके कब्जा रखता हो और बिक्रीके बाद खरीदार भी उस मालको उसी व्यक्तिके पास अपने एजेण्ट आदि की हैसियतसे छोड़ देवे तो ऐसी हालतमें भी यही मान लिया जावेगा कि खरीदारको माल दिया (Delivery) गया है।

ऊपर बतलाई हुई तीनों हालतोंमें कब्जा बदस्तूर बना रहा अर्थात जिसके पास बिक्रीके पहिले कब्जा था उसका कब्जा बिक्रीके बादभी रहा केवल कब्जेकी शकलमें फर्क पड़ गया। तीनों हालतोंमें मालका दिया जाना (Delivery) मान लिया जावेगा। अंग्रेजीमें ऐसेही दिये जानेको 'कान्सट्रक्टिव डिलीवरी' (Constractive Delivery) कहते हैं, देखो—फरीना बनाम होम (1846) 16 M. and W. 119 (123).

ऊपर जो दरअसल मालका देना (Actual Delivery) बतलाया गया है वहभी एकही प्रकार का नहीं होसकता है अर्थात कोई माल जैसेका तैसा खरीदारके हाथमें दिया जासकता है या उसे उठवाभी

जासकता है परन्तु किसी किसी मालमें केवल माल रखने वाली जगहकी चाबी देदी जाती है और इस तरहसे उसका दरअसल दिया जाना तो माना जावेगा परन्तु माल जहाका तहा रक्खा रहता है। अंग्रेजीमें इसे 'सिम्बोलिक डिलीवरी (Simbolic Delivery) कहते हैं। इस प्रकार मालके देनेमें चाबीका दिया जाना मालका दिया जाना नहीं है बल्कि दरअसल मालके निगरानीकी शक्ल बदल जाती है, अर्थात उक्त दशा माल बेचने वालेकी निगरानी (Control) से हटकर खरीदने वालेकी निगरानीमें पहुच जाता है, देखो— राइटसन बनाम मैकआर्थर (1921) 1. K. B. 807 at. 816.

बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading) का मुन्तकिल किया जानाभी एक प्रकारसे ऊपर बतलाई हुई किस्मका दिया जाना है ; क्योंकि माल तो समुद्रमें रहता है परन्तु उसका सौदा उनके बिलके जरिये किया जासकता है और उक्त बिलका दिया जाना एक प्रकारसे मालका दिया जाना मान लिया जाता है, देखो—साण्डर्स बनाम मैक्लियन (1883) 11 Q. B D. 327 at 341.

कभी कभी ऐसाभी होता है कि बजाय पूरे मालके दिये जानेके केवल उसके थोड़ेही भागको देदिया जाता है और सौदेके लिये वही पूरे मालका दिया जाना मान लिया जाता है।

इस प्रकार जानबूझ कर (Volentarily) कब्जेका दिया जाना मालका देना (Delivery) माना गया है चाहे कब्जा उस पर दरअसल दिया गया हो या उस पर कब्जेका दिया जाना मानाही जासकता हो।

(३) इस क्लाजमें यह बतलाया गया है कि मालके दिये जानेकी हालत (Deliverable State) में होना उस समय माना जावेगा जबकि खरीदार मुआहिदेके मुताबिक उसे लेनेके लिये बाध्य होवे अर्थात यदि किसी मालकी बिक्री होतेही उस पर कब्जा लिये जानेका सवाल हो, तो उक्त बिक्रीके पूरा होतेही खरीदारको माल लेनेके लिये बाध्य समझना चाहिये। परन्तु यदि किसी बिक्रीमें मालका दिया जाना किसी निश्चित समयके बाद तय होवे तो ऐसी बिक्री पूरी हो जाने परभी खरीदार उक्त निश्चित समय तक माल लेनेके लिये बाध्य नहीं है और इस दर्मियानमें 'मालके दिये जानेकी हालत' होना नहीं माना जावेगा।

(४) इस क्लाजकी परिभाषा भी अंग्रेजी कानूनोंके आधार परही लीगई है, देखो—English Sale of Goods Act 1893, S. 62 and English Factors Act (1889).

इस दफामें यह बतलाया गया है कि मालके हककी दस्तावेजें कौन कौन होसकती हैं—

बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading) यह उस मालके सम्बन्धका बिल है जो माल समुद्रही पर होवे अर्थात उतारा न गया हो। यह बिल जिस मालके सम्बन्धमें होता है उसी मालकी जगह पर समझा जाता है तथा उसका देदिया जाना एक प्रकारसे मालका देदिया जाना माना जाता है।

'डाकवारण्ट' (Dock warrant), वेयर हाऊस कीपरका सर्टीफिकेट (Warehouse keeper's certificate) तथा व्हार्फिंगर्स सर्टीफिकेट (Wharfingers certificate) आदि उस मालको पानेका अधिकार प्रगट करने वाली दस्तावेजें हैं जिसका जिक्र उक्त दस्तावेजोंमें किया गया हो। अपने आप इनका दिया जाना कब्जेका मुन्तकिल किया जाना नहीं माना जा सकता है। यदि माल पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति इन दस्तावेजों पर खरीदारके हकका इन्दराज कर देवे तो इससे हक उसका उक्त माल पर पहुंच सकता है, देखो—फरीना बनाम होम (1846) 16 M. & W. 119, 123; गन बनाम बालकौ बैघम एण्ड कम्पनी (1875) 10 Ch. app. 491; एम ईवन बनाम स्मिथ (1849) 2 H. L Car 309.

किसी दस्तावेज को इस क्लाजकी परिभाषाके अन्तर्गत लानेके लिये यह दिखलाया जाना आवश्यक है कि वह व्यापारमें मामूली तौर पर मालको प्रकट करनेके लिये प्रयोगकी जाती है।

यदि कोई माल मौजूद होवे तथा निश्चित किया हुआ (Ascertained) होवें तो उसके सम्बन्धमें दिये जानेकी लिखा पढ़ी करना उक्त मालके सम्बन्धमें ऐसी दस्तावेजका लिखा जाना है जिससे उक्त माल पर हक्क पहुंच सकता है और उसे मालके हक्की दस्तावेज कह सकते हैं।

रेलवे रसीदभी मालके हक्की दस्तावेज मानी गई है क्योंकि इस पर लिख देनेसे मालका हक्क दूसरेके नाम किया जा सकता है

(५) इस क्लाजमें बतलाया गया है कि भूल (Fault) क्या है। इससे तात्पर्य गलत कामका तथा चूक जानेका समझना चाहिये। किसी कर्त्तव्यका पालन न कर सकना चूक जाना कहलाता है तथा किसी कामको ठीक तौरसे करनेके बजाय गलत तौर पर कर जाना गलत कामका करना है। दोनों प्रकारके काममें भूलका होना माना जावेगा।

(६) इस क्लाजकी परिभाषा 'आयन्दा माल' के सम्बन्धमें है। कभी कभी ऐसे सौदे होते हैं जिसमें माल तैयार नहीं होता है बल्कि माल बेंचने वाला आयन्दा तैयारी पर उसके बेंचनेका सौदा करता है। इस प्रकारका सौदा उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी मालको तैयार करते हों जैसे कि कपड़ा बिनने वाले या मशीनके जरिये किसी मालको तैयार करने वाले आदि।

तथा ऐसा सौदा किसी चीजकी पैदावार करने वाले लोगभी कर सकते हैं जैसे कि खेती आदिकी पैदावार करने वाले।

यह सौदा उस समयभी किया जा सकता है जबकि माल बेंचने वालेके पास उस समय माल मौजूद न होवे बल्कि वह उसके मिलनेकी उम्मेद करता हो।

उक्त तीनों हालतोंमें मालकी बिक्री पूरी हो सकती है परन्तु मालका दिया जाना उसके मौजूद होने पर ही हो सकता है इसी प्रकारके मालको 'आयन्दा माल' (Future goods) कहते हैं।

जो माल तैयार होता है उसे तैयार शुदा माल (Ready goods) कहते हैं और इसी तैयार शुदा माल (Ready goods) के मुकाबिले 'आयन्दा माल' (Future goods) का प्रयोग मालकी असली दशाको समझनेके लिये बनाया गया है।

(७) इस क्लाजमें 'माल' (Goods) की परिभाषा बतलाई गई है। चलाये जाने योग्य दावे तथा रुपये पैसेको 'माल' की श्रेणीमें नहीं रक्खा गया है।

रुपये पैसे (Money) से तात्पर्य प्रचलित रुपये पैसेसे समझना चाहिये।

करंसी नोट्सको 'माल' नहीं समझना चाहिये क्योंकि वह रुपये पैसे (Money) के अन्तर्गत आ जाता है, देखो—3 C. 379; 73 P. R. 1878; 18 P. R. 1905.

चलाये जाने वाले योग्य दावोंसे तात्पर्य उन दावोंका है जिन पर कानूनी मामला चलाया जा सकता हो। यह दावे भी 'माल' की श्रेणीमें नहीं आते हैं।

स्टाक (Stock) व शेअर्स (Shares) इस दफाके अनुसार 'माल' के अन्तर्गत समझना चाहिये। अङ्गरेजी एक्ट (English Sale of Goods Act) में दी हुई मालकी परिभाषामें

शेअर्स (Shares) का 'माल' की श्रेणीमें समझा जाना नहीं दिया हुआ है परन्तु सिलेक्ट कमेटीके विद्वान सदस्योंने इसे 'माल' की श्रेणीमें रखना उचित ठहराया है। इससे पहिले भी भारतीय कानून मुवाहिदा में प्रयोग किये हुए 'माल' शब्दके अन्तर्गत यह शब्द माना जाता था, देखो—वलीदाद बनाम मानिकजी 25 Bom. L. R. 414; A. I. R. 1923 Bom. 372; 94 I. C. 824; 24 A. L. J. 657; A. I. R. 1925 Bom. 314.

भारतीय कानून मुवाहिदाके अनुसार 'माल' (Goods) शब्दका प्रयोग शेअर सर्टीफिकेट (Share Certificate) के लिये भी किया जाता है, देखो—46 Bom. 489.

उगी हुई फसल व घासको भी इस दफाके अनुसार 'माल' समझना चाहिये।

इस परिभाषाके अनुसार जमीनमें लगी हुई चीजें तथा उसका भाग समझी जाने वाली चीजें भी 'माल' समझी जासकती हैं जबकि बिक्रीसे पहिले उनका अलग कर दिया जाना तय हुआ हो अथवा वह मुवाहिदेके अनुसार अलग की जानेको होवे। इस प्रकारसे अलग किये जाने पर वह मनकूला जायदादके तौर पर होजाते हैं और इसलिये उनको 'माल' में अन्तर्गत माना है। वैसे वह गैरमनकूला जायदाद (Immoveable Property) ही समझी जाती।

यदि उस जमीनके अलावा जिस पर कोई मकान खड़ा हो वह मकान मुन्तकिल किया जावे तथा सिर्फ उसका असबाब ही न बेंचा जावे तो इस प्रकारका इन्तकाल गैरमनकूला जायदादका इन्तकाल माना जावेगा व इस एक्टके लिये मालका बेंचा जाना नहीं समझा जासकता है, देखो—8 M. H. C. R. 100 (102).

(८) इस क्लाजमें बतलाया गया है कि 'दिवालिया' (Insolvent) शब्द इस एक्टमें किस आशयको प्रकट करनेके लिये इस्तैमाल किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति मामूली तौर पर व्यापारके सिलसिलेमें अपने कर्जोंका चुकाना बंद कर देवे या उनके वाजिबुल अदा होने पर उन्हें न चुका सकता हो तो वह दिवालिया (Insolvnet) समझा जावेगा।

यह आवश्यकता नहीं है कि उसने कोई दिवालेका काम किया है या नहीं अथवा वह दिवालिया करार दिया गया है या नहीं।

(९) 'व्यापारिक एजेण्ट' (Mercantile Agent) की परिभाषा इङ्गलिश फैक्टर्स एक्ट सन १८८९ ई० (English Factors Act 1889) से लीगई है। इस परिभाषामें एक प्रकारसे व्यापारिक एजेण्टके अधिकार बतलाये गये हैं अर्थात यह कि वह व्यापारके सिलसिलेमें उक्त एजेण्टकी हैसियतसे माल बेंच सकता हो बिक्रीके सिलसिलेमें मालको दूसरेके नाम कर सकता हो या माल खरीद सकता हो अथवा मालकी मातवरी पर रुपया हासिल कर सकता हो।

(१०) बिक्रीके सम्बन्धमें पहिली बात यह ध्यानमें रहना चाहिये कि बिला कीमतके कोई बिक्री नहीं होसकती है और इस कीमतसे तात्पर्य मालकी बिक्रीके सम्बन्धमें दिये जाने वाले मुआविजेसे है जो रुपयेकी शक्लमें हो।

कानूनी कीमत स्थापित करनेके लिये तीन बातोंका ख्याल रहना चाहिये एकतो वह रुपये पैसेकी शकलमें हो या उसकी जगह पर लिखी हुई तहरीरकी शकलमें हो दूसरे वह नियत की हुई तथा निश्चित

समयमें या निश्चित किये जाने योग्य रुपये होवें, तीसरे वह दरअस्ल क़ीमत होना चाहिये जिसकी अदायगीका किया जाना झूठमूठ न बतला दिया गया हो।

क़ीमत रुपये पैसेकी शकलमें होना चाहिये—यदि कोई चीज दूसरी चीजसे बदली जावे तो इसे बदला (Barter) कहेंगे तथा यह बिक्री नहीं कही जा सकती है। देखो—मिचेल बनाम गाइल 12 N. Hamp. 390.

यदि कोई रुक्का इन्दुल् तलब या ऐसीही दस्तावेज़ मालकी क़ीमतके अदायगीमें लिखी जावे तो उससे क़ीमतकी अदायगी एक प्रकारसे उसी समय नहीं होती है बल्कि वह उस मियाद तकके लिये बढ़ा दी जाती है जबकि उक्त दस्तावेजकी अदायगी किये जानेको तय होवे और इस प्रकार क़ीमत पानेके अधिकारमें रुकावट पड जाती है, देखो—कैण्ड्रिक बनाम लोमक्स 2 Cramp. & Jers. 405.

निश्चित क़ीमतका होना—जब तक कोई क़ीमत निश्चित न होवे अथवा निश्चित न की जा सकती हो तो तब तक उसकी क़ीमतकी अदायगीका होना असम्भव समझना चाहिये इसलिये उसके उक्त प्रकारसे निश्चित धन राशिके रूपमें होना अथवा इस प्रकारका होना कि जिसमे कोई तादाद निश्चित की जासके, एक आवश्यक बात है।

यदि किसी बिक्रीके सौदेमें कोई क़ीमत न दिखलाई गई हो तो यह माना जावेगा कि मालकी बाज़ारू क़ीमतसे तात्पर्य रहा है परन्तु यदि ज़बानी शहादतसे यह साबित किया जावे कि कोई ख़ास क़ीमत तय कीगई थी गो वह सौदेमें लिखनेसे रह गई है, तो वही तय की हुई क़ीमत मानी जावेगी। दूसरा फरीक़ क़ीमत न दिखलाये जानेका नाजायज़ फायदा नहीं उठा सकता है, देखो—एलमोर बनाम किंग्सकाट 5 Barm. & Cres. 583.

यदि मुआहिदा इस प्रकारका हुआ हो कि उचित क़ीमत पर माल भेजना तो उससे यही भाव निकाला जावेगा कि जो क़ीमत उस समय बाज़ारू होवें वही क़ीमत लगाई जाना चाहिये। परन्तु हर समय ऐसाही ख्याल करना उचित नहीं है और भी सब वजूहातका ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि आर्डर आनेके बाद माल लेने व भेजनेमें कुछ समय लगता है तथा ऐसा होसकता है कि इस दर्मियानमें क़ीमत बढ़ या घट जावे। इसलिये समय व बाज़ारकी हालतको ध्यानमें रखते हुए अदालतको चाहिये कि 'उचित क़ीमत' का अन्दाज़ा लगाये न कि आर्डर देते समयकी बाज़ारू क़ीमतहीको 'उचित कीमत' मान बैठें, देखो—एसबल बनाम लेवी 10 Big. 382.

क़ीमत फर्ज़ीही न होना चाहिये अर्थात सौदाकी बिक्री उसी समय समझी जावेगी, जब कि खरीदने वाला मनसे उसकी क़ीमत देना चाहे तथा बेंचने वाला उक्त क़ीमतको दिखावटी तौरसेही लेना न ज़ाहिर करे अर्थात दरअस्ल उसे लिया चाहे।

जहां पर क़ीमतकी अदायगी नहीं होती है वहां मालका देना एक प्रकारसे हिबा (Gift) समझा जाता है और उसे बिक्री नहीं कह सकते हैं।

असली तात्पर्य यह है कि बिक्रीकी तय की हुई क़ीमत दिखावटी या नाममात्रहीकी नहीं होना चाहिये बल्कि उसकी अदायगी नेकनीयतीके साथ तय हुई हो। ऐसी हालतमें क़ीमत कुछ कम होने पर भी फर्ज़ी नहीं मान ली जावेगी।

(११) यह परिभाषा भी अङ्गरेजी एक्टके आधार पर ली गई है, देखो—English Sale of Goods Act (1893).

जायदादसे अभिप्राय किसी खास जायदादसे नहीं समझना चाहिये बल्कि इसका मतलब माल सम्बन्धी आम जायदादसे है ।

(१२) इस क्लाजके अनुसार मालकी किस्मसे तात्पर्य मालकी हालत (Condition) तथा उसकी हैसियत (State) से समझना चाहिये ।

(१३) जिस प्रकार खरीदार (Buyer) की परिभाषा पहिले क्लाजमें दी हुई है उसी प्रकार इस क्लाजमें बेंचने वाले (Seller) की परिभाषा दी है अर्थात 'बेंचने वाले' से तात्पर्य उस व्यक्तिका है जो बेंचे या बेंचनेके लिये राजी होवे ।

(१४) इस क्लाजके अनुसार 'खास माल' (Specific Goods) से तात्पर्य उस मालका बतलाया गया है जो मुवाहिदेके समय पहिचाना गया हो तथा जिस पर रजामन्दी हुई हो अर्थात जिस मालका सौदा हुआ हो उस मालको 'खास माल' (Specific Goods) के नामसे पुकारते हैं ।

जब तक कोई खास माल तय न किया जावे तब तक बिक्रीका सवाल भी हल नहीं होसकता है ।

(१५) इस क्लाजके अनुसार भारतीय कानून मुवाहिदामें दी हुई परिभाषाओंका प्रयोग इस एक्टके सम्बन्धमें उचित बतलाया गया है जबकि वह इस एक्टमें न होवें ।

दफा ३, सन १८७२ ई० के नवें एक्टके नियमोंका प्रयोग

सन १८७२ ई० के भारतीय क़ानून मुवाहिदाके बिना मंसूख किए हुये नियम, जहां तक कि वह इस कानूनके प्रकट नियमोंके विरुद्ध न पड़ते हों, उन मुवाहिदोंके सम्बन्धमें लागू बने रहेंगे जो मालकी बिक्रीके सम्बन्धमें होवें ।

व्याख्या—

यह एक्ट क़ानून मुवाहिदा (Indian Contract Act) से अलाहिदा क़ानूनके रूपमें बनाया गया है तथा इसके बननेसे उक्त क़ानून मुवाहिदेका वह प्रकरण जिसमें मालकी बिक्रीका उल्लेख है अर्थात् सातवां प्रकरण क़ानूनन् मुवाहिदासे अलग हो जाता है । इस अलहदगीके होते हुये भी यह एक्ट एक प्रकारसे मुवाहिदेके आम क़ानूनका एक हिस्सा ही है और इसी लिये मुवाहिदेके आम नियमोंका लागू होना इसके सम्बन्ध में उचित ठहराया गया है ।

सिलेक्ट कमेटीने भी उक्त बातोंको ध्यानमें रखते हुये ही अपनी रिपोर्टमें यह दिया था कि क़ानून मुवाहिदेके बिला मंसूख किये हुये नियम मालकी बिक्रीके सम्बन्धमें किये हुये मुवाहिदोंमें लागू बने रहेंगे परन्तु साथही साथ यह भी ध्यानमें रहना चाहिये कि जो नियम इस एक्टके नियमोंसे विपरीत होवें उनको लागू नहीं समझना चाहिये चाहे वह मालकी बिक्रीहीके सम्बन्धके क्यों न होवें, देखो—(रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी) ।

दूसरा प्रकरण

मुवाहिदेका होना

बिक्रीका मुवाहिदा

दफा ४ बिक्री व बेंचनेका राज़ीनामा

(१) मालकी बिक्रीका मुवाहिदा वह मुवाहिदा है जिससे बेंचने वाला क़ीमतके बदलेमें मालकी मालियतको खरीदने वालेके हकमें मुन्तकिल करता है या मुन्तकिल करनेके लिये राज़ी होता है। बिक्रीका मुवाहिदा मालके एक भागका मालिक दूसरे भागके मालिकके साथ कर सकता है।

(२) बिक्रीका मुवाहिदा पूरा मुवाहिदा भी हो सकता है या वह शर्तके साथ किया हुआ मुवाहिदा भी हो सकता है।

(३) यदि बिक्रीके मुवाहिदेके अनुसार मालकी मालियत बेंचने वालेसे खरीदने वालेके हक़में मुन्तकिल हो जावे तो इस मुवाहिदेको बिक्री कहते हैं, परन्तु यदि मालकी मालियतका मुन्तकिल होना आयन्दा होनेको होवे अथवा किसी ऐसी शर्तके साथ होवे जो उस मुवाहिदेके बाद पूरी की जानेको होवे तो इस मुवाहिदे को 'बेंचनेके लिये राज़ी होना' कहा जाता है।

(४) बेंचनेके लिये राज़ी होना उस समय बिक्री हो जाता है जबकि वह समय व्यतीत हो जावे या वह शर्तें पूरी हो चुकें जिनको लगाकर मालकी मालियत मुन्तकिलकी जानेको होवे।

व्याख्या—

यह दफा इङ्गलिस्तानके मालकी बिक्रीके क़ानूनकी पहिली दफाके अनुसार है, देखो—English Sale of goods Act 1893, S. 1.

भारतीय क़ानून मुवाहिदा (Indian-Contract Act) की दफा ७७ में इसी प्रकारका वर्णन है। उसीकी दफा ७८ के हाशियेमें यह इबारत है कि 'बिक्री किस प्रकार होती है'। इन दोनों दफाओंको एक साथ देखने पर 'बिक्री' की परिभाषामें बड़ी गड़बड़ी होती रही है और इसी कारण उक्त प्रकारसे 'बिक्री' का उल्लेख किया जाना उचित समझा गया।

यह दफा एक प्रकारसे अगली दफाओं की कुंजी है अथवा इसे सारे एक्टकी कुञ्जी समझना चाहिये।

इसमें यह बतलाया गया है कि बिक्रीका मुवाहिदा क्या है तथा बिक्री व बेंचनेके लिये राज़ी होना किसे कहते हैं इत्यादि।

अगली दफ़ाओंमें इन्हीं बातोंका ब्योरेवार वर्णन है तथा वह सब सूरतें दिखलाई गई हैं जो विक्रीके मुवाहिदेके सम्बन्धमें पैदा हो सकती हैं।

दफाके आशयको इस प्रकार समझा जा सकता है कि किसी तय की हुई क़ीमतके बदले जायदाद के पूरे हक़का मुन्तकिल किया जाना विक्री कहलाता है। विक्री दो फरीकैनके दरमियानका मुवाहिदा है जिनमें से एक उसकी वजहसे बेची हुई चीज़में मालियत हासिल करता है तथा दूसरा किसी क़ीमती मुआविजेके बदले जिसे क़ीमत कहते हैं उस हक़को छोड़ता है। यदि किसी चीज़की मालियत जान बूझ कर परन्तु बिला क़ीमती मुआविजे (Valuable Consideration) के मुन्तकिल की जावे तो उसे हिबा (Gift) कहते हैं और यदि एक चीज़ दूसरी चीज़से बदली जावे तो उसे बदला (Barter) कहते हैं परन्तु विक्री उसी समय होती है जब कि जायदादका हक़ क़ीमतके एवज़में मुन्तकिल किया जावे, देखो—2 Black Comm. 323. 446; Com. J. (Biens D. 3).

आमतौर पर कोई आदमी अपनेही मालको नहीं खरीद सकता है क्यों कि उसमें कोई चीज खरीदने ही को नहीं होती। स्काट्सन् बनाम पैग 3 Bi. L. Com. 450.

उदाहरण स्वरूप पहिले अंग्रेजी कामन लॉ (English Common Law) के अनुसार विक्रीका मुवाहिदा पति व पत्नीके बीचमें नहीं हो सकता था क्योंकि क़ानूनकी निगाहमें वह दोनों एकही व्यक्ति समझे जाते थे परन्तु अब ऐसा मामला नहीं है जबसे कि मैरिड वोमैन प्रापर्टी एक्ट (Married Women property Act) आदि पास हुये हैं इसके अतिरिक्त लोग माल अपनेहीको कम्पनीके तौर पर बेंच सकते हैं क्योंकि क़ानूनकी निगाहमें कम्पनी उन लोगोंसे एक अन्य व्यक्ति मानी जाती है। जो उसमें शामिल होवें।

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरी हैसियतसे माल बेंचे तो वह उसे अपनी ख़ास हैसियतसे ख़रीद सकता है जब कि कोई क़ानूनी रुकावट न पड़ती हो जैसे कि जायदादका नीलाम कराने वाला या धरोहर वाला या ट्रस्टी आदि, देखो—विटसन बनाम हार्डविक (1872) L. R. 7 C. 9. 473.

ख़ास ताल्लुककी वजहसे क़ानूनी रुकावट पड़नेके लिये, देखो—मूर नैटिल फोल्ड एण्ड कम्पनी बनाम सिंगर मैनूफैक्चरिंग कम्पनी (1904) 1. K. B. 820 E. A; ग्लैसी कोल कोलियर्स कम्पनी लिमिटेड बनाम पार्ट्रिज जोन्स एण्ड कम्पनी (1912) 2 K. B. 345.

विक्री व हिबाका अन्तर—यदि कोई व्यक्ति माल किसी अन्य व्यक्तिको बिला क़ीमतके या अन्य किसी मुआविजेके देवे अर्थात उसके एवज़में कुछ न लेवे तो उसे हिबा कहते हैं, देखो—25 Q. B. D. 57 C. A.

परन्तु विक्रीमें माल क़ीमतके एवज़में मुन्तक़िल किया जाता है।

मालका बदलना (Barter)—यदि मालके एवज़में माल दिया जावे तो यह बदलना (Barter) कहलाता है नकि विक्री। क्योंकि उसमें माल क़ीमतके एवज़में दिया जाता है, देखो—हैरीसन बनाम ल्यूक (1845) 14 M. & W. 139.

परन्तु यदि मालके एवज़में कुछ माल व कुछ क़ीमत दी जाती हो तो यह एक प्रकारसे विक्रीका मुवाहिदा होगा, देखो—आलड्रिज बनाम जानसन (1857) 26 L. J. Q. B. 296; हैण्ड्स बनाम बर्टन 9 East. 349.

बदले या बार्टर (Barter) का क़ानून अभी अधिक विस्तृत रूपमें नहीं है और अधिकतर इस प्रकारके मुवाहिदोंको विक्रीके मुवाहिदेसे मिलता जुलतासा मानते हैं इसीलिये यदि दोनों ओरसे कुछ कुछ माल बदलेमें दिया गया हो तो जो ज़ायद रुपया निकलता हो वह बतौर क़ीमतके वसूल किया जा सकता है जैसे कि विक्रीके मुवाहिदेमें क़ीमत वसूल की जाती है, देखो—शैल्डम् बनाम काक्स 3 B. & C. 420.

इसी प्रकार यदि मालके बदलेमें माल दिया जानेको होवे और वह न दिया गया हो तो माल न पाने वाला व्यक्ति उसकी क़ीमत वसूल कर सकता है, देखो—कीश बनाम हार्डवुड 9 C. B. 905.

मालका रहन किया जाना—मालका रहन करना राहिन (Mortgagor) द्वारा मुर्तहिन (Mortgagee) के हक़में मालके हक़का मुन्तकिल करना है जब कि किसी क़र्ज़ेकी जमानतके तौर पर किया गया हो, देखो—कीथ बनाम बरोज़ (1876) 1. C. P. D. at P. 731.

इस एक्टका प्रयोग किसी रहनके सम्बन्धमें नहीं समझना चाहिये चाहे वह विक्रीके मुवाहिदेकी शक्लमें होवे, देखो—दफ़ा ६६ (३).

गिरवी रखना—'गिरवी रखना' मालका एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तिको देना या सुपुर्द करना है जब कि ऐसा किसी क़र्ज़ेकी अदायगीके लिये इत्मीनानके तौर पर किया गया हो। यदि गिरवीमें माल रखने वाला कर्ज़ेको अदा न करे तो गिरवी पर रुपये देने वाला व्यक्ति सूचना देकर गिरवी रखे हुए मालको बेंच सकता है, देखो—काग्स बनाम बर्नार्ड 1 Smith Lead. Cas. 191.

रहन व गिरवीमें यह प्रत्यक्ष अन्तर समझमें आता है कि राहिन (रहन रखने वाला) मालको अपने क़ब्ज़ेमें रख सकता है गिरवीमें ऐसा नहीं है।

इस एक्टका प्रयोग किसी गिरवीके सम्बन्धमें नहीं समझना चाहिये क्योंकि वह विक्रीके मुवाहिदेसे भिन्न समझा जाता है।

बिक्री व बेंचनेके लिये राज़ी होनेमें अन्तर—'बिक्री' व 'बेंचनेके लिये राजी होना' यह दोनों बातें विक्रीके मुवाहिदेके अन्तर्गत आजाती हैं।

जब बिक्रीके मुवाहिदेके अनुसार मालकी मालियत बेंचने वाले द्वारा खरीदने वालेके हक़में मुन्तकिल कर दी जाती है तो इसे विक्री (Sale) कहते हैं। तथा जब जायदादका मुन्तकिल होना आयन्दा होनेको होवे या किसी ऐसी शर्तके साथ होवे जो इसके बाद पूरी की जानेको हो तो उक्त मुवाहिदेको 'बेंचनेके लिये राज़ी होना' कहते हैं।

'विक्रीके लिये राजी होना' (Agreement to Sell) 'विक्री' (Sale) हो सकता है। ऐसा उस वक्त होगा जब कि नियत किया हुआ समय व्यतीत हो जावे अर्थात जायदादके मुन्तकिल होनेके सम्बन्धमें आयन्दा जो समय तय किया गया हो वह गुजर जावे अथवा वह शर्तें पूरी कर दी गई हों जिनके पूरे किये जाने पर जायदाद मुन्तक़िल होने को होवे।

इस प्रकार 'बेंचनेके लिये राजी होना' एक साफ़ व सादा मुवाहिदा है जिसे पूरा किया जाने योग्य विक्रीका मुवाहिदा (Executory Contract of Sale) कहा जा सकता है, परन्तु 'विक्री' वह मुवाहिदा है जिसके साथमें जायदादका मुन्तक़िल किया जाना भी हुआ हो तथा जिसे पूरा किया हुआ विक्रीका मुवाहिदा (Executed Contract of sale) कह सकते हैं।

क़ीमतके अदा होने पर मालकी मालियतका मुन्तक़िल होना—मैंचेस्टरके एक फर्मने हिन्दुस्तानमें एक दूसरे फर्मके लिये कुछ माल भेजा जो देहलीमें था। जहाज पर रवाना कर देनेके बाद उक्त फर्मने हिसाबके कागजात व जहाजी दस्तावेजें नेशनल बैंक देहलीके पास इस आदेशके साथ भेजीं कि वह बैंकमें रुपया दिये जाने पर उन्हें खरीदारको दे देवे। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया था कि मालकी मालियत उस समय तक खरीदारको नहीं पहुंचेगी जब तक कि वह बैंकको रुपया अदा न कर देवे। देखो—गुलाबराय सागरमल बनाम निर्मलराम नागरमल 4 Lah. 423; A. I. R. 1924 Lah. 239; 79 I. C. 194.

यदि निश्चित किये हुए मालकी बिक्री हुई हो तो मालियत खरीदारको उसी समय पहुंच जाती है जब कि बिक्रीका मुवाहिदा किया गया हो चाहे उसकी प्रार्थना व सुभीतेके अनुसार मालका दिया जाना आयन्दाके लिये बढ़ा दिया गया हो, देखो—द्वारकादास अजुध्याप्रसाद बनाम रामरतन 20 A. L. J. 579; A. I. R. 1922 All. 458.

यदि माल रेलवेसे भेजा गया हो तथा रेलवे रसीद उस व्यक्तिके पास जिसके नाम माल भेजा गया हो यह कह कर भेजी गई हो कि वह खरीदारसे क़ीमत लेनेके बादही उसे देवे तो ऐसी हालतमें मालियत उस समय तक मुन्तकिल नहीं होती है जब तक कि क़ीमत अदा न की गई हो, देखो—सुन्दरसिंह जीतसिंह बनाम गुलाबसिंह कल्यानसिंह 100 I. C. 795; A. I. R. 1927 Lah. 269.

बिला क़ीमतके बिक्री नहीं हो सकती है, देखो—9 M. 141; 11 M. 459 (467).

किराये पर लेकर खरीदनेका इक़रारनामा—(Hire Purchase Agreement) किराये पर लेकर खरीदनेका इकरारनामा करनेमें किराये पर लेने वालेको यह अधिकार है कि वह किराये पर ली हुई चीजको लौटा देवे या क़ीमत अदा करने पर उसका पूरा मालिक बन जावे, देखो—मांग म्या गाई बनाम भग पोशवे 24 I. C. 161; 15 Cr. L. J. 425.

चोरीका माल—चुराई हुई जायदादके मुन्तक़िल किये जाने पर खरीदारको कोई मालिकाना हक नहीं पहुंचता है, देखो—क्षितिशचन्द्र देव बनाम सरकार बहादुर 51 Cal. 796; A. I. R. Cal. (1924) P. 816.

'मुवाहिदा करनेकी योग्यता' तथा 'मुवाहिदा करनेके लिये अधिकार' यह दोनों बातें एकही नहीं समझना चाहिये 'मुवाहिदा करनेकी योग्यता' (Capacity to Contract) से आशय अपनेको बांध सकनेकी ताक़तसे है तथा 'मुवाहिदा करनेके लिये अधिकार' (Authority To Contract) से मतलब उस शक्तिसे समझना चाहिये जो दूसरोंको बांधनेके सम्बन्धमें प्राप्त होवे। योग्यताका सवाल एक प्रकारसे क़ानूनी सवाल है परन्तु अधिकारका सवाल एक वाकयाती सवालही अकसर होता है। जैसे कि नाबालिग या पागल आदिमें अपनेको बांधनेकी शक्ति नहीं मानी जाती है व एजेण्ट या मुख्तारआम आदिके लिये अपने मालिकको पाबन्द करानेका अधिकार समझना चाहिये।

मुवाहिदेके सम्बन्धमें की जाने योग्य बातें

दफा ५ बिक्रीका मुवाहिदा कैसे किया जाता है

(१) बिक्रीका मुवाहिदा उस समय होता है जबकि मालको क़ीमतके बदलेमें खरीदने या बेंचनेका प्रस्ताव किया जावे तथा उक्त प्रस्तावको मंजूर कर लिया गया हो। मुवाहिदेके अनुसार मालका फौरन दिया जाना या उसकी क़ीमतका फौरन दिया जाना अथवा दोनों बातें तय कीजासकती हैं, या मालको देने अथवा क़ीमतकी अदायगीके लिये किश्तसे किया जाना तय होसकता है, अथवा मालका दिया जाना या क़ीमतकी अदायगी या दोनों बातें आयंदाके लिये बढ़ाई जासकती है।

(२) प्रचलित क़ानूनके नियमोंका ध्यान रखते हुए बिक्रीका मुवाहिदा लिख कर या ज़बानी अथवा कुछ लिख कर कुछ ज़बानी किया जासकता है या फरीक़ैनके व्यवहारसे वह समझा जासकता है।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि बिक्रीका मुवाहिदा कैसे होता हैं। इसका उल्लेख सन् १८७२ ई० के भारतीय क़ानून मुवाहिदा (Indian Contract Act, 1872) की दफा ७८ में मिलता है उक्त दफाको सिलेक्ट कमेटीके मेम्बरोंने अपनी रिपोर्टमें पर्याप्त नहीं ठहराया जिसके लिये उन्होंने वजूहात भी दी हैं उनकी रायके अनुसार उक्त दफा बहुत सकीर्ण है। तथा उसमें उसी बिक्रीका वर्णन है जो निश्चित मालके सम्बन्धमें नियत की हुई क़ीमतके लिये कीगई हो तथा और भी बहुतसी बातें हैं जो प्रयोगमें उचित नहीं ठहराई जासकती हैं इसी कारण उसको संशोधित करते हुए इस दफाकी रचना कीगई है इसमें इङ्गलैण्डके बिक्री सम्बन्धी क़ानूनकी दफा ३ से सहायता लीगई है, देखो—S. 3, English Sale of Goods Act, 1893.

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि बिक्रीका मुवाहिदा होनेकेलिये दो बातें होना चाहिये—

(१) क़ीमतके बदले मालको खरीदने या बेंचनेका प्रस्ताव करना।

(२) उक्त प्रस्तावका मंजूर किया जाना।

क़ीमतकी अदायगी या मालको देनेके लिये उक्त मुवाहिदेमें कोई भी बात तय की जा सकती है अर्थात् क़ीमतकी अदायगीके लिये यह तय किया जा सकता है कि वह फौरन अदाकी जावेगी या वह किस्तसे अदाकी जावेगी अथवा वह आयन्दा अदा की जावेगी।

इसी प्रकार मालके दिये जानेके सम्बन्धमें यह तय किया जा सकता है कि माल उसी समय दिया जावेगा या किश्तसे दिया जावेगा अथवा वह आयन्दा दिया जावेगा।

ऊपर बतलाई हुई बातें अलाहिदा अलाहिदा भी रक्खी जा सकती हैं तथा साथ साथ भी अर्थात् क़ीमतकी अदायगी व मालके दिये जानेके सम्बन्धमें एक साथभी यह तय किया जा सकता है कि वह फौरन की जावेगी या किश्तसे होगी अथवा वह भविष्यमें की जावेगी।

बिक्रीका पूरा होना उस समय माना जा सकता है जब कि क़ीमत ख़रीद (Purchase Money) की अदायगी तय की गई हो, देखो—21 P. R. 1875.

यदि फरीक़ैनके दरमियान कोई विपरीत बात तय न की गई हो तो क़ब्ज़ेका दिया जाना या किसी दूसरी शर्तकी पाबन्दीका करना बिक्री पूरी करनेके लिये आवश्यक बात नहीं मानी जा सकती है, देखो—62 P. R. 1879.

यदि बेंचनेवालेको तय शुदा बयाना मिल जावे तो जायदादकी मालियत ख़रीदारको पहुच जाती है और बक़ीया क़ीमतके सम्बन्धमें बेंचने वालेका बार उक्त माल पर रहता है।

क़ानूनन् हुन्डीका ले लेना अदायगी मानी जा सकती है गो यह केवल शर्तके साथकी हुई अदायगीही कही जा सकती है, देखो—27 M. 540.

यदि किसी निश्चित मालके सम्बन्धमें मुवाहिदा होवे जिसके लिये ख़रीदारने बयाना देदिया हो तथा कुछ माल भी लेलिया हो तो यह पूरी बिक्री मानी जायगी तथा मालकी मिलक्यित ख़रीदारकी होजावेगी और वही बेचे हुए मालके नुक़सानका जिम्मेदार समझा जाना चाहिये, देखो—8 C. 801; 27 M. 540.

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि बिक्रीका मुवाहिदा तहरीरी होसकता है तथा ज़बानी भी किया जासकता है और ऐसाभी होसकता है कि वह कुछ तहरीरी होवे व कुछ ज़बानी।

इस उपदफाके अनुसार मुवाहिदेका अन्दाज़ा फरीक़ैनके व्यवहारसे भी लगाया जासकता है। जैसेकि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे किसी ख़ास मालके सम्बन्धमें यह प्रस्ताव करे कि वह उसे किसी ख़ास भाव पर लिया चाहता है और यदि दूसरे व्यक्तिको उक्त माल उस भाव पर देना मंज़ूर हो तो वह उसे उसकी दूकानमें उसी वक्त भेजवा देवे। दूसरे व्यक्तिने बिला किसी जवाबको दिये हुए मालको उस व्यक्तिकी दूकानमें पहुंचवा दिया तो ऐसी हालतमें यह अन्दाज़ा लगाया जावेगा कि दूसरे व्यक्तिके बर्तावसे यह स्पष्ट है कि उसने पहिले व्यक्तिके प्रस्तावको मंज़ूर कर लिया और इसलिये बिक्रीके सौदेका पूरा होना माना जावेगा और इस प्रकारका सौदा बर्तावसे अन्दाज़ा लगाया हुआ समझा जावेगा।

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी ख़ास मालको किसी ख़ास दरसे ऐलानिया तौर पर ख़रीद रहा हो और कोई अन्य व्यक्ति वैसाही माल उसके यहा लेजावे तथा उक्त पहिला व्यक्ति उसके मालको लेलेवे तो ऐसी हालतमें भी उन दोनोंके दर्मियान बिक्रीका सौदा होना मान लिया जावेगा और यह सौदा भी बर्तावसे अन्दाज़ा लगाया हुआ सौदा समझना चाहिये।

इस उपदफाके देखनेसे यहभी प्रकट है कि हर प्रकारके सौदे ज़बानी नहीं होसकते हैं और न वह आधे तहरीरी व आधे ज़बानी ही होसकते हैं क्योंकि क़ानूनन् बहुतसे सौदे तहरीरी ही होना चाहिये जैसेकि कम्पनी एक्टके अनुसार रजिस्टर्ड कीहुई कम्पनियों आदिके बहुतसे सौदे तहरीरी ही होना आवश्यक है उनको ज़बानी तय करने पर या आधा ज़बानी व आधा तहरीरी तय करने पर क़ानूनन् उचित सौदा नहीं ठहराया जासकता है, इसलिये इस उपदफाके आदिहीसे यह बतला दिया गया है प्रचलित क़ानूनके नियमोंका ध्यान रखते हुएही इस उपदफाका प्रयोग समझना चाहिये।

मुवाहिदेकी वस्तु

दफा ६ मौजूदा या आयन्दा माल

(१) वह माल जिसकी विक्रीके मुवाहिदेका सवाल है मौजूदा माल हो सकता है जिसका मालिक या क़ाबिज़ बेंचने वाला होवे अथवा वह आयन्दा माल भी हो सकता है।

(२) ऐसे मालके विक्रीका मुवाहिदा हो सकता है, जिसका बेंचने वालेको मिलना, किसी ऐसी बातके होने पर निर्भर हो, जो हो भी सकती है तथा नहीं भी हो सकती है।

(३) यदि किसी विक्रीके मुवाहिदेमें बेंचने वाला व्यक्ति आयन्दा मालकी मौजूदा विक्री करे तो वह मुवाहिदा मालके बेंचनेका राज़ीनामा होता है।

—व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानून दफा ५ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 5, English Sale of Goods Act 1893. इसी विषयका वर्णन भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ८८ में दिया हुआ है जिसको पर्याप्त न मान कर सिलेक्ट कमेटीने इस दफाकी रचना की है।

इस दफ़ासे यह साफ कर दिया गया है कि मौजूदा माल व आयन्दा माल दोनोके विक्रीका मुवाहिदा हो सकता है अर्थात बेंचने वाला उस मालके बेंचनेका सौदा कर सकता है जो उसके पास मौजूद होवे तथा वह ऐसे मालका भी सौदा कर सकता है जो उसके द्वारा तैयार किया जानेको होवे अथवा जो उसे मुवाहिदेके बाद मिलने वाला होवे। उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति किसी टूंक वालेकी दूकान पर जावे और वहा एक टूंक देखकर उसे पसन्द करे तथा दूकानवालेसे यह तय करे कि वह उसके लिये वैसाही दूसरा टूंक किसी नियत क़ीमत पर बना देगा तो प्रकट रूपमें यह उचित सौदा कहा जा सकता है।

मौजूदा विक्री उस मालकी हो सकती है, जो दरअस्ल मौजूद होवे। इसलिये यदि विक्रीके समय बेंचे जाने वाला माल मौजूद न होवे तो कोई मुवाहिदा नहीं समझना चाहिये। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपना घोड़ा, मकान या दूसरी बेंचनें योग्य चीज बेंचे जो कि किसी अन्य जगह पर होवे और बेचते समय वह घोड़ा मर चुका हो या मकान अथवा अन्य चीज बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हो तो इसमें कोई मुवाहिदा नहीं समझा जा सकता है, देखो—ऐलन बनाम हैमण्ड 11 Peters (U. S.) 63.

यदि विक्रीके समय थोड़ाही माल बर्बाद हुआ हो तो खरीदार या तो मुवाहिदेको बिलकुल छोड़ सकता है या मालके बचे हुए हिस्सेको उसीके हिसाबसे क़ीमत देकर ले सकता है, देखो—कर्टिस बनाम हैनी 3 Esp. 82.

इस दफ़ाके अनुसार विक्री ऐसे मालकी भी हो सकती है जो मौजूद न होवे परन्तु जो स्वभावतः पैदा होती हो तथा जिस पर बेंचनें वालेका मौजूदा हक़ होवे जैसे कि खेतमें पैदा होने वाले गल्लेका सौदा किया जा सकता है या आयन्दा साल गाय द्वारा दिये जाने वाले दूधका सौदा किया जा सकता है इत्यादि, देखो—ग्रन्थम बनाम हाब्ली Hob 132.

उपदफा (२) के अनुसार ऐसे मालके विक्रीका मुवाहिदा भी किया जा सकता है जिसका मिलना किसी ऐसी बातके होने पर निर्भर हो, जो होवे या न भी होवे ।

कौन माल विक सकता है—आम नियम यह समझना चाहिये कि विक्रीकी चीज बेंचने वाले की होवे, बेंचने वाला उसी हक़को बेंच सकता है जो उसे क़ानूनन् प्राप्त होवे । इसलिये यदि वह किसी ऐसे मालको बेंचे जो उसका न होवे और चाहे उसे उसने चोरीमें या पड़ा हुआ या अन्य किसी तरीक़ेसे मालिककी बिला रज़ामन्दीसे पाया हो तो मालका असली मालिक ख़रीदारके विरुद्ध उसके पानेका दावा कर सकता है क्योंकि जबतक क़ानूनी तौर पर माल उससे न प्राप्त किया गया हो तब तक माल उसीका समझना चाहिये, देखो—पीर बनाम हम्फ्री 2 Adol & Ell. 495.

ऐसा उस समय अवश्य होगा जबकि ख़रीदारको यह मालूम होवे कि वह बेंचने वालेकी क़ानूनी जायदाद नहीं है अथवा वह ऐसी बातके शक करनेका कारण रखता हो ।

यदि बेंचते समय बेंचने वालेका माल पर कोई हक़ न होवे परन्तु ख़रीदने वाले द्वारा मुवाहिदा मंसूख़ किये जानेसे पहिले वह माल बेंचने वालेका होजावे तो ऐसा होतेही उस मालकी मालियत ख़रीदने वालेको पहुंच जाती है, देखो—फ्रेजियर बनाम हिलियर 2 Strobn 309.

एक मुवाहिदेमें ख़रीदारको यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी नियत समयके अन्दर चाहे तो मुवाहिदा तोड़ सकता है तथा मालको लौटा सकता है या ख़रीदको पूरा कर सकता है परन्तु उक्त मालके बेंचे जाते समय बेंचने वालेका उस पर कोई हक़ नहीं था गो उक्त मियादके अन्दरही उसे उस पर हक़ प्राप्त होगया । ख़रीदारने उक्त मियादके अन्दर माल वापस नहीं किया । इसके बाद उस पर मालकी क़ीमतका दावा किया गया तब उसने असली मुवाहिदेमें मुवाविजेके न होनेका उज्र लिया परन्तु उसका यह उज्र नहीं माना गया क्योंकि मियादके अन्दरही बेंचने वालेका हक़ माल पर पहुंच गया था और ख़रीदारने मियादके अन्दर माल वापिस भी नहीं दिया था इसलिये मुवाहिदेकी पाबन्दी उस पर समझना चाहिये, देखो—हाचकिस बनाम आलिवर 5 Denio, 314.

बिक्री उसी मालकी की जासकती है जिसके बेंचनेके लिये क़ानूनन या सदाचार आदिके कारण बेंचने की मुमानियत न होवे ।

यदि क़ानूनन् किसी चीजका बेंचा जाना मना हो और कोई व्यक्ति ऐसी चीजको बेंचे तो वह उसकी क़ीमतके लिये अदालतमें दावा नहीं कर सकता है जैसेकि कोकीन आम तौर पर आम लोगों द्वारा नहीं बेंची जासकती है परन्तु यदि कोई व्यक्ति क़ानून विरुद्ध उसे बेंचे तो उक्त बिक्री अनुचित समझना चाहिये तथा क़ीमतके लिये क़ानूनी दावाभी नहीं चल सकता है ।

इसी प्रकार कोई स्त्री अपने सतीत्वको क़ानूनन् व सदाचारके नियमोंको देखते हुए बेंच नहीं सकती है यदि वह ऐसा करे तो वह उक्त मुवाहिदेके लिये दावा नहीं चला सकती है ।

गन्दी क़िताबों तथा व्यभिचारपूर्ण चित्रोंका बेंचना भी जिसके लिये कि क़ानूनन् मुमानियत होवे, वर्जनीय है तथा उसकी क़ीमतका दावा नहीं चलना चाहिये, देखो—फारेस बनाम जानेस 4 Esp. 97.

जीवित जानवर (Living Creatures) बेंचे जासकते हैं यदि बेंचने वालेको उनके बेंचनेका अधिकार प्राप्त होवे, देखो—2 Block Comm. 391. डेविस बनाम पावेल विल्लीज़, 46.

दफा ७ मुवाहिदा किये जानेसे पहिले मालका नष्ट हो जाना

जब कि किसी खास मालकी विक्रीका सौदा हुआ हो और वह माल खरीदारको बिला इल्म हुए, मुवाहिदा किये जाते समय नष्ट हो चुकाहो या इतना खराब हो चुका हो कि वह मुवाहिदेकी तफ़सीलके मुताबिक न समझा जा सकता हो तो ऐसा मुवाहिदा क़लादम समझना चाहिये।

व्याख्या—

यह दफा अंग्रेजी कानूनकी दफा ६ के आधार पर लिखी गई है, देखो—S. 6 English Sale of Goods Act (1893) भारतीय कानून मुवाहिदाकी दफा २० में भी इसका वर्णन मिलता है।

इस दफाके अनुसार विक्रीका मुवाहिदा उस समय कलादम (Void) समझा जावेगा जब कि बेंचे जाते समय बेंचे जाने वाला माल नष्ट (Perished) हो चुका हो या इतना खराब हो चुका हो कि वह मुवाहिदेकी-तफसीलके अनुसार न माना जा सकता हो।

परन्तु इस दफाके लिये यह भी आवश्यक है कि उक्त मुवाहिदा खास माल (Specific Goods) के लिये किया गया हो और बेंचने वालेको बेंचते समय उसके नष्ट या खराब होनेका इल्म न होवे।

खास माल—(Specific Goods) से तात्पर्य उस मालका समझना चाहिये जो विक्रीका मुवाहिदा होते समय पहिचाना गया हो तथा जिसके लिये रजामन्दी हुई हो जब तक कि मुवाहिदेमें कोई बात इसके विरुद्ध न तय की गई हो।

नष्ट होना (Perish)—इसकी कोई खास परिभाषा इस एक्टमें नहीं दी हुई है परन्तु इसका तात्पर्य यही समझा जा सकता है कि वह प्राकृतिक रूपमें न रही हो गो तिजारतके सम्बन्धमें नष्ट होना उस समय भी कहा जा सकता है जब कि वह तिजारतके योग्य हालतमें न रही हो। उदाहरण स्वरूप—यदि सीमेंट (Cement) सीडम पड़ा रहनेके कारण जम गया हो या इस प्रकारका हो गया हो कि वह सीमेंटके तौर पर इस्तेमाल न किया जा सकता हो तो ऐसी हालतमें गो सीमेंटका प्राकृतिक रूप केवल बदल गया है परन्तु वह तिजारती तौर पर नष्ट हुआही समझा जाना चाहिये।

नष्ट होनेके साथमें 'खराब होने' (Damaged) शब्दके प्रयोगसे चीजके किसी भी प्रकारके परिवर्तनको जब कि वह बेची हुई चीजके अनुसार न रह गई हो इस दफाके अनुसार मुवाहिदा टूटनेके लिये काफी समझा गया है।

यह प्रश्न कि कोई वस्तु थोड़े नुकसानसे या बिगड़ जानेसे इस दफाके अनुसार मुवाहिदेको कलादम (Void) बनानेके लिये काफी है या नहीं एक वाक़याती प्रश्न है जो प्रत्येक मामलेकी परिस्थितको देखते हुए तय किया जा सकता है। ऐसे मामलेमें यह भी देखना पड़ेगा कि मुवाहिदा पूराका पूरा किया जानेको था या थोड़े थोड़ेके हिसाबसे, देखो—बेरो बनाम फिलिप (1929) 1 K. B. 574.

क़ीमतका वापिस होना—चूंकि इस दफामें बतलाये अनुसार मुवाहिदा क़ायम नहीं रह जाता है इसलिये खरीदारने क़ीमत अदा कर दी हो तो वह उसको पानेका मुस्तहक़ है, देखो—स्ट्रिक लैण्ड बनाम टर्नर 7 Exct. 203.

बिला इल्म (Without Knowledge)—इस दफाके सम्बन्धमें यह बात खास तौरसे ध्यानमें रहना चाहिये कि बेंचते समय बेंचने वालेको बिक्रीके मालके नष्ट या खराब होनेका इल्म न रहा हो और ऐसा होने पर ही वह हर्जे आदिसे मुक्त हो सकेगा अन्यथा नहीं। बहुधा ऐसा होता है कि दूर स्थानमें रक्खे हुए मालकी ठीक ठीक हालत नहीं मालूम हो सकती है या ऐसे स्थानमें रक्खे हुये मालकी भी ठीक हालत नहीं मालूम हो सकती है जो बिला खास तौरसे खोले न देखा जा सकता हो जैसे कि बर्त्तनमें रक्खा हुआ बाजा आदि। यदि बर्त्तनमें रक्खे हुए बाजेका सौदा किया गया हो और बर्त्तन खोले जाने पर माल बिल्कुल गल गया हो या नष्ट हो गया हो तो ऐसी हालतमें इस दफाका प्रयोग उचित समझना चाहिये।

इसी प्रकार यदि किसीने अपना कोई जानवर कहीं इकट्ठा दिया हो तथा वह जानता होवे कि उक्त जानवर जीवित है और ऐसा जानते हुए वह उसे बेंच देवे परन्तु दरअसल बिक्रीके समय पर जानवर बिना उसके इल्म हुए मर चुका हो तो भी इस दफाका प्रयोग ऐसी हालतमें उचित समझा जावेगा।

दफा ८ बिक्रीसे पहिले, किन्तु बेंचनेका राज़ीनामा किये जानेके बाद, मालका नष्ट होजाना

यदि किसी खास मालको बेंचनेका इकरारनामा हुआ हो और उसके बाद बिला बेचने वाले या खरीदने वालेकी गलतीके वह माल खरीदारकी जिम्मेदारी होनेसे पहिले नष्ट होजावे या इतना खराब होजावे कि वह इकरारनामेकी तफसीलके मुताबिक न समझा जासके तो इससे उक्त इकरारनामा रद्द होजाता है।

व्याख्या—

यह दफा अँगरेजी एक्टकी दफा ७ से मिलती हुई है, देखो—English Sale of Goods Act 1893, S. 7.

भारतीय कानून मुवाहिदामें कोई खास नियम इस बातके सम्बन्धमें नहीं दिया हुआ है परन्तु यही सिद्धान्त उसके अनुसार भी समझना चाहिये जैसाकि उक्त एक्टकी दफा ५६ पर विचार करनेसे प्रकट होगा।

इस दफाके लागू होनेके लिये नीचे दी हुई बातोंके होनेकी आवश्यकता है:—

(१) यहकि मुवाहिदा माल बेंचनेका इकरारनामा होवे अर्थात वह दरअसल बिक्री नहीं होना चाहिये जैसाकि इसी एक्टमें पीछे बतलाया गया है।

(२) यहकि जिस मालको बेंचनेका इकरारनामा होवे वह खास (Specific goods) माल होवे।

आमतौर पर खासमाल (Specific Goods) उसे कहते हैं जो सौदा होते समय पहिचाना गया हो तथा उस पर राज़ी होना हुआ हो अथवा फरीकैन चाहें तो और प्रकारसे भी खासमाल आपसमें समझनेके लिये तय कर सकते हैं।

(३) उक्त माल खरीदारकी जिम्मेदारी होनेसे पहिले नष्ट होजावे या ऐसा खराब होजावे कि वह इकरारनामेकी तफसीलके अनुसार न रहे।

नष्ट (Perish) होनेके सम्बन्धमें कोई खास बात इस एक्टमें नहीं बतलाई गई है परन्तु इसका अभिप्राय यह समझा जासकता है कि उसका प्राकृतिक रूप जाता रहा हो। ऐसा उस समय होसकता है जबकि चीज़ बिल्कुलही गायब होजावे अथवा उस समयभी कहा जासकता है जबकि वह तिजारती शकलमें न रहा हो।

'खराब होजाना' (Damaged) इससे तात्पर्य प्रत्येक प्रकारकी खराबीसे नहीं है किन्तु उसी खराबीसे है जबकि मालकी तफसील, जो बेंचनेका इकरारनामा करते समय तय कीगई हो, जाती रहे यानी माल वैसा न समझा जासकता हो। उक्त बातका तय करना एक वाकयाती प्रश्न है जो प्रत्येक मामलेकी परिस्थिति पर निर्भर है तथा ऐसे प्रश्नको तय करते समय मुवाहिदेकी शकलका भी ध्यान रखना चाहिये कि वह पूरा का पूरा किया जानेको था या वह थोड़ा थोड़ा करके किया जासकता था क्योंकि जहां पर थोड़ा थोड़ा भी करना उचित होवे वहां कुछ मालके खराब होने परभी बकीया माल जो तफसीलके अनुसार समझा जासकता हो लिया जासकता है।

(४) चौथी बात यह है कि उक्त नुकसान किसी फरीककी गलती या उपेक्षासे नहीं हुआ हो।

क्योंकि यदि किसी फरीककी गलतीसे ऐसा हुआ हो तो वह उक्त नुकसानके लिये जिम्मेदार ठहराया जासकता है।

इस दफा व पिछली दफामें वह शकलें बतलाई गई हैं जबकि किसी फरीककी गलती न होते हुए भी मुवाहिदा पूरा किया जासकता हो ऐसा होने पर उसका जिम्मेदार मुवाहिदा पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं ठहराया जावेगा तथा मुवाहिदा ऐसी हालतमें अपने आपही रद्द समझ लिया जावेगा।

परन्तु इन दफाओंके अलावा और भी हालतें होसकती हैं जबकि कोई फरीक अपने मुवाहिदेको असम्भव होनेके कारण अथवा बीचमें किसी बातके पैदा हो जानेके कारण पूरा न कर सकता हो।

आमतौर पर यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति कोई मुवाहिदा करे तो उसका कर्तव्य है कि वह उसकी शर्तोंको पूरा करे वरना हरजा देवे। यह कह कर वह नहीं बच सकता है कि उसे मुवाहिदा किया हुआ माल नहीं मिल रहा है अथवा वह उसे बड़ी ऊंची कीमत देकर पा रहा है, देखो—हेल बनाम राजन (1858) 27 L. J. C. P. 189 (191); Re Ques and Co. (1916) 1 K.B. 346.

यदि वह किसी मुवाहिदेकी पाबन्दीसे अपनेको बचाना चाहे तो इसके लिये उसे खुलासा इकरार साबित करना चाहिये अथवा अन्य कोई उचित कारण दिखलाना चाहिये जो चल सकता हो, देखो—न्यूजीलैण्ड शिपिंग कम्पनी बनाम सोसाइटी डी. एटलियर्स डी फ्रांस (1919) A. C. I. H. L.

यदि किसी व्यक्तिने किसी मालको बेंचनेका सौदा किया हो और उस मालके दिये जानेसे पहिले सरकार उसे तलब करले तो बेंचने वाला उक्त मालको देनेकी जिम्मेदारीसे बरी होजाता है, देखो—री शिप्टन एण्ड कम्पनी (1915) 3 K B. 676.

इसी प्रकार यदि किये जाते समय कोई मुवाहिदा उचित होवे परन्तु किसी कानूनके अनुसार वह रोक दिया जावे या प्रबन्धक सरकारके हुक्म द्वारा वह रोक दिया जावे और उस वक्त उसका पूरा किया जाना बाकी रहा हो तो उसके पूरे करनेकी जिम्मेदारी ऐसा होने पर समाप्त होजाती है, देखो—मैटापालिटन वाटर बोर्ड बनाम डिकटर एण्ड कम्पनी (1918) A. C. 119 H. L; मैकमास्टर बनाम नाक्स एण्ड कम्पनी (1921) S. C. 566.

लड़ाई छिड़ जाने पर दुश्मनके मुल्कमें किये हुये सौदोंका पूरा किया जाना रुक जाता है, देखो—अरटेल वीवर एण्ड कम्पनी बनाम रिपोर्टिंग कम्पनी (1918) A. C. 260 H. L; 2 K. B. 486 A. C.

इस दफाके नियमोंका लागू होना उस समय नहीं समझना चाहिये जब कि फरीकैनके दरमियान इसके विरुद्ध खुलासा तौर पर कोई इक़रारनामा हो गया हो अथवा किसी खास तिजारतके चलनके अनुसार ऐसा न होता हो, देखो—21 Com. Cas. 320 C. A. 1916; 1 I. C. 314.

यदि बीमा किये हुए मालका सौदा हुआ हो तो चाहे उक्त माल नष्ट हो गया हो या नष्ट न हुआ हो इस दफाके नियमोंका प्रयोग उक्त सौदाके सम्बन्धमें नहीं समझना चाहिये, देखो—मानक्रे सैक्रीन एण्ड कम्पनी बनाम कार्न प्रोडक्ट कम्पनी (1919) 1. K B. 198.

खास माल—खास मालके सौदेहीमें इस दफाको लागू समझना चाहिये जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है।

एक व्यक्तिने एक खास खेतके २०० टन आलू बेंचनेका सौदा किया। फ़सल खराब होगई व आलू पैदाही नहीं हुए। मामला चलाया जाने पर यह तय हुआ कि यह दफा लागू होगी क्योंकि यदि केवल २०० टन आलूहीका सौदा हुआ होता तो फ़सल चाहे खराब होती या अच्छी कहीं न कहींसे आलू दिये जानेका सवाल रह जाता परन्तु इस मामलेमें खास खेतमें पैदा होने वाले आलूहीका सौदा हुआ था इस लिये न पैदा होने पर सौदेको इस दफाके अनुसार रद्द समझना चाहिये, देखो—हावेल बनाम कोपलैंड (1874) L. R. 9 Q. B. 462.

एक मामलेमें यह भी तय किया गया था कि यदि दो खास चीजोंको बेंचनेका सौदा एकही मुवाहिदेमें किया गया हो जो पृथक न किया जा सकता हो और उनमेंसे एक चीज नष्ट हो जावे तो बेंचने वाला यान्त्रिक दूसरी चीजको देनेकी जिम्मेदारीसे बरी हो जाता है, देखो—लावेट बनाम हैमिल्टन (1839) 5 M. & W. 639; 52 R. R. 865.

ऐसे मामलोंमें भली भांति गौर किया जाना चाहिये तथा परिस्थितिको भी पूर्ण रूपसे समझना आवश्यक है।

क़ीमत

दफा ९ क़ीमतका निश्चित किया जाना

(१) बिक्रीके मुवाहिदेमें क़ीमत मुवाहिदेहीके अनुसार नियतकी जा सकती है या मुवाहिदेमें बतलाये हुए तरीक़े पर नियत किये जानेके लिये छोड़ी जा सकती है अथवा फरीक़ैनके व्यवहारके अनुसार तयकी जा सकती है।

(२) यदि क़ीमत ऊपर बतलाए हुए नियमोंके अनुसार तय न की गई हो तो ख़रीदार बेंचने वालेको उचित क़ीमत देवेगा। यह सवाल कि उचित क़ीमत क्या है एक वाक़याती सवाल है जो प्रत्येक खास मामलेके वाक़यात पर निर्भर होता है।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफा ८ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ८९ के अनुसार है। क़ानून मुवाहिदाकी दफासे अङ्गरेजी दफा अधिक अच्छी समझी गई तथा सिलेक्ट कमेटीने उसी दफाका अनुकरण करनाही मुनासिब समझा।

'क़ीमत' बिक्रीके मुवाहिदेका एक आवश्यक अङ्ग है इस दफ़ामें इसी क़ीमतके नियत या तय किये जानेका उल्लेख है। यह या तो मुवाहिदेके ज़रिये तय की जा सकती है या मुवाहिदमें उसके तय किये जानेके लिये कोई तरीक़ा बतलाया जा सकता है। जैसे कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उसका तय कराया जाना। फ़रीकैनके व्यवहारके अनुसार भी क़ीमत तयकी जा सकती है जैसे कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे कोई माल किसी खास भावमें ले रहा हो और उसी सिलसिलेमें वही माल और लेवे तो चाहे इस बाद वाले मालके सम्बन्धमें कोई क़ीमत फ़रीकैनके दर्मियान तय न की गई हो इसकी क़ीमत उसी हिसाबसे समझी जावेगी जिस हिसाबसे पहिले माल लिया जाता था।

दूसरे मालमें यह बतलाया गया है कि यदि उक्त प्रकारसे क़ीमत तय न की गई हो या उसके तय किये जानेकी कोई व्यवस्था न की गई हो तो ख़रीदार बेंचने वालेको 'उचित क़ीमत' अदा करेगा इसी उप दफ़ामें यह भी साफ़ कर दिया गया हैं कि उचित क़ीमतका प्रश्न एक वाक़यार्ती प्रश्न है जो हर मामलेके वाकयात पर निर्भर है।

प्रकट रूपमें 'उचित क़ीमत' (Reasonable price) से यह तात्पर्य समझमें आता है कि बाज़ारू क़ीमत लगाई जाना चाहिये। परन्तु हर मामलेमें ऐसा कर देना उचित नहीं रहता क्यों कि बाज़ारू भावके साथमें और सब बातोंका भी ध्यान रखना आवश्यक है जैसे कि सौदा होते समय जो बाजार भाव रहा हो मुमकिन है माल दिये जाते समय वह भाव न रहे अथवा बाजारू क़ीमत घटने बढ़नेसे बेंचने वाला मालको रोक कर नाजायज़ फ़ायदा उठा ले तो ऐसी हालतमें बिक्री होते समयहीके भाव पर ध्यान न रखना चाहिये बल्कि मालकी बढ़ती या घटती हुई क़ीमतका भी समयके हेर फेरके हिसाबसे अन्दाज़ा लगाना चाहिये क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि माल ख़रीद करतेही ख़रीदारके पास नहीं पहुंच जाता है उसके पहुंचनेमें कुछ समय लगता है व ख़रीदकी जगहे व माल लिये जानेकी जगहके भावमें भी अन्तर होता है।

'क़ीमत' (Price) किसी चीज़का तय किया हुआ या अन्दाज़ा लगाया हुआ मूल्य है जो उसी मुल्कके प्रचलित सिक्केके अनुसार तय किया गया हो, देखो—बेंक बेल्ज बनाम हैमब्रुक (1921) K.B.321.

बाज मौके पर कुछ क़ीमत ज़मानतके तौर पर मुवाहिदेसे पहिलेही देदी जाती है। इस प्रकारकी अदायगीको बयाना समझना चाहिये। इस बयानेके रुपयेका लौटाया जाना इक़रारनामें पर निर्भर है क्योंकि मुवाहिदा टूटने पर इसके लौटालनेका सवाल पैदा होता है। यदि मुवाहिदा ख़रीदारकी भूलके कारण टूटा होवे तथा कोई इकरारनामा विरुद्धमें न किया गया हो तो मुवाहिदा टूटने पर बयानेका रुपया जब्त कर लिया जाता है, देखो—हावे बनाम स्मिथ 27 Ch. D. 87 C. A.

कम क़ीमत पर बेंचना—हर व्यक्तिको अधिकार है कि वह जिस क़ीमत पर चाहे अपने मालको बेंचदे। वह कम क़ीमत पर भी बेंच सकता है और ऐसा उसी समय होता है जब कि एक दूसरेका मुक़ाबिला करते हुये लोग अपना माल किसी भी भावमें निकालना चाहते हैं, देखो—अजेलो बनाम वर्सेले (1898) 1 Ch. D. 274.

इसी प्रकार थोक फरोश फुटकरमें बेंचने वाले व्यक्तिको कम क़ीमत पर माल इस शर्तके साथ दे देते हैं कि वह एक नियत क़ीमतसे कम पर उसे फुटकरमें न बेंचें, देखो—एल्टीमैन बनाम कैरिंगटन (1901) 2 Ch. 275.

क़ीमतका घटाया बढ़ाया जाना—यदि कोई बात इसके विपरीत तय न हुई हो तो मुवाहिदा होनेके बाद तथा माल दिये जानेसे पहिले चुंगी बढ़ने या घटनेके कारण मालकी क़ीमतमें उसी प्रकार अन्तर किया जा सकता है जब कि चुंगीका हिसाब लगाते हुए क़ीमत तय की गई हो।

सूद—यदि मालकी क़ीमत बिल या नोट पर दी जानेको होवे तथा वह उस पर न दी गई हो तो ख़रीदारको बिल या नोट पर होने वाले सूदको भी बतौर क़ीमतके, हिस्सेके उक्त, क़ीमतके अलावा अदा करना चाहिए, देखो—मार्शेल बनाम यूल (1819) 13 East 98; 2 Ch. 548 (C. A.)

दफा १०, बेंचनेका सौदा क़ीमत तय किये जाने पर होना

(१) यदि किसी मालके बेंचनेका सौदा इस शर्त पर हुआ हो कि उसकी क़ीमत कोई तीसरा व्यक्ति नियत करेगा और वह तीसरा व्यक्ति उस क़ीमतको न तय कर सकता हो या न तय करे तो उक्त सौदा इससे रद्द हो जाता है।

परन्तु शर्त यह है कि यदि माल या उसका कोई हिस्सा ख़रीदारको देदिया गया हो और वह उसके इस्तेमालमें आगया हो तो वह उसकी उचित क़ीमत अदा करेगा।

(२) जब कि उक्त तीसरा व्यक्ति बेंचने या ख़रीदने वालेकी भूलके कारण क़ीमत नियत न कर सका हो तो वह फ़रीक़ जिसकी भूल न रही हो भूल करने वाले फ़रीक़के विरुद्ध हर्जेका दावा दायर कर सकता है।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफा ९ के आधार पर है, देखो—S. 9. English Sale of Goods Act 1893.

इस दफाने उसी व्यवहार पर प्रकाश डाला है जैसा कि बहुधा हुआ करता है। लोग अकसर क़ीमतका तय किया जाना तीसरे व्यक्ति पर छोड़ देते हैं और जो क़ीमत वह तय कर देता है उसे दोनों फरीक मानते हैं तथा उसीकी पाबन्दी दोनों फरीक पर समझना चाहिये।

परन्तु कभी कभी ऐसा होता है कि वह तीसरा व्यक्ति या तो क़ीमत तय करनेसे इनकारही कर देता है या वह उसे किसी रुकावटके कारण तय नहीं कर सकता है ऐसी सूरतमें मुवाहिदा क़ायम रहनेका सवाल पैदा हो जाता है। पहिली उपदफाके अनुसार ऐसा होने पर माल बेंचनेके सम्बन्धमें किया हुआ इकरारनामा टूट जाता है व दोमें से किसी फरीकका दोष न होनेके कारन कोई भी फरीक एक दूसरेके हर्जेका जिम्मेदार नहीं समझा जाना चाहिए।

इसी उपदफामें यह भी शर्त लगाई गई है कि यदि उक्त प्रकारके बेंचनेका इकरारनामा होने पर कुल माल या उसका कोई भाग दे दिया गया हो तथा उसे ख़रीदार इस्तेमालमें ले आया हो और इसके बाद क़ीमत तय करने वाला व्यक्ति क़ीमत तय न कर सके या न करे तो ख़रीदारका कर्तव्य होगा कि वह बेंचने वालेको मालकी उचित क़ीमत अदा करे।

अकसर ऐसा होता है कि सौदा होतेही माल दे दिया जाता है या उसका कुछ भाग दे दिया जाता है परन्तु क़ीमत तय किये जानेका सवाल बादके लिये रह जाता है फरीकैनकी रजामन्दीके अनुसार तय न होने पर उसकी अदायगीका सवाल पैदा होता है क्योंकि माल तो पेश्तरहीसे दिया व इस्तेमालमें लाया जा चुका है ऐसी हालतके लिये उचित क़ीमतका लगाया जाना बतलाया गया है। उचित क़ीमत जैसा कि पिछली दफामें बतलाया जा चुका है बाजार भावके अनुसार तथा दूसरी परिस्थिति पर भली भांति विचार करते हुए तय की जाना चाहिए।

(२) दूसरी उपदफामें यह बतलाया गया है कि यदि किसी फरीककी भूलके कारण उक्त तीसरा व्यक्ति क़ीमत न तय कर सके तो रुकावट डालने वाले व्यक्तिको हर्जा देना पड़ेगा अर्थात ऐसी दशामें पहिली उपदफाकी तरह दोनों फरीक़ एक दूसरेका नुकसान बर्दास्त करनेसे बरी नहीं समझे जावेंगे। यदि खरीदारके रुकावट डालने पर क़ीमत न तय कीजासके तो वह बेंचने वालेके हर्जेका जिम्मेदार होगा इसी प्रकार यदि बेंचने वालेके रुकावट डालने पर कीमतका तय किया जाना न होसका हो तो वह खरीदारके हर्जेका जिम्मेदार समझा जावेगा और गलती न करने वाला फरीक हर्जेका दावा दायर कर सकेगा।

शर्तें व ज़िम्मेदारियां

दफा ११ समयके लिये शर्त

मुवाहिदेकी शर्तोंसे यदि कोई मुख़्तलिफ़ नीयत न मालूम होती हो तो अदायगी सम्बन्धी समयकी शर्तको बिक्रीके मुवाहिदेका खास अंग नहीं समझना चाहिये।

यह बात मुवाहिदेकी शर्तों पर निर्भर है कि और किसी बातके लिये समय की शर्त मुवाहिदेका आवश्यक अंग है या नहीं।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी-क़ानूनकी दफा १० के आधार पर लिखी गई है और यही मंशा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ५५ से प्रकट होती है, देखो—S. 10 English Sale of Goods Act 1893; S 55 Indian Contract Act 1872.

इस दफाके अनुसार क़ीमतकी अदायगी सम्बन्धी समयकी शर्तको बिक्रीके मुवाहिदेका खास अंग नहीं समझना चाहिये जब तक कि मुवाहिदेसे कोई भिन्न नियत न प्रकट होती हो। इसका तात्पर्य यह है कि यदि समय पर क़ीमत अदा न कीजावे तो मुवाहिदा इसके कारण टूटा हुआ नहीं समझना चाहिये परन्तु यदि मुवाहिदेमें साफ तौर पर यह शर्त तय कीगई है कि नियत समयके अन्दर क़ीमतकी अदायगी होजाना चाहिये वरना मुवाहिदा टूट जावेगा तो ऐसी हालतमें क़ीमत न अदा होनेका अर्थ यही होगा कि मुवाहिदा टूट गया है।

इसी दफामें यहभी बतलाया गया है कि और किसी बातके लिये की हुई समयकी शर्त कहां तक आवश्यक शर्त होगी यह बात मुवाहिदेकी बातोंको देखनेसे मालूम की जासकती है जैसे कि किसी नियत समयके अन्दर मालका पहुंचा देना या मालके किसी भागका पहुंचा देना।

अदायगीको छोड़कर और किसी बातके लिये की हुई समयकी शर्त अधिकतर व्यापारिक सौदोंमें आवश्यक शर्तही समझना चाहिये और इसीलिये वह शर्त मुवाहिदेका आवश्यक अंग समझी जासकती है, देखो—बावेस बनाम शण्ड (1877) 2 App. Cas. 455.

एक मामलेमें २५ टन माल भेजनेका सौदा तय हुआ था व साथही साथ यहभी तय हुआ था कि बिल आफ लेडिंगकी तारीख़से ६० दिनके अन्दर मालकी तफसील, निशान व जहाज आदिके नामका ऐलान कर दिया जावेगा किन्तु ऐसा नहीं किया गया। मामला चलाये जाने पर उक्त ऐलानका होना मुवाहिदेकी एक आवश्यक बात ठहराई गई, देखो—रूलर बनाम सैला (1879) 4 C. P. D. 246, 249.

एक व्यक्तिने छ (६) खास ढेर मटरके दूसरे व्यक्तिके हाथ बेंचे जिनकी क़ीमत १६ जुलाईको अदा की जानेको थी। इसके बाद बेंचने वालेने दूसरे फरीक़से यह कहा कि यदि नियत किये हुए दिनको रुपया अदा न किया जावेगा तो उसे माल नहीं मिलेगा। ख़रीदार उक्त तारीख़ पर रुपया नहीं देसका परन्तु उसके थोड़ेही दिनों बाद क़ीमत देनेको तैय्यार था। बायाने बादमें माल दूसरेके हाथ बेंच दिया। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि १६ ता० को रुपयेकी अदायगी न होने पर मुवाहिदा तोड़ देना उचित नहीं था क्योंकि बाया बिला क़ीमत लिये हुए माल नहीं दे सकता था परन्तु मालको दूसरेके हाथ बेंच देना उचित नहीं था। वह हर्जेका जिम्मेदार ठहराया गया, देखो—मारटिण्डेल बनाम स्मिथ 1. Q. B. 389.

जहाज़ द्वारा मालका जाना—जब माल जहाजसे रवाना किया जानेको होता है तो अक्सर यह तय हो जाता है कि किसी नियत मियादके अन्दर जहाज रवाना कर दिया जावेगा तथा मालकी तफ़सील आदि भी उसीके साथ तय हो जाती है। यदि उक्त मियादके अन्दर माल न रवाना किया जावे तो यह माना जावेगा कि मुवाहिदेकी एक ख़ास शर्त पूरी नहीं की गई है। इसी सम्बन्धमें यह भी समझ लेना चाहिये कि जहाज रवाना कर देने व जहाज पहुचनेके मामलेमें अन्तर है यदि सौदेमें इस प्रकारकी बात होवे कि किसी नियत मियादके अन्दर जहाज पहुंच जावेगा तो इसकी पाबन्दी उतनीही आवश्यक नहीं समझना चाहिये जितनी कि माल रवाना करनेकी, क्योंकि रास्तेमें अड़चनें उपस्थित हो सकती हैं। ऐसी हालतमें यदि भेजने वालेने ठीक समय पर माल रवाना कर दिया हो परन्तु रास्तेकी रुकावटके कारण उसके पहुचनेमें देर हो तो इसके कारण वह मुवाहिदा तोड़नेका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, देखो—अलेक्जाण्डर बनाम वाण्डरजी L. R. 6 C. P. 530.

दफा १२ शर्त व ज़िम्मेदारी

(१) जिस मालके लिये बिक्रीका मुवाहिदा किया गया हो उसके निस्बत मुवाहिदेमें शर्त या ज़िम्मेदारीका इक़रार हो सकता है।

(२) शर्त वह इक़रार है जो मुवाहिदेके ख़ास कामके लिये आवश्यक हो तथा जिसके पूरा न किये जानेसे मुवाहिदेको टूटा हुआ समझनेका हक़ पैदा होजाता है।

(३) ज़िम्मेदारी (Warranty) वह इक़रार है जो मुवाहिदेके ख़ास कामसे सम्बन्ध रखता हो तथा जिसके पूरा न किये जानेसे हर्जेके दावेका हक़ पैदा होजाता है परन्तु मालको छोड़ देने और मुवाहिदेको टूटा हुआ माननेका हक़ पैदा नहीं होता है।

(४) हर मामलेमें यह प्रश्न कि किसी मुवाहिदेमें शर्त (Condition) या ज़िम्मेदारी (Warranty) का इक़रार है, उस मुवाहिदेकी बनावट पर निर्भर है। कोई इक़रार केवल शर्त (Condition) ही हो सकता है गो उसे मुवाहिदेमें ज़िम्मेदारी (Warranty) कहा गया हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफा ११ के अनुसार रखी गई है, देखो—S. 11, The English Sale of Goods Act 1893. अङ्गरेजी एक्टमें 'शर्त' (Condition) शब्दकी परिभाषा नहीं दी हुई है परन्तु बहुतसी नजीरोंमें इस शब्दके अर्थ पर अच्छा प्रकाश डाला गया है उन्हीं नजीरोंके आधार पर

सिलेक्ट कमेटीके मेम्बरोंने इस शब्दकी परिभाषा इस दफामें रख दी है। इस दफा तथा इसके बाद वाली दफाओं में दफा १७ तक 'शर्तों' (Conditions) व 'जिम्मेदारियों' (Warranties) का विषय दिया हुआ है। यह विषय बिक्रीके मुवाहिदेके सम्बन्धमें एक गहन विषय है इन दोनोंका अर्थ समझने तथा इनके अनुसार मुवाहिदेको उचित रूपसे समझनेके लिये बड़ी सावधानीसे काम लेनेकी आवश्यक्ता है।

फरीकैन जो 'क़ैदें' (Stipulations) चाहें बिक्रीके मुवाहिदेमें लगा सकते हैं परन्तु उक्त क़ैदों (Stipulations) का अर्थ क़ानूनके अनुसार समझा जाता है। बिक्रीके मुवाहिदेमें शर्तें (Conditions) व जिम्मेदारियां (Warranties) दोनों हो सकती हैं।

उपदफा (२) व (३) को देखनेसे दोनोंका अन्तर किसी हद तक समझमें आ सकता है। उपदफा (२) के अनुसार शर्त (Condition) वह इक़रार है जो मुवाहिदेके खास कामके लिये आवश्यक हो तथा जिसके पूरा न किये जाने पर मुवाहिदेको टूटा हुआ समझनेका हक़ पैदा हो जाता हो। अर्थात शर्त (Condition) के पूरा न किये जाने पर मुवाहिदा तोड़ा जा सकता है।

उपदफा (३) के अनुसार जिम्मेदारी (Warranty) वह इकरार है जो मुवाहिदेके खास काम से सम्बन्ध रखता हो तथा जिसके पूरा न किये जाने पर हर्जेके दावेका हक़ पैदा हो जाता हो परन्तु उसके पूरा न किये जाने पर मालको नामंजूर कर देने या मुवाहिदेको पूरा हुआ समझनेका हक़ पैदा नहीं होता है।

इस प्रकार दोनों परिभाषाओंको देखनेसे यह प्रकट है कि शर्तें (Conditions) जिम्मेदारियां (Warranties) दोनों बिक्रीके मुवाहिदेसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं परन्तु शर्तें (Conditions) जिम्मेदारियों (Warranties) के मुक़ाबिले मुवाहिदेका अधिक आवश्यक अंग कही जा सकती हैं क्योंकि उनके पूरा न किये जाने पर मुवाहिदा तोड़ा जा सकता है। जिम्मेदारियों (Warranties) के मामलेमें ऐसा नहीं है उनको पूरा न करने वाला व्यक्ति हर्जेका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है परन्तु दूसरा फरीक़ इसके कारण मुवाहिदेको नहीं तोड़ सकता है और न वह मालको लौटाही सकता है।

मान लो कि कोई आदमी एक घोड़ा खरीदे जिसके सम्बन्धमें यह जिम्मेदारी (Warranty) हुई हो कि वह चढ़ने व चलाये जानेमें खामोश है परन्तु वह बदमाश निकले तो खरीदार बेंचने वालेके विरुद्ध केवल हर्जेकाही दावा कर सकता है जब तक कि उसके विरुद्ध कोई खास बात तय न की गई हो जैसे कि इस प्रकारकी क़ैद न लगाई गई हो कि उसके बदमाश साबित होने पर वह लौटा दिया जावेगा। अर्थात् सौदा मंसूख नहीं हो सकता है और न घोड़ा लौटाया जा सकता है।

लेकिन अगर किसी व्यक्तिने घोड़ेका काम करने वाले व्यक्तिसे एक सीधा घोड़ा देनेके लिये कहा हो और वह व्यक्ति एक बदमाश घोड़ा दे देवे तो खरीदारको अधिकार है कि वह घोड़ेको लौटा देवे क्योंकि उस मामलेमें सीधा होनेकी क़ैद इस दफ़ाके अर्थके अनुसार शर्त (Condition) है और उसके पूरा न किये जाने पर मुवाहिदा तोड़नेका हक़ पैदा हो जाता है। एक बात और भी ध्यानमें रहना चाहिये कि ऐसे मामलेमें खरीदार बजाय घोड़ा लौटालनेके हर्जेका दावा भी बेंचने वालेके विरुद्ध कर सकता है अर्थात् वह शर्त (Condition) के बजाय इक़रारको जिम्मेदारीही मान सकता है, देखो—हार्टले बनाम हिमेन्स 3 K. B. 475.

दफा १३ में इस बातको बतलाया गया है कि खरीदार 'शर्त' (Condition) को 'जिम्मेदारी' (Warranty) मान सकता है।

उप दफा ४ में यह बतलाया गया है कि मुवाहिदेके अर्थके अनुसार यह समझा जा सकता है कि बिक्रीके मुवाहिदेमें लगाई हुई क़ैद शर्त (Condition) है या 'ज़िम्मेदारी' (Warranty)। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि मुवाहिदेमें क़ैद 'ज़िम्मेदारी' (Warranty) के तौर पर लगाई गई हो परन्तु दरअस्ल वह 'शर्त' (Condition) होवे अर्थात् उसके न पूरा किये जाने पर मुवाहिदा तोड़ा जासकता है।

दफा १३ शर्त कब ज़िम्मेदारी मानी जा सकती है

जब कि किसी बिक्रीके मुवाहिदेमें कोई ऐसी शर्त लगाई गई हो, जो बेंचने वाले द्वारा पूरीकी जानेको होवे, तो ख़रीदार उस शर्तको छोड सकता है या वह शर्त के पूरा न किये जानेको ज़िम्मेदारीका पूरा न किया जाना मान सकता है और वह उसे मुवाहिदेको तोडनेकी वजह नहीं मान सकता है।

(२) जबकि बिक्रीका कोई मुवाहिदा अलाहिदा न किया जासकता हो और ख़रीदारने मालको या उसके किसी हिस्सेको मंजूर कर लिया होवे या जबकि मुवाहिदा किसी ख़ास मालके सम्बन्धमें होवे जिसकी मालियत ख़रीदारको पहुंच चुकी हो तो ऐसी शर्त जो कि बेंचने वाले द्वारा पूरी की जानेको होवे सिर्फ ज़िम्मेदारीका पूरा न किया जाना माना जा सकता है तथा वह मालको छोड देनेकी वजह नहीं मानी जा सकती है और उससे मुवाहिदेका तोड़ दिया जाना नहीं हो सकता है जब तक कि मुवाहिदेमें कोई ऐसी बात स्पष्ट या छिपे हुये रूपमें न होवे।

(३) इस दफाका कोई प्रभाव किसी ऐसी शर्त या ज़िम्मेदारीके मामले पर नहीं पडेगा जिसके न पूरे किये जानेके लिये क़ानूनी बहाना होवे यानी असम्भव होनेके कारण या और किसी वजहसे।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ११ व भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ११७ व ११८ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 11 English Sale of Goods Act 1893; S. 117, 118, Indian Contract Act 1872.

इस दफासे पिछली दफा पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है क्योंकि इसमें भी शर्तों (Conditions) व ज़िम्मेदारियों (Warranties) का विषय लिखा गया है। उपदफा १ में बतलाया गया है कि शर्तें (Conditions) ज़िम्मेदारियां (Warranties) मानी जा सकती हैं तथा वह छोड़ी भी जा सकती हैं। अर्थात् इस उपदफाके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि किसी शर्त (Condition) के पूरा न किये जाने पर मुवाहिदा (Contract) अवश्यही तोड़ दिया जावे। जैसे कि यदि बेंचने वालेको मुवाहिदेके अनुसार कोई शर्त (Condition) पूरी करना चाहिये परन्तु वह उसे पूरी न करे तो ख़रीदार को अधिकार है कि चाहे वह मुवाहिदेको तोड देवे चाहे उसे ज़िम्मेदारी (Warranty) मान कर हर्जेका दावा करे अथवा उस शर्तके टूटनेका कुछ भी ख्याल न करे और मुवाहिदेको जैसेका तैसा क़ायम रहने देवे।

दूसरी उपदफामें वह हालतें बतलाई गई हैं जबकि मुवाहिदेमें लगाई हुई क़ैद शर्त (Condition) समझीही नहीं जासकती है बल्कि उसे ज़िम्मेदारी (Warranty) ही समझा जासकता हो चाहे वह शर्त (Condition) हीके रूपमें होवें। इस उपदफाके अनुसार उस सूरतमें जबकि बिक्रीका मुवाहिदा

अलहिदा न किया जासकता हो और बिक्रीका माल सबका सब या उसका कोई भाग खरीदारके पास पहुच चुका हो तो बेंचने वाले द्वारा पूरी कीजाने वाली किसी शर्त (Condition) की पाबन्दी न होने पर खरीदार केवल हर्जेहीका दावा कर सकता है अर्थात् उक्त शर्त (Condition) के आधार पर मुवाहिदेको छोड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार यदि किसी खासमालके मुवाहिदेका सवाल हो और उसकी मालियत खरीदारको पहुच चुकी हो तो ऐसे मामलोंमें बेंचने वाले द्वारा पूरी कीजाने वाली किसी शर्तके पूरा न किये जाने पर केवल हर्जेहीका दावा उसके विरुद्ध होसकता है और उक्त शर्तकी पाबन्दी न होनेके आधार पर मुवाहिदा तोड़ा नहीं जा सकता है।

परन्तु हर मामलेमें ऊपर बतलाये अनुसारही नहीं समझ लेना चाहिये क्योंकि यदि मुवाहिदेमें कोई खास इक़रार इस सम्बन्धमें किया गया हो तो उसकी पाबन्दी आवश्यक होगी अर्थात् यदि माल दे दिये जाने पर या मालियत मुन्तकिल होजाने परभी यह शर्त तय कीगई हो कि मुवाहिदा तोड़ा जासकता है या माल लौटाया जासकता है तो शर्तकी पूर्ति न होने पर ऐसा उक्त हालतोंमें भी किया जा सकेगा।

इस उपदफ़ामे यह बतलाया गया है कि यदि किसी शर्त (Condition) या जिम्मेदारी (Warranty) की पूर्ति क़ानूनन् न की जासकती हो या असम्भव होनेके कारण न की जासकती हो अथवा अन्य किसा वजहसे न की जासकती हो तो इस दफ़ाका कोई प्रभाव ऐसे मामलेमें नहीं पड़ेगा। उपदफ़ा (१) में बतलाई हुई बात साधारणसी बात है जो भली प्रकार समझमें आसकती है।

यदि किसी शर्त (Condition) की पूर्ति न होनेसे दूसरे फरीकको फायदा पहुंचता हो तो वह उसे अपने आप छोड़ सकता है अर्थात् मुवाहिदेको जैसेका तैसा क़ायम रख सकता है क्योंकि इससे उसी को फ़ायदा होगा, देखो—हार्टले बनाम् हिमेन्स (1920) 3 K. B. 475; 70 I. C. 877; 24 Bom. L. R 991; A. I. R. 1923 Bom. 92. इसी प्रकार यदि उक्त शर्तकी पूर्ति न होनेसे उसका कोई नुक़सान न होता हो तो भी वह मुवाहिदेको जैसेका तैसा क़ायम रख सकता है अर्थात् बाकी शर्तको खरीदार चाहे तो छोड़ सकता है।

यदि कोई शर्त थोड़ेही समयके लिये छोड़ी गई हो तो उसकी दुबारा पूर्ति करानेके लिये नोटिस दिये जानेकी आवश्यकता है, देखो—पैनट सोज बनाम् रैमण्ड हैडले कारपोरेशन (1917) 2 K. B. 473 C. A. यदि कोई शर्त दोनों फरीकके फायदेके लिये होवे तो वह दोनोंकी रजामन्दीसे छोड़ी जा सकती है, देखो—23 Com. Cas. 216.

यदि माल दिये जाने पर खरीदारकी किसी जिम्मेदारी (Warranty) की पूर्ति न होनेका हाल मालूम पड़े परन्तु उसने माल मंजूर कर लिया हो, तो वह नोटिस देनेके बादही मुवाहिदा शिकनीके आधार पर हर्जेका दावा कर सकता है, देखो—14 I. C. 248; 27 A. L. J. 674.

खरीदारका कर्तव्य है कि वह उचित समयके अन्दर जिम्मेदारीके पूरा न किये जानेके प्रश्नको उठावे यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे मुवाहिदेके अनुसार तय कीहुई कीमत देना पड़ेगी, देखो—A. I. R. 1925 Mad. 221.

उपदफा (३) में क़ानूनी रुकावट या असम्भवता आदिके कारण शर्त या जिम्मेदारीका पूरा न किया जाना मंसूखी या हर्जेके लिये उचित नहीं बतलाया है क्योंकि ऐसे मामलोंमें मजबूरीके कारण शर्तकी पूर्ति नहीं होसकती है और इसीलिये दूसरा फरीक इससे कोई लाभ नहीं उठा सकता है। जैसे कि यदि कोई अदा-

रूती हुक्मके कारण किसी शर्तका पूर्ति न होसकती हो तो वह क़ानूनी रुकावट मानी जावेगी। इसी प्रकार लड़ाई छिड़ जाने पर दुश्मनके देशमें किये हुए मुवाहिदोंकी शर्तोंका पूरा किया जाना असम्भवं व क़ानून विरुद्ध होसक्ता है।

एक मामलेमें मुद्दई एक निश्चित मालको बेंचनेके लिये राजी हुआ तथा मुद्दालेह उसे सबका सब एक नियत तारीख तक उठा देनेके लिये राजी होगया और बयानेका रुपया भी दे दिया; परन्तु उसने थोड़ाही माल उठाया और बाकी माल उठानेसे इस बिना पर इनकार कर दिया कि वह खराब माल है। मामला चलाये जाने पर यह तय किया गया कि बिक्रीका मुवाहिदा पूरा होगया था इसलिये नुक़सानकी जिम्मेदारी मुद्दालेह पर होगई। मुद्दई अपनी बकीया क़ीमत पानेका हक़दार समझा गया गो बकीया माल इत्तफ़ाक़से जल कर भस्म होगया था, देखो—4 C. 801.

यदि पूर्ण रूपसे जांचनेके बाद खरीदारने मालका दिया जाना मंजूर कर लिया हो तो ऐसी हालतमें यह अन्दाजा लगाया जावेगा कि बेंचने वाले व्यक्तिने अपनी ओरसे सब काम कर दिया है। यदि खरीदार ऐसी हालतमें यह साबित करना चाहे कि बेंचने वालेने जिम्मेदारीकी पाबन्दी नहीं की है तो उसे पर्याप्त व जोरदार शहादत इसके लिये देना चाहिये तभी ऊपर बतलाया हुआ अन्दाजा पलट सक्ता है, देखो—13 C. 237; 13 I. A. 60.

आयन्दा होने वाले नुक़सानको बचानेकी गरज़से यदि बिक्रीके लिये माल ले लिया जावे तो यह आवश्यक नहीं है कि इससे मालका लिया जाना मान लिया जावे क्योंकि इस प्रकारका लिया जाना मालको मंजूर करनेके बराबर नहीं समझा जा सकता है, देखो—14 I..C. 248.

यदि मालको सिर्फ देखने व जांचनेकी गरज़से लिया गया हो तो उसका केवल लिया जानाही मालका मंजूर किया जाना नहीं माना जा सक्ता है, देखो—65 I. C. 464; A. I.R. 1922 Lah. 127.

परन्तु यदि उक्त प्रकारसे लिया हुआ माल उचित समयके अन्दर नामंजूर न किया जावे तो इसप्रकार का लिया जाना मालकी मंजूरी माना जा सक्ता है, देखो—A. I. R. 1925 Mad. 221; 34 I. C. 290; A. I. R. 1929 All. 801.

दफा १४ हक़ आदिके लिये छिपी हुई पाबन्दी

जब तक कि मुवाहिदेके वाकयात ऐसे न होवें जिनसे कोई भिन्न नीयत प्रकट होती हो तब तक बिक्रीके मुवाहिदेमें यह बातें समझना चाहिये :—

(ए) बेंचने वालेकी तरफ़से यह छिपी हुई शर्त समझना चाहिये कि बिक्रीके मामलेमें बेंचते समय उसे मालको बेंचनेका हक़ था और यदि बेंचनेका इक़रार किये जानेका मामला होवे तो उस समय बेंचनेका हक़ होगा जबकि जायदाद मिलनेको होवे।

(बी) यह छिपी हुई ज़िम्मेदारी समझना चाहिए कि खरीदार माल पर बिला खरखशे क़ब्ज़ा पावेगा तथा रख सकेगा।

(सी) यह छिपी हुई ज़िम्मेदारी समझना चाहिये कि माल पर किसी ऐसे तीसरे शख़्शका हक़ या बार नहीं पहुंचता है जिसके लिए ऐलान न किया गया हो या जिसका इल्म मुवाहिदा किये जाते समय या उससे पहिले खरीदारको न होवे।

व्याख्या—

यह दफा अंग्रेजी एक्टकी दफा १२ के आधार पर बनाई गई है तथा यही विषय भारतीय कानून मुवाहिदेकी दफा १०९ में मिलता है, देखो—S. 12 English Sale of goods Act 1893; S. 109 Indian Contract Act 1872.

इस दफामें वह शर्त व जिम्मेदारियां बतलाई गई हैं जो बेंचने वालेके लिये मानी जा सकती हैं परन्तु यदि मुवाहिदेके वाकयातसे इस दफामें बतलाई हुई बातोंके विरुद्ध कोई बात निकलती हो तो वह बात उसी प्रकार मानी जावेगी अर्थात् उस पर इस दफेकी बातका विरुद्ध प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दफामें तीन बातोंके मान लिये जानेका वर्णन है।

क्लाज (ए) के अनुसार बेंचने वालेके सम्बन्धमें यह छिपी हुई शर्त (Condition) मानी जावेगी कि बिक्रीके समय उस मालको बेंचनेका हक था और यदि केवल बेचनेका इकरारनामा ही हुआ हो जिसके अनुसार माल आयन्दा पहुचनेको होवे तो जिस समय माल पहुचनेको होवे इस समय बेंचने वालेको उसके बेंचने का हक होना माना जायगा।

पहिले ऐसा नियम नहीं था। जब कोई खास माल बेंचा जाता था तो उसमें कोई छिपी हुई जिम्मेदारी हक्कके सम्बन्धमें उस समय तक नहीं समझी जाती थी जब तक कि कोई खुलासा जिम्मेदारी इस सम्बन्धमें न होवे या फरीकैनके व्यवहार आदिसे ऐसा अन्दाजा उचित रूपमें न लगाया जा सकता हो अथवा धोखादेही न साबित होती हो, देखो—मारले बनाम एटेन बरो 3 Excli. 500.

परन्तु अब इस क्लाजके अनुसार बेंचने वालेके लिये यह छिपी शर्त मान ली जाती है कि जिस मालके बेंचनेका उसने सौदा किया है या जिसे उसने बेंचा है उस पर उसका ठीक हक्क पहुचता है।

यह भी बात ध्यानमें रहना चाहिये कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें बेंचने वालोंके लिये उक्त शर्त (Condition) का लागू होना नहीं माना जा सकता है जैसे कि यदि अदालतका अमीन अदालतकी आज्ञासे किसी इजराय सिलसिलेमें किसी मालको बेंचें तो उसके लिये उक्त शर्त (Condition) की पाबन्दी नहीं मानी जा सकती है। इसी प्रकार नीलाम कुनिन्दा (Auctioner) के लिये कहा जा सकता है जब कि उसने आम नीलाममें अन्य व्यक्तिका माल अदालतकी आज्ञासे बेंचा हो, देखो—विलर्स (1874) L. R. 9 Ch. App. 434; 46 I. C. 614; 17 I. C. 134; 37 Cal. 67; 4 N. L. J. 274; 63 I. C. 126.

एक व्यक्तिने दूसरे व्यक्तिसे कुछ माल खरीदा उक्त माल फौजदारीकी अदालतने चोरीका माल ठहराया तथा वह माल खरीदारसे ले लिया गया इस पर उसने बेंचने वाले व्यक्ति पर दावा किया उसमें यह तय किया गया कि यदि बेंचने वाला उक्त माल पर अपना हक्क बतलाता हो तो बार सुबूत उस पर है कि वह अपना हक्क उक्त मालके सम्बन्धमें साबित करे, देखो—86 I. C. 1020; A. I. R. 1928 Lah. 366.

पहिले नियमोंके अनुसार चलाये हुए एक मामलेमें यह तय किया गया था कि अगर बेंचने वालेने अपने हक्कका ऐब धोखादेहीसे छिपाया हो तो उस पर खरीदार हर्जेका दावा कर सकता है, देखो—9 M, 839.

यदि किसी मालको बेंचनेके लिये मुश्तहरी कीगई हो जिसके अनुसार खरीदारानसे माल खरीदनेको कहा गया हो तो इसमें यह छिपी हुई जिम्मेदारी मानी जा सकती है कि बिकने वाली चीज पर बेंचने वालेका

अच्छा हक़ पहुंचता है और यदि उसमें किसी गलत बयानीको देकर धोखा दिया गया हो तो बेंचने वाला खरीदारके हर्जेका जिम्मेदार होगा, देखो—9 W. R. 371.

नीलामके खरीदार—अदालती नीलाममें खरीदने वाले लोग बेंचे हुए मालमें मदयूनका हक़ साबित न होने पर अपने बिक्रीके रुपयेको वापिस पानेका दावा नहीं कर सकते हैं, देखो—46 I. C. 614; 42 I. Cas. 453; 46 I. C. 783.

इस क्लाजमें जिस बातके समझ लिये जानेका जिक्र है वह 'शर्त' (Condition) है 'जिम्मेदारी' (Warranty) मात्रही नहीं है इसलिये यह आशय निकलता है कि इस क्लाजमें बतलाई हुई बातकी पाबन्दी न होने पर खरीदार मुवाहिदेको तोड सकता है परन्तु साथही साथ खरीदारको यहभी अधिकार है कि वह बजाय मुवाहिदेको तोड़नेके हर्जेका दावा बेंचने वालेके विरुद्ध कर देवे।

क्लाज (बी) के अनुसार खरीदारको बिला खलखशे कब्जा (Quiet Possission) के मिलने का सवाल है। यह कैद 'जिम्मेदारी' (Warranty) बतलाई गई है और इसी कारण इसके विरुद्ध बात होने पर खरीदार हर्जेका दावा बेंचने वाले पर कर सक्ता है।

'पावेगा व रख सकेगा' (Have and Enjoy) इससे तात्पर्य केवल कब्जा दिये जानेही का नहीं समझना चाहिये बल्कि यह शब्द उससे विस्तृत अर्थ रखते हैं क्योंकि कब्जा दिये जानेका प्रश्न पिछली दफाओंमें दियाही जा चुका है इसलिए उसी बातका दुबारा दोहरानेसे क्या मतलब निकलता है, देखो—बडिल बनाम ग्रीन (1857) 27 L. J. Ex. 33.

खरीदार द्वारा कब्जा पानेका अर्थ भी उक्त शब्दोंमें शामिल समझना चाहिये। देखो—लडवैल बनाम न्यूमैन 6 T. R. 458.

क्लाज (सी) के अनुसार यह आवश्यक है कि माल या बिला बतलाया हुआ बार न होवे अर्थात किसी तीसरे व्यक्तिके बारके कारण खरीदारके कब्जेमें रुकावट न पड़े जबकि उक्त बार उस पर प्रकट न किया गया हो इस जिम्मेदारीके पूरे न किये जाने पर हर्जेका सवाल उस समय समझना चाहिये जब कि खरीदारको बार अदा करना पड़ा हो, देखो—कालिंज बनाम हेकुड (1839) 9 A. & E. 633.

दफा १५ तफसीलसे बिक्री

यदि किसी मालकी तफसील बतला कर बिक्रीका मुवाहिदा किया गया हो तो उसमें यह छिपी हुई शर्त समझना चाहिये कि माल तफसीलके अनुसार होगा और यदि बिक्री नमूने व तफसील दोनोंसे हुई हो तो यह काफी नहीं समझा जावेगा कि बहुतसा माल नमूनेके अनुसार है जब कि माल तफ़सीलके अनुसार न होवे।

व्याख्या—

यह दफा अंग्रेजी एक्टकी दफा १३ व भारतीय कानून मुवाहिदाकी दफा ११३ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 13 English Sale of Goods Act 1893; S. 113, The Indian Contract Act 1872.

कानून मुवाहिदामें जिस बातको 'जिम्मेदारी' (Warranty) करके बतलाया गया था उसे शर्त (Condition) समझा जाना उचित ठहराया गया तथा इसी प्रकारकी और भी बहुतसी त्रुटियोंको मानते हुए सिलेक्ट कमेटीने अंग्रेजी एक्टका दफाका लिया जानाही उचित समझा।

इस दफामें बतलाया गयाहै कि यदि तफसील बतलाकर माल बेंचा गया हो तो माल तफसीलके अनुसार होना चाहिये वरना खरीदार सौदेको तोड़ सकता है व मालको लौटा सकता है। इसी प्रकार यदि बिक्री नमूने व तफसील दोनोसे हुईहो तो माल नमूनेके अनुसार तो होनाही चाहिये बल्कि वह तफसीलके अनुसार भी होना चाहिये अर्थात यदि बेचने वाला यह दिखलावे कि बहुत कुछ माल नमूनेके अनुसार है परन्तु वह तफसीलके मुवाफिक न होता हो तो ऐसी हालतमें माल सौदेके अनुसार नहीं माना जा सकता है।

इस दफामें बतलाए हुये नियमकी पाबन्दी न होने पर खरीदार सौदेको तोड़ सकता है तथा मालको वापिस कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि खरीदार ऐसी हालतमें मालको दरअस्ल लौटाही देवे। यह पर्याप्त समझा जावेगा यदि वह इस बातके लिये साफ तौर पर नोटिस दे देवे कि उसने मालको मंजूर नहीं किया है और वह बेंचने वालेकी जिम्मेदारी पर पड़ाहै। लेकिन अगर वह उक्त मालपर अपना मालिकाना हक़ वर्ते तो यह मान लिया जावेगा कि उसने बेंचने वालेकी जिम्मेदारी मानते हुए मालको मजूर कर लिया है, देखो—A. W. N. (1907) 67, 4 A. L. J. 245.

इस दफाके सिद्धान्तको आमतौर पर लागू समझना चाहिये। एक मुवाहिदा चावलको खरीदनेके सम्बन्ध में किया गया जिसके लिये यह तय था कि चावल मद्राससे मार्च व अप्रैलमें जहाज पर लादा जावेगा। कुछ चावल फरवरीहीमे लाद दिया गया। खरीदार ऐसे मालको मजूर करनेके लिये बाध्य नहीं था, देखो—बावेल बनाम शण्ड (1877) 2 App. Cas. 455.

एक व्यक्तिने कलकत्तेकी सरसों खरीदनेका सौदा किया जो बाजारमें कलकत्तेकी सरसों करके मशहूर थी परन्तु जो माल उसे दिया गया उसमें इतनी मिलावट की गई थी कि वह कलकत्तेकी सरसों नहीं मानी जा सकती थी। ऐसे मालको मुवाहिदेकी तफसीलके अनुसार नहीं कहा जा सकता है और खरीदार उसको लेनेसे इनकार कर सकता है।

इसी प्रकार यदि कोई आदमी किसी मालको सोनेका करके खरीदे परन्तु उसमें बहुतही थोड़ासा सोना होवे तो वह मुवाहिदेके अनुसार माल नहीं समझा जावेगा क्योंकि मिलावट मामूली तो आमतौर पर ऐसी चीजों मे होती ही है लेकिन ऐसा नहीं होता कि मालमें बारहवें हिस्से या इससे भी कम अस्ली चीज शामिल हो, देखो—बेलर बनाम शिलीना 17 C. B. 619.

बेंचने वालेके हर्जेका दावा—यदि माल सौदेकी तफसीलके अनुसार न होवे तो खरीदार उसे लौटा सकता है और यदि इसके कारण बेंचने वालेको कुछ नुकसान हुआ हो तो उसका हर्जेका दावा उक्त खरीदारके विरुद्ध नहीं चल सकता, देखो—55 I. C. 209 (Cal.)

यदि खरीदारने ऐसे मालको जिसमें बेंचने वालेने अपनी जिम्मेदारी (Warranty) को पूरा न किया हो दूसरेके हाथ बेंच दिया हो और तब वह खास हर्जेका दावा बेंचने वालेके विरुद्ध करे तो ऐसा दावा उसी समय चल सकेगा जब कि खरीदार यह दिखला सके कि उसकी लापरवाहीके कारण मालका ऐब जानने में देर नहीं हुई है अर्थात यदि उसे मालका ऐब जाननेके लिये जल्दी मौका न मिल पाया हो तो वह ऐसा साबित करने पर हर्जा वसूल कर सकता है, देखो—59 I. C. 424.

एक मामलेमें यह बतलाया गया था कि तफसीलके अनुसार बिक्रीका सौदा उस समय समझना चाहिये जब कि खरीदारको मालकी तफसील (Description) ही बतलायी गयी है तथा उसने मालको देखा न हो और वह उक्त तफसील परही भरोसा करता होवे; देखो—1 Q. B. 516.

बारसुबूत—यदि मालकी किस्मके लिये खरीदार व बायामें झगड़ा होवे तो इस बातके साबित करनेका बारसुबूत कि माल मुवाहिदेके अनुसार है बेंचने वाले पर समझना चाहिये, देखो—80 I.C. 151; A. I. R. 1924 Cal. 490; A I. R. 1925 Lah. 366.

बांधनेका तरीक़ा (Mode of packing) भी तफ़सीलका एक खास अंग समझना चाहिये। आस्ट्रेलियाके एक मालका सौदा ३००० कनस्टरोंका हुआ था जिसके लिये यह तय हुआ था कि ३० तीस तीस कनस्टर ऐसे एक डब्बेमें रक्खे जावेंगे। माल जब लण्डन पहुंचा तो एक एक डब्बेमें केवल २४ चौबिस चौबिसही कनस्टर रक्खे हुए पाए गए। मामला चलाये जाने पर यह तय हुआ कि ख़रीदार पूरे मालको नामंजूर कर सक्ता है, देखो—मूर एण्ड कम्पनी बनाम लैण्डोर एण्ड कम्पनी (1921) 26 Com. Cas.267; 2 K. B. (1921) 529 C. A.

एक मालके लिये बिक्रीका सौदा इस प्रकार हुआ कि माल तफ़सीलके अनुसार होगा तथा जहाज पर भेजनेसे मालियत मुन्तक़िल मानी जावेगी व आपसका झगड़ा पंचायतसे निपटाया जा सकता है। यदि माल तफ़सीलके अनुसार न होवे तो मिलने पर ख़रीदार उसको लौटा सकता है, देखो—विजर्स बनाम साण्डर्सन (1901) 1 K B. 508.

एक व्यक्तिने एक पुरानी रीपिंग मशीन (Reaping Machine) दूसरेके हाथ बेची ख़रीदने वालेने मशीनको नहीं देखा था किन्तु बेंचने वालेने यह यक़ीन दिलाया था कि वह क़रीब क़रीब नई है सिर्फ ५० एकड़ ज़मीन पर काटनेके लिये चलाई गई है। मशीन ख़रीदारको दे दी गई यदि मशीन तफ़सीलके अनुसार न होवे तो ख़रीदार उसे लौटा सकता है क्योंकि उक्त सौदा समझना चाहिये, देखो—वार्ली बनाम व्हिप 1 Q. B. 513.

दफा १६ क़िस्म उचित ठहराये जानेके लिये छिपी हुई शर्तें

इस एक्ट तथा अन्य प्रचलित क़ानूनके नियमोंका ध्यान रखते हुए नीचे दी हुई शर्तोंको छोड़ कर और कोई छिपी हुई शर्त या ज़िम्मेदारी उस मालकी क़िस्म या उसके किसी ख़ास कामके लिये मौजू (Fit) होनेके सम्बन्धमें नहीं है जो किसी बिक्रीके मुवाहिदेके अनुसार दिया गया हो।

(१) यदि ख़रीदार खुलासा तौर पर या इशारेसे, बेंचने वालेको यह बतला दे कि किस ख़ास कामके लिये मालकी ज़रूरत है जिससे यह मालूम पड़ता हो कि ख़रीदार बेंचने वालेके हुनर या तजवीज़ पर निर्भर होता है तथा माल ऐसी तफ़सीलका है जिसे कि बेंचने वाला व्यापारके सिलसिलेमें दिया करता है (चाहे वह उसका तैयार करनेवाला या पैदा करनेवाला होवे अथवा न होवे) तो इसमें छिपी हुई यह शर्त समझना चाहिये कि माल उक्त ख़ास कामके लिए उचित रूपसे मौजू (Fit) है।

परन्तु शर्त यह है कि यदि मुवाहिदा किसी ख़ास चीज़की बिक्रीका होवे तथा उसके ज़ाहिर (Patent) या दूसरे तिजारती नामसे किया गया हो तो किसी ख़ास कामके लिये मौजू होनेकी छिपी हुई शर्तको नहीं समझना चाहिए।

(२) यदि माल तफ़सीलके अनुसार किसी बेंचने वालेसे ख़रीदा गया हो जो उस तफ़सीलके मालका कारोबार करता हो (चाहे वह उस मालका तैयार करने

वाला या पैदा करने वाला होवे अथवा न होवे) तो यह छिपी हुई शर्त समझना चाहिये कि माल तिजारती क़िस्मका होगा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि खरीदारने मालको जांच लिया हो तो उन ऐबोंके सम्बन्धमें छिपी हुई शर्त नहीं होगी जो उक्त जांचसे मालूम किए जा सकते थे।

(३) क़िस्म या किसी खास कामके लिए मौजूं होनेकी छिपी हुई शर्त या ज़िम्मेदारी तिजारतके दस्तूरके अनुसार लगाई जा सकती है।

(४) इस एक्टमें बतलाई हुई छिपी शर्त या ज़िम्मेदारी किसी खुलासा शर्त या ज़िम्मेदारीसे रद्द नहीं होती है जब तक कि वह उसके विपरीत न पड़ती हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेज़ी एक्टकी दफा १४ व भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ११० से लेकर दफा ११६ तकके आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 14 English Sale of goods Act 1893; S. 110-116 Indian Contract Act 1872.

इस दफामें वह छिपी हुई शर्तें व जिम्मेदारियां बतलाई गई हैं जो बिक्रीके मालकी 'क़िस्म' या उसके किसी बातके लिये 'मौजू होने' के सम्बन्धमें समझी जा सकती हों।

इस दफाके नियमोंका प्रयोग इस एक्ट तथा अन्य प्रचलित क़ानूनके नियमोंको ध्यान रखते हुये किया जावेगा अर्थात इस दफ़ाके कारण उनकी अवहेलना नहीं की जावेगी व वह माननीय समझे जावेंगे।

उपदफा (१) पहिली उपदफाके अनुसार यदि किसी खास कामको बतला कर माल लिया गया हो तो माल ऐसा होना चाहिये जो उस कामके लिये उचित रूपसे मुनासिब (Fit) होवे। इस उपदफामें यह साफ कर दिया गया है कि बेंचने वाला चाहे मालका तैयार करने वाला या पैदा करने वाला होवे अथवा न होवे इसके नियम उसके विरुद्ध लागू होंगे जब कि अन्य बातें मौजूद होवें।

इस उपदफाके सम्बन्धमें यह ध्यान रहना चाहिये कि इसके नियम उसी समय प्रयोग किये जावेंगे जब कि खरीदारने बेंचने वालेसे खुलासा तौर पर या इशारेसे यह बतला दिया हो कि माल किस कामके लिये चाहिये है जिससे यह मालूम होता हो कि खरीदार बायाके हुनर या तजवीज पर भरोसा करता है तथा माल भी ऐसा होवे जो कि बाया अपने रोजगारके सिलसिलेमें दिया करता हो।

इस उपदफाके साथ जो क़ैद लगादी गई है उसको भी ख्यालमें रखना चाहिये। उसके अनुसार यदि किसी खास मालकी बिक्रीका सौदा उसके प्रकट (Patent) नामसे या उसके अन्य तिजारती नामसे किया गया हो तो ऐसी हालतमें इस उपदफाके नियमको मौजू होनेके सम्बन्धमें लागू नहीं समझना चाहिये अर्थात माल चाहे किसी खास कामके लिये मौजूं होवे या न होवे ऊपर बतलाई हुई हालत होने पर बेंचनेवाला इसके लिये जिम्मेदार नहीं समझा जाना चाहिये।

एक व्यक्तिने एक दूकानदारसे गरम पानीकी बोतल (Hot water Bottle) मांगी और उस से यह दरियाफ्त किया कि क्या उसमें उबलता हुआ पानी रक्खा जा सकता है। दूकानदारने उसके हाथ अमेरिकन रबड़की बोतलको यह कह कर बेंचा कि इसमें गरम पानी रह सकता है गो उबलता हुआ पानी नहीं रह सकता है। उक्त व्यक्तिने बोतल अपनी स्त्रीके लिये खरीदी थी। बोतल इस्तैमाल किये जाने पर फट गई जिससे उक्त स्त्रीके चोट आई। इस पर मामला चलाया गया जिसमें यह तय हुआ कि दूकानदारने जिम्मेदारी पूरी

नहीं की थी और इसीलिये वह हर्जेका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये, देखो—ग्रीट बनाम लारट (1903) 2 K. B. 148 C. A.

यदि किसी मुवाहिदेसे खुलासा तौर पर या इशारेसे यह समझा जा सकता हो कि किसी व्यक्तिने माल देने वालेसे उसीका तैयार किया हुआ माल लेना चाहा था तो ऐसी हालतमें यदि वह अपने निजा तैयार किये हुये मालके अलावा दूसरा माल दे देवे जो सर्वथा उसीके मालसे मिलता जुलता होवे तो माल देने वालेके लिये यह नहीं माना जावेगा कि उसने अपनी जिम्मेदारीको पूरा किया है, देखो—7 L. B. R. 110.

इसी प्रकारकी बात एक अन्य मामलेमें भी तय पाई गई थी। उसमें एक व्यक्तिने बाहरसे माल मंगाने वाले एक फर्मको कुछ माल नियत क़ीमत पर योरुपसे मगानेके सम्बन्धमें आर्डर दिया तथा यह तय हुआ था कि माल सीधा योरुपसे खरीदारके नाम आवेगा। योरुपसे मंगानेके बजाय उसी क़िस्मका माल उसने बम्बईके एक फर्मसे लेकर खरीदने वालेको दिया ऐसे मामलेमें यह तय किया गया कि उक्त फर्मने अपने मुवाहिदेको पूरा नहीं किया था, देखो—12 B. 50 (62)

भापसे चलाए जाने वाले जहाजके लिये ५०० टन कोयलेकी बिक्रीका सौदा किया गया। जब यह सौदा हुआ था रेलवेमें हड़ताल थी और माल जो समुद्र तट पर पड़ा हुआ था उसीमेंसे दिया जा सकता था। जो माल जहाज वालेको दिया गया वह बिलकुल बेकार था उसे चलानेमें इस्तैमाल नहीं किया जा सकता था मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि खरीदारने बेंचने वालेके हुनर व तजवीज पर मालका दिया जाना छोड़ दिया था और वह क़ाबिल इस्तैमाल होना चाहिये इसीलिये बेंचने वाला हर्जेका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, देखो—मेंचस्टर लाइनर्स एण्ड कम्पनी बनाम रियो लिमिटेड 2 A. C. (1922) 74 H. C; 27 Com. Cas. 274.

एक मामलेमें एक व्यक्ति मछली खरीदने गया उसने ताजी मछली मांगी। मछली वालेने छांटकर मछलियां देदीं जिनके खानेसे खरीदार सख्त बीमार पड़ गया क्योंकि वह बहुत बासी थीं मामला चलाया जाने पर बेंचने वाला हर्जेका जिम्मेदार ठहराया गया, देखो—वालिस बनाम रसेल (1902) 2 Ir. Rep. C. A.

एक व्यक्ति एक दूध वालेसे अपने परिवारके लिये दूध खरीदता था। दूध वालेने जो हिसाबकी किताब दे रक्खी थी उसमें दूधको शुद्ध रखनेके नियम लिखे हुए थे तथा यह बतलाया गया था कि उन्हींके अनुसार दूध शुद्ध रक्खा जाता है। दूधमें मोतीझारा (Typhoid Fever) के कीड़े थे जिससे दूध पीनेके कारण उक्त व्यक्तिकी स्त्री बीमार पड़ गई व उसका देहान्त होगया मामला चलाया जाने पर उक्त बात जिम्मेदारीका पूरा न किया जाना ठहराई गई तथा दूध वाला हर्जेका जिम्मेदार ठहराया गया, देखो—फ्रोस बनाम एलिसबरी डेअरी कम्पनी (1905) 1 K. B. 608 C. A.

उपदफ़ा (२) के अनुसार यदि तफ़सीलके मुताबिक माल खरीदा जावे तथा बेंचने वाला व्यक्ति उसी क़िस्मके मालका कारोबार करता हो तो यह शर्त मानली जावेगी कि माल तिजारती क़िस्मका होगा। तिजारती क़िस्मका माल न होने पर वह लौटाया जा सकता है तथा मुवाहिदा तोड़ा जा सकता है। खरीदार हर्जेका भी दावा कर सकता है।

इस उपदफ़ाके लिये भी यह आवश्यक नहीं है कि बेंचने वाला व्यक्ति मालका तैयार करने वाला या पैदा करने वालाही होवे। इस उपदफ़ामें भी एक क़ैद रख दीगई है उसके अनुसार बाया अपनी उक्त जिम्मेदारीसे उस समय बच सकेगा जबकि खरीदारने मालको जांच लिया हो। परन्तु उन्हीं ऐबोंके सम्बन्धमें बचत समझना चाहिये जो उक्त जांचसे मालूम किये जा सकते हों।

इस एक्टके पहिले भी कुछ मामलोंमें यही मत हाईकोर्टों द्वारा प्रकट किया जा चुका है। उनमें यह तय हुआ था कि यदि तफ़सीलसे माल बेंचा गया हो तो यह जिम्मेदारी समझी जाना चाहिये कि माल तिजारती क़िस्मका होगा, देखो—पीरमुहम्मद बनाम ब्लूगम 35 Mad L. J. 180; माली एण्ड कम्पनी बनाम आर० बी० ए० फर्म (1922) 43 Mad. L. J. 202.

एक व्यक्ति शराबकी दूकानमें गया शराब मांगी दूकान वालेने जो शराब दी उसमें कुछ जहरीली चीज़ मिली हुई थी जिससे उस व्यक्तिको नुक़सान उठाना पड़ा। मामला चलाया जाने पर शराब बेंचने वाला हर्जेका ज़िम्मेदार ठहराया गया, देखो—रेन बनाम होल्ट 1. K. B. 610 C. A.

एक व्यक्तिने फियर मोटर कम्पनीसे एक मोटर कारी खरीदी जिसको उसने देख भी लिया था और छः का एक और आर्डर दिया तथा साथही साथ यह भी कह दिया कि वह पहाड़ी सड़कों पर चलाई जावेगी मजबूत व उसमें चलने लायक होना चाहिये :—

मोटर कम्पनीने जो माल दिया वह ठीक नहीं था मोटरें वह इस्तैमाल किये जातेही टूट गईं। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि जब वह काम बतलाया जा चुका था जिसके लिये माल इस्तैमाल किया जानेको था तो बेंचने वालेकी जिम्मेदारी थी कि वह उस कामके योग्य माल देता तथा माल तिजारती क़िस्मका भी होना चाहिये, देखो—ब्रिस्टल ट्रामवेज कम्पनी बनाम फियर मोटर्स लिमिटेड (1910) 2 K. B. 831 C. A. (1928) 2 K. B 636.

६०० मोटरके भोपुओं (Motor horns) का सौदा हुआ। पहिली मर्तबा जो माल थोक दिया गया वह खरीदारने ले लिया लेकिन बादके थोकका माल बिलकुल खराब था उसमें खराबी हो गई थीं व और प्रकारसे भी बुरी तरह रक्खे जानेके कारण खराब हो गया था इसलिये खरीदारने नहीं लिया। मामला चलाये जाने पर यह तय किया गया कि मुवाहिदा प्रथक प्रथक किया जा सकता है इस कारण जो माल ले लिया गया है उसकी क़ीमत मुवाहिदेके अनुसार दी जा सकती है व बक़ाया माल खरीदार लेनेसे इनकार कर सकता है क्योंकि वह तिजारती क़िस्मका नहीं समझा जा सकता है, देखो—जैकसन बनाम राटैक्स मोटर एण्ड साइकिल कम्पनी (1910) 2 K. B. 937 C. A.

यदि कोई आदमी माल देखकर अपनी तजवीजके अनुसार खरीदे तो वह बादमें माल खराब मालूम होने पर बेंचने वालेको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है कि उक्त माल उसके उस काममें नहीं आ सकता है जिसके लिये उसने लिया था। परन्तु यदि माल दूसरेकी तजवीज पर छोड़ कर लिया गया हो तो उस वक्त वह उसे खराब निकलने पर जिम्मेदार ठहरा सकता है क्योंकि बेंचने वालेका कर्त्तव्य हो जावेगा कि वह ऐसा माल देवे जो उस कामके लिये मौजू होवे जिसके लिये वह लिया गया हो, देखो—116 I. C. 588; A. I. R. 1929 Sind. 161 (2).

माल तिजारती क़िस्मका है या नहीं यह एक ऐसा सवाल है जो क़ानूनी व वाक़याती मिला हुआ सवाल कहा जा सकता है।

हजार थानकी गांठ जिसमें नौबटा दस १/१० हिस्सा माल खराब हो गया हो तिजारती क़िस्मकी नहीं मानी जावेगी चाहे माल थोड़ा थोड़ाही खराब हुआ हो और इस प्रकारका माल लेनेके लिये खरीदार मजबूर नहीं किया जा सकता है जबकि फरेश मालका सौदा किया गया हो, देखो—2 K.B.937; 691 C.396.

उपदफा (२) के अनुसार तिजारतके दस्तूरके अनुसार शर्तें व जिम्मेदारी लगाई जा सकती है।

उपदफा (४) में यह बतलाया गया है कि यदि खुलासा तौरसे लगाई हुई कोई शर्त या जिम्मेदारी इस एक्टमें बतलाई हुई छिपी शर्त या जिम्मेदारीके विरुद्ध न पड़ती हो तो उसके कारण इस प्रकारकी शर्तों या जिम्मेदारियोंके माननेपर कोई उलटा असर नहीं पड़ेगा अर्थात् इस एक्टमें बतलाये अनुसार उनका होना मान लिया जावेगा।

ख़तरनाक माल—ख़तरनाक मालके बेचने वालेका कर्तव्य है कि वह ख़रीदारको उचित रूपसे आगाही उक्त मालके सम्बन्धमें दे देवे वरना वह उसके नतीजका जिम्मेदार होगा चाहे मुवाहिदेमें इस सम्बन्धकी कोई जिम्मेदारी रखी गई हो या न रखी गई हो। यदि उसे आगाही न दिये जानेके कारण ख़रीदारको नुक़सान उठाना पड़े तो वह हर्जेका दावा कर सकता है, देखो—क्लार्क बनाम आरमी एण्ड नेवी 1. K B. 155 C.A.

दफा १७ नमूनेसे विक्री

(१) विक्रीके मुवाहिदेको उसवक्त नमूनेके ज़रिये विक्रीका मुवाहिदा कहते हैं जबकि मुवाहिदेमें खुलासा तौरपर या छिपेहुए रूपमें इसके लिये कोई वाक्य होवे।

(२) नमूनेके ज़रिये होने वाले विक्र के मुवाहिदेमें यह छिपी हुई शर्त समझना चाहिये:—

(ए) यह कि माल इकट्ठा तौर पर नमूनेके क़िस्मका होगा।

(बी) यह कि ख़रीदारको उचित अवसर इस बातका दिया जावेगा कि वह मालको इकट्ठा तौर पर नमूनेसे मिला लेवे।

(सी) यह कि मालमें कोई ऐसा ऐब नहीं होगा जिससे वह तिजारती न रह जावे तथा जो नमूनेकी उचित रूपसे जांच करने पर प्रकट न हो सकता हो।

व्याख्या—

इस दफाको अङ्गरेजी एक्टकी दफा १५ व भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ११२ के आधार पर बनाया गया है, देखो—S. 15 The English Sale of Goods Act 1893;S. 112 The Indian Contract Act 1872.

इस दफामें इस बातका उल्लेख है कि नमूनेसे विक्री कैसे होती है तथा किन शर्तोंका अन्दाजा उक्त विक्रीके होने पर लगाया जा सकता है।

यह दफा दो भागोंमें विभक्त है पहिली उपदफामें यह बतलाया गयाहै कि नमूनेके जरिए कीहुई विक्री किसे कहते हैं। इस उपदफाके अनुसार यदि विक्रीके सौदेमें खुलासा तौर पर या इशारेसे नमूनेके सम्बन्धमें शर्त रख दी गई हो तो उसे नमूनेके जरिए किया हुआ विक्रीका मुवाहिदा माना जावेगा। दूसरी उपदफामें यह बतलाया गया है कि यदि नमूनेके जरिए विक्रीका मुवाहिदा हुआ हो तो उसके सम्बन्धमें वह शर्त (Condition) मान ली जावेगी जिनका उल्लेख इसी उपदफाके क्लाज (ए) व (बी) व (सी) में किया गया है।

क्लाज (ए) के अनुसार माल नमूनेके अनुसार होना चाहिये; क्लाज (बी) के अनुसार ख़रीदारको उचित अवसर नमूनेके अनुसार मालके मिलानेका दिया जाना चाहिये व क्लाज (सी) के अनुसार मालमें ऐसा ऐब न होना चाहिये जो नमूनेको उचित रूपसे देखने पर न मालूम पड़ सकताहो तथा जिसके कारण माल तिजारती न रह जावे।

एक मालका सौदा नमूनेसे हुआ था यह भी तय हुआ था कि माल पहुंचने पर जहाजी काग़ज़ोंको लेते समय क़ीमतकी अदायगी होना चाहिये। अदायगीके बाद माल नमूनेके मुवाफिक़ नहीं पाया गया। यह आवश्यक नहीं है कि मालको जांचनेके लिये अदायगीसे पहिले मौक़ा दिया जाना चाहिये था। अगर अदायगी के बाद माल नमूनेके मुवाफिक़ न मालूम पड़े तो भी वह नामंजूर किया जा सकता था अर्थात क़ीमत अदा कर दिये जानेके बाद भी माल नामंज़ूर किया जा सकता था, देखो—पोलेंड्री बनाम ड्राइडमिल्क कम्पनी 10 Com. Cas. 42.

एक ख़ास क़िस्मकी (Twill) का सौदा नमूनेके अनुसार हुआ। कुछ माल नमूनेके मुवाफ़िक था तथा कुछ नमूनेसे नीचे दर्जेका था। ख़रीदारको इख़्तियार है कि वह पूरे मालको नामंज़ूर कर देवे या पूरे माल को लेकर हर्जेका दावा करदे। वह ऐसा नहीं कर सकता है कि नमूनेसे मिलते हुए मालको रख लेवे तथा बाक़ी माल नामंज़ूर कर देवे, देखो—एटकिन बनाम बोलन (1908) 10 F. 490.

यदि माल नमूनेके मुवाफिक न होवे तो ख़रीदार उसको मंजूर कर लेने तथा अपने नुक़सानके लिये हर्जेका दावा करनेके लिये बाध्य नहीं है। वह मालको नामंज़ूर कर सकता है लेकिन अगर वह चाहे-तो उक्त प्रकारकी कार्रवाई भी कर सकता है, देखो—हिबर्ट बनाम शी (1807) 1. Camp. 113.

जब कि नमूनेके विरुद्ध दिया हुआ माल ख़रीदार मंजूर कर लेवे और हर्जेका दावा किया चाहे तो उसको चाहिये कि उचित समयके अन्दर इस बातका नोटिस बेंचने वालेको देवे, देखो—21 P. R. 1879.

हर मामलेमें जहां कि 'नमूना' दिखलाया गया हो यह नहीं मान लेना चाहिये कि नमूनेके अनुसराही सौदा पक्का हुआ है क्योंकि अकसर ऐसा होता है कि नमूना दिखलानेके बाद माल भी ख़रीदारको दिखला दिया जाता है और ऐसी हालतमें जब कि माल देख कर बिक्री हुई हो नमूनेके मिलाये जानेका सवाल नहीं रह जाता है और अगर माल नमूनेसे न भी मिलता हो तो मुवाहिदा तोड़नेका अधिकार ख़रीदारके लिये पैदा नहीं होताहै।

यह बात साबित करनेके लिये कि बिक्री नमूनेके मुवाफ़िक़ तय हुई थी तिजारती चलनकी भी शहादत दी जा सकती है जब कि तहरीरी मुवाहिदेमें इसका कोई ज़िक्र न आया हो, देखो सियर्स बनाम जोनर्स 1848 2 Ex Ch. 111; ड्रानर बनाम प्रोविस (1855) 24 L. J. C. 1956.

कहां पर माल नमूनेसे मिलाया जाना चाहिये—प्रकट रूपमें मालको नमूनेसे मिलाये जाने का सवाल वहीं हल होना चाहिये जहां कि माल दिया जानेको होवे, देखो—परकिन्स बनाम बेल्ट 1 Q. B. 193. C. A. परन्तु मुवाहिदेमें किसी भी जगह मालको नमूनेसे मिलाये जानेकी बात तय की जा सकती है माल उस जगह भी मिलाया जा सकता है जहां पर कि वह रक्खा होवे।

तीसरा प्रकरण

मुवाहिदेका असर

बेंचनेवाले व खरीदारके दर्मियान जायदादका मुन्तकिल होना

दफा १८ माल अवश्य निश्चित होना चाहिये

यदि किसी अनिश्चित मालके सम्बन्धमें विक्रीका मुवाहिदा हुआ हो तो माल की कोई मालियत खरीदारके हकमें मुन्तकिल नहीं होती है जबतक कि माल निश्चित न हो जावे।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा १६ तथा भारतीय क़ानून मुआहिदाकी दफा ७९, ८०, ८२ व ८७ के आधार पर बनाई गई है। क़ानून मुआहिदेकी दफायें इस विषयमें एक दूसरेको ढकती हुई सी हैं और अङ्गरेजी एक्टकी दफा १६ साफ तौर पर इस विषयके लिये समझी जा सकती है इसीलिये उक्त दफाके आधार पर ही इस दफाकी रचना समझना चाहिये, देखो—S. 16 English Sale of goods Act; S. 79, 80, 82 & 87 India Contract Act.

इस दफाका आशय यह है कि जब तक विक्रीका माल निश्चित न किया गया हो तब तक उसकी मालियत ख़रीदारको नहीं पहुंचती है। "अनिश्चित मालको बेंचनेका मुवाहिदा पूरी बिक्री नहीं है बल्कि वह बेंचनेका वादा है" उक्त मत एक विद्वान अङ्गरेज जज द्वारा एक अङ्गरेजी मामलेमें प्रकट किया गया था, देखो—वाडिश अनिलिन फैब्रिक बनाम हिकसन (1906) A. C. 419 at. P. 421.

इस सम्बन्धमें भारतीय अदालतोंने भी इस क़ानूनके बनाये जानेसे पहिले यही मत प्रकट किया था। एक मामलेमें यह तय किया गया था कि यदि मुआहिदेके समय वह माल निश्चित न किया गया हो जिसके बेंचे जानेका इक़रार हुआ हो तो मुवाहिदा पूरा करनेके लिये यह आवश्यक है कि माल निश्चित किया जावे, देखो—3 S. L R 156; 4 I. C. 1147.

मुवाहिदेकी शर्तों तथा अन्य वजूहातको देख कर तय किया जा सकता है कि मालियत कब ख़रीदारको पहुंचेगी, देखो—15 B. L. R. 276.

यदि किसी ख़ास (Specific) मालके ढेरमेंसे कोई माल ख़रीदा जानेको होवे लेकिन वह उस मालसे अलाहिदा न किया गया हो अर्थात बेंचे जाने वाला भाग पहिचान कर निकाला न गया हो तो मालको अनिश्चित ही कहा जावेगा, देखो—रोडे बनाम थ्वैटिस (1821) 6 B. & C. 388.

निश्चित माल व 'ख़ास माल' में अन्तर है 'ख़ास माल' (Specific goods) वह माल है जो मुआहिदेके समय पहिचाना गया हो तथा जिसके लिये इक़रार हुआ हो परन्तु 'निश्चित माल' (Ascertained

goods) से तात्पर्य उस मालका है जिसकी तफसील बतलाई गई हो तथा वह प्रथक रूपमें होवे । अर्थात 'खास माल' (Specific goods) एक विस्तृत बात है जिसके अन्तर्गत 'निश्चित माल' (Ascertained goods) आ सकता है जैसा कि ऊपर बतलाई हुई नजीरसे प्रकट है । अथवा इस उदाहरणसे समझा जा सकता है—एक व्यक्तिके पास बहुतसा गल्ला है जिसे खरीदने वालेने देख कर पसन्द किया तथा उसमेंसे कुछ मालके बेंचे जानेका सौदा हुआ तो ऐसी हालतमें यह कहा जावेगा कि 'खास माल' (Specific goods) का सौदा हुआ है और उक्त गल्लेमेंसे कोई भी भाग दिया जा सकता है परन्तु जब तक खरीदा हुआ माल उस ढेरमेंसे अलाहिदा करके न बेंचा गया हो यानी ढेरसे अलाहिदा किये बिना मालका निश्चित (Ascertain) किया जाना नहीं समझा जा सकता है ।

इस दफामें जो बात बतलाई गई है यानी यह कि जब तक माल निश्चित न हो जावे मालकी मालियत खरीदारको नहीं पहुंचेगी यही बात पहिले भी बहुतसे अङ्गरेजी व हिन्दुस्तानी मामलोंमें तय की जा चुकी है, देखो—आस्टेन बनाम क्रेवन 4 Tamit 644; 35 I. C. 449; 68 I. C. 969; A. I. R. 1923 Oudh. 15; 103 I. C. 222.

इसका मतलब यह है कि अगर कोई माल अलाहिदा किये जाने, तौले जाने, नापे जाने, गिने जाने अथवा अन्य किसी तरीकेसे प्रथक रूपमें बतलाया जा सकता हो तो उसके उक्त प्रकारसे अलाहिदा किये जाने, तौले जाने आदिसे उसका निश्चित किया जाना समझना चाहिये । जब तक वह अपने किस्मके और मालमें मिला हुआही बना रहेगा तथा उक्त प्रकारका काम न किया जावेगा तब तक उसके लिये निश्चित किया हुआ (Ascertained) कहना उचित नहीं होगा, देखो—गिलेट बनाम हिल (1834) 2 Ar. & M. 530, वास बैल बनाम किल्वर्न 15 Moore P. C. 309.

यदि बड़े ढेरमेंसे माल बेंचा गया हो तो उसे निश्चित (Ascertained) बनानेके लिये अलाहिदा कर देनाही उचित समझा जावेगा और ऐसे मामलोंमें जब माल ले जाने वाले (Carrier) को दे दिया जाता है तो आमतौर पर उसका निश्चित किया जाना समझ लेना चाहिये, देखो—24 Bomb. L. R. 1140; 48 All. 622.

यदि बेंचा हुआ माल दूसरे मालमें मिला दिया जावे—यदि बेंचा हुआ माल निश्चित करके बेंचा गया हो तथा उसकी मालियत खरीदारको पहुंच चुकी हो परन्तु उसके बाद बेंचने वाला उस मालको अपने दूसरे मालमें मिला दे तो इससे उसके हकमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा यानी माल निश्चित किया हुआही समझा जावेगा, देखो—हेमैन बनाम एम. निटंक (1907) 9 F. 936.

दफा १९ मालियत उस वक्त जाती है जबकि उसके लिये ऐसा चाहा जावे

(१) जब कि किसी खास या निश्चित मालके विक्रीका मुवाहिदा होवे तो उसकी मालियत खरीदारके पास उस समय पहुंचती है जब कि मुवाहिदा करने वाले उसका मुन्तकिल होना चाहें ।

(२) फरीकैनकी नियत जाननेके लिए मुवाहिदेकी शर्तों, फरीकैनके व्यवहार तथा मामलेकी परिस्थिति पर ध्यान दिया जावेगा ।

(३) यदि कोई भिन्न नियत न मालूम होती हो तो फरीकैनकी नियत उस समयको निश्चित करनेके लिए जब कि मालकी मालियत खरीदारके पास पहुंचने

को होवे उन नियमोंसे निश्चितकी जाना चाहिए जो दफा २० से लेकर दफा २४ तकमें दिए हुय हैं।

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेजी एक्टकी दफा १७ तथा भारतीय कानून मुवाहिदाकी दफा ७८ व ८१ से ८४ तक के आधार पर बनाई गई है। पहिली दो उपदफाये अङ्गरेजी एक्टकी दफा १७ के अनुसार हैं तथा तीसरी उपदफा उक्त एक्टकी १८ वीं दफासे ली गई है, देखो—S. 17, 18 English Sale of Goods Act, S. 78, 80 to 84 Indian Contract Act.

मालकी बिक्रीके सम्बन्धमें किये हुये मुवाहिदोंके सिलसिलेमें मालियतका मुन्तकिल होना एक आवश्यक अंग है तथा इसी बातका जिक्र इस दफामें किया गया है। मुवाहिदेके अनुसार जायदादका मुन्तकिल होना उसी समय भी हो सकता है तथा आयन्दा किसी समय भी हो सकता है परन्तु कभी कभी मुवाहिदेमें इसका कोई जिक्रही नहीं किया जाता। ऐसी हालतमें फरीकैनकी नियत मुवाहिदेकी शर्तों, फरीकैनके व्यवहार तथा परिस्थिति को देख कर समझी जा सकती है। उपदफा (१) व (२) में यही बातें बतलाई गई हैं।

फरीकैनकी नियत मालूम करनेके लिये दफा २० से दफा २४ तकमें बतलाये हुए नियमोंका प्रयोग उचित बतलाया गया है। इसका जिक्र उपदफा (३) में किया गया है जिसके अनुसार यदि मुवाहिदेसे कोई भिन्न नियत न प्रकट होती हो तो दफा २०, २१, २२, २३ व २४ में बतलाई हुई स्थितिमें जायदादका मुन्तकिल होना मान लिया जावेगा)

यदि एक मर्तबा माल नाप कर दे दिया गया हो तथा वह माल दुबारा फिर खरीदार द्वारा नापा जाने को होवे तो केवल इसी बातसे मालके मुन्तकिल होनेमें कोई रुकावट नहीं पड़ेगी अर्थात मालके पहिले नाप कर दिये जानेसेही उसका मुन्तकिल होना मान लिया जावेगा, देखो—95 I. C. 453; A. I. R. 1926 Sind. 246.

एक जहाजके बनाये जानेका मुवाहिदा हुआ जिसकी कीमत जैसे जैसे काम होता जावे वैसेवैसे किश्तोंके अनुसार दी जाने को थी तथा खरीदारको यह अधिकार प्राप्त था कि वह उसके बनाये जाते समय जाच सके व उसकी देख भाल कर सके। तथा मालका दिया जाना उस समय पूरा समझा जावेगा जब कि सरकारी तौर पर वह आजमाया जा चुका हो। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि उक्त मुवाहिदेको पूरे जहाज के लिये किया हुआ मुवाहिदा समझना चाहिये तथा सरकारी ओरसे जाच किये जानेके पहिले खरीदारको उसकी मालियतका मुन्तकिल होना नहीं माना जावेगा, देखो—सइमेलेंग बनाम बारक्ले एण्ड कम्पनी (1908) A. C. 35 H. L.

इङ्गलैण्डका एक व्यक्ति वहींके दूसरे व्यक्तिसे कुछ माल खरीदनेके लिये राजी होता है परन्तु मालका दिया जाना स्विटजरलैण्डमें होनेको है। बेंचने वाला बाहरसे माल लेकर उसे स्विटजरलैण्डमें भेज देता है जहा पर उसका एजेंट खरीदारकी तरफसे उस पर काबिज बना रहता है यदि खरीदार इस बातके लिये अपनी रजामन्दी दे देवे तो इस पर जायदादका मुन्तकिल होना उसके हक़में मान लिया जावेगा, देखो—बदीश अनी-लिनफारिक बनाम हिक्सन (1906) A. C. 419.

दफा २० ख़ास मालका देनेकी हालतमें होना

यदि किसी खास मालकी विक्रीके लिए जो देनेकी हालतमें होवे बिला शर्त का मुवाहिदा हुआ हो तो मालकी मालियत मुवाहिदा होतेही खरीदारको पहुंच जाती है और इस बातका कोई प्रभाव नहीं समझना चाहिए कि आया क़ीमतकी अदायगीका समय या माल दिए जानेका समय या दोनो बढ़ा दिए गए हैं।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफा १८ के आधार पर ली गई है, देखो—S. 18 English Sale of Goods Act 1893.

इस दफ़ामें यह बतलाया गया है कि यदि कोई ख़ास माल जो दिये जानेकी हालतमें होवे बेंचा गया हो तथा मुवाहिदेमें कोई शर्त न लगाई गई हो तो मुवाहिदा होतेही मालियत खरीदारको मुन्तकिल हो जाती है।

इसी दफामें यह भी साफ कर दिया गया है कि यदि क़ीमतकी अदायगी आयन्दाकी जानेको होवे या माल बादमें दिया जानेको होवे तो भी ऊपर बतलाई हुई बात जैसीकी तैसी बनी रहेगी अर्थात क़ीमतकी अदायगी या मालका दिया जाना न होते हुये भी मालियतका मुन्तकिल होना उस समय मान लिया जावेगा जब कि खास माल बेंचा गया हो तथा वह दिये जानेकी हालतमें होवे।

ख़ास माल (Specific goods) क्या है उसका ज़िक्र पिछली दफाओंमे आ चुका है। इसकी परिभाषा दूसरी दफाके चौदहवें क्लाजमें दी हुई है जिसके अनुसार खास माल उस मालको कहते हैं जो बिक्रीका मुवाहिदा होते समय पहिचाना गया हो तथा जिसके सम्बन्धमें रजामन्दी हुई हो। दिये जानेकी हालत (Deliverable State) उसकी परिभाषा दफा २ के तीसरे क्लाजमें दी हुई है उसके अनुसार मालका दिये जानेकी हालतमें होना उस समय कहा जावेगा जब कि वह ऐसी हालतमें होवे जिससे खरीदार मुवाहिदेके अनुसार उसको लेनेके लिये बाध्य होवे।

एक लगा हुआ इंजिन (Engine) बेंचा गया। उसके लिये यह तय किया गया था कि वह अलाहिदा किया जानेके बाद एक नियत क़ीमतके एवजमें रेल पर बिला महसूल पहुंचा दिया जावेगा। रेलवे तक पहुंचाये जानेसे पहिले वह ले जानेमें ख़राब हो गया। मामला चलाये जाने पर यह तय किया गया कि ऐसी हालतमें जायदादका मुन्तकिल होना नहीं माना जावेगा क्योंकि जब माल रेलवेमें पहुंचा वह दिये जानेकी हालत (Deliverable State) में नहीं था, देखो—अण्डर वुड बनाम बर्ग कैंसिल सीमेण्ट सिण्डीकेट 1 K. B. (1923) 343 C. A.

शेअर्स (Shares) की बिक्रीमें बिक्रीका पूरा होना उस समय मान लिया जाता है जब कि बेंचने वाला शेअर्सको दे देवे तथा खरीदने वाला उनको मंजूर कर लेवे, देखो—50 Bomb. 360.

एक व्यक्ति एक खास घासका ढेर एक नियत क़ीमत पर बेंचनेके लिये राजी हुआ। क़ीमत एक नियत तारीख तक अदा की जानेको थी तथा माल भी उस तारीखके बाद नियत की हुई दूसरी तारीखसे पहिले उठाया जानेको नहीं था। मामला चलाया जाने पर यह तय हुआ कि गो क़ीमत बादमें दी जानेको थी व माल भी बादमें उठाया जानेको था लेकिन माल एक ख़ास माल था तथा वह दिये जानेकी हालतमें था इसीलिये उसकी मालियतका मुन्तकिल होना बिक्रीका सौदा होते समयही कहा जावेगा, टालिङ्ग बनाम बैक्सटर 6 B. & C. 360.

दफा २१ ख़ास मालका दिये जाने योग्य किया जाना

जबकि विक्रीका मुवाहिदा किसी ख़ास मालके लिये होवे तथा बेंचने वाला मालके सम्बन्धमें उसे दिये जाने योग्य बनानेके लिये कुछ करनेको बाध्य होवे तो मालियत उस समय तक ख़रीदारके पास नहीं पहुंचती जब तक कि उक्त बात न की गई हो और ख़रीदारको उसकी सूचना न होवे।

व्याख्या—

यह दफा भी अङ्गरेजी एक्टकी दफा १८ के आधार पर ली गई है तथा इसकी तुलना भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ८० से की जासकती है, देखो—5, 18 (2) English Sale of Goods Act 1893; S. 80 Indian Contract Act 1872.

यह दफा भी पिछली दफाकी भांति उसी बिक्रीके मुवाहिदेके सम्बन्धमें समझना चाहिये जो 'ख़ास माल' की बिक्रीके लिये किया गया हो।

'ख़ास माल' (Specific Goods)—इसकी परिभाषा दफा २ के चौदहवें क्लाजमें दी हुई है।

इस दफाका प्रयोग उस समय होगा जब कि मालको 'दिये जानेकी हालत' (Deliverable State) में किये जानेके लिये बेंचने वाले द्वारा उक्त मालके लिये कोई काम किया जानेको होवे।

मालके लिये काम किये जानेसे तात्पर्य इस दफाके लिये यह न समझ लेना चाहिये कि मालके सम्बन्धमें कोई काम किया जानेको होवे जैसे कि किराया या चुंगी आदिका उसके सम्बन्धमें दिया जाना या मालका नापा अथवा तौला जाना आदि जिसका जिक्र अगली दफामें है, देखो—हैमण्ड बनाम एण्डर्सन 1 Bos. & P. 69; ग्रीविन बनाम हूपकी 2 B. & Ald. 31; हिण्डी बनाम हाइट हाउस 7 East 558.

बल्कि इसका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि सीधे मालके लिये कोई काम किया जानेको होवे—जैसे कि ट्रंक वालेने कोई ट्रंक बेंचा हो जिसमें कुंडी लगी हुई होना चाहिये बेंचते समय उसमें कुंडी नहीं लगी थी जोकि बेंचनेवाले द्वारा लगाई जानेको थी। तो उसके कुंडी लगा देनेपर माल 'दिये जानेकी हालत' में माना जायगा।

जहाजसे लेजाने वाले एक मालका सौदा हुआ जिसमें बेंचने वालेके लिये उसका लादना तय किया गया। तो बाया द्वारा मालके लादे जाने पर यह कहा जावेगा कि माल 'दिये जानेकी हालतमें' कर दिया गया है, देखो—एण्ड सन बनाम मोरिस L. R. 10 C. P. 609.

ख़रीदारको सूचनाका होना—यह भी ध्यानमें रहना चाहिये कि ख़रीदारको उस बातके किये जानेकी सूचना होवे जिसका किया जाना मालको दिये जानेकी हालतमें करनेके लिये मुवाहिदेके अनुसार तय किया गया हो। अर्थात् बेंचने वाला जब अपने कामको कर देवे तो इसकी सूचना ख़रीदारको मिलना चाहिये और तभी जायदादका मुन्तक़िल होना माना जावेगा।

दफा २२ देने योग्य ख़ास माल जबकि बेंचने वालेको उसकी क़ीमत निश्चित करनेके लिये कोई काम या बात करनी होवे

यदि विक्रीका मुवाहिदा किसी ख़ास मालके लिये हो जो दिया जाने योग्य होवे परन्तु बेंचने वाला उस मालको तौलने, नापने, पहिचनवाने या अन्य किसी काम या बातको करनेके लिये बाध्य होवे जिसमें उसकी क़ीमत निश्चित की जासके

तो मालियत उस वक्त तक खरीदारके पास नहीं पहुंचती है जबतक कि वह काम या बात न की गई हो और खरीदारको उसकी सूचना न होवे।

व्याख्या—

यह दफ़ा भी अङ्गरेजी एक्टकी दफा १८ के आधार पर बनाई हुई दफा है, देखो—S. 18, English Sale of Goods Act.

यदि बेंचा हुआ माल और मालमें शामिल हो या किसी दूसरे मालसे मिला हुआ हो तो उसे उक्त मालसे अलाहिदा कर देना चाहिये तथा उसकी शनाख्त निशान या संख्या आदिसे होना चाहिये जिसमें वह और मालसे विभिन्न साबित किया जा सके।

यदि माल वज़न, नाप, या तादाद आदिके अनुसार बेंचा गया हो तो खरीदी हुई तादादको वजन करके नापके या गिनकर अलाहिदा कर देना चाहिये जिसमें वह अपने किस्मके और मालमें मिला रहनेसे भ्रम न पैदा कर सके क्योंकि बिक्रीका मुवाहिदा ऐसा न किये जाने पर माल देनेका मुवाहिदाही समझा जा सकता है और जब तक बेंचने वाला उसे पृथक न कर देवे तब तक निश्चित माल नहीं समझा जा सकता है और न मालका मुन्तकिल होनाही कहा जा सकता है। यदि माल उक्त प्रकारसे खरीदारके लिये उसकी इच्छानुसार अलाहिदा कर दिया जावे तो मालियत खरीदारको पहुंच जावेगी चाहे माल बेंचने वालेके पासही, क़ीमतकी अदायगी न होनेके कारण बना रहे, देखो—क्राफर्ड बनाम स्मिथ 7 Dane. 55, 61.

यदि किसी इकट्ठा मालमेंसे उसका कोई भाग बेंचा गया हो तथा वह सबका सब माल खरीदारको इसलिये दे दिया जावे कि जिसमें वह अपनी खरीदका माल निकाल सके तो ऐसी हालतमें मालियतका खरीदारके हक़में मुन्तकिल होना समझा जावेगा गो स्वयं बेंचने वालेने उसे अलाहिदा नहीं किया है परन्तु खरीदार उस वक्त तक सब माल पर अपना क़ब्ज़ा रख सकता है जब तक कि वह अपने खरीदके मालको अलाहिदा न कर लेवे। उक्त बात ईंट, कोयले, गल्ले आदिके सौदामें हो सकती है, देखो—वैल्ड बनाम फ़रलर 2 Gray 195.

एक व्यक्तिने १००० ईंटें एक भट्टे वालेसे खरीदीं। भट्टे वालेने उक्त संख्या गिनकर उसको नहीं दी बल्कि एक ढेर पर उसे क़ब्ज़ा दे दिया कि जिसमें वह उक्त तादादमें उसमेंसे ईंटे ले लेवे। ऐसा किये जाने पर ईंटका मुन्तकिल होना खरीदारके हक़में मान लिया जावेगा, देखो—क्राफुट बनाम बैनेट 2 Comstock 258; ब्रियुवर बनाम सैलिवरी 9 (Barbone) 511.

यदि नाप या तौल आदिका सब जरूरी काम पूरा कर दिया गया हो सिर्फ सूक्ष्मसा काम उसको सही रूपमें लानेके सम्बन्धमें बाक़ी रह जावे तो इससे मालियत मुन्तकिल होनेमें कोई रुकावट नहीं पड़ेगी बल्कि उसका मुन्तकिल होना मान लिया जावेगा चाहे जोड़ आदिका लगाना रह भी गया हो।

एक मामलेमें कुछ दरख्त बेंचे गये। उनकी क़ीमत वर्ग फीटके हिसाबसे लगाई जानेको थी। फी वर्ग फ़ीटके दाम तय हो गये थे। हर दरख्तकी अलाहिदा अलाहिदा वर्ग फीटमें नाप भी कर दी गई सिर्फ उन सबका मीज़ान एक साथ नहीं किया गया था। मामला चलाये जाने पर यह तय किया गया कि मालियतको मुन्तकिल करनेके लिये उक्त काम काफ़ी माना जावेगा अर्थात् नाप हो जानेके बाद मालियत खरीदारके हक़में मुन्तकिल समझना चाहिये, देखो—टैंसली बनाम टर्नर 2 Bing N. C. 151.

यदि किसी बेंची हुई चीजके कुछ हिस्सेके सम्बन्धमें बेंचने वाला सब काम अपनी ओरसे पूरा कर चुके तथा कुल मालके लिये उसका पूरा किया जाना बाक़ी हो तो जिस मालके लिये सब काम हो चुका है वह खरी-

दारके हक़में मुन्तक़िल समझा जावेगा परन्तु जो भाग बाक़ी बचा है उसका जिम्मेदार बेंचने वालाही बना रहेगा और वह खरीदारके हक़में मुन्तक़िल नहीं माना जा सकेगा, देखो—रग बनाम मिनेट 11 East 210.

इस मामलेमें टरपेंटाइन (Terpentine) के २४ चौबीस पीपे नीलाममें बेंचे गये थे वह पूरे पूरे भरे हुए नहीं थे किन्तु उसके सम्बन्धमें यह तय हुआ था कि बेचने वाला उनको भर देवेगा। बायाने दसको छोड़ कर बाक़ी सब भर दिये और पहिले इसके कि बाक़ी पीपे भी भरे जासकें आग लग गई व वह जल गये। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि जो पीपे नहीं भरे जा चुके थे उनकी बिक्री पूरी तौर पर हो गई थी लेकिन बाक़ी बचे हुए दस पीपोंके सम्बन्धमें ऐसा नहीं था उनका नुक़सान बेंचनेवाले द्वारा बर्दास्त किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार एक मामलेमें छाल (Bark) का एक ढेर फीटनके हिसाबसे क़ीमत तय होने पर बेंचा गया था। उसमेंसे कुछ माल तौल कर दिया जा चुका था। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि खरीदारकी मालियत उसी माल पर पहुंची जो तौला जा चुका था, देखो—सिमन्स बनाम स्विफ्ट 5 Barma & Cress 857.

यह आवश्यक नहीं है कि बेंचने वाला खरीदने वालेको माल दे देवे तभी उसकी मालियत उस पर पहुंचेगी क्योंकि हक़का मुन्तक़िल किया जाना खास क़ब्ज़ेके ऊपर निर्भर नहीं है बेंचने वाला अपने वारकी वजहसे क़ीमतकी अदायगी न होनेके कारण मालको रोक सकता है परन्तु ऐसी हालतमें जायदाद खरीदारके हक़में मुन्तक़िल हो सकती है, देखो—डेंसन बनाम मेयर 6 East. 614; हिन्डे बनाम ह्वाइट हाउस 7 East. 571.

जब तक कि बेंचने वाला मालको दिये जाने योग्य बनानेके लिये अपनी ओरसे सब काम न कर चुके तब तक उसकी मालियत खरीदारको नहीं पहुंचती है, देखो—दि नैपोली 15 T. L. R. 56.

खालोंकी २८९ गाठें ५७ शिलिंग ६ पेंस फी दरजनके भावसे बेंची गईं। बेंचने वालेका यह कर्तव्य था कि वह गिन कर देख लेता कि हर गाठमें दरअसल कितनी खालें हैं। लेकिन गिनती किये जानेसे पहिले माल आगमें जल गया मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि खरीदार पर क़ीमतके लिये दावा नहीं चल सकता है। सब नुक़सान बेंचने वालेहीके सर रहा, देखो—जागुरी बनाम फर्नेल 2 Camp, 240; 11 R. R. 704.

कुछ तख्तोंका सौदा हुआ जो एक नियत दिनको दिये जानेके लिये तय किये गये। माल दिये जानेसे पहिले आंधी आई जिससे तख्ते इधर उधर होगये। बहुतसे जो मिल सके उनको खरीदारने ले लिया। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि मालको ले लेनेकी वजहसे खरीदार बक़ाया मालके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि माल उसके हक़में मुन्तक़िल नहीं हुआ था जैसाकि मुवाहिदेसे साफ जाहिर होता है, देखो—लोगन बनाम ली मेजूरियर 6 Mad. P. C. 116.

एक व्यक्तिने दूसरेके हाथ क़रीब ७१००० फीट तख्तोंका सौदा ७।।। पेंस फी फुटके हिसाबसे किया व अपना माल एक सरकारी अफसरसे नपवाया उसने उसे ७१४४३ फीटके क़रीब निश्चित किया। बेंचने वालेने यह तख़मीना खरीदारको दे दिया। तख्ते माल दिये जानेकी जगह पर पहुंचा दिये गये तथा खरीदारके नौकरोंने उनको वहां बंधवानेमें सहायता पहुंचाई। बादमें आंधी आनेसे वह तितर बितर होगये। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि बेंचने वालेने अपनी ओरसे सब काम पूरे कर दिये थे कुछ बाक़ी नहीं था। खरीदार पर मालियत पहुंच जानेके कारण उसकी जिम्मेदारी समझना चाहिये, देखो—गिलमौर बनाम सविल 11 Moore P. C. 551, 6 W. R. 445.

ज़मीनमें लगी हुई चीज़—यदि कोई ऐसी ख़ास चीज़ बेंची गई हो जो ज़मीनमें लगी हो तथा बेंचते समय यह तय किया गया हो कि बेंचने वाला उसे ज़मीनसे अलाहिदा कर देगा। तो बेंचने वाले द्वारा ज़मीनसे अलाहिदा किये जाने पर वह चीज़ ख़रीदारकी समझी जावेगी, देखो—जोन्स एण्ड सन्स बनाम टेंकर विली (1909) 2 Ch. 410.

इस दफ़ामें भी विक्रीका मुवाहिदा 'ख़ासमाल' (Specific Goods) के सम्बन्धमें होना चाहिये। 'ख़ास माल' की परिभाषाके लिये देखो—दफ़ा २।

यह भी बात ध्यानमें रहना चाहिये कि तौल, नाप आदि क़ीमत निश्चित किये जानेके सम्बन्धमें भी लागू होवे। तो ख़रीदारको उस काम पूरा किये जानेकी सूचना भी मिलना चाहिये ऐसा न होने पर मालियत मुन्तक़िल होना नहीं माना जा सकता है।

इस दफ़ाके लिये भी मालका 'दिये जानेकी हालत' (Deliverable State) में होना आवश्यक है।

'दिये जानेकी हालतमें होना'—इसका वर्णन दफ़ा २ के क्लाज़ (३) में दिया हुआ है। उसे देखनेसे इसका भाव समझा जा सकता है।

दफ़ा २३ अनिश्चित मालकी विक्री तथा उसका इस्तैमाल

(१) यदि विक्रीका मुवाहिदा अनिश्चित या आयन्दा मालके सम्बन्धमें तफ़सीलके अनुसार किया गया हो और उस तफ़सीलका तथा देने योग्य माल बिला किसी शर्तके मुवाहिदेके सिलसिलेमें ख़रीदारकी रज़ामन्दीसे बेंचने वाले द्वारा या बेंचने वालेकी रज़ामन्दीसे ख़रीदारके द्वारा इस्तैमालमें लाया गया हो तो ऐसा किया जानेसे मालकी मालियत ख़रीदारको पहुंच जाती है। इस प्रकारकी रज़ामन्दी खुलासा भी हो सकती है तथा छिपी हुई भी तथा इस्तैमालमें लाये जानेसे पहिले या उसके बाद दी जासकती है।

ले जाने वालेको मालका दिया जाना—**(२) यदि मुवाहिदेके अनुसार बेंचने वाला ख़रीदारको या ले जाने वाले (Carrier) को या किसी दूसरे अमानतदार (Bailee) को (चाहे ख़रीदारने उसका नाम बतलाया हो या न बतलाया हो) ख़रीदारके पास पहुंचानेके लिये मालको दे देवे और उसको अलाहिदा कर सकनेका अधिकार अपने लिए सुरक्षित न रक्खे तो उसके लिए यह मान लिया जावेगा कि उसने बिला शर्तके साथ मालको मुवाहिदेकी पूर्तिमें लगाया है।**

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेज़ी एक्टकी दफ़ा १८ तथा क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा ८३ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S.18 (5) English Sale of Goods Act; S.83 Indian Contract Act.

उपदफ़ा (१) इस दफ़ाके अनुसार यदि विक्रीका मुवाहिदा अनिश्चित या आयन्दा मालके सम्बन्धमें तफ़सीलके अनुसार हुआ हो और पक्षकारोंमेंसे कोई भी उस तफ़सीलका देने योग्य माल दूसरे पक्षकी रज़ामन्दीसे बिला किसी शर्तके मुवाहिदेकी पूर्तिमें लेलेवे तो ख़रीदारके हक़में मालका मुन्तक़िल होना मानलिया जावेगा।

'अनिश्चित' (Unascertained) मालसे उस मालका तात्पर्य है जो निश्चित (Ascertain) न किया गया हो अर्थात् जो मुवाहिदेके सिलसिलेमें पहिचान कर अलाहिदा न किया गया हो।

'आयन्दा माल' (Future Goods) इसकी परिभाषा दफा २ के क्लाजोंमें दी हुई है उसके अनुसार आयन्दा माल उस मालको कहते हैं जो बिक्रीके मुवाहिदेके बाद बेंचने वाले द्वारा तय्यार किया जानेको होवे या उसे मिलनेको होवे।

इस दफामें उन्हीं सौदोंके बारेमें दिया हुआ है जो अनिश्चित (Unascertained) माल या आयन्दा (Future) मालके सम्बन्धमें किये गये हों।

मालका मुवाहिदेकी पूर्तिमें लिया जाना (Appropriated to the Conract) आवश्यक है अर्थात यदि खरीदार मालको दूसरेके लिये लेवे या दूसरे मुवाहिदेके अनुसार उसे खरीद करे अथवा किसी अन्य प्रकारसे प्राप्त करे तो इस दफाका प्रयोग नहीं समझना चाहिये। मालका लिया जाना बिला किसी शर्तके होना चाहिये क्योंकि यदि किसी शर्त (Condition) के साथ लिया गया होगा तो उस शर्तकी पाबन्दी आवश्यक होगी और उस समय इस दफाका प्रयोग उपयुक्त नहीं हो सकता है।

उक्त प्रकारसे लिये जानेमें दूसरे फरीककी रजामन्दीका होना भी आवश्यक है। यह रजामन्दी मालके प्रयोगसे पहिले या उसके बाद दोनोंही हालतोंमें हो सकती है।

बिला उक्त रजामन्दीके मालको 'निश्चित किया हुआ' (Ascertained) नहीं माना जा सकताहै और इसी कारण उस वक्त तक मालियतका मुन्तक़िल होना नहीं माना जासकताहै जबतक कि रजामन्दी न होगई हो।

एक मामलेमें १२ फरवरी सन १९१८ ई० को १४० चावलके बोरोंका सौदा हुआ। माल बिक्रीके समय निश्चित नहीं हुआ था तथा यह तय किया गया था कि खरीदार १४ दिनके अन्दर माल ले लेवेगा। खरीदारने २७ फरवरीको क़ीमतके एवज़में चेक भेजा जिसके पाने पर बायाने २८ फरवरीको १२५ बोरे चावलके दिये जानेके सम्बन्धमें जरूरी कागज दे दिये। यह बोरे दूसरे व्यक्तिके लिये समुद्र तट पर उतारे जा चुके थे। चेककी रसीद भी इसीके साथ भेजी गई। साथमें एक खत भी भेजा जिसमें यह लिख दिया था कि बक़ीया १५ बोरे उसकी दूकान पर रखे हुए हैं खरीदार उनको भी मगवा लेवे। खरीदारने २५ मार्च तक उन बोरोंको नहीं मगवाया। उस तारीख पर यह मालूम हुआ कि उक्त बोरे चोरी चले गये हैं तथा इसमें बायाकी ओरसे कोई लापरवाही नहीं हुई थी। मामला चलाये जाने पर यह तय किया गया कि यदि खरीदारको मालकी तफसील आदिके सम्बन्धमें कोई एतराज होता तो उसे फौरनही करना चाहिये था। उसने मुवाहिदेकी पूर्तिमें कुछ मालको मजूर किया तथा उसके बाद एक माह तक कोई एतराज नहीं किया इससे यही प्रकट है कि माल मुवाहिदेकी पूर्तिहीमें लिया व मंजूर किया गया था जिसमें दूसरे फरीककी रजामन्दी पहिलेहीसे थी और इसीलिये बक़ीया १५ बोरोंकी मालियत भी खरीदारहीको उस समयसे मुन्तक़िल हो गई और वही इनका जिम्मेदार समझा जाना चाहिये, देखो—पिगनटैरो बनाम गिलराय 88 L. J. K. O. 726; (1919) 1. K. B. 459.

बम्बई हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि मालियत खरीदारके हक़में उस समय मुन्तक़िल समझी जावेगी जब कि बेंचने वाले द्वारा मुवाहिदेके सिलसिलेमें लगाया हुआ माल उस तफसीलके अनुसार होवे जिसका इक़रार हुआ हो, देखो—A. I. R. 1923 Bomb. 92.

इसी मामलेमें यह भी मत प्रकट किया गया था कि उक्त प्रकारसे मालको मुवाहिदेकी पूर्तिमें लगानेही से मालका मुन्तक़िल होना नहीं मान लेना चाहिये यह उसी समय माना जावेगा जब कि खरीदारने उसे मंजूर कर लिया हो।

मालको मुत्राहिदेकी पूर्तिमें लगाने (Appropriation to the Contract) का सवाल एक वाक़याती सवाल है इसके लिये कोई खास तरीक़ा नहीं बतलाया जा सकता है। बाया यदि ऐसा करनेके बाद भी माल पर क़ब्जा रखे तो उसके लिये यह समझना चाहिये कि वह खरीदारकी ओरसे ट्रस्टीके तौर पर क़ाबिज है, देखो—9 Ind. Cas. 255; 21 M. L. J. 413.

यदि खरीदार किसी ढेरमेंसे एक नियत तादादमें माल खरीदा चाहे और बेंचनेवाला उक्त तादादका माल निकाल कर अलाहिदा कर देवे तथा इसकी सूचना खरीदारको दे देवे तो ऐसा करनेसे जायदाद खरीदारके हक़में मुन्तक़िल समझी जावेगी, देखो—रोडे बनाम स्टेविंस 6 B. & C. 388; 30 R. R. 363.

एक मामलेमें यह मुवाहिदा था कि आधी क़ीमत जहाज़में माल लाद दिये जाने पर दी जावेगी तथा आधी क़ीमत माल मिलने पर। माल जहाज़में लाद दिया गया व जरूरी कागज़ात देकर आधी क़ीमत खरीदारसे लेली तो ऐसे मामलेमें जहाज़ पर लाद दिये जाने परही मालका खरीदारके हक़में मुन्तक़िल होना मान लिया जावेगा, देखो—डूपोण्ट बनाम ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कम्पनी 18 T. L. R. 24.

इङ्गलैण्डके एक व्यक्तिने स्विटजरलैण्डके एक सौदागरको एक पैकेट (Packet) पेटेण्ट डाई (Patent Diye) का भेजनेके लिये लिखा कि वह बज़रिये डाकके भेज दी जावे। स्विटजरलैण्ड वालेने उसे डाकसे रवाना कर दिया मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि जायदाद खरीदारके हक़में उसी समय मुन्तक़िल हो गई जब कि वह स्विटजरलैण्डमें डाकसे रवाना की गई, देखो—बर्दीश अनीलिन्स फेब्रिक बनाम बासिल केमिकल वर्क्स (1898) A. C. 203, 204.

एक व्यक्तिने अपनी ११७००० ईंटोंके ढेरमेंसे ६०००० ईंटोंके बेंचनेका सौदा किया। इसके बाद उसने ६२००० ईंटोंको छोड़ कर बाक़ी अपने इस्तैमालमें लगालीं व उनका और इस्तैमाल भी जारी था। इसी दरमियानमें वह क़ुर्क कर ली गई। मामला चलने पर यह तय किया गया कि ऊपर बतलाई हुई हालतमें यह नहीं माना जा सकता है कि ६०००० ईंटें खरीदारके लिये मुवाहिदेकी पूर्तिके सम्बन्धमें बाया द्वारा निकाली गई थी अर्थात ईंटें बायाही की मानी गई, देखो—स्नैल बनाम हेटन Cal. & E. 95.

एक व्यक्तिने दूसरेके हाथ १५ बंडल कपड़ा बेंचनेका सौदा किया और यह माल उसने तीसरे व्यक्तिसे खरीदना तय किया था। क़ीमतकी अदायगीके लिये यह तय हुआ था कि वह माल दिये जानेसे पहिले की जावेगी। माल जब उक्त दूसरे व्यक्तिके पास भेजा गया उसने लेनेसे इनकार किया इस पर पहिले व्यक्तिको मालकी क़ीमत अदा करना पड़ी। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि क़ीमतकी अदायगीसे पहिले मालका लिया जाना शर्तके साथमें था उसके अदा कर देने पर वह पूरा हो गया और जायदाद दूसरे व्यक्तिके हक़में मुन्तक़िल हो गई और इसीलिये वह पूरी क़ीमतको अदा करनेका जिम्मेदार था केवल हर्जाही देनेका पाबन्द नहीं था क़ीमतकी दर वही मानी जावेगी जो उस समय थी जब कि पहिले व्यक्तिने तीसरे व्यक्तिको क़ीमत अदा की थी, देखो—86 I. C. 794; A. I. R. 1925 Lah 586.

दफा २४ माल जो मंजूर किये जाने पर या 'बिक्री या वापसी पर' भेजा गया हो

यदि माल खरीदारको पसन्द करने पर या 'बिक्री या वापसी पर' या किसी दूसरी मिलती जुलती शर्त पर दिया गया हो तो उसकी मालियत खरीदारको इस प्रकार पहुंचती है:—

(ए) जब कि वह अपनी रज़ामन्दी या मंजूरी बेंचने वालेको प्रकट करे या और कोई काम करे जिससे सौदेका होना माना जा सकता हो।

(बी) यदि वह बेंचने वाले पर अपनी रज़ामन्दी या मंजूरी न प्रकट करे परन्तु मालको छोड़ देने की सूचना दिये बिना रोक ले तो जब कि मालको वापिस करनेके लिए कोई समय नियत किया गयाहो उस समयके बीतने पर और यदि कोई समय न नियत किया गया हो तो उचित समयके बीतने पर मालियत खरीदारको पहुंच जाती है।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेज़ी एक्टकी दफा १८ के आधार पर है तथा क़ानून मुवाहिदेकी दफा ७८ से भी ऐसाही भाव प्रकट होता है, देखो—S. 18 English Sale of Goods Act 1893; S. 78 Ill. (b) Indian Contract Act. 1872.

कभी कभी ऐसा होता है कि माल इस शर्त पर बेंचा जाता है कि अगर खरीदारको पसन्द न आवे तो वह वापिस कर देवे या ऐसी भी शर्त हो जाती है कि खरीदार मालको आजमा ले और अगर उसे ठीक न जंचे तो उसे वापिस कर देवे या इसी प्रकारकी दूसरी शर्तें लगा दी जाती हैं।

इन शर्तोंके साथमें कभी कभी समय भी नियत कर दिया जाता है कि माल नियतकी हुई मियादके अन्दर पसन्द न होने पर वापिस कर देना चाहिये वरना उसकी मंजूरी मान ली जावेगी। अकसर ऐसा भी होता है कि कोई मियाद मालकी वापिसी या खरीदारकी पसंदगी प्रकट करनेके लिये नहीं नियतकी जाती है।

जब कोई मियाद पसंदगी व वापिसीके लिये नियत कीगई हो तो उस मियादके अन्दर वापिसी न होने पर मालका खरीद लिया जाना मान लिया जावेगा और जायदादका मुन्तक़िल होना मान कर उसकी क़ीमत खरीदारसे वसूल की जासक्ती है।

परन्तु जब कोई मियाद वापिसीके लिये उक्त प्रकारसे नियत न हुई हो तो उचित समय व्यतीत होने पर तथा उस दर्मियानमें माल न लौटाये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि माल मंजूर कर लिया गया है और ऐसी हालतमें भी जायदादका मुन्तक़िल होना मान कर क़ीमतका दावा खरीदारके विरुद्ध चल सकता है, देखो—डियर बार्न बनाम टर्नर (17 Main 17) में भी ऊपर बतलाया हुआ मत प्रकट किया गया है।

यदि किसी मुवाहिदेमें माल नापसन्द आने पर लौटा देनेकी शर्त कीगई हो और खरीदार नियत मियादके अन्दर मालको अपने बेजा इस्तैमालसे इतना खराब कर देवे कि जिससे उसकी क़ीमत बहुत घट जावे तो बेंचने वाला अपनी क़ीमत खरीदारसे वसूल कर सकता है क्योंकि उस सूरतमें वह सौदेका पूरा होना मान सकता है, देखो—रे बनाम टामसन 12 Cushing. 281.

एक व्यक्तिने दूसरे व्यक्तिके हाथ 'बिक्री या वापिसी' की शर्त पर माल बेंचा दूसरे व्यक्तिने इस प्रकार माल लेकर एक अन्य जगह गिरवी रख दिया ऐसा करनेसे उसने एक प्रकारसे बिक्रीको मंजूर कर लिया तथा जायदादका उसके हक़में मुन्तक़िल होना माना जावेगा और इसी कारण बेंचने वाला मालको गिरवी वालेसे नहीं पा सकता है, देखो—किरखम बनाम एटेन बरो (1897) 1 Q. B. 201 C. A.

(क) ने (ख) को माल इस शर्तके साथ दिया कि या तो वह उसकी क़ीमत नक़द अदा कर दे या मालको वापिस कर देवे। मालियत उस वक्त तक (क) की बनी रहेगी जब तक कि सौदा तय न हो जावे या क़ीमत न अदा हो जावे। (ख) ने (द) के पास उस मालको गिरवी रख दिया परन्तु उस वक्त

तक (क) के मामलेको उसने तय नहीं किया था और न मालकी क़ीमतही उसे अदाकी थी। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि (क) मालको (द) से जिसके पास वही माल गिरवी हुआ था वसूल कर सकता है, देखो—वेनर बनाम गिल 2 K. B. 172; और भी (1906) 2 K.B. 574 C. A.

(क) ने कुछ जवाहिरात (ख) को बिक्री या वापिसी (Sale or Return) की शर्त पर दिये। (ख) ने उनको इसी शर्त पर (ग) के हवाले किया और (ग) ने उसको इस शर्त पर (घ) को दे दिया। (घ) के पास वह जवाहिरात खो गए। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि (क) अपनी क़ीमत (ख) से वसूल कर सकता है क्योंकि (ख) मालकी वापिसी नहीं कर सकता था और इसी लिये जायदादका उसके हक़में मुन्तकिल होना मान लिया जावेगा, देखो—गैन बनाम विंकल (1912) 17 Com. Cas. 323 C. A.

(क) के पास (ख) के कुछ जवाहिरात थे जिन्हें वह ७५० पौंडमें बेंच सकता था। उसने उक्त माल बिक्री या वापिसी की शर्त पर (ग) को दिया जिसने उसके लिये ३०० पौंड लगाए। पहिले इसके कि (ख) की मंजूरी इस क़ीमतके लिये मालूम हो सके (ग) ने उस जवाहिरातको (घ) के हाथ ३०८ पौंडमें बेंच डाला। (क) ने (ग) पर दावा किया व रज़ामन्दीसे ७५० पौंडकी डिक्री हो गई परन्तु (ग) के दिवालिया हो जानेके कारण रक़म वसूल नहीं हो सकी। मामला चलाये जाने पर यह तय किया गया कि (क) (घ) के विरुद्ध दावा नहीं कर सकता है, देखो—ब्रैंडले बनाम रामसे एण्ड कम्पनी (1912) 106 L. T. 771 C. A.

कोई काम जिससे सौदेका होना माना जा सके (Act adopting the Transaction) इससे उस कामका तात्पर्य है जिससे सुपुर्ददारके सम्बन्धमें यह मालूम हो सके कि वह उस मालका ख़रीदार हो गया है अथवा जिससे यह मालूम न होसके कि वह ख़रीदारके अलावा अन्य कोई व्यक्ति है, देखो—वेलर बनाम गिल; सेम बनाम स्मिथ (1905) 2 K. B. 172.

उदाहरण स्वरूप—उक्त काम उस समय मान लिया जावेगा जब कि सुपुर्ददारने उसे गिरवी रख दिया हो या दूसरेके हाथ बेंच डाला हो या ऐसा कोई काम किया हो जो मालका मालिक कर सकता है।

यदि माल सुपुर्ददारकी सुपुर्दगीमें खो जावे तो इससे सदैव यह नहीं मान लिया जावेगा कि बिक्रीका मुवाहिदा पूरा हो गया है। जैसे कि यदि किसी व्यक्तिने 'बिक्री या वापिसी' की शर्त पर माल लिया हो और वह बिला उसकी गलती या बिला उसके द्वारा किये हुये किसी कामके कारण खो जावे या ख़राब हो जावे तो बिक्रीका मुवाहिदा पूरा होना या मालका उसके हक़मे मुन्तकिल होना नहीं माना जावेगा, देखो—एलफिक बनाम बारनीज़ 5 C. P. D. 321.

दफ़ा २५ अलाहिदा कर सकनेका हक़ सुरक्षित रखना

(१) जब कि बिक्रीका मुवाहिदा किसी ख़ास मालके सम्बन्धमें होवे या जब कि माल बादमें मुवाहिदेके अनुसार लिया गया हो तो बेंचने वालेको अधिकार है कि वह मुवाहिदेकी या लिए जानेकी शर्तोंके अनुसार मालके अलाहिदा कर सकनेका हक़ किसी शर्तोंके पूरा किए जाने तक सुरक्षित रख सके।

ऐसे मामलेमें मालकी मालियत ख़रीदारके पास उस समय तक नहीं पहुंचती है जब तक कि बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा लगाई हुई शर्तें पूरी न कर दी जावें चाहे

माल खरीदारको या ले जाने वालेको या अन्य किसी सुपुर्ददारको खरीदारके पास पहुंचानेके लिए दिया जा चुका हो।

(२) जबकि माल जहाज़ पर रवाना किया गया हो तथा बिल आफ़ लेडिंग (Bill of Lading) के अनुसार उक्त माल बेंचने वाले या उसके एजेण्टके कहनेके मुवाफिक दिया जानेको होवे तो प्रकट रूपमें यह माना जावेगा कि बेंचने वालेने अलाहिदा कर सकनेके अधिकारको सुरक्षित रक्खा है।

(३) यदि मालका बेंचने वाला खरीदारके नाम मालकी क़ीमतके लिए हुण्डी लिखे तथा उस हुण्डीकी अदायगी (Bill of Exchange) व बिल आफ़ लेडिंग (Bill of Lading) को एक साथ खरीदारके पास भेजे जिसमें मंजूरी या हुण्डी की अदायगी हो सके तो खरीदारका यह कर्तव्य होगा जबकि वह हुण्डीको नहीं सकारे कि वह बिल आफ़ लेडिंगको वापिस कर दे और यदि वह बेजा तौर पर बिल आफ़ लेडिंगको रोकले तो मालकी मालियत उसको नहीं पहुंचती है।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफा १९ के आधार पर ली गई है, देखो—The English Sale of Goods Act 1893; Section 19.

उपदफा (१) इस दफाका प्रयोग उन्हीं मुवाहिदोंके सम्बन्धमें समझना चाहिये जो 'खास माल' (Specific goods) के सम्बन्धमें होवें अथवा जिनमें माल मुवाहिदेकी पूर्तिमें लिया गया हो अर्थात् जहां पर बिक्रीका मुवाहिदा और प्रयागसे पूरा हो चुका हो।

इस दफाके अनुसार बेंचने वाला व्यक्ति बेंचते समय या मालको मुवाहिदेकी पूर्तिमें लिये जाते समय अपने लिये किसी खास मियादके वास्ते मालको अलाहिदा कर सकनेका हक़ सुरक्षित रख सकता है। इस प्रकारका हक़ किसी लगाई हुई शर्तकी पूर्ति किये जाने तकके लिये सुरक्षित रक्खा जा सकता है।

यदि ऊपर बतलाए अनुसार हक़ सुरक्षित रक्खा गया हो तो खरीदारको मालियत उस वक्त तक नहीं पहुंचेगी जब तक उक्त प्रकारकी लगाई हुई शर्त पूरी न कर दी जावे चाहे माल स्वयं खरीदारको या उसके लिये किसी ले जाने वाले या सुपुर्ददारको दे दिया जा चुका हो।

उपदफा (२) उस मालके सम्बन्धमें है जो समुद्रके ज़रिए भेजा जानेको होवे और उपदफा (३) भी ऐसेही मालके सम्बन्धमें समझना चाहिये।

उपदफा (२) के अनुसार यदि माल जहाजसे रवाना किया गया हो तथा बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading) के अनुसार माल बायाके हुक्म या उसके एजेण्टके हुक्म पर दिया जानेको होवे तो यह मान लिया जावेगा कि बायाने मालको अलाहिदा कर सकनेके अधिकारको अपने लिये सुरक्षित कर रक्खा है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो माल खरीदारके नाम जाता यानी बिल आफ़ लेडिंगके अनुसार खरीदारके या उसके एजेण्टके हुक्मके अनुसार माल दिया जानेको होता।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि यदि माल समुद्रके ज़रिए रवाना हुआ हो और मालकी बिल्टी व उसकी क़ीमतके सम्बन्धमें लिखी हुई हुण्डी एक साथ खरीदारके पास इस नीयतसे भेजी गई हो कि जिसमें वह हुण्डीको सकार कर माल मंजूर करे तो ऐसी हालतमें यदि वह हुण्डीको न सकारे तो उसका कर्तव्य

होगा कि वह मालकी बिल्टी यानी बिल आफ लेडिंगको वापिस कर दे और अगर खरीदार बेजा तौर पर बिल आफ लेडिंगको रोकले तो यह नहीं माना जावेगा कि मालियत उसके हकमें मुन्तकिल हो गई है, देखो—काहन बनाम पाकेट्स ब्रिस्टल चैनेल स्टीम पकेट कम्पनी (1899) 1.Q.B. 643 C. A.

जर्मनकी लड़ाईसे पहिले एक ब्रिटिश रियायाने जो अमेरिकामें थी कुछ माल दूसरे व्यक्तिके पास जो जर्मनीमें था रवाना किया था मालकी कीमतके लिये उस पर हुण्डी कर दी। इसके बाद रायाने हुण्डी व बिल्टी (Bill of Exchange & Bill of Lading) एक अमेरिकन बैंकको बेंचदी ऐसेमें लड़ाई छिड़ गई व माल लड़ाईमें पकड़ लिया गया। हुण्डी नहीं सकारी गई व मालकी बिल्टी (Bill of Lading) वगैरा अमेरिकन बैंकको वापिस दे दी गई। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया था कि मालियत बेंचने वाले ही की समझना चाहिये, देखो—दी ओरियण्टो (1920) A. C. 724, 733 I. C.

एक व्यक्तिने दूसरेके पास जहाजसे माल रवाना किया। उसने मालका बिल एक बैंकके पास भेजा तथा बिल आफ लेडिंग पर खाली दस्तखत कर दिये और बैंकको यह लिख दिया कि हुण्डी सरकारी जानेके बाद वह बिल आफ लेडिंग खरीदारको दे देवे ऐसी हालतमें हुण्डी (Bill of Exchange) मंजूर किये जाने पर मालका खरीदारके हकमें मुन्तकिल होना मान लिया जावेगा जब तक कि इसके विरुद्ध मुवाहिदे में कोई खास बात न होवे, देखो—दी प्रिन्ज एडिल बर्ट (1917) A. C. 586 P. C.

यदि मालकी मालियतका मुन्तकिल होना कीमतकी अदायगी पर निर्भर किया गया हो या इस बात पर निर्भर हो कि खरीदार कीमतके लिये जमानत देने पर उसका मालिक समझा जावेगा तो जब तक कीमत अदा न की गई हो या उक्त प्रकारसे जमानत न दी गई हो माल बेंचने वालेहीका बना रहेगा और उसे अधिकार है कि वह उसे मुन्तकिल किसी अन्य व्यक्तिके हकमें कर देवे, देखो—बैरो बनाम कोल्स 3 Camp. 92.

यदि बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading) सीधा खरीदारके नाम भेजा गया हो तो ऐसी हालतमें यह नहीं कहा जावेगा कि उसमें रुपयेके अदायगीकी शर्त लगाई गई है यानी यह कि बेंचने वालेने अदायगी किये जाने तक मालको अलाहिदा करनेका हक अपने लिये सुरक्षित रक्खा है, देखो—की बनाम कोट्स वर्थ 7 Exch. 595, 607.

बेंचने वालेकी नियतका सवाल एक वाकयाती सवाल है जो परिस्थितिको देखते हुए समझना चाहिये, देखो—2 Exch. 691, 18 C. B. 403.

दफा २६ प्रकटरूपमें जायदादके साथमें नुक़सानका ख़तरा भी जाता है

यदि कोई बात इसके विपरीत तय न कीगई हो तो मालके नुक़सानका खतरा बेंचने वालेके लिये उस समय तक रहेगा जब तक उसकी मालियत खरीदारको न पहुंच गई हो परन्तु जब उसकी मालियत खरीदारको पहुंच गई हो तो मालके नुक़सानका खतरा खरीदारके लिये समझना चाहिये चाहे माल दिया गया हो या न दिया गया हो।

परन्तु शर्त यह है कि यदि मालके दिये जानेमें खरीदार या बेंचने वालेकी भूलके कारण देर हुई हो तो मालके नुक़सानका खतरा उस व्यक्ति पर रहेगा जिससे भूल हुई हो जबकि नुक़सान उक्त भूलके न होने पर न हुआ होता।

यह भी शर्त है कि इस दफ़ाकी किसी बातका प्रभाव ख़रीदार या बेंचनें वालेके कर्तव्य या ज़िम्मेदारी पर न पड़ेगा जबकि वह दूसरे फरीक़की ओरसे मालका सुपुर्ददार होवे।

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेजी एक्टकी दफ़ा २० के आधार पर बनाई गई है तथा इसी विषयका वर्णन क़ानूनं मुआहिदाकी दफ़ा ८६ में है, देखो – S. 20 The English Sale of Goods Act 1893; S. 86, The Indian Contract Act 1872.

फरीक़ैनको आमतौर पर अधिकार है कि वह 'नुक़सानके ख़तरे' (Risk) के सम्बन्धमें जो बात चाहें मुआहिदेमें तय कर सकते हैं यानी यह कि माल किसकी जिम्मेदारी पर कब तक समझा जावेगा। यदि कोई ऐसी बात मुआहिदेमें तय न कीगई हो तो यह नियम लागू माना जावेगा कि मालियत मुन्तक़िल होते समय तक माल बेंचने वालेकी जिम्मेदारी पर है और उसके बाद वह ख़रीदारकी जिम्मेदारी पर समझा जावेगा चाहे माल उसको दिया गया हो या न दिया गया हो। यानी मालकी जिम्मेदारी मालके दिये जाने या कब्ज़े पर नहीं होगी बल्कि वह मालियतके मुन्तक़िल होनेके अनुसार समझी जाना चाहिये।

उक्त नियम हर समय व हर अवस्थामें लागू नहीं माना जावेगा जैसाकि दफ़ाके साथमें लगाई हुई दोनों शर्तोंसे प्रकट है।

पहिली शर्तके अनुसार यदि मालके दिये जानेमें ख़रीदार या बेंचने वालेकी भूलके कारण देर हुई हो तो भूल करनेवाला व्यक्ति मालके नुक़सानका जिम्मेदार समझा जावेगा चाहे मालियत दूसरे फरीक़को पहुंच चुकी हो।

दूसरी शर्तके अनुसार यदि ख़रीदार अथवा बाया दूसरे फरीक़के ट्रस्टीके तौर पर क़ाबिज़ होवे तो उसके कर्तव्य या जिम्मेदारियों पर उक्त नियमका प्रभाव नहीं समझना चाहिये अर्थात् ऐसी हालतमें वह नुक़सानके लिये उसी तौर पर जिम्मेदार समझा जावेगा जैसेकि ट्रस्टी जिम्मेदार होते हैं।

एक मामलेमें पसन्द किये जानेके बाद कुछ फर (Fur) उसकी क़ीमत लगाकर दिये गये। फरकी तिजारतके अनुसार माल उसकी जिम्मेदारी पर समझा जाता है जो पसन्द करके मालका आर्डर देवे। दिये जानेके बाद बदमाशोंने उसे चुरा लिया ऐसी हालतमें यह तय किया गया कि भेजने वाला उक्त लगाई हुई क़ीमतको उस व्यक्तिसे वसूल कर सकता है जिसे माल दिया गया हो, देखो—वैविंग्टन बनाम वेल (1902) 7 Com. Cas. 112. 'फर' का अर्थ है बाल, रोवां आदि।

मोटरका काम करने वाले एक व्यक्तिके पास एक व्यक्तिने अपनी मोटर बेंचनेके लिये रक्खी तथा उसे अपनीही जिम्मेदारी पर रक्खा। मोटर वालेके नौकरकी लापरवाहीसे मोटर कुछ बिगड़ गई। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि मोटर बेंचने वाला उक्त नुक़सानका जिम्मेदार नहीं है, देखो—रटर बनाम पामर (1922) 2 K. B. 87 C. A.

घाटके एक तालाबमें २०००० गैलन स्पिरिट थी उसमेंसे १२०००० गैलन बेंची गई। मुआहिदे की पूर्तिमें उसका लिया जाना नहीं हुआ परन्तु माल लिये जानेका परवाना (Delivery Warrant) ख़रीदारको दे दिया गया। कई महीने तक इस परवानेकी तामील नहीं की गई और इसी बीचमें स्पिरिट बर्बाद हो गई। ऐसी हालतमें नुक़सान ख़रीदारका समझा जावेगा, देखो—स्टेर्न बनाम विकर्स (1923) 1 K. B. 78 C. A.

यदि किसी मालका सौदा इन शर्तों पर हुआ हो कि वह जहाज पर रवाना किया जावे तथा उसकी क़ीमतमें किराया व बीमेका खर्च भी शामिल कर दिया जावे तो माल जहाजमें रवाना कर देने पर उसके बाद खरीदारकी जिम्मेदारी समझी जावेगी, देखो—वाके बनाम विंग्रम 58 L. J. Q. B. 379.

बिला निश्चित किये हुये मालकी जिम्मेदारी बेंचने वालेही पर आमतौरमें होती है परन्तु यदि इकरार इस बातका किया गया हो कि वह खरीदारकी जिम्मेदारी पर रहेगा तो उक्त इकरारके अनुसार वह उसकी जिम्मेदारी पर माना जावेगा, देखो—स्टाक बनाम इङ्गलिश 13 Q. B. D. 564 C. A.

यदि किसी मुवाहिदेमें खुलासा तौर पर या इशारेसे यह तय किया गया हो कि मालकी क़ीमत या उसका कोई हिस्सा उसही समय अदा किया जावेगा जब कि माल अपनी जगह पर पहुच जावे या जब कि वह दरअस्ल खरीदारको दे दिया जावे तो ऐसी हालतमें माल बिला अदाकी हुई क़ीमतकी हद तक बेंचने वालेकी जिम्मेदारीमें समझना चाहिये चाहे जायदाद खरीदारके हक़में मुन्तकिल भी समझी जा सकती हो, देखो—कलकत्ता व बर्मा स्टीम नवी गेटिंग कम्पनी बनाम डी. मटोज (1863) 32 L.J.Q.B. 322.

यदि किसी मुवाहिदेमें यह तय हुआ कि क़ीमत पहिलेसे अदाकी जावेगी तथा माल उस वक्त दिया जावेगा जब कि कोई खास बात हो चुकेगी। मालकी क़ीमत खरीदारने अदा कर दी परन्तु उक्त बात नहीं हुई जिसके लिये बेचने वालेका कोई दोष नहीं था और इसीलिये माल बेंचने वालेहीके पास बना रहा। ऐसी हालत में मालकी जिम्मेदारी खरीदारके लिये समझना चाहिये, देखो—हनफ्रा बनाम ह्यूज L.R.6 C.P. 78.

यदि कोई मुवाहिदा शुरूहीसे कलादम (Void) होवे तो खरीदार अपनी दी हुई क़ीमत या उसके किसी भागको बेचने वालेसे जब चाहे तब ले सकता है अर्थात् मालके सम्बन्धमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझना चाहिये, देखो—रिटूलैण्ड बनाम टर्नर 7 Exch. 208.

हक़का मुन्तक़िल होना

दफा २७ उस व्यक्ति द्वारा बिक्री जो मालिक न होवे

इस एक्ट तथा अन्य प्रचलित क़ानूनका ध्यान रखते हुए यदि माल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बेंचा गया हो जो उसका मालिक न होवे, और न, जो मालिक द्वारा दिये हुए अधिकारके अनुसार या उसकी रज़ामन्दीसे उसे बेंचता हो, तो खरीदार को उससे अच्छा हक़ नहीं पहुंचेगा जो उस मालके लिये बेंचने वालेको प्राप्त था जब तक कि मालका मालिक अपने बर्तावके कारण बेंचने वालेके बेंचनेके अधिकारसे इन्कार करनेके लिये बंचित न हो।

परन्तु शर्त यह है कि जब कोई व्यापारिक एजेण्ट मालिककी रज़ामन्दीसे माल पर या मालका हक़ प्रकट करने वाली दस्तावेज़ पर क़ाबिज़ होवे तो उसके द्वारा कीहुई बिक्री, जबकि वह व्यापारिक एजेण्टका मामूली तौर पर काम करते हुए कीगई हो, उसी प्रकार ठीक समझी जावेगी मानो उसने मालके मालिकसे उसके लिये खुलासा अधिकार प्राप्त कर लिया है परन्तु इसमें भी शर्त यह है कि खरीदने वाला नेकनीयतीसे काम करता हो तथा बिक्रीका मुवाहिदा किये जाने समय उसे इस बातकी सूचना न होवे कि बेंचने वालेको बेंचनेका अधिकार नहीं है।

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेजी एक्टकी दफ़ा २१ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा १०८ व १७८ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 21, English Sale of Goods Act 1893; S. 108, 178 The Indian Contract Act 1872.

यह दफ़ा इस आम नियमके आधार पर बनाई हुई मालूम होती है कि बेंचे हुए माल पर खरीदारको बेंचने वालेके हक़से अच्छा हक नहीं पहुच सकता है।

इस दफ़ाके अनुसार यदि किसी ऐसे व्यक्तिने मालको बेंचा होवे जो मालका मालिक न हो तथा जिसे मालके मालिक द्वारा उसके बेंचनेका अधिकार न दिया गया हो या जिसके लिये उसकी रज़ामन्दी भी न रही हो तो खरीदारको बेंचने वाले व्यक्तिसे माल पर अच्छा हक नहीं पहुचेगा यानी वह मालका मालिक नहीं होसकेगा। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि अगर असली मालिकका वर्ताव ऐसा रहा हो जिससे वह बायाके बेंचनेके अधिकारके विरुद्ध अपना अधिकार पेश न कर सकता हो तो ऐसी हालतमें उक्त बिक्रीसे खरीदार मालका मालिक समझा जा सकता है।

दफाके साथमें एक शर्तभी लगा दीगई है जिसको भली प्रकार समझ लेना चाहिये क्योंकि यह उसी प्रकारकी शर्त है जो खुले बाजारमें (Over market) माल बेंचे जानेके सम्बन्धमें इङ्गलैण्डमें प्रयोग कीजाती रही है अर्थात् खास खास बाजारोंमें खुले बाजारकी खरीदी हुई सौदामें खरीदारको पूरी मालकियत पहुचती है।

इस शर्तके अनुसार यदि किसी व्यक्तिका माल उसकी रजामन्दीसे व्यापारिक एजेण्टके पास होवे और वह उसी हैसियतसे व्यापारके सिलसिलेमें मालको बेंच डाले तो ऐसी बिक्रीसे खरीदारको माल पर उसी प्रकार हक पहुचेगा मानो उक्त व्यापारिक एजेण्टको मालिक द्वारा बेंचनेका अधिकार खुलासा तौर पर दिया गया था लेकिन अगर खरीदारको माल खरीदते समय यह मालूम होवे कि बेंचने वालेको बेंचनेका अधिकार प्राप्त नहीं है तो ऐसी हालतमें वह मालका मालिक नहीं होसकेगा और इसी प्रकार नेकनीयतीका होना भी उसके लिये एक आवश्यक बात है।

यदि इस एक्टमें या अन्य किसी प्रचलित क़ानूनमें कोई बात उक्त नियमोंके विरुद्ध किसी खास या आम मामलेके सम्बन्धमें दीहुई हो तो उसका मानना आवश्यक होगा।

जैसेकि इस एक्टकी दफा २८, २९ व ३० में बतलाई हुई बातें इस दफाके आम नियमोंके अनुसार नहीं कही जा सकती हैं परन्तु वह वैसीही माननीय हैं जैसी कि इस दफा या एक्टकी अन्य दफाओंकी बातें।

अन्य प्रचलित क़ानूनके सम्बन्धमें रिसीवरका मामला समझा जा सकता है। बेंचते समय वह मालका स्वयं मालिक नहीं होता है परन्तु उससे खरीदने वालेको पूरा हक पहुचता है।

डिक्री इजरायके सिलसिलेमें सरकारी हुक्मके अनुसार नीलाम करने वाला मालका मालिक स्वयं नहीं होता है परन्तु उसके द्वारा माल पूर्ण रूपसे मुन्तकिल किया जा सकता है।

यही बात एडमिनिस्ट्रेटर व एक्जीक्यूटर (Administratar & Executors) के लिये समझना चाहिये।

क़ानून दिवालिया (Insolvency Act) के अनुसार नियुक्त किये हुए आफिशल रिसीवर व आफिशल एसायनी (Official Receiver & Official Assignee) के सम्बन्धमें समझना चाहिये।

कम्पनी एक्ट (Companies Act) के अनुसार नियुक्त किये हुए लिक्वीडेटर (Liquidator) को भी इसी प्रकारके अधिकार समझना चाहिये।

'माल' (Goods)—में सब प्रकारकी मनकूला जायदादको शामिल समझना चाहिये, देखो—46 Cal. 331.

इस दफाकी शर्तका प्रयोग उन्हीं मामलोंके सम्बन्धमें समझना चाहिये जिनमें मालका कब्जा बिला किसी शर्त आदिसे होवे सिर्फ मालिक द्वारा बेचनेके लिये दी हुई रजामन्दीका सवाल बाकी रह गया हो। इसीलिये यदि 'बिक्री या वापिसी' (Hire & Purchase) के इक़रारनामेके अनुसार माल दिया गया हो तो उसके सम्बन्धमें इस शर्तका प्रयोग नहीं समझना चाहिये जैसे कि एक व्यक्तिने एक प्यानो (Piano) बाजा 'बिक्री या वापिसी' के मुवाहिदेके अनुसार लिया तो उसे वह इस दफाकी शर्तके अनुसार अलाहिदा नहीं कर सकता है इसका प्रयोग उसी समय समझना चाहिये जबकि कब्जा एजेण्ट या फ़ैक्टर (Fector) की हैसियतसे होवे, देखो—27 M. 424 (426)

इसी प्रकार यदि किरायेदारकी हैसियतसे माल पर कोई व्यक्ति काबिज़ होवे या किसी खास कामके लिये उस पर उसका क़ब्ज़ा होवे तो ऐसे कब्जेकी हालतमें इस दफाकी शर्तका प्रयोग उचित नहीं समझा जावेगा, देखो —2 L. B. R. (1872-92), 311; और भी 46 Cal. 342; 70 I. C. 448; 45 Mad. 173; 3 Lah. L. J. 249.

यदि मालिकने कोई माल हिफ़ाज़तके लिये अपने नौकरकी सुपुर्दगीमें दे दिया हो तो वह उसे नहीं बेंच सकता है, देखो—4 Cr. 497.

यदि मालका खरीदार मालको बेंचने वालेके पासही छोड़ देवे और बेचने वालेसे कोई तीसरा व्यक्ति मालको नेकनीयतीके साथ खरीद लेवे तो ऐसे मामलेमें इस दफाकी शर्तका प्रयोग समझना चाहिये अर्थात पहिला खरीदार इसे मसूख़ नहीं करा सकती है, देखो—27 P. R. 1902.

व्यापारिक एजेण्ट (Mercantile Agent)—इसकी परिभाषा व विवरण दूसरी दफा में दिया हुआ है।

हक़की दस्तावेज़ (Document of title)—इसकी भी परिभाषा व विवरण दफा २ में दिया हुआ है।

बहुतसी दस्तावेजें ऐसी होती हैं जिन पर इन्दराज कर देनेहीसे जायदादका मुन्तकिल होना मान लिया जाता है तथा वह दस्तावेजें स्वयं जायदादको प्रकट करती हुई मानी जाती हैं जैसे कि बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading).

रेलवे रसीद भी इसी प्रकारकी दस्तावेज़ समझी जा सकती है, देखो—25 I. C. 380; 38 Bomb. 659; 40 Bomb. 630.

नेकनीयती (Goodfaith)—का सवाल भी एक समझने योग्य बात है। इसकी कोई परिभाषा इस एक्टमें नहीं दी हुई है। परन्तु अधिकतर 'नेकनीयती' क़ानून दीवानीमें इस आशयको प्रकट करने के लिये प्रयोग किया जाता है कि कोई काम उचित परवाह (Care) व होशियारी (Caution) के साथ किया गया है अर्थात मामूली होशियारीके आदमी द्वारा जो परवाह आदि किसी कामके करनेमें की जाना चाहिये वह की गई थी, देखो—12 Ind. Cas. 809.

चोरीका माल—चोरीका माल खरीदने वालेके लिये इस दफासे कोई बचत नहीं समझना चाहिये। यदि ऐसा माल चुराने वालेकी रजामन्दीसे भी बेंचा गया हो तो खरीदारको उस पर मालिकाना हक़ नहीं पहुंच सकता है, देखो—L. B. R. (1872, 1892).

यह दफा चुराये हुए सरकारी करंसी नोटके लिये लागू नहीं होगी जब कि वह रुपयेके एवजमें नेकनियतीके साथ लिया गया हो क्योंकि 'करंसी नोट' इस दफाके लिये 'माल' नहीं कहा जा सकता है तथा उसके एवजमें रुपयेका लेना विक्री नहीं हो सकती है, देखो—1 C. L. R. 339; 3 C. 379; और भी 7 M. H. C 233, 73 P. R. 1878.

इसी प्रकार इस दफाका प्रयोग चुराये हुए सिक्के (Coin) के सम्बन्धमें नहीं समझना चाहिये जब कि लेने वालेकी नेकनीयतीही रही हो, देखो—83 P. R. 1890.

दफा २८ संयुक्त मालिकोंमेंसे एकके द्वारा की हुई विक्री

यदि मालके कई संयुक्त मालिकोंमेंसे एकका तनहा क़ब्ज़ा दूसरे संयुक्त मालिकोंकी रज़ामन्दीसे होवे और कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त मालिकसे नेकनीयतीके साथ उसे ख़रीद करे तथा विक्रीका मुवाहिदा होते समय उसे इस बातकी सूचना न होवे कि बेंचने वालेको उसके बेंचनेका अधिकार नहीं है तो मालकी मालियत उक्त व्यक्तिके हक़में मुन्तक़िल हो जाती है।

व्याख्या—

यह दफा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा १०८ तथा इङ्गलिश फैक्टर्स एक्टके आधार पर लीगई है।

यह दफा एक प्रकारसे पिछली दफाके अपवाद (Exception) रूपमें समझना चाहिये। तथा इसके अनुसार उस ख़रीदारकी रक्षाका विधान किया गया है जो नेकनियतीसे किसी मालको उसके संयुक्त मालिकोंमेंसे एकही मालिकसे ख़रीदे जब कि उक्त माल उसके क़ब्ज़ेमें होवे।

मालका क़ब्ज़ा अन्य शरीकदारोंकी रज़ामन्दीके अनुसार होना चाहिये जैसाकि साझेकी दूकानोंमें अक्सर हुआ करता है। उनमें साझेका कोई आदमी बैठकर विक्री करता है तथा उसके द्वारा बेंचे हुए मालमें ख़रीदारको पूरी मालियत पहुंच जाती है।

इस दफाका प्रयोग होनेके लिये यह भी आवश्यक है कि ख़रीदारको ख़रीदते समय इस बातकी सूचना न रही हो कि बेंचने वालेको बेंचनेका अधिकार हासिल नहीं है अर्थात ऐसी सूचना होने पर उसकी ख़रीद उचित नहीं ठहराई जा सकती है और उसे इस दफाके अनुसार सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है।

यदि किसी जवाहिरातके कई मालिक होवें परन्तु हिफ़ाज़तके लिये वह उनमेंसे एक व्यक्तिके क़ब्ज़ेमें होवे तो इसे इस दफाके अनुसार क़ब्ज़ेमें होना कहा जावेगा, देखो—1. P. R, 1895; U. B. R. (1892-1896), 303.

(क), (ख) और (ग) तीन संयुक्त हिन्दू सगे भाई हैं उनके पास संयुक्त रूपमें कुछ मवेशी हैं। (क) के पास (ख) व (ग) ने एक गाय छोड़ रक्खी है। (क) ने उस गायको (घ) के हाथ बेंच डाला तो ऐसी हालतमें यह कहा जावेगा कि (घ) की ख़रीद दुरुस्त है। अर्थात गायकी मालियत उसके हक़में मुन्तक़िल समझी जावेगी, देखो—Ill. (d) S. 108 Indian Contract Act.

दफा २९ ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्री जो रद्द किये जाने योग्य मुवाहिदेके अनुसार क़ब्ज़ेमें होवे

यदि किसी मालको बेंचने वाले व्यक्तिका उस पर क़ब्ज़ा ऐसे मुवाहिदेके अनुसार होवे जो सन १८७२ ई० के क़ानून मुवाहिदाकी दफा १९ या १९ (ए) के

अनुसार तोड़ा जासकता हो परन्तु वह मुवाहिदा बिक्रीके समय रद्द न किया गया हो तो खरीदारका अच्छा हक़ पहुंचता है वशर्ते कि वह नेकनीयतीसे ख़रीद करे तथा उसे बेंचने वालेके हक़को ऐबकी सूचना न रही हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफा २३ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा १०८ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 23, English Sale of Goods Act 1893; S. 108 (Exeption III) Indi n Contract Act 1872.

यह दफा भी एक प्रकारसे उस आम नियमके अपवाद (Exeption) स्वरूपमें है जो दफा २७ में दिया हुआ है।

इस दफाका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि यदि मंसूख किये जाने योग्य मुवाहिदेके आधार पर कोई माल किसीके क़ब्जेमें होवे तथा उसके मंसूख किये जानेसे पहिले वह उस मालको किसी अन्य व्यक्तिको मुन्तकिल कर देवे तो उस मालकी मालियत उस तीसरे व्यक्तिको पहुंच जावेगी परन्तु ऐसा उसी समय होगा जबकि उक्त तीसरे व्यक्तिने नेकनीयतीसे खरीद की हो और उसको बेंचने वालेके हक़के एब (Defect) की सूचना न रही हो।

(क) ने ग़लत बयानीसे जिसे धोखा दिया जाना नहीं कहा जा सकता है। (ख) को इस बातके लिये राजी किया कि वह अपना घोड़ा उसको बेंच देवे या दे देवे। पहिले इसके कि (ख) मुवाहिदेको तोड़ देवे (क) ने उक्त घोड़ा (ग) के हाथ बेंच दिया। ऐसी हालतमें मालियत (ग) के हक़में मुन्तकिल हो गई (ख) अगर अपने नुक़सानका एवज चाहे तो वह (क) के विरुद्ध गलत बयानीके आधार पर हर्जेका दावा कर सकता है।

एक मामलेमें एक व्यक्तिने कुछ जवाहिरात पसन्द किये तथा जवाहिरातके स्वामीको यह झूठा यक़ीन दिलाया कि वह उक्त जवाहिरातके लिये अच्छा ग्राहक है और इसी कारण उसे माल भेजनेके लिये राजी कर लिया। इसके बाद उसने एक तीसरे व्यक्तिके पास उक्त जवाहिरातको रेहन कर दिया। अब उसने जवाहिरात के स्वामीसे इनवाइस (Invoice) भेजनेको कहा। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि मालका मालिक विक्रीसे हट नहीं सकता है और वह माल तीसरे व्यक्तिसे वापिस नहीं ले सकता है, देखो—ह्वाइट हार्न ब्रादर्स बनाम डवीसन (1911) 1 K. B. 463 C. A.

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके नामसे जवाहिरात वालेके यहां गया तथा एक अंगूठी खरीदी जिसकी क़ीमत अदा नहीं की उसने उस अंगूठीको एक जगह गिरवी रख दिया। गिरवी रखने वालेने नेकनीयतीसे उसे गिरवी रक्खा था। ऐसी हालतमें गिरवी वालेको अच्छा हक़ पहुंचेगा क्योंकि जवाहिरात वालेका उसके खरीदारके साथ दर-असल मुवाहिदा हुआ था जो बादमें मंसूख नहीं किया गया था, देखो—फिलिप्स बनाम ब्रुक्स (1919) 2 K. B. 243; 24 Com. Cas. 263; पियर्स बनाम लण्डन W N. (1922) P. 170 C.A.

इस दफाका प्रयोग उन मुवाहिदोंके सम्बन्धमें नहीं समझना चाहिये जो आदिसेही कलादम (Void) होवें अर्थात् यदि किसी ऐसे मुवाहिदेके आधार पर बेचने वालेको माल मिला हो जो शुरूहीसे रद्द समझा जा सकता हो तो वह अपने खरीदारको उस मालके सम्बन्धमें कोई हक नहीं पहुंचा सकेगा। क्योंकि इस दफाके अनुसार मुवाहिदा ऐसा होना चाहिये जो तोड़ा जा सकता हो अर्थात् उसका तोड़ना फरीककी इच्छापर निर्भर हो।

नेकनीयती (Good faith)—का सवाल इस दफाके सम्बन्धमें भी लागू है अर्थात् यदि खरीदार नेकनीयतीसे काम न करे तो मालमें अच्छा हक़ नहीं पहुंच सकेगा। इसका वर्णन पिछली दफाओंमें दिया जा चुका है।

यह भी आवश्यक बात है कि खरीदारको बायाके हक़का ऐब (Defect) मालूम न रहा हो अर्थात् यदि वह उक्त ऐबको जानते हुए ख़रीद करेगा तो उसको अच्छा हक़ उस जायदादके सम्बन्धमे नहीं पहुंच सकेगा।

दफ़ा ३० बिक्रीके बाद ख़रीदार या बेंचने वालेका क़ब्ज़ा

(१) यदि कोई व्यक्ति माल बेंच देनेके बाद माल पर या उसके हक़ सम्बन्धी दस्तावेज़ों पर क़ाबिज़ बना रहे या क़ब्ज़ेमें हो और वह या उसका व्यापारिक एजेंट उसकी तरफ़से उस माल या उसके हक़ सम्बन्धी दस्तावेज़को बिक्रीमें देवे या मुन्तकिल कर देवे या गिरवी रक्खे या और किसी प्रकारसे उसे अलाहिदा कर देवे और उसे लेने वाला व्यक्ति नेकनीयतीसे लेवे तथा उसे पहिलेकी बिक्रीकी सूचना न रही हो तो ऐसा सौदा वही प्रभाव रक्खेगा मानो देने या मुन्तकिल करने वाले व्यक्तिको खुलासा तौर पर मालके मालिकने उसके लिए अधिकार दे दिया हो।

(२) यदि कोई व्यक्ति किसी मालको ख़रीद कर या ख़रीदनेके लिए राज़ी हो कर बेंचने वालेकी रज़ामन्दीसे माल पर या माल पर हक़ प्रकट करने वाली दस्तावेज़ों पर क़ब्ज़ा हासिल करे और वह व्यक्ति या उसका व्यापारिक एजेण्ट उस की ओरसे मालको या बिक्रीके ज़रिये मालका हक़ प्रकट करने वाली दस्तावेज़को किसीको दे देवे या मुन्तकिल कर दे या गिरवी रख दे अथवा उसे और किसी तरह अलाहिदा कर देवे तथा उसको लेने वाला व्यक्ति नेकनीयतीसे उसे लेवे और उसे उस मालके असली बेंचने वालेके बार या और किसी हक़की सूचना न होवे तो उक्त सौदा वही प्रभाव रक्खेगा मानो उक्त बार या हक़ थाही नहीं।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफ़ा २५, व अङ्गरेजी फैक्टर्स एक्टकी दफ़ा ८ व ९, तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा १०८ के आधार पर समझना चाहिये।

इस दफ़ामें उन सूरतोंका वर्णन है जब माल बिक्रीके बाद ख़रीदार या बेंचने वालेके पास होवे परन्तु उसमें दूसरे फरीक़का हक़ पहुचता हो और ऐसा होते हुए वह किसी तीसरे व्यक्तिके हाथ बेंच दिया जावे तो उस तीसरे व्यक्तिका हक़ उक्त माल पर उस समय पहुच जावेगा जबकि उसने नेकनीयतीसे ख़रीदकी हो तथा उसे दूसरे फ़रीक़के हक या बारका पता न रहा हो।

(१) पहिली उपदफ़ामें बाया द्वारा दुबारा मालको बेंच दिये जानेका जिक्र है अर्थात यदि कोई व्यक्ति माल बेंच देनेके बाद उस पर या उसके हक़ सम्बन्धी दस्तावेज पर काबिज बना रहे तथा वह उसे किसी अन्य व्यक्तिके हाथ बेंच देवे रहन करदे या अन्य किसी प्रकारसे मुन्तकिल करदे तो वह माल इस अन्य व्यक्तिकी मालियत समझी जावेगी जबकि इसे पहिले ख़रीदारका इल्म न रहा हो और उसने नेकनियतीसे काम किया हो। ख़रीदारका व्यापारिक एजेण्ट भी उसकी तरफसे उक्त काम कर सकता है और उसका काम भी ख़रीदार द्वारा किये हुए कामकी तरह समझा जावेगा, देखो—निकोलस बनाम हारवर (1895) 2 Ch. 415; और भी जानसन बनाम क्रैडिट लायनस कम्पनी (1877) 3 C. P. C. D. 32, C. A.; 27 P. R. 1902.

(२) दूसरी उपदफामें ख़रीदार द्वारा उस समय मालके बेंच दिये जानेका जिक्र है जबकि बेंचने वालेका उस पर हक़ या बार बाकी होवे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिसे माल ख़रीदे अथवा ख़री-

देनेके लिये राजी होवे और बेंचने वाला उसको माल या मालके हक सम्बन्धी दस्तावेजोंको देदेवे परन्तु उस वक्त बेंचने वालेका हक उक्त माल पर बना हो या उसका बार माल पर पहुचता हो तो ऐसी हालतमें खरीदार द्वारा उक्त मालके बेंच जाने पर उसके खरीदार (दुबारा खरीदने वाले) को मालियत पहुंच जावेगी। इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस दुबारा खरीदने वालेको पहिले बेंचने वालेके हक या बारका इल्म न होवे तथा उसने नेकनीयतीसे सौदा लिया हो।

खरीदारका व्यापारिक एजेण्ट भी उसकी ओरसे उक्त प्रकार काम कर सकता है और उसका कामभी उसी प्रकार माना जावेगा जैसाकि स्वयं खरीदारका।

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे एक जमीनका टुकड़ा तथा एक मोटरकार खरीदनेको यह कह कर राजी हुआ कि यदि उसका वकील जमीनके हकके सम्बन्धमें राय देगा तो ऐसा किया जावेगा। उसने मोटरकार उससे हासिल करली परन्तु उसकी कीमत अदा नहीं की और उसे एक तीसरे व्यक्तिके हाथ बेंच दिया जिसने कि नेकनीयतीसे उसे खरीद किया। इसके बाद पहिले खरीदारके वकीलने जमीनके हकको बेंचने वालेके लिये काफी नहीं समझा और इसीलिये वह नहीं ली गई मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि मोटरकार खरीदने वालेका (यानी उक्त तीसरे व्यक्तिका) उस पर अच्छा हक पहुंचता है क्योंकि बेंचने वाला मोटर पहिले खरीदारको बेंचनेके लिये राजी था, देखो—मार्टन बनाम व्हेल (1917) 2 K. B 480 C. A.

यदि कोई व्यक्ति किराये व खरीदके इकरारनामेके अनुसार (Under Hire Purchase Agreement) काबिज होवे तो उसे ऐसा व्यक्ति नहीं माना जावेगा जो माल खरीदनेके लिये राजी हुआ हो क्योंकि वह अगर चाहे तो खरीदे और चाहे तो न खरीदे, देखो—बेलरीज मोटर कम्पनी बनाम कावत (1914) 1 K. B. 244; देखो और भी 46 Cal. 342.

बेंचने वालेकी रज़ामन्दीसे—यह बात आवश्यक है कि खरीदारका माल पर या मालके हक सम्बन्धी दस्तावेजों पर बेंचने वालेकी रजामन्दीसे कब्जा होवे तथा रजामन्दी वाकई रजामन्दी होना चाहिये, देखो—काइन बनाम पाकेट्स ब्रिस्टल चैनल स्टीम पैकेट कम्पनी (1899) 1 Q. B. 643 C. A.

माल या माल सम्बन्धी दस्तावेजों पर कब्जा लेनेमें रजामन्दी होना चाहिये और यदि रजामन्दीसे कब्जा दिये जानेके बाद बेंचने वाला उक्त रजामन्दीको न भी रक्खे तो इसे बेकार समझना चाहिये अर्थात खरीदारका कब्जा रज़ामन्दीहीसे माना जावेगा, देखो—(1899) 1 Q. B. 643 C. A.

नेकनीयती (Goodfaith) इसकी कोई खास परिभाषा इस एक्टमें नहीं दीहुई है। परिस्थिति को देखते हुए ही समझा जा सकता है। लेकिन जैसा दफा २७ में बतलाया जा चुका है कि यदि उतनी परवाह व होशियारीसे काम न लिया गया हो जो मामूली समझदार व्यक्ति द्वारा अपने काममें कीजाना चाहिये तो नेकनीयती नहीं मानी जावेगी।

व्यापारिक एजेण्ट (Mercantile Agent)—इसकी परिभाषा दफा २ में दी हुई है जिसके अनुसार व्यापारिक एजेण्टसे उस व्यापार सम्बन्धी काम करने वाले एजेण्टका तात्पर्य है जो मामूली तौर पर व्यापारके सिलसिलेमें माल बेंचने या माल बिक्रीके सम्बन्धमें देने या माल खरीदने अथवा उसकी ज़मानत पर रुपया लेनेका अधिकार रखता हो।

इस दफाके अनुसार खरीदार व बेंचने वालेके व्यापारिक एजेण्टोंके कामोंको उन्हींका किया हुआ काम समझना चाहिये जबकि वह काम उनके लिये किये गये हों।

चौथा प्रकरण

मुवाहिदेका किया जाना

दफा ३१ ख़रीदार व बेंचने वालेके कर्तव्य

बेंचने वालेका यह कर्तव्य है कि वह मालको देवे तथा ख़रीदारका यह कर्तव्य है कि वह मालको मंज़ूर करे और उसकी क़ीमत विक्रीके मुवाहिदेकी शर्तोंके अनुसार अदा करे।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेज़ी एक्टकी दफा २७ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिद की दफा ५१ के आधार पर लिखी हुई समझना चाहिये, देखो—S. 27, English Sale of Goods Act 1893; S. 51, The Indian Contract Act 1872.

इस दफामें ख़रीदार व बायाके आम कर्तव्यको बतलाया गया है।

बायाका यह कर्तव्य बतलाया गया है कि वह मालको देवे तथा यह देना मुवाहिदेकी शर्तोंके अनुसार होना चाहिये। इसी प्रकार ख़रीदारका यह कर्तव्य बतलाया गया है कि वह मुवाहिदेकी शर्तोंके अनुसार मालको मंज़ूर करे व उसकी क़ीमत अदा करे। यही विचार अङ्गरेज़ी एक्ट पास होनेसे पहिले भी कई मामलोंमें प्रकट किये जा चुके थे देखो—टामसन बंदर्स बनाम टामसन 1885 13 R 88; लायर्ड बनाम पिम (1841) 7 M. & W. 474.

कलकत्ता हाईकोर्टने भी एक मामलेमें यह विचार प्रकट किया था कि कोई व्यक्ति उस वक्त तक माल लेनेके लिये बाध्य नहीं है तथा वह क़ीमत अदा करनेके लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि बेंचने वाला मुवाहिदेके अनुसार उसको देनेके लिये तैय्यार व राजी न होवे देखो—15 Cal. 1 (8).

सिन्धकी अदालतने भी एक मामलेमें यही मत प्रकट किया है, देखो—16 S. L. R. 278; A. I. R. 1923 Sindh. 50.

यदि किसी मौजूदा (Existing) मालका सौदा हुआ हो तो उससे मिलता जुलता हुआ माल जो बादमें प्राप्त हुआ हो उस मुवाहिदेकी पूर्तिमें नहीं दिया जा सकता है जब तक कि दूसरा फरीक़ फिरसे इसके लिये रजामन्दी न दे देवे, देखो—(1885) 13 R. 88.

मालका दिया जाना (Delivery)—इसकी परिभाषा दफा २ के दूसरे क्लाज़में दी हुई है जिसके अनुसार जान बूझ कर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तिको क़ब्ज़ा मुन्तकिल करना मालका दिया जाना (Delivery) समझी जाना चाहिये, देखो—दफा (२).

दिये जानें (Delivery)—का वर्णन आगे चल कर दफा ३३ में भी किया गया है। उसके अनुसार बेंचे हुये मालका देना किसी ऐसे कामको करनेसे माना जा सकता है जिसके किये जानेको फरीक़ैनने मालका दिया जाना तय किया हो अथवा जिसके किये जानेसे माल ख़रीदार या उसकी ओरसे अधिकार प्राप्त व्यक्तिके पास क़ब्ज़ा पहुच जावे।

फरीकैनको अधिकार है कि वह मुवाहिदेमें मालका दिया जाना किसी भी प्रकारसे तय कर लेवे और जिस प्रकार उसका दिया जाना तय किया गया हो उसी प्रकार उसे देनेसे मालका दिया जाना मान लिया जावेगा।

दिये जाने (Delivery)—के सम्बन्धमें विशेष जाननेके लिये दफा २ (२) की व्याख्या तथा दफा ३३ के विवरणको देखना चाहिये।

मंजूर करना (Accept)—आगे चल कर दफा ४२ में बतलाया गया है कि 'मंजूर करना' (Acceptance) किसे कहते हैं तथा कब मंजूर किया जाना माना जा सकता है।

दफा ३२ अदायगी व देना एक साथकी जाने वाली शर्तें हैं

जब तक कि कोई विपरीत बात तय न हुई हो मालका देना व क़ीमतकी अदायगी एक साथकी जाने वाली शर्तें हैं अर्थात बेंचने वाला खरीदारको क़ीमतके बदले में माल पर क़ब्ज़ा देनेके लिए तैयार व राज़ी होवेगा तथा खरीदार बेंचने वालेको क़ब्ज़ा देनेके बदलेमें क़ीमत अदा करनेके लिए तैयार व राज़ी होगा।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफा २८ तथा क़ानून मुवाहिदाकी दफा ५१ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 28 English Sale of Goods Act; S. 51 The Indian Contract Act.

इस दफामें यह बतलाया गया है कि मालका दिया जाना व क़ीमतकी अदायगी दोनों एक साथकी जाने वाली शर्तें हैं अर्थात् बेंचने वालेको क़ीमतके बदलेमें माल पर क़ब्ज़ा देनेके लिये तैयार रहना चाहिये तथा खरीदारको क़ब्ज़ा मिलनेके एवजमें क़ीमत अदा करनेके लिये तैयार रहना चाहिये। परन्तु ऐसा उसी समय माना जावेगा जब कि मुवाहिदेमें इसके विरुद्ध कोई बात तय न हुई हो जैसे कि यदि उधार सौदा बेंचा गया हो तो वहां पर माल दिये जानेके एवजमें उसीके साथ क़ीमत अदा किये जानेका सवाल पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य शर्तोंके साथ किये हुए सौदोंका मामला समझना चाहिये।

एक मामलेमें यह तय किया गया था कि जहाज द्वारा भेजे हुए मालके सम्बन्धमें जहाजी दस्तावेज़ोंके दे देने पर जिसमें मालका दिया जाना साबित होता हो तो बेंचने वाला मालकी क़ीमत पानेका हक़दार समझा जावेगा। यह आवश्यक नहीं है कि वह क़ीमतके लिये उस समय तक इन्तजार करे जबतक कि माल ज़मीन पर उतार न लिया जावे तथा उसे खरीदार जांच कर मंजूर न कर देवे, देखो—क्लीमेंन्स बनाम बिडैल (1912) A. C. 18; 81 L. J. K. B. 42.

बेंचने वाला उस वक्त तक माल देनेके लिये बाध्य नहीं है जबतक कि क़ीमत अदा न की जा रही हो, देखो—ब्लोक्सन बनाम साण्डर्स 4 Barn. & Cress 948.

यदि माल उधार बेंचा गया हो तो इससे मतलब यह समझना चाहिये कि बेंचने वालेने फौरन क़ीमत अदा किये जानेके हक़को छोड़ दिया है और ऐसी हालतमें मालके दिये जानेके साथ क़ीमतकी अदायगीका सवाल नहीं पैदा होता है, देखो—जैक्सन बनाम जैकब 3 Bing. N. C. 869.

यदि खरीदार दिवालिया साबित हो तो चाहे माल उधार भी बेंचा गया हो बेंचने वाला उसे देनेसे इनकार कर सकता है, देखो—हीडर बनाम नैचवल 5 T. R. 218.

दफा ३३ देना

वेंचे हुए मालका देना किसी ऐसे कामको करनेसे हो सकता है जिसके लिये फ़रीकैनने यह तय किया हो कि उसका करना मालका देना मान लिया जावेगा या जिसका प्रभाव यह होता हो कि माल खरीदार या उसकी ओरसे क़ब्ज़ा रखनेके लिये अधिकार प्राप्त व्यक्तिके कब्ज़ेमें पहुंच जावे।

व्याख्या—

यह दफा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ९० के आधार पर बनाई गई है।

इस दफामें यह बतलाया गया है कि मालका दिया जाना कैसे हो सकता है। दो आम बातें इस सम्बन्ध में कही गई हैं। एक तो यह कि फरीकैनके दर्मियान यदि यह तय हुआ हो कि मालका दिया जाना किसी खास कामके करने पर माना जावेगा तो उस कामके किये जाने पर मालका दिया जाना समझना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि किसी कामके करनेसे माल खरीदार अथवा उसकी ओरसे अधिकार प्राप्त व्यक्तिके कब्ज़ेमें पहुंच जावे तो उसे भी मालका दिया जाना समझना चाहिये।

जब फरीकैनके दर्मियान माल दिये जानेके लिये किसी खास कामका किया जाना तय हुआ हो तब कोई खास दिक्कत नहीं समझना चाहिये क्योंकि उस समय केवल यह बात देखनेको रह जाती है कि आया वह खास काम किया गया है या नहीं। परन्तु दूसरी हालतमें यह देखना पड़ेगा कि माल खरीदार या उसके अधिकार प्राप्त एजेण्टको पहुंचा या नहीं और अगर पहुंचा तो उसका पहुचना उचित कब्जा दिया जाना माना जा सकता है या नहीं।

(क) ने एक घोड़ा (ख) के हाथ बेंचा तथा उसे अपने अस्तबलसे (ख) के अस्तबलमे पहुंचा दिया तो ऐसी हालतमें घोड़ेका (ख) के अस्तबलमें पहुचा दिया जाना मालका दिया जाना मान लिया जावेगा।

(अ) ने १०० गट्ठे रुईका आर्डर इङ्गलैण्डसे (ब) को दिया जो बम्बईमें तिजारत करता है तथा अपना जहाज भी रुईके लिये भेजा। उस जहाज पर रुईका लाद दिया जाना (अ) को मालका दिया जाना समझ लिया जावेगा।

(क) ने (ख) के हाथ कुछ खास माल वेंचा जो एक कोठेमें बन्द है उसके उस कोठेकी कुंजी (ख) को दे दी ऐसा किये जाने पर (ख) को मालका दिया जाना समझा जावेगा।

(क) ने (ख) को पांच कनस्टर तेल बेंचा तथा उन कनस्टरोंको खास तौरसे अलाहिदा कर दिया गया। (ख) ने वह कनस्टर (ग) के हाथ बेंच डाले (ग) ने उनको (क) के गोदामहीमें रक्खा रहने दिया तथा उसका किराया भी वह (क) को अदा करता रहा। इस अदायगीसे यह मान लिया जावेगा कि उक्त कनस्टर (ग) को दे दिये गये हैं।

(क) ने (ख) के हाथ ५० मन चावल वेंचे जो (ग) के गोदाममें रक्खे हुये थे। (क) ने एक आर्डर (ख) को (ग) के वास्ते दिया कि जिसमें वह माल (ख) को दे देवे। (ग) ने इसे मंजूर कर लिया तथा अपनी किताबोंमें उक्त मालको (ख) के नाम कर दिया। इस प्रकारके कामसे (ख) को मालका दिया जाना मान लिया जावेगा।

(क) १००० रुपये फी टनके हिसाबसे ५ टन तेल (ख) को बेंचनेके लिये राज़ी हुआ। उसका २० टन माल (ग) के यहा रक्खा हुआ था और इसीलिये उसने एक आर्डर (ग) को दिया कि वह ५ टन माल उसमेंसे (ख) को मुन्तकिल कर देवे। (ग) ने आर्डरके अनुसार ५ टन माल अपनी किताबोंमें (ख) के नाम कर दिया व इस मुन्तकिल किये जानेकी सूचना (क) के मुशीको दे दी जिसमें वह (ख) के पास पहुं-

भाई जा सके। (क) का मुंशी जब उसे (ख) के पास ले गया तो (ख) ने माल लेनेसे इन्कार कर दिया। क़ीमतकी अदायगी माल दिये जाते समयके लिये तय हुई थी। उक्त अवस्थामें यह नहीं माना जावेगा कि माल (ख) को दे दिया गया है क्योंकि (ग) उसका अधिकार प्राप्त एजेण्ट नहीं था और न बादहीमें उसने मालका दिया जाना मंज़ूर किया (ग) की किताबोंमें माल (ख) के नाम लिख दिये जानेहीसे उसको मालका दिया जाना नहीं माना जासकता है, देखो—Ill. (a),(b),(c),(d)(e) & (f) S. 90 of The Indian Contract Act 1872.

मालका दिया जाना जो मुवाहिदेके अनुसार न होवे उसे अच्छी तौरसे मालका दिया जाना नहीं कहा जा सकता है, देखो—12 Bom. 50.

यदि किसी ख़ास जगहसे माल दिये जानेका सौदा किया गया हो तो मिलता हुआ मोल किसी दूसरी जगहसे देना उचित रूपसे मालका देना नहीं समझा जा सकता है, देखो—2 B. L. R. (O. C.) 154.

मालका दिया जाना दरअस्ल (Actual) मालको देनेसे हो सकता है तथा इस प्रकारके कामसे हो सकता है जिससे मालका दिया जाना मान लिया जावे अङ्गरेज़ीमें जिसे (Constructive Delivery) कहते हैं॥

इसी प्रकार मालका दिया जाना पूर्ण रूपसे (Absolute) हो सकता है तथा वह शर्तके साथ (Conditional) भी हो सकता है।

'दरअस्ल मालका देना' (Actual Delivery) उस वक्त समझा जाता है जब कि बेंचा हुआ माल हाथके हाथ बेंचने वाले द्वारा ख़रीदारको दिया जावे।

यह आवश्यक नहीं है कि मालका दिया जाना स्वयं ख़रीदारको ज़ाती तौर पर होवे जिससे कि माल उसके शरीरमें छू गया हो माल ख़रीदारके अधिकार प्राप्त एजेण्टको या उसके नौकरको दिया जा सकता है या किसी ऐसे तीसरे शख़्सको दिया जा सकता है जिसे उसने माल लेनेके लिये नियुक्त किया हो, देखो—Bull V. Sibbs 8 T. R. 328.

एजेण्ट या नौकरको माल इस प्रकार दिया जाना चाहिये जिसमें कि मालिककी जिम्मेदारी पूरी तौर पर हो जाती हो तथा वह इकरारनामेके अनुसारही दिया गया हो, देखो—बेल बनाम बायल कूपर 294.

और यदि मालके दिये जानेका कोई ख़ास तरीक़ा मुवाहिदेमें न बतलाया गया हो तो बेंचने वालेको प्रचलित व आसान तरीक़ा इस्तेमाल करना चाहिए जो मालके दिये जानेके सम्बन्धमें चालू होवे।

यदि माल दूरसे भेजा जानेको होवे तो भेजने वालेको चाहिये कि वह माल भेजनेकी सूचना ठीक अवसर पर ख़रीदारको दे देवे और यदि उस किस्मके मालके बीमा करा दिए जानेका चलन होवे तो उसका बीमा करा देना चाहिये, देखो—कोपलैण्ड बनाम लुई 1 Stark N. P. C. 33.

यदि व्यापारके चलनके सिलसिलेमें किसी आम (Common) माल ले जाने वालेको माल दे दिया जावे तो इसे भी ख़रीदारको मालका दिया जाना कहा जा सकता है गो मालको रोकनेका हक़ बेंचने वाले के लिये बना रहेगा; स्टैण्टन बनाम ईगर 16 Pick 467.

यदि माल बेंचने वालेने माल उस जहाजमें दे दिया हो जिसे ख़रीदारने तय किया हो तो इसे मालका दिया जाना समझा जा सकता है, देखो इङ्गलिश बनाम यूशरवुड 1 East. 515.

जहां तक मालकी हकियतका सवाल है इस बातका कोई प्रभाव नहीं समझना चाहिये कि मालका भाड़ा किसने अदा किया है। ले जाने वाला आमतौर पर खरीदारका एजेण्ट माना जाता है, देखो—डट्टन बनाम सालोमन्सन 3 Bos & Pull 584.

मालका दिया जाना मान लिया जाना (Constructive Delivery)—जब कि माल इतना बड़ा या भारी होवे कि वह सहूलियतसे हाथमें नहीं दिया जा सकता हो तो ऐसा काम करनेसे मालका दिया जाना समझा जावेगा जिससे खरीदार उसका काबिज माना जा सके, देखो—लैशरनैस बनाम बेरी 38 Maine 80, 83.

जब कि माल स्वय बेंचने वालेके पास नहीं होवे तो ऐसी हालतमें भी माल दरअस्ल नहीं दिया जा सकता है परन्तु ऐसा काम किये जानेसे उसका दिया जाना मान लिया जावेगा जिससे कि वह खरीदारके पूर्ण अधिकारमें पहुच जावे।

या यदि किसी तीसरे व्यक्तिके पास माल होवे और वह खरीदारका कब्जा उस पर मान लेवे तो माल पर उसका कब्जा दिया जाना समझना चाहिये।

मालकी मालकियत प्रकट करने वाले किसी कामको करनेसे या किसी चीजके देनेसे जिससे कि मालिकाना हक खरीदारको मुन्तकिल होना होता हो उसे मालका दिया जाना माना जावेगा, देखो—चैपलिन बनाम राजर्स 1 East 192.

किसी निशान (Symbol) से मालका दिया जाना उसी समय समझा जावेगा जब कि उक्त निशान से मालकी मालियतका मुन्तकिल होना माना जा सकता हो, देखो—क्लार्क बनाम ड्रेपर 19 N. Hamp. 419; कार्ट राइट बनाम फोनिक्स 7 Califorria 281.

रसीद, टिकट, डाकवारण्ट (Dack warrent) सर्टीफिकेट आदि द्वारा मालका दिया जाना निशानसे मालका दिया जाना (Symbolical Delivery) समझी जा सकती है।

बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading) के दे देनेसे भी समुद्र परका माल दिया जाना माना जा सकता है, देखो—प्रेट बनाम पार्कमैन 24 Pike 42, 47.

यदि माल ऐसी जगह जमा हो जहां पर फरीकैन न पहुंच सक्ते हों और नमूनेसे बिक्री हुई हो तो ऐसी हालतमें दरअस्ल मालका दिया जाना नहीं हो सकता है बलकि ऐसे कामके करनेसे मालका दिया जाना माना जा सक्ता है जिससे खरीदारके पूर्ण अधिकारमें माल पहुचता हो, देखो—एण्डर्सन बनाम स्काट 1.Canl.235.

कुछ लट्ठे बेंचे गए जो ऐसी जगह पर थे जहां फरीकैन पहुच नहीं सकते थे। बायान बेंचनेके बाद वह लट्ठे खरीदारको दिखला दिये तो इसे मालका दिया जाना मान लिया जावेगा क्योंकि उनके सम्बन्धमें देनेका और कोई काम उस समय नहीं किया जा सकता था, देखो—जेवर बनाम वेरन 12 Mon. 300.

मालके सम्बन्धमें किसी कास्तेकी कार्रवाईका किया जाना भी मालका दिया जाना कहा जा सकता है जबकि वह दरअस्ल न दिया जा सकता हो। एक मामलेमें ९३ टन लोहेकी बिक्रीका सौदा हुआ जो एक जगह पर पड़ा हुआ था। फरीकैन उसी जगह मिले जहां लोहा पड़ा था। उसकी कीमत तयकी तथा कीमत की अदायगीका तरीका भी तय किया गया। इसके बाद वह दोनों लोहे पर चढ गये व बेंचने वालेसे खरीदारने कहा कि मैं तुमको तय कीहुई कीमत पर माल देता हूं। लोहा वहीं पड़ा रहा। इसके बाद एक तीसरे व्यक्तिने उसपर अपना दावा पेश किया कि वह उसे उठा लेगा। मामला चलाया जानेपर तय किया गया कि उक्त कार्रवाईको दरअस्ल मालका दिया जाना कहा जावेगा, देखो—कैल्किन बनाम लाकवुड 17 Comm. 154.

भारी मालके बेंचे जाने पर इसी प्रकार मालका देना होसकता है। जब कोई भारी हुई चीज बेंची जाती है तबभी ऐसेही माल दिया जा सकता है जैसेकि बंद मालके कोठोंकी चाबीका देना या तेल आदिके भरे हुए गट्ठाका सुपुर्द करना परन्तु यह चीजें सामने होना चाहिये व खरीदारको दिखला कर इन पर उक्त प्रकारसे कब्जा दिये जानेकी कार्रवाई की जासकती है, देखो—वाइनिंग बनाम गिलब्रेथ 39 Maine. 456.

शर्तके साथ मालका दिया जाना—जब माल किसी शर्तके साथ दिया गया हो तो उस शर्तकी पूर्ति पर मालका दिया जाना समझना चाहिये, देखो—बैरेट बनाम प्रियार्ट 2 Pick. 512.

जबकि मालकी बिक्री व दिया जाना इस शर्त पर तय किया गया हो कि मालियत उस समय तक नहीं पहुंचेगी जब तक कि क़ीमत खरीद न देदी जावे या उसके लिये जमानत न कर दीजावे तो इस शर्तके पूरा न किये जाने तक बेंचने वाला मालको अपने कब्जेमें ले सकता है व मालकी मालियत खरीदारकी नहीं समझी जा सकती है, देखो—हसे बनाम थार्नटन 4 Man. 5405.

दफा ३४ थोड़े मालके दिये जानेका प्रभाव

पूरे मालके दिये जानेके सिलसिलेमें मालके कुछ भागका दिया जाना उस मालकी मालियत पहुंचानेमें वही असर रखता है जैसेकि पूरे मालका दिया जाना। परन्तु यदि मालका कुछ भाग इस नीयतसे दिया जावे कि उसे पूरे भागसे अलहदा करतेहुए समझा जावे तो उसे बाक़ी मालका दिया जाना नहीं समझा जावेगा।

व्याख्या—

यह दफा भारतीय क़ानून मुवाहिदेकी दफा ९२ के आधार पर बनाई हुई समझना चाहिये।

अङ्गरेजी कामन लॉ (English Common Law) में भी यही नियम था कि किसी हिस्सेका दिया जाना कुलका दिया जाना समझना चाहिये जबकि ऐसीही नीयत रही हो और यही तयभी हुआ हो वरना नहीं। भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी उक्त दफा अक्षरशः रख दीगई है।

इस दफाके अनुसार यदि पूरे मालके दिये जानेके सिलसिलेमें उसका कुछ भाग दिया गया हो तो इससे मालियतके पहुंचने पर वही असर समझना चाहिये जो पूरे मालके दिये जानेसे होताहै। परन्तु इस नियमके साथमें यह शर्त लगा दीगई है कि यदि मालका कुछ भाग उसे पूरे मालसे अलाहिदा करते हुए दिया गया हो तो उससे बक़ीया मालका दिया जाना नहीं समझना चाहिये।

जो उदाहरण उक्त क़ानून मुवाहिदेकी दफा ९२ के साथमें दिये हुए हैं वह नीचे दिये जाते हैं इससे दफाका अर्थ समझनेमें अच्छी सहायता मिल सकती है।

(१) एक जहाज बन्दरगाहमें मालसे लदा हुआ आता है जो (क) के नाम है (क) उसका खरीदार है। जहाजका कप्तान उसे निकालना शुरू करता है तथा कुल मालके दिये जानेके सिलसिलेमें कुछ माल (क) को देता है। इसे (क) को मालका दिया जाना कहा जावेगा जिससे मालकी मालियतका मुन्तक़िल होना समझा जा सकता है।

(२) (क), (ख) के हाथ जलानेकी लकड़ीका एक ढेर बेंचता है जिसकी क़ीमत माल दिये जाने पर मिलनेको है। बिक्रीके बाद (ख), (क) से कुछ लकड़ी उक्त ढेरमेंसे लेनेकी ख्वाहिश प्रकट करता है तथा इसके लिये इजाजत लेलेता है। इसे कुल मालका लिया जाना नहीं कहा जा सकता है।

(२) (क) ने (ख) को ५० मन चावल बेचे। चावल (क) के गोदाममें ही रक्खे रहे। बिक्रीके बाद (ख) ने १० मन चावल (ग) को बेंचे और (क) ने (ख) की इच्छाके अनुसार उक्त १० मन चावल (ग) को देदिये। इस १० मनके दिये जानेको क़ानूनन् पूरे मालका दिया जाना नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि उसे पूरे भागसे अलाहिदा करते हुए लिया गया था।

सिक्के व करंसी नोट—इस दफाका प्रयोग प्रचलित सिक्कों व करंसी नोटके सम्बन्धमें नहीं समझना चाहिये, देखो—33 Mad. 196.

दफा ३५ ख़रीदार मांगे

किसी खुलासा मुवाहिदेको छोड़ कर मालको बेंचने वाला व्यक्ति मालको देनेके लिये उस वक्त तक वाध्य नहीं है जबतक कि खरीदार उसको न मांगे।

व्याख्या—

यह दफा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ९३ के आधार पर बनाई गई है, देखो—दफा ९३ इण्डियन कंट्राक्ट एक्ट। Indian Contract Act 1872.

अङ्गरेजी एक्टमें कोई ख़ास दफा इस सम्बन्धमें नहीं है, परन्तु यही सिद्धान्त उस क़ानूनके अनुसार भी माननीय समझा गया है। उसके अनुसार यह तय किया गया है कि जबतक कोई विरुद्ध राजीनामा न होवे बेंचने वाला माल ख़रीदारके पास भेजने या ले जानेके लिये बाध्य नहीं है। वह मालको ख़रीदारके अधिकारमें छोड़ सकता है या दे सकता है जिसमें कि वह उसे ले जा सके, देखो—Benjamin on Sale P.783.

इस दफ़ामें यह बतलाया गया है कि यदि कोई खुलासा मुवाहिदा होवे तो उसकी पाबन्दी की जावेगी वरना मालका बेंचनेवाला उसे देनेके लिये उस समय तक बाध्य नहीं है जबतक कि ख़रीदार उसके देनेके लिये न कहे।

एक मामलेमें यह तय किया गया था कि ख़रीदारको चाहिये कि वह तय की हुई क़ीमत देकर मालको देनेके लिये कहे जबकि मुवाहिदेमें इसके विरुद्ध कोई बात न होवे, देखो—7 Lah. 442; A. I. R. 1926 Lah. 318; A. I. R. 1928 Lah. 20.

जबतक ख़रीदारने माल देनेके लिये न कहा हो तबतक बेंचने वाला माल न देनेके कारण हर्जेका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, देखो—24 W. R. 178.

एक मुवाहिदेमें यह दिया हुआ था कि जैसेही रेलवे रसीद व मालकी पहुंचकी सूचना आये ख़रीदार क़ीमत अदा करके उसे लेवेगा तो ऐसी हालतमें भी यही समझना चाहिये कि ख़रीदारको माल देनेके लिये कहना चाहिये चाहे बायाने माल आनेकी सूचना दे दी हो, देखो—9 Lah. 148; A. I. R. 1928. Lah. 20 (2).

एक व्यक्तिने एक ख़ास जहाज पर आने वाले मालको दूसरेके हाथ बेंचा। मुवाहिदेके अनुसार किसी नियत तारीख़से दस दिनके अन्दर ख़रीदारको चाहिये था कि वह मालको देखकर पसंद करले और मालको ले लेवे। बेंचने वाला उक्त मियादके अन्दर माल दिखलाने या देनेसे मजबूर था। यदि ऐसी हालतमें बादमें माल आने पर बेंचने वाला उसे देखकर लेनेको कहे और ख़रीदार उसके देखने व लेनेसे इनकार कर देवे तो ख़रीदारके विरुद्ध हर्जेका दावा नहीं चल सकता है क्योंकि जहाजही ठीक समयसे नहीं आया था। इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जावेगा कि ख़रीदारने मालको नियत की हुई मियादके अन्दर मांगा था या नहीं, देखो—3 B. L. R. (O. C.) 103.

यदि यह तय हुआ हो कि बेंचने वाला बिना खरीदारके मांगेही मालको भेजेगा तो ऐसी हालतमें बेंचने वालेका यह कर्तव्य होगा कि वह मालको उचित समयके अन्दर भेज देवे देखो—1 M. H C. 162.

जबकि कोई व्यक्ति खरीदारकी ओरसे मालको नहीं मांगे बल्कि अपने मालिकनेके लिये बेंचने वालेसे माल देनेको कहे तो इसे इस दफाके अनुसार खरीदार द्वारा मांगा जाना नहीं कहा जावेगा और बेंचने वाला इसे माननेके लिये बाध्य नहीं है, देखो—15 B. 1 (6).

यदि मुवाहिदेमें कीमतकी अदायगी या माल दिये जानेके सम्बन्धमें कोई समय नियत किया गया हो तो उसका यह प्रभाव समझना चाहिये कि बेंचने वाला कीमतकी अदायगी पर माल देवेगा तथा खरीदार माल पाने पर क़ीमत अदा करेगा और इसलिये जो फ़रीक़ अपना मुवाहिदा पूरा करनेके लिये तैयार हो वह दूसरे फ़रीकसे उचित समयके अन्दर उसका मुवाहिदा पूरा करनेके लिये कह सकता है, देखो 2N.W.P.60.

एक मामलेमें यह तय हुआ था कि एक नियत किये हुए महीनेके अन्दर खरीदार किसी भी दिन एक हफ्तेका नोटिस माल दिये जानेके लिये बेंचने वालेको दे सकता है। खरीदारके नोटिस देने पर जबकि वह उक्त महीनेके अन्दर किसी भी दिन (चाहे शुरूमें चाहे बीचमें) दिया गया हो बेंचने वालेका यह कर्तव्य होगा कि वह हफ्ता खतम होतेही मालका देना शुरू कर देवे और यदि वह इस प्रकार माल नहीं देवेगा तो वह माल न देनेके आधार पर हर्जेका जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा, देखो—6 C. 681; 8 C. L. R. 225.

दफा ३६ देनेके लिये नियम

(१) यह प्रश्न कि आया खरीदारको माल पर क़ब्ज़ा लेना चाहिये या बेंचने वालेको चाहिये कि वह माल खरीदारके पास भेजे ऐसा प्रश्न है जो हर मामले में फरीक़ैनके खुलासा या छिपे हुए मुवाहिदे पर निर्भर है।

किसी ऐसे मुवाहिदेको छोड़ कर बेंचा हुआ माल उस जगह पर दिया जाना चाहिये जहां कि वह बिक्रीके समय रहा हो और वह माल जिसके बेंचनेका इक़रार हुआ हो उस जगह पर दिया जावेगा जहां पर कि वह बेंचनेका इक़रार करते समय रहा हो या यदि उस समय मौजूद न होवे तो उस जगह पर जहां वह बनाया या पैदा किया जाता हो।

(२) यदि किसी बिक्रीके मुवाहिदेके अनुसार बेंचने वाला खरीदारके पास माल भेजनेके लिये वाध्य होवे परन्तु इस प्रकार भेजनेके लिये कोई समय नियत न किया गया हो तो बेंचने वाला उसे उचित समयमें भेजनेके लिये वाध्य है।

(३) यदि बिक्रीके समय माल किसी तीसरे व्यक्तिके क़ब्ज़ेमें होवे तो बेंचने वाले द्वारा खरीदारको मालका दिया जाना उस समय तक नहीं कहा जावेगा जब तक कि वह तीसरा व्यक्ति खरीदारसे यह मंजूर न कर लेवे कि वह उसकी ओरसे माल रखता है।

परन्तु शर्त यह है कि इस दफाकी कोई बात मालके हक़ सम्बन्धी दस्तावेज़ के जारी किये जाने या मुन्तक़िल किये जाने पर कोई प्रभाव नहीं रक्खेगी।

(४) मांगना या माल देनेके लिये कहना उस वक्त तक बेअसर समझा जावेगा जब तक कि उचित समयमें न कहा गया हो। उचित समय क्या है यह एक वाक़याती सवाल है।

(५) जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात तय न कीगई हो मालको देनेकी हालतमें करनेके लिये तथा उसके सम्बन्धमें किये हुए खर्चे, बेंचने वाले द्वारा वर्दास्त किये जावेंगे।

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेज़ी क़ानूनकी दफ़ा २९ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा ९४ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S 29 English Sale of Goods Act 1893; S. 94 The Indian Contract Act 1872.

उक्त दोनों दफ़ाओंके कुछ कुछ भागको लेकर यह दफ़ा बनाई गई है:—

इसमें माल दिये जानेके नियम बतलाये गये हैं। दफ़ा पाच भागोंमें विभक्त है।

उपदफ़ा (१) में माल दिये जानेकी जगहके बारेमें बतलाया गया है। इस उपदफ़ाके पहिले हिस्सेमें माल पर क़ब्ज़ा देनेके तरीके पर प्रकाश डाला गया है जिसके अनुसार फ़रीक़ैनके मुवाहिदेकी खुलासा या अन्दाज़ा लगाई जाने वाली शर्तोंको देखते हुए यह समझा जा सकता है कि माल पर ख़रीदारको क़ब्ज़ा लेना चाहिये या उसे बाया द्वारा ख़रीदारके यहा भेजना चाहिये।

उक्त प्रकारके मुवाहिदेके अलावा यह समझना चाहिये कि माल उस जगह पर दिया जानेको है जहां पर कि वह बिक्रीके समय होवे अथवा जहा पर वह बेंचे जानेका मुवाहिदा किया जाते समय होवे और जब बिक्री या बेंचनेका मुवाहिदा होते समय माल तैय्यार न होवे तो उसका दिया जाना उस जगह पर समझना चाहिये जहा कि वह तैय्यार किया जानेको या पैदा किया जानेको होवे।

उपदफ़ा (२) में बतलाया गया है कि यदि बिक्रीके मुवाहिदेके अनुसार बेंचने वाला मालको ख़रीदारके यहा भेजनेके लिये बाध्य होवे परन्तु उसके भेजनेके लिये कोई समय न नियत किया गया हो तो ऐसी हालतमें बेंचने वालेका यह कर्तव्य होगा कि वह उसे उचित समयके अन्दर भेज देवे।

उचित समय (Reasonable Time) का प्रश्न एक वाक़याती प्रश्न है जैसाकि दफ़ा ६३ को देखनेसे भली भाति साफ़ साफ़ समझना चाहिये। इससे पहिले 'उचित समय' के प्रश्नको कभी कभी क़ानूनी प्रश्न माना जाता था तथा कभी वाक़याती प्रश्न और कभी कभी क़ानूनी व वाक़याती मिला हुआ प्रश्न माना जाता था। परन्तु अब इस एक्टके लिये दफ़ा ६३ से यह साफ़ कर दिया गया है कि 'उचित समय' का प्रश्न एक वाक़याती प्रश्न ही समझना चाहिये।

यदि माल भेजनेके लिये मुवाहिदेमें कोई समय तय किया गया हो तो उस समयके अनुसार माल भेज दिया जाना चाहिये वरना हर्जेका सवाल पैदा हो सकता है। यह बात ध्यानमें रहना चाहिए कि मामूली तौर पर समय बिक्रीके मुवाहिदेके सम्बन्धमें उसका एक खास अंग नहीं कहा जा सकता है जबतक कि ख़ास तौर से ऐसा तय न किया गया हो या मुवाहिदेसे ऐसा भासित न होता हो परन्तु फिर भी यदि समयके अनुसार मुवाहिदेके न किये जाने पर नुक़सान होवे तो हर्जेका दावा किया जा सकता है।

'उचित समय' के सम्बन्धमें भी यह समझना चाहिए कि यदि बेंचने वाला मालको उचित समयके अन्दर न भेजे तो ख़रीदार अनुचित देर होने पर नोटिस देकर मुवाहिदेको तोड़ सकता है, देखो—बैनसन बनाम लैम्ब 9 Beaven 502.

यदि मुवाहिदेके अनुसार माल किसी ख़ास दिन या उससे पहिले दिया जानेको होवे और वह उस दिन ऐसे समयमें दिया जावे जब कि ख़रीदार उसे देख सकता हो तथा माल बारा बजे रात तक सब दिया जा

सकता हो तो खरीदार उसको मंजूर करनेके लिये बाध्य समझा जावेगा, देखो—स्टार ट्रप बनाम मैकडानल्ड 6 Man & Cr. 593.

यदि मालके दिये जानेके सम्बन्धमें यह तय हुआ हो कि वह उस वक्त दिया जावेगा जब कि उसके लिये प्रार्थना की जावे अन्यथा जब उसकी आवश्यकता पड़े तो ऐसी हालतमें खरीदार द्वारा खास तौरसे माल दिए जानेके लिये कहा जाना चाहिये और ऐसा किये जाने पर यदि बेंचने वाला माल न देवे तो वह हर्जेका ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है अन्यथा नहीं जब तक कि वह माल देनेसे अपने आपही असमर्थ न हो गया हो यानी यह कि वह उक्त मालको दूसरेके हाथ बेंच चुका हो आदि, देखो—वाबेल बनाम पार्सन 10 East 359; एमेरी बनाम ब्राडेरिक 5 Barn & Ald. 712.

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि अगर बिक्रीके समय माल किसी तीसरे व्यक्तिके कब्जे में होवे तो खरीदारको मालका दिया जाना उस समय तक नहीं समझा जावेगा जबतक कि उक्त तीसरे व्यक्तिने खरीदारसे यह मंजूर न कर लिया हो कि वह उसकी ओरसे माल लिये हुए है। इस उपदफाके साथमें एक शर्त भी लगा दी गई है जिसके अनुसार इस दफाका प्रयोग मालके हक़ सम्बन्धी दस्तावेजोंके जारी या मुन्तक़िल किये जानेके सम्बन्धमें नहीं समझना चाहिये।

दस्तावेजोंके मामलेमें कानूनी या व्यापारिक चलनके अनुसार मालके मुन्तक़िल होनेका मसला समझा जावेगा। जैसे कि बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading) का दे देना एक प्रकारसे मालका देना मान लिया जाता है क्योंकि जो माल समुद्र पारही होवे उसके दिये जानेका और कोई तरीका नहीं हो सकता है।

बहुतसी दस्तावेजें बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading) के अनुसार नहीं होती है तथा उनका प्रयोग भी जायदादके मुन्तक़िल किये जानेके सम्बन्धमें प्रचलित नियमोंहीके अनुसार समझना चाहिये।

उपदफ़ा (४) मालका मांगना या देनेके लिये तैयार होना 'उचित समय' (Reasonable Hour) पर होना चाहिये अगर ऐसा न किया गया हो तो उसे मांगना या देनेके लिये तैयार होना नहीं समझा जावेगा। क्योंकि मान लो किसी व्यक्तिने आधी रातको माल मांगा हो तो उस समय बेंचने वाला माल देनेके लिये बाध्य नहीं समझा जावेगा क्योंकि वह समय व्यापारका नहीं है नौकर चाकर भी मौजूद नहीं होते हैं। इसी प्रकार यदि अंधेरेमें कोई बाया माल लेनेके लिये किसीसे कहे तो उस समयको उचित समय नहीं कहा जा सकता है जबकि मालके देखे जानेकी भी आवश्यकता रही हो क्योंकि माल वैसे मौके पर नहीं देखा जा सकता है।

इसी उपदफामें यह भी साफ कर दिया गया है कि 'उचित समय' (Reasonable Hour) का प्रश्न एक वाकयाती प्रश्न है जो वाकयात व परिस्थितिको देखते हुए प्रत्येक मामलेके सम्बन्धमें तय किया जाना चाहिये।

उपदफा (५) में यह बतलाया गया है कि मालको दिये जानेकी हालत (Deliverable State) में करनेके लिये तथा उस सम्बन्धमें जो खर्च होवे उसे बेंचने वाला बर्दाश्त करे। ऐसा नियम इस लिये उचित समझना चाहिए कि जब तक माल दिए जाने योग्य न होगा, खरीदार उसे कैसे ले सकेगा और इसी कारण सौदेका पूरा होना भी नहीं हो सकता है परन्तु यदि उक्त खर्चेके सम्बन्धमें इसके विरुद्ध कोई बात मुवाहिदेके अनुसार तय की गई हो तो उसकी पाबन्दी आवश्यक समझना चाहिए अर्थात् मुवाहिदेकी शर्तोंकी अवहेलना न करते हुए ही इस उपदफाके नियमोंका प्रयोग समझना चाहिए।

दफा ३७ ग़लत मिक़दारका दिया जाना

(१) यदि बेंचने वाला व्यक्ति खरीदारको उस मालकी मिक़दारसे कम देवे जिसके लिए मुवाहिदा किया हो तो खरीदार उसको नामंजूर कर सकता है लेकिन

यदि इस प्रकार दिए हुए मालको मंजूर कर लेवे तो वह उसकी क़ीमत मुवाहिदेकी दरके अनुसार अदा करेगा।

(२) यदि बेंचने वाला व्यक्ति खरीदारको उस मालसे ज्यादा मिक़दारमें दे देवे जिसके लिए मुवाहिदा हुआ था तो खरीदार मुवाहिदेमें दिखलाए हुए मालको मंजूर कर सकता है तथा बाक़ीको नामंजूर कर सकता है या वह सबको नामंजूर कर सकता है। यदि इस प्रकार दिए हुए सब मालको खरीदार मंजूर कर लेवे तो उसे मुवाहिदेकी दरके अनुसार उसकी क़ीमत अदा करना पड़ेगी।

(३) यदि बेंचने वाला व्यक्ति ख़रीदारको मुवाहिदा किए हुए मालके साथ दूसरे तफ़सीलका माल मिला कर देवे जो मुवाहिदेमें शामिल न हो तो ख़रीदारको अख़्तियार है कि वह उस मालको मंजूर कर लेवे जो मुवाहिदेमें दिखलाया गया है तथा बाक़ीको नामंजूर कर देवे या सबके सबको नामंजूर कर देवे।

(४) व्यापारके चलन या किसी ख़ास इक़रारनामा या फरीक़ैनके व्यवहार के तरीक़ेको ध्यानमें रखते हुए इस दफाके नियम समझना चाहिए।

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ३० व भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ११९ के आधार पर बनाई गई है। भारतीय क़ानुन मुवाहिदाकी उक्त दफासे अङ्गरेजी एक्टकी दफाको अच्छा मानते हुए उसीका अनुकरण किया गया है, देखो—S. 30 English Sale of Goods Act 1893; S. 119 Indian Contract Act 1872.

इस दफामें उन सूरतोंका वर्णन है जब कि मुवाहिदेसे कम या ज्यादा माल दिया गया हो अथवा मुवाहिदेका माल किसी दूसरे मालको मिला कर दिया गया हो।

उपदफा (१) में मालका दिये जानेका उल्लेख है। जब माल कम दिया गया हो तो उस समय ख़रीदारको दो रास्ते खुले हुए होते हैं यानी यह कि वह मालको नामंजूर कर सकता है और यदि वह चाहे तो उस कम मालको ले भी सकता है। मालके नामंजूर किये जाने पर क़ीमतकी अदायगीका सवाल पैदाही नहीं होता है परन्तु माल मंजूर कर लेनेमें क़ीमतकी अदायगीका सवाल पैदा हो जाता है। इस मालकी क़ीमत उसी हिसाबसे दीजाना चाहिए जिस हिसाबसे कि मुवाहिदेमें मालका लिया जाना तय किया गया हो अर्थात् माल मंजूर कर लेनेपर ख़रीदारको यह अधिकार नहीं है कि वह मुवाहिदेकी क़ीमतको घटा बढ़ाकर क़ीमत अदा करे।

परन्तु इस उपदफ़ाके साथ उपदफा (४) को देखनेसे यह प्रकट है कि उक्त अवस्थामें यदि व्यापारके चलनके अनुसार या किसी ख़ास मुवाहिदेके कारण अथवा फरीक़ैनके आपसके व्यवहारको देखते हुए कोई बात उक्त आम नियमके विरुद्ध साबित होती हो तो उसीके अनुसार काम किया जायगा जैसे कि व्यापारके चलनके अनुसार या आपसी व्यवहारमें यह तय होवे कि कम माल पहुंचने पर बेंचने वालेको कुछ बट्टा आदि देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी हालतमें ख़रीदार उक्त बट्टा आदिके पानेका हक़दार समझा जावेगा गोकि उपदफा (१) के अनुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

उपदफा (२) में वह सूरत बतलाई गई है जब कि मुवाहिदेसे अधिक माल पहुचाया गया हो इसमें तीन रास्ते ख़रीदारके लिये खुले हुए समझना चाहिये।

(१) पहिले यह कि वह मालको लौटा सकता है।

(२) दूसरे यह कि वह मुवाहिदेके अनुसार तय किये हुए मालको मंजूर कर सकता है तथा जितना अधिक माल हो उसे लौटा सकता है।

(३) तीसरे यह कि वह कुल मालको मंजूर कर सकता है।

माल लौटा देने पर क़ीमतकी अदायगीका सवालही नहीं रह जाता है तथा मुवाहिदेके अनुसार माल मंजूर करके बक़ीया मालको लौटा देने पर मुवाहिदेके अनुसार स्वभावतः क़ीमत अदा कीजाना चाहिये परन्तु पूरा माल ले लेने पर क़ीमतकी अदायगीका प्रश्न उपस्थित होता है। इस अवस्थामें क़ीमत उसी हिसाबसे अदा कीजाना चाहिये जिस हिसाबसे कि मुवाहिदेमें कीमत तय हुई हो। खरीदार क़ीमत कम करके अदा नहीं कर सकता।

इस उपदफ़ाके साथभी उपदफ़ा (४) के नियमोंको देखनेसे यह प्रकट है कि व्यापार चलन, खास मुवाहिदे या आपसके व्यवहारको ध्यानमें रखते हुए ही उक्त नियमको लागू समझना चाहिये अर्थात यदि कोई विरुद्ध बात व्यापार चलन आदिसे साबित होती हो तो उसकी पाबन्दी कीजाना चाहिये।

उपदफ़ा (१) व (२) में जिस मालके कम या ज्यादा दिये जानेका सवाल है वह माल उसी प्रकारका माल होना चाहिये जिसके लिये कि मुवाहिदा किया गया हो अन्यथा इन उपदफ़ाओंके नियम लागू नहीं होसकते हैं।

उपदफा (३) में उस सूरतको बतलाया गया है जबकि मुवाहिदेके मालके साथमें कोई दूसरा ऐसा माल मिलवा कर दिया गया हो जो मुवाहिदेमें शामिल न होवे। ऐसी हालतमें खरीदार या तो कुल मालको नामंजूर कर सकता है अथवा वह मुवाहिदेके मालको मंजूर व दूसरे मिले हुए मालको नामंजूर कर सकता है। माल मंजूर कर लेने पर क़ीमतकी अदायगी मुवाहिदेके अनुसारही समझना चाहिये।

उपदफा (४) के नियमोंका इस उपदफा पर भी वही प्रभाव समझना चाहिये जो उपदफा (१) व (२) के लिये है अर्थात व्यापार चलन, आमदनी व्यवहार व खास मुवाहिदेका ध्यान रखते हुएही उक्त नियमको लागू समझना चाहिये।

ऊपर बतलाये हुए उपदफा (१), (२) व (३) के नियमोंको अक्षरशः कार्य रूपमें परिणित करनेका प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये बल्कि उनको वृहद् रूपमें समझना चाहिये अर्थात यदि बड़ी तादादमें माल खरीदा गया हो और तौलकी वजहसे कुछ थोड़ासा माल बढ़ गया हो जिसके लिये बेंचने वालेकी ओरसे क़ीमतकी अदायगीका सवाल भी पैदा न किया गया हो तो ऐसी हालतमें उस थोड़ेसे माल बढ़नेके कारण खरीदार द्वारा वह माल नामंजूर नहीं कर दिया जाना चाहिये इसी प्रकारकी और भी सूरतें हो सकती हैं जिनमें मालका बढ़ना या घटना नहीं कहा जा सकता है जैसे कि महीन माल छन कर थोड़ा बहुत गिर जाता है व यथा स्थान पहुचते पहुंचते कुछ कम हो जाता है तो उसे भी हर हालतमें कमी नहीं कहा जा सकता है।

४९५० टन तकके गेहूंकी विक्रीका सौदा बेंचने वाले द्वारा जो माल दिया गया वह वजनमें ४९५० टन व ५५ पौंड हुआ बेंचने वाला उक्त ५५ पौंड बढ़ती मालकी क़ीमतकी अदायगीके लिये कोई जोर भी नहीं दे रहा था अर्थात् उक्त प्रकार उसे छोड़नेके लिये तैयार था। उक्त प्रकार दिया हुआ माल ठीक तौरसे दिया हुआ समझा जावेगा और खरीदार उसे नामंजूर नहीं कर सकता है, देखो—शिप्टन एण्डर्सन एण्ड कम्पनी बनाम वेल ब्रदर्स (1912) 1 K. B. 574 (577); 17 Com. Cas. 153 (163).

२०० टन व ५०० टनके दो थोक निबोलेका सौदा हुआ उनकी क़ीमतें भी भिन्न भिन्न रूपसे तय थीं। दोनों थोकोंका कुछ कुछ हिस्सा दे दिया गया परन्तु इसके बाद जहाज जिससे माल दिया जा रहा था आगे बढ़ गया। दूसरे बन्दरगाहमें होकर जब जहाज वापिस गया तब उसने बक़ीया माल उतारना चाहा।

ऐसी हालतमें खरीदारको अधिकार है कि वह उस मालको रख लेवे जो वह ले चुका है तथा बकीया मालको वह नामञ्जूर कर देवे, देखो—बेहरन्द एण्ड कम्पनी बनाम प्रोड्यूस ब्रोकर कम्पनी (1920) 3 K. B. 530; 25 Com. Cas. 286.

दो हजार गज सिये जाने वाली रुईका सौदा हुआ जिसकी क़ीमत अदा कर दी गई। मालकी क़िस्म के लिये यह तय हुआ कि यदि वह सौदाके मुवाफ़िक़ न होवे तो खरीदार उसे १४ दिनके अन्दर देख कर वापिस कर सकता है। माल दिये जानेके बहुत दिन बाद खरीदारको यह पता लगा कि माल तादादमें कम है इस पर मामला चलाया गया जिसमें यह तय हुआ कि १४ दिनकी शर्त मालकी क़िस्मके सम्बन्धमें हुई थी न कि उसकी तादादके लिये यदि माल दरअस्ल कम है तो खरीदार हर्जा पानेका हक़दार है, देखो—बैक एण्ड कम्पनी बनाम सिमनो विस्की (1924) A. C. 43 H. L.

दफा ३८ क़िस्तके साथ दिया जाना

(१) जब तक कि कोई बात इसके विपरीत तय न की गई हो, मालका खरीदार उसको क़िस्तसे लेनेके लिये बाध्य नहीं है।

(२) यदि मालकी बिक्रीका मुवाहिदा ऐसा होवे जिसके अनुसार मालका दिया जाना क़िस्तसे हो जिसके लिये अलाहिदासे क़ीमत दी जानेको होवे तथा बेंचने वाला एक या कई क़िस्तोंके सम्बन्धमें माल न देवे या ग़लत तौर पर माल देवे अथवा खरीदार एक या कई क़िस्तोंके लेनेमें लापरवाही करे या इनकार कर देवे या उसकी क़ीमत अदा न करे तो ऐसे प्रत्येक मामलेका प्रश्न मुवाहिदेकी शर्तों तथा परिस्थिति पर निर्भर समझना चाहिये कि आया मुवाहिदा शिकनी पूरे मुवाहिदा का छोड़ दिया जाना है या यह कि अलाहिदा किये जाने योग्य मुवाहिदा शिकनी है जिससे मुवाविज़ेका हक़ पैदा होता हो परन्तु पूरे मुवाहिदेको छोड़ देनेका हक़ पैदा न होता हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफ़ा ३१ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ३९ व १२० के आधार पर बनाई गई है उक्त दफ़ाओंके थोड़े थोड़े भागको लेकर इस दफ़ाकी रचना की गई है, देखो— S. 31, English Sale of Goods Act 1893; S. 39 & 120, The Indian Contract Act 1872.

इस दफामें क़िस्तसे माल दिये जानेके विषयका वर्णन है।

उपदफा (१) के अनुसार खरीदार मालको उस वक्त तक क़िस्तसे लेनेके लिये बाध्य नहीं कहा जा सकता है जब तक कि इसके लिये कोई मुवाहिदा न हुआ हो अर्थात् खरीदे हुए मालको एक साथ दिया जाना चाहिये थोड़ा थोड़ा करके नहीं।

एक मामलेमें इसी प्रश्नको तय करते हुए एक अङ्गरेजी अदालतने यह तय किया था कि मुवाहिदेको किये जाते समय उसे जैसेका तैसा पूरा करना चाहिये उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होना चाहिये जैसेकि यदि किसी व्यक्तिने कपड़ोंके एक सूट (Suit of Clothes) का आर्डर ७ पौंडकी क़ीमतमें दिया हो जिसमें ४ पौंड कोटके लिये २ पौंड पतलूनके लिये व १ पौंड वास्कटके लिये होवे तो ऐसी हालतमें बेंचने वाला सिर्फ़ कोट या सिर्फ़ पतलून देकर उसकी क़ीमत ४ पौंड या २ पौंड पानेका हक़दार नहीं समझा जा सकता है और न

खरीदार उन चीजोंको एक एक करके लेनेके लिये बाध्य समझा जा सकता है, देखो—हाक बनाम मुलर 7Q. B.D 92 (99) C. A.

बाज मौके पर ऐसा होता है कि क़िस्त तय न की गई हो परन्तु मुवाहिदेसे क़िस्तका अन्दाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि किसी मालके दिये जानेके सम्बन्धमें यह तय हुआ हो कि वह किसी नियत की हुई तारीख तक पहुंच जाना चाहिए तो इससे यह तात्पर्य निकाला जा सकता है कि मालको उसी तारीख पर या उससे पहिले किसी तारीख पर सबका सब एक साथ पहुँचानेकी आवश्यकता नहीं है बल्कि वह थोड़ा थोड़ा कर के उस तारीख तक सब पहुंचा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार जब किसी मियादके अन्दर माल दिये जानेका सवाल होवे तो मालका दिया जाना समझना चाहिए परन्तु ऐसा, मालकी क़िस्म आदिका ध्यान रखते हुए समझा जाना चाहिए यानी यह कि यदि माल अलाहिदा अलाहिदा न किया जा सकता हो या अलाहिदा अलाहिदा किये जानेमें नुक़सानकी सम्भावना हो तो उसका एक साथही दिया जाना उचित होगा परन्तु यदि माल अलाहिदा अलाहिदा ही दिया जा सकता हो अथवा उसको एक साथ देना असंभव हो तो अलाहिदा अलाहिदा देना उचित समझा जावेगा जैसाकि बालू, कङ्कड़ या मिट्टी आदिकी सप्लाईके ठकोंमे हुआ करता है।

फौजके लिये दिये जाने वाले राशन (Provision) यानी खाने पीनेके पदार्थोंके सम्बन्धमें भी यही नियम लागू समझना चाहिए चाहे मुवाहिदेमें सिर्फ यही तय हुआ हो कि किसी नियत मियादमें माल दिया जानेको है, देखो—कालोनियल इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ न्यूजीलैण्ड बनाम एडालेड इन्श्योरेन्स कम्पनी 12 Copp. Cas. 139 P. C.

उपदफ़ा (२) में उस सूरतको बतलाया गया है जबकि किसी मालका दिया जाना क़िस्तके अनुसार तय हुआ हो तथा उसकी कीमत भी उसी हिसाबसे अदा कीजानेको होवे। उक्त प्रकारका मुवाहिदा होने पर यदि खरीदार किसी क़िस्तको न लेवे या उसमें लापरवाही करे अथवा बेंचने वाला क़िस्त देनेमें लापरवाही करे या गलत तौर पर माल देवे तो मुवाहिदा पूराका पूरा भी तोड़ा जा सकता है तथा वह उसी क़िस्तके सम्बन्धमें अपूर्ण माना जा सकता है और उसके लिये हर्जेका दावा किया जा सकता है। पूरे मुवाहिदेका तोड़ना या क़िस्तहीको टूटा हुआ मान कर हर्जेके दावेका हक़ समझना मुवाहिदेकी शर्तों पर निर्भर है। यदि मुवाहिदेमें साफ तौर पर यह दिया हुआ होवे कि किसी क़िस्तकी शर्तोंके पूरा न किये जाने पर मुवाहिदा कुलका कुल तोड़ा जा सकता है तो ऐसी हालतमें क़िस्तकी पाबन्दी न होने पर पूरे मुवाहिदेको छोड़ा जा सकता है। और यदि मुवाहिदेमें साफ तौर पर कोई बात न दी होवे तो उसकी शर्तोंसे यह अन्दाजा लगाया जाना चाहिये कि आया किसी एक क़िस्तकी पाबन्दी न होने पर पूरा मुवाहिदा तोड़ा जाना चाहिये या नहीं। परिस्थिति तथा मुवाहिदेकी शर्तों पर ध्यान रखते हुए उक्त बात तय की जा सकती है।

एक सालमें क़िस्तसे किसी लकड़ीके दिये जानेका सौदा हुआ। पहिली क़िस्त दी गई जिसे खरीदारने किसी वजहसे नामंजूर किया जो बादमें फिजूलकी वजह साबित हुई तथा साथही साथ मुवाहिदेको भी तोड़ दिया। दूसरी क़िस्तको बेंचने वालेने बिल्कुल मुवाहिदेके अनुसार दिया परन्तु पहिली क़िस्त न लेनेके आधार पर खरीदारने इस क़िस्तको भी नामंजूर कर दिया। इस पर हर्जेका दावा किया गया। खरीदारने पहिली क़िस्तके मालको कम कीमती माल ठहरा कर उस पर हर्जेकी कमी करानी चाही परन्तु अदालतने इसे मंजूर नहीं किया अर्थात् वह बेंचने वालेके हर्जेका जिम्मेदार ठहराया गया, देखो—बेहवेट बनाम फारेन हार्डवुड कम्पनी (1905) 2 K. B. 543 C. A. यही विचार निम्न मामलेमें भी प्रकट किये गये थे, देखो—टेलर बनाम ओक्स रैनकारोनी एण्ड कम्पनी (1922) 27 Com. Cas. 261, 266.

दफा. ३९ लेजाने वाले या बन्दरगाहके मालिकको देना

(१) जबकि किसी बिक्रीके मुवाहिदेके अनुसार बेंचने वालेको अधिकार प्राप्त हो या उसका कर्तव्य होवे कि वह माल ख़रीदारके पास भेजे तो लेजाने वाले को माल इसलिये देना कि वह ख़रीदारके पास पहुंचादे चाहे ख़रीदारने उसका नाम बतलाया हो या न बतलाया हो अथवा मालका बन्दरगाहके मालिकको सही हिफ़ाज़तके लिये देना प्रकट रूपमें ख़रीदारको मालका देना समझा जावेगा।

(२) जब तक कि ख़रीदारसे किसी दूसरे प्रकारका अधिकार प्राप्त न होवे, बेंचने वाला व्यक्ति माल लेजाने वाले या बन्दरगाहके मालिकके साथ ख़रीदारकी तरफ़से ऐसा मुवाहिदा करेगा जो मालकी क़िस्म तथा मामलेकी दूसरी परिस्थिति को देखते हुए उचित होवे। यदि बेंचने वाला ऐसा करनेमें उपेक्षा करे और माल जानेकी हालतमें खो जावे या उसे नुक़सान पहुंचे अथवा बन्दरगाहके मालिककी हिफ़ाज़तमें होते हुए वह उक्त प्रकारसे खो जावे या ख़राब हो जावे तो ख़रीदारको अधिकार है कि वह ले जाने वाले या बन्दरगाहके मालिकको मालका दिया जाना अपनेको मालका दिया जाना नहीं माने अथवा बेंचने वालेको हर्जेका ज़िम्मेदार ठहरावे।

(३) जब तक कि कोई बात विरुद्ध न तय की गई हो यदि बेंचने वाला ख़रीदने वालेके पास माल ऐसे रास्तेसे भेजे जिसमें समुद्रसे गुज़रना होता हो तो उन मामलोंमें जिनमें बीमा करना मामूली तौर पर प्रचलित हो भेजने वालेका कर्तव्य होगा कि वह इसकी सूचना ख़रीदारको देवे जिसमें वह समुद्रसे ले जाते समय उस की बीमा करा सके और यदि बेंचने वाला ऐसा करनेमें ग़लती करे तो उक्त समुद्रसे जाते हुए माल उसके नुक़सानके ख़तरे पर रहेगा।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेज़ी एक्टकी दफा ३२ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ९१ के आधार पर बनाई गई है, देखो—Sec. 32 English Sale of Goods Act 1893; S. 91 The Indian Contract Act 1872.

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि ख़रीदारको मालका दे दिया जाना कब माना जावेगा। इस उपदफाका सम्बन्ध केवल क़ब्ज़ेके मुन्तक़िल (Transfer of possession) होनेसे है न कि मालियत के मुन्तक़िल होने (Transfer of the property) से जिसका उल्लेख दफा १८ से दफा ३० तकमें किया जा चुका है।

इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि जब बेंचने वाला मुवाहिदेके अनुसार माल ख़रीदारके पास भेजनेके लिये बाध्य होवे अथवा उसको अधिकार होवे कि वह मालको ख़रीदारके पास भेज सके और उक्त अधिकारके अनुसार वह माल ले जाने वालेको इसलिये दे देवे कि जिसमें वह ख़रीदारके पास पहुंचाया जा सके तो प्रकट रूपमें यह मान लिया जावेगा कि माल ख़रीदारको दे दिया गया है। इसी प्रकार उक्त मुवाहिदेके या अधिकारके अनुसार यदि माल हिफ़ाज़तके लिये बन्दरगाहके मालिकको दे दिया जावे तो भी यही माना जावेगा कि वह ख़रीदारको दे दिया गया है।

यह भी आवश्यक नहीं है कि माल उसी ले जाने वाले या बन्दरगाहके मालिकको दिया गया हो जिसके लिये खरीदारने बतलाया हो अर्थात् चाहे खरीदारने कोई नाम बतलाया हो या न बतलाया हो यदि माल उस के लिये ले जानेकी गरजसे या हिफाजतकी गरजसे दिया गया हो तो जाहिरा तौर पर यही मान लिया जावेगा कि माल खरीदारको दिया गया है।

परन्तु यदि कोई बात फरीकैनके दरमियान इसके विरुद्ध तय हुई हो अथवा दफा ६२ में बतलाई हुई स्थिति होवे तो उक्त बात नहीं मानी जा सकती है अर्थात् उस समय परिस्थितिको देखते हुएही मालका दिया जाना समझा जावेगा। जैसे कि यदि मालका दिया जाना किसी खास जगहके लिये तय हुआ हो तो ऐसे मामलेमें उक्त उपदफाके नियमको लागू नहीं समझना चाहिए, देखो—चाडिश बनाम बैसिल (1898) A. C. 200 (203).

एण्ट्वर्पमें कुछ माल बेंचा गया उसके लिये यह तय हुआ कि माल जहाजसे उसी प्रकार भेजा जावेगा जिस प्रकार खरीदार बतलाए तथा बिल आफ लेडिंग (Bill of Lading) मिलने पर कीमतकी अदायगीकी जावेगी। खरीदारने माल ओडेसाको रवाना करनेके लिये कहा तथा बेंचने वालेको यह इजाजत देदी कि वह खुद जिस जहाजको चाहे उसे पसन्द कर ले और उसीमें माल भेजदे। बेंचने वालेने २५ अगस्तको माल जहाज द्वारा रवाना कर दिया अर्थात् जिस जहाजमें उसने माल भेजा वह ता० २५ को रवाना हुआ। जहाज ता० २६ अगस्तको गायब हो गया। मालके जहाज द्वारा रवाना किये जानेकी सूचना खरीदारको २९ अगस्तसे पहिले नहीं मिली। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि उसे मालकी कीमत अदा करना चाहिये। मालका बीमा नहीं हुआ था उसके लिये यह राय प्रकटकी गई कि उसे बीमा करानेके लिये पर्याप्त सूचना मिल चुकी थी अर्थात् उसे काफी मौका था कि वह बीमा करानेके लिये कहता या बीमा करा लेता, देखो—बिम्बिल बनाम रोजेन बर्ग एण्ड सन्स (1913) 3 K. B. 743 C. A.

उपदफा (२)—इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि माल उपदफा (१) के अनुसार देते समय बेंचने वालेका यह कर्तव्य है कि वह ले जाने वाले या बन्दरगाहके मालिकके साथ उचित मुवाहिदा कर लेवे ऐसा न करने पर खरीदार अपनेको मालका दिया जाना नहीं मान सकता है तथा बेंचने वाला हर्जेका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

यदि उचित होशियारी व मेहनतके साथ माल ले जाने वाले अथवा बन्दरगाहके मालिकको दिया गया हो तो खरीदारही जिम्मेदार होगा, देखो—बुकम बनाम लैत्री 3 Camp 414. यही बात मद्रास हाईकोर्टने भी एक मामलेमें तयकी थी, देखो—A. I. R. 1924 Mad. 517.

खरीदने वाला व बेंचने वाला दोनों आपसमें माल भेजनेके सम्बन्धमें जो मुवाहिदा चाहें कर सकते हैं अर्थात् जिस तरीकेसे चाहें मालका भेजना आपसमें तय कर सकते हैं तथा इस दफासे इसमें कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। परन्तु यदि आपसमें भेजनेके सम्बन्धमें कोई मुवाहिदा न हुआ हो तो इस दफाके नियमको लागू समझना चाहिये।

यदि किसी मुवाहिदेके सम्बन्धमें फरीकैनने यह तय किया हो कि बेंचने वाला मालको खरीदारकी जिम्मेदारी पर भेजेगा तो ऐसी हालतमें ले जाने वालेको माल दिये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि खरीदारको माल दिया गया है, देखो—A. I. R. 1929 Mad. 685; 117 I.C. 136.

इस दफाका प्रयोग केवल समुद्र द्वारा ले जाने वाले मालहीके लिये नहीं समझना चाहिये किन्तु यह उस मालके लिये भी लागू समझना चाहिये जो खुश्की पर जावे या नावोंमें नहर आदि पर जावे, देखो—70

I. C. 138; A. I. R. 1923 Bom. 125; और भी देखो—क्लार्क बनाम हचिन्स (1891) 4 East. 475.

जब कि माल रेलवे कम्पनी द्वारा भेजा गया हो तो उसकी मालियत उस व्यक्तिको पहुंच जाती है जिसके नाम वह भेजा गया है और वही रेलवे कम्पनीके विरुद्ध माल कम हो जानेके सम्बन्धमें हर्जेका दावा कर सकता है, देखो—73 I. C. 537; A. I. R. 1924 Mad. 517.

यदि माल रेलवे द्वारा भेजा गया हो और रसीद भेजने वालेने स्वयं अपने नाम ली हो परन्तु वह उसे खरीदारके नाम कर देवे तथा उसे दे देवे तो ऐसी हालतमें रेलवे जिम्मेदार हो जाती है। खरीदार माल भेजने वालेको रास्तेके नुकसानका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है, देखो—108 I. C. 758.

उपदफा (३)—में यह बतलाया गया है कि जब कोई माल समुद्र होकर भेजा जानेको होवे तो भेजने वालेका यह कर्तव्य है वह खरीदने वालेको सूचना ऐसे मौके पर दे देवे कि जिसमें वह उसके बीमा करानेका इन्तजाम कर सके। ऐसा न करने पर भेजने वाला हर्जेका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है परन्तु ऐसा उसी समय होगा जब कि मालके बीमा करानेका चलन होवे।

भेजने वाला बीमा करानेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका कर्तव्य है कि वह खरीदारको ऐसे अवसर से सूचना देवे जिसमें कि वह उसका बीमा करा सकता हो, देखो—विम्बिल बनाम रिजनबर्ग (1913) 3 K. B. 743 (A. C.)

दफा ४० यदि दूरकी जगह पर माल दिये जावें तो उसमें पैदा होने वाली खराबीकी ज़िम्मेदारी

यदि बेंचने वाला व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी पर माल उस जगहके अलावा दूसरी जगह पर देनेके लिये राज़ी हो जहां बेंचते समय माल था तो यह होते हुए भी ले जानेमें जो खराबी मालमें होना आवश्यकीय है उसका ज़िम्मेदार खरीदार रहेगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात तय न हुई हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्ग्रेजी कानूनकी दफा ३३ के आधार पर बनाई गई है, देखो—Sec. 33 The English Sale of Goods Act 1893.

जब कि बेंचने वाला मालका किसी खास जगह पर देना तय करे तो ऐसी हालतमें जाहिरातौर पर वह उस खराबीका जिम्मेदार समझा जाता है जो इसके ले जानेमें हो जावे, देखो—वाडिश बनाम बैसिल चैम वर्क्स (1898) A C. 200.

परन्तु इस दफाके अनुसार कुछ जिम्मेदारी खरीदारके लिये भी रख दी गई है। मालके जानेमें यदि कोई आवश्यकीय नुकसान होवे अर्थात माल जानेमें स्वभावतः जो खराबी पैदा हो जावे उसका जिम्मेदार बजाय बेंचने वालेके खरीदने वालेको समझना चाहिये।

माल तैयार करने वाला व्यक्ति यदि यह तय करे कि वह तैयार किये हुए मालको दूसरी जगह भेजेगा तो भेजनेमें जो खराबी मालमें हो जावे उसकी जिम्मेदारी उसी पर होती है परन्तु यदि तैयार किया हुआ माल उतना ही खराब हुआ हो जितना भेजनेमें अवश्य होता है तो उसका जिम्मेदार खरीदार समझा जायगा, देखो—बुल बनाम राबिनसन 10 Exch. 346.

स्टैफोर्ड शायरमें लोहेकी पत्ती तैयार की जाती है उसके लिये यह सौदा तय हुआ कि वह स्टैफोर्ड शायरसे लिवरपुर भेजी जावेंगी। माल जनवरी फरवरीमें दिया जानेको था। बेंचने वालेने फरेश माल यानी साफ़ व चमकती हुई पत्तियां स्टैफोर्ड शायरसे लिवरपुरको रवाना कीं। माल गाड़ियों व नावों आदि पर ले जाया गया। लिवरपुर पहुंचते पहुंचते पत्तियोंमें कुछ जंग (Rust) लग गया परन्तु उतनाही जंग लगा था जितना कि ले जानेमें लग जाना आवश्यक था। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि बेंचने वाला हर्जेका जिम्मेदार नहीं है चाहे उक्त हद तक जंग लगा हुआ माल व्यापारके योग्य न रहा हो, देखो—बुल बनाम राबिनसन 10 Ex. 342; 24 L. J. Ex. 165.

यह दफा एक प्रकारसे बेंचने वालेकी जिम्मेदारी कम करनेके लिये बना दी गई है। भारतीय क़ानून मुवाहिदामें कोई दफा इस आशयकी नहीं है। तथा इस दफाको देखनेसे दूसरी दफाओंका अर्थ भली प्रकार समझनेमें भ्रम पैदा हो सकता है क्योंकि आमतौर पर मालके दिये जानेसे पहिले या मालकी मालियत मुन्तक़िल होनेसे पहिले ख़रीदार उसके नुक़सानका जिम्मेदार नहीं होता है। इस दफाके अनुसार वह उक्त हालतमें भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है परन्तु ऐसा उसी ख़राबीके सम्बन्धमें समझना चाहिये जो स्वभावतः मालके जानेमें पैदा हो सकती है अर्थात यदि बेंचने वाला ख़राब मालको भेजे या कोई ख़ास नुक़सान मालके जानेमें हो जावे तो ख़रीदार जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है किन्तु यदि नेकनीयतीके साथ व सावधानी पूर्वक अच्छा माल रवाना किया गया हो व रास्तेकी वजहसे उसमें कुछ ख़राबी हो जावे जो स्वभावतः हो सकती है तो बेंचने वाला ऐसी हालतमें जिम्मेदार नहीं रह जाता है उसकी जिम्मेदारी ख़रीदार पर हो जाती है।

दफा ४१ ख़रीदार द्वारा मालको जांचनेका हक़

(१) यदि ख़रीदारको ऐसा माल दिया गया हो जिसे उसने पहिलेसे न जांचा होवे तो उसके लिये उस वक्त तक मालका मंजूर करना नहीं माना जावेगा जब तक कि उसे उचित मौक़ा उसे जांचनेका न दिया गया हो जिससे वह निश्चित कर सके कि वह मुवाहिदेके अनुसार है।

(२) जब तक कि इसके विरुद्ध तय न किया गया हो तब तक यदि बेंचने वाला व्यक्ति ख़रीदारको माल देनेके लिये तैयार हो तो प्रार्थना किये जाने पर वह ख़रीदारको इस बातके लिये उचित मौक़ा देनेके लिये बाध्य होगा कि वह निश्चित कर सके कि माल मुवाहिदेके अनुसार हैं।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ३४ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ३८ (२) के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 34 English Sale of Goods Act 1893; S. 38 (2) Indian Contract Act 1872.

इस दफामें यह बतलाया गया है कि ख़रीदार द्वारा मालके देख लिये जाने पर उसका लिया जाना समझना चाहिये। दफा दो भागोंमें विभक्त है। पहिली उपदफाके अनुसार यदि ख़रीदारको ऐसा माल दिया गया हो जिसे उसने पहिले न देख लिया हो तो उसे उचित अवसर उसके देखनेके लिये देना चाहिये जिसमें वह समझ सके कि माल मुवाहिदेके अनुसार है। दूसरी उपदफामें यह बतलाया गया है कि यदि माल दिये जाते समय ख़रीदार मालको देखना चाहे कि आया वह माल मुवाहिदेके अनुसार है या नहीं तो बेंचने वालेका

यह कर्तव्य होगा कि वह मालको दिखला देवे परन्तु इसी उपदफामें यह भी कह दिया गया है कि यदि इसके विरुद्ध कोई बात फरीक़ैनके दर्मियान तय हुई हो तो उसकी पाबन्दी की जावेगी अर्थात वैसी हालतमें उक्त नियमको लागू नहीं समझना चाहिये। जैसे कि यदि बंद मालहीका सौदा हुआ हो तो बेंचने वाला मालको खोलकर दिखलानेके लिये बाध्य नहीं है।

इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि खरीदार मालको इस प्रकार ले लेवे जिससे कि उसकी पूरी मंजूरी प्रकट होती हो तो ऐसी हालतमें मालका मंजूर किया जाना मान लिया जावेगा और वह उसके बाद मालको नामंजूर नहीं कर सकता है, देखो—हार्डी एण्ड कम्पनी बनाम हिलर्न्स एण्ड फाउलर (1923) 2 K. B 490 C. A; 29 Com Cas. 30.

एक मामलेमें मालकी बिक्रीसे पहिले खरीदारने मालको देख लिया था परन्तु वह बेंचने वालेहीके पास रखा रहा। यह तय हुआ था कि खरीदार द्वारा आर्डर (Order) दिये जाने पर वह दिया जावेगा। बादमें खरीदारने मालको देखकर लेना चाहा परन्तु बेंचने वालेने दिखलानेसे इनकार किया ऐसी हालतमें खरीदार उसके लेनेसे इनकार कर सकता था, देखो—चामर्स बनाम पैटर्सन (1897) 34 Sc. L. K. 768.

नापनेका हक़—एक मामलेमें कुछ माल नीलाम किया जानेको था जिसके लिये मुश्तहरी व ऐलान किया गया कि, माल कई थोक्में बेंचा जावेगा व जैसा माल है वैसाका वैसा खरीदारको लेना पड़ेगा। यह भी ऐलान किया गया था कि माल ठीक तौरसे गजोंसे नाप कर रखा गया है। बोली खतम होने पर क़ीमतका चौथाई हिस्सा दे देना पड़ेगा व बादमें एक हफ्तेके अन्दर बाकी क़ीमत देकर सब माल उठा लेना पड़ेगा। खरीदारने बोली खतम होने पर चौथाई क़ीमत देदी व मियादके अन्दर बाक़ी क़ीमत देकर माल लेना चाहा परन्तु वह मालको नाप कर देखना चाहता था कि आया बेंचनेके अनुसार ठीक है या नहीं। नीलाम कुनिन्दाने मालको नपवानेसे इनकार किया। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि खरीदार क़ीमत देनेके लिये बाध्य था परन्तु क़ीमत देकर माल लेने पर वह उसके नापनेका हक़दार था जिसमें वह कमी मालके लिये मुजराई ले सके क्योंकि नाप बतला कर मालका सौदा हुआ था, देखो—पैटिट बनाम मिचैल 4 M. & G.819.

उचित मौक़ा (Reasonable opp rtunity)—यह प्रत्येक मामलेके वाक़यात पर निर्भर है। मालकी क़िस्म देखनेका समय तथा देखनेका स्थान इन सब बातोंका ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक समय पर तथा ठीक मौक़ेसे दिखलाया जाना आवश्यक है, देखो—स्टारटप बनाम मैकडानल्ड 6 Man. and G. 593; और भी A. I. R 1927 Mad. 62.

यदि माल नमूनेके अनुसार बेंचा गया हो तो ज़ाहिरा तौरपर मालका देखा जाना उस स्थान पर समझना चाहिये जहां कि वह दिया जानेको होवे, देखो—पार्किन बनाम बेल (1893) 1 Q.B.193(C.A.)

आम नियम यही है कि माल दिये जानेकी जगह पर माल देखा जाना चाहिय परन्तु खास मुआहिदेके होने पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाना चाहिये अर्थात उस समय उक्त आम नियमको लागू नहीं समझना चाहिये, देखो—साण्ट बनाम वेलचर एण्ड गिबन्स (1920) 26 Com. Cas. 115.

यदि माल पहिलेसे जाच लिया गया हो और तब दिया जावे तो ऐसी हालतमें उपदफा (१) के नियमको लागू नहीं समझना चाहिये। उपदफा (२) के नियमका प्रयोग उसी समय होगा जब कि खरीदार मालको देखनेके लिये इच्छा प्रकट करे अन्यथा नहीं। परन्तु इस उपदफामें यह भी बतला दिया गया है कि अगर फरीक़ैनके दर्मियान माल देखनेके सम्बन्धमें इस उपदफाके नियमके विरुद्ध कोई बात तय हुई हो तो

उसकी पाबन्दी की जावेगी और उस वक्त खरीदारकी प्रार्थना पर भी बेंचने वाला मालको दिखलानेके लिये बाध्य नहीं समझा जावेगा।

दफा ४२ मंजूर करना

खरीदारके लिये मालका मंजूर कर लेना उस वक्त मान लिया जावेगा जबकि वह बेंचने वालेको यह इत्तला देवे कि उसने उसे मंजूर कर लिया है। या जब कि माल उसको दे दिया गया हो और वह उसके सम्बन्धमें कोई ऐसा काम करे जो बेंचने वालेकी मालकियतके विरुद्ध पड़ता हो; अथवा जबकि उचित समयके बीतने पर वह मालको रोक लेवे और बेंचने वालेको यह इत्तला न देवे कि उसनें उसे नामंजूर किया है।

व्याख्या—

यह दफा अंग्रेजी एक्टकी दफा ३५ तथा भारतीय कानून मुवाहिदाकी दफा ८३ व ८७ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 35 English Sale of Goods Act 1893; S. 83 & 87 of the Indian Contract Act 1872.

इस दफामें मालके मंजूर किये जानेके सम्बन्धमें तीन बातें बतलाई गई हैं अर्थात तीन प्रकारसे मालका मंजूर किया जाना समझा जा सकता है :—

(१) यह कि जब खरीदार बेंचने वालेको यह इत्तला देवे कि उसने मालको मंजूर कर लिया है।

(२) यह कि जब माल खरीदारको दे दिया गया हो तथा वह उसके सम्बन्धमें कोई ऐसा काम करे जो बेंचने वालेकी मालकियतके विरुद्ध पड़ता हो।

(३) यह कि जब खरीदार उचित समयके बीतने पर भी मालको रोके रहे और बेंचने वालेको उसके नामंजूर किये जानेकी सूचना न देवे।

पहिली हालतमें मालके मंजूर किये जानेका प्रश्न बिल्कुल साफ है।

दूसरी हालतमें मालकी मंजूरीका मसला खरीदारके काम पर निर्भर है अर्थात यदि उसके कामसे यह समझा जा सकता हो कि उसने मालको अपना लिया है अथवा बेंचने वालेको उसका मालिक न मानते हुए कोई काम उसके सम्बन्धमें किया है तो ऐसी हालतमें मालकी मंजूरी समझ ली जावेगी जैसे कि उस मालको कहीं गिरवी रख देना या बेंचने वाले किसी आदमीको माल न उठाने देना इत्यादि काम।

तीसरी हालतमें मालकी मंजूरी उस समय मान ली जावेगी जब कि उसके विरुद्ध कोई बात प्रकट न की गई हो तथा माल पर भी कब्जा कायम रखा गया हो। परन्तु यह ध्यानमें रहना चाहिये कि थोड़ी देरके लिये मालका रोक लिया जाना मंजूरी मान लेनेके लिये काफी नहीं होगा। उचित समय व्यतीत होने पर भी यदि माल न लौटाया गया हो तथा नामंजूरीकी कोई सूचना भी न दी गई हो तो ऐसी हालतमें मालकी मंजूरी समझ ली जावेगी।

मंजूरीकी सूचना प्रकट रूपमें होना चाहिये—एक मामलेमें मुद्दई एक पुरानी मशीन मुद्दालेहको बेंचनेके लिये राजी हुआ। मशीन डरटन नगरमें थी और उसके बाबत यह कहा गया था कि वह करीब करीब नई है। मुद्दालेहने उस मशीनको नहीं देखा था। २८ जूनको मुद्दईने उक्त मशीन रेलगाड़ीके जरिये मुद्दालेहके पास रवाना करदी। दूसरी जुलाईको मुद्दालेहने मुद्दईको यह लिखा कि मशीन बहुत पुरानी है तथा उसकी मरम्मत की गई है और इससे उसके किसी कामकी न होगी। लेकिन वह अगले हफ्तेमें हडरसन

फॉल्ड नामी मुकाममें होगा और मुद्दईसे उस समय मिलेगा। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि मशीन उसकी तफ़सील बतला कर बेंची गई थी और इसी कारण मुवाहिदा होतेही उसकी मालियत मुन्तकिल नहीं हुई थी परन्तु वह मंजूर किये जाने पर बादमें मुन्तकिल हो सकती थी। चूंकि खरीदारने मशीनको मंजूर नहीं किया था इसीलिये बेंचने वाला उसकी क़ीमत वसूल नहीं कर सकता है, देखो—बारली बनाम हिप (1900) 1 Q. B. 513.

मालका पाना व मालका मंजूर करना—मालका पाना व मालका मंजूर करना एकही बात नहीं है। जैसे कि यदि बेंचने वालेने मालको भेजा हो और वह खरीदारको मिल जावे तो केवल उसका मिलनाही मंजूरी नहीं समझी जावेगी। उसकी मंजूरी उस समय मानी जावेगी जब कि वह मालको मंजूर करले या उचित समयके अन्दर उसे नामंजूर न कर देवे, देखो—बियाश्री बनाम नैश 1 M. & W. 545.

बेंचने वालेकी मालियतके विरुद्ध कोई काम करना—इससे तात्पर्य किसी ऐसे कामका समझना चाहिये जिससे खरीदार बेंचने वालेको मालका मालिक न मानता हो जैसे कि नमूना देखनेके बाद मालको किसी दूसरेके हाथ बेंच देना, देखो—पारकिन्स बनाम बैल (1893) 1 Q. B. 193; हार्डी बनाम हिलर्न्स (1923) 2 K. B. 490.

माल पर हक़ प्रकट करने वाली दस्तावेजोंको रोक रखना या उनको इस्तैमाल करना भी बेंचने वाले की मालकियतके विरुद्ध काम करना समझना चाहिये, देखो—करी बनाम एण्डर्सन 2 E. & E. 592; 29 L. J. Q. B. 87; टेलर बनाम ग्रेट ईस्टर्न रेलवे (1901) 2 K B. 774.

(क) के पास कुछ शक्करका ढेर था जिससे बीससे अधिक बोरियां भरी जा सकती हैं उसने १० बोरी शक्कर बेंचनेका सौदा (ख) के साथ किया, मुवाहिदेके बाद (क) ने शक्करसे बीस बोरियां भर दीं और (ख) को यह सूचना दी कि बोरियां तैयार हैं वह उनको ले जावे। (ख) ने यह जवाब दिया कि जितनी जल्दी हो सकेगा वह उसे ले जावेगा। इस प्रकार मालको सौदेके लिये तैयार करने व (ख) द्वारा रज़ामन्दी दे दिये जाने पर सौदेका मालिक (ख) हो जाता है। अर्थात् मालकी मजूरी उक्त अवस्थामें समझी जाना चाहिये।

(क) ने (ख) के साथ उस तमाम नीलके बेंचनेका सौदा किया जो उसकी फैक्टरीमें आयन्दा सालमें तैयार होनेको है।, नीलके तैयार होने पर (क) ने (ख) को यह मंजूरी देदी कि वह नील उसकी बद पर रखे हुए हैं ऐसी हालतमें उक्त मंजूरीसे मालकी मालियत (ख) को पहुंच जाती है।

(क) ने (ख) के साथ उस तमाम फसलको बेंचनेका सौदा किया जो खड़ी हुई फसलके बाद पैदा होनेको है। उक्त फसलके होने पर (ख) ने (क) से उस पर कब्जा देनेको कहा जिसे (क) ने मंजूर नहीं किया ऐसी हालतमें फ़सलकी मालकियत (ख) की नहीं समझी जाना चाहिये गो वह मुवाहिदा शिकनीके आधार पर हर्जेका दावा कर सकता है।

एक मामलेमें रोसैरोसे कुछ गेहूकी बिक्रीका सौदा किया गया। खरीदारने बिला भली भांति जांच किये हुए उस गेहूके बहुतसे भागको मुख्तलिफ़ तौर पर दूसरे खरीदारोंके हाथ बेंच डाला। इसके बाद उसने फिर मालको जांचा और यह मालूम किया कि माल ठीक प्रकारका नहीं है। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि उसको दुबारा माल पसद करनेका अधिकार नहीं था अर्थात मालकी मंजूरी उक्त वाक़यातसे मान ली जावेगी, देखो—हार्डी एण्ड कम्पनी बनाम हिलर्न्स एण्ड फाउलर 2 K. B. (1923) 490 C. A; 29 Com. Cas. 30.

एक व्यक्तिने कुछ चावल खरीदे थे, उसके नमूनेको पहिले देख चुका था, बादमें फिर चावलके ढेरसे उसने नये नमूनेको निकाल कर देखा जो पहिले देखे हुए नमूनेसे नीचे दर्जेका था जिसके अनुसार उसने माल खरीदा था। इसके बाद उसने उक्त चावलको एक नियत क़ीमत पर नीलामसे बेंचना चाहा परन्तु वह नियत की हुई क़ीमत नहीं आई इससे माल नहीं बेंचा गया। इसके बाद उसने मालको नीचे दर्जेका करार देते हुए नामंजूर कर दिया। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि चूंकि खरीदारने मालको नीचे दर्जेका जानते हुए उसको मालिक बनकर बेंचना चाहा था इसलिये उसके एतराजको रद्द समझना चाहिये क्योंकि वह अपने ऐसे अधिकारको एक प्रकारसे छोड़ चुका है, देखो—पार्कर बनाम पामर 4 B & A. 387.

एक मामलेमें मुद्दईने डिप्पी मुक़ामसे कुछ माल जहाजके जरिये मुद्दालेहके पास रवाना किया जो बिसबीना नामी स्थानमें था। माल माह दिसम्बरमें पहुचा। उसके पहुंचने पर मुद्दालेहने मुद्दईको लिखा कि माल नमूनेके माफिक नहीं है परन्तु उसने जांचके लिये कुछ माल उतार लिया उसे नमूनेके मुवाफिक़ न मानते हुए भी सब माल उतार लिया और एक जगह पर रखवा दिया। बादमें २४ जनवरीको मुद्दईको यह सूचना दी कि माल उसकी जिम्मेदारी पर पड़ा हुआ है वह उसे वापिस ले जावे जिसके लिये मुद्दालेह राजी नहीं हुआ। बीचमें समझौतेकी कुछ बात चीत हुई परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ। मुद्दालेहने मुद्दईको लिख दिया कि माल उसकीही जिम्मेदारी पर वहां है। इसके बाद यह सूचना दी कि वह कोई इत्तला न आने पर मालको बेंच देगा व क़ीमतसे अपना हर्जा वसूल कर लेगा। मुद्दईने यह जवाब दिया कि मुवाहिदा पूरा हो चुका है और मुद्दालेह ही मालका जिम्मेदार है। मुद्दालेहने अपने नामसे मुश्तहरी करके मालको अपनेही नामसे तीसरे व्यक्तिके हाथ बेंच डाला। मामला चलाया जाने पर यह तय हुआ कि शुरूमें सौदा पूरा नहीं हुआ था परन्तु सब वाक़यातको देखनेसे व खास कर मुद्दालेह द्वारा मालको अपने नामसे बेंच देने पर यही माना जावेगा कि उसने मालको मंजूर कर लिया है इसीलिये वह क़ीमतकी अदायगीका जिम्मेदार ठहराया गया, देखो—चैपमैन बनाम मार्टिन 11 M. & W. 534.

खरीदार द्वारा मालके बेंच दिये जाने पर सदैव यह न समझ लेना चाहिये कि माल मंजूरही कर लिया गया है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मालको जांचनेका मौका खरीदारको न मिला हो और ऐसी हालतमें वह उसे बेंच देवे तो उसके बाद मालको जांचने पर वह नामंजूर किया जा सकता है। ऐसा उन सौदोंके सम्बन्धमें हो सकता है जो बिना मालको देखे हुए या उसको लिये हुए खरीदार द्वारा कर दिये जाते हैं। इस सम्बन्धमें देखो—मार्टिन बनाम हिबट 19 L. J. Q. B. 382.

यदि मालको मुवाहिदेके अनुसार न जानते हुए भी उसमेंसे कुछ ले लिया जावे तो उससे मालकी मंजूरी समझी जावेगी।

एक मामलेमें २५ बोरे आटेका सौदा हुआ। खरीदारने मालको सौदेके अनुसार नहीं पाया परन्तु उसमें से दो बोरे लेकर इस्तैमाल किये और आधा बोरा बेंच भी डाला। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि मालकी मंजूरी उक्त वाक़यातसे मानी जावेगी, देखो—हारनर बनाम ग्रोव्स 15 L J.Q.B. 382.

उचित समय (Reasonable Time)—यह प्रत्येक सौदेके वाक़यातको देखते हुए तथा बाज़ार चलनको ध्यानमें रखते हुए तय किया जाना चाहिये जैसे कि लिवरपुलके गल्लेके बाजारमें यह चलन था कि यदि माल नामंजूर किये जानेको होवे तो उसकी सूचना एक दिनके अन्दरही बेंचने वालेको देदी जाना चाहिये और यदि ऐसा न किया गया हो तो मालके नामंजूर करनेका हक़ जाता रहता है, देखो—साण्डर्स बनाम जेम्सन 2 C. & K 557.

उचित समयको समझनेके लिये बेंचने वालेके व्यवहारको भी ध्यानमें रखना चाहिये जैसे कि यदि बेंचने वालेने झूठा यक़ीन दिलाकर खरीदारको कुछ समय तक धोखेमें रखा हो तो ऐसी हालतमें खरीदारको मालकी नामजूरीके लिये कुछ अधिक समय समझना चाहिये, देखो—हेल्वर बनाम फ़िक्सन 7 C. P. 438 (452).

बेंचने वालेकी खामोशीसे भी खरीदारको नामजूरीके लिये कुछ अधिक समय मिल सकता है। जैसे कि यदि माल पहुंचने पर खरीदार बेंचने वालेको यह लिखे कि माल खराब है और वह उसे वापिस कर देगा परन्तु बेंचने वाला उसका जवाब देरमें देवे तो ऐसी हालतमें खरीदारको नामजूरीका अधिकार देर तक बना रहताहै, देखो - लूसी बनाम मौफ़ियट 5 H & N. 229.

दफा ४३ नामंजूर किये हुए मालको वापिस करनेके लिये ख़रीदार वाध्य नहीं है

जब तक कि कोई बात इसके विरुद्ध न तय कीगई हो तब तक यदि खरीदार को माल दिया गयाहो और वह अपने अधिकारके अनुसार उसे मंजूर करनेसे इनकार कर देवे तो वह बेंचने वालेको उक्त माल वापिस देनेके लिये वाध्य नहीं है लेकिन यह काफ़ी होगा अगर वह बेंचने वालेको माल लेनेसे इनकार करनेकी इत्तला देदेवे।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ३६ के आधार पर बनाई गई है, देखो—दफा 36 English Sale of Goods Act 1893.

इस दफामें यह बतलाया गया है कि खरीदार मालको वापिस भेज देनेके लिये वाध्य नहीं है। यदि वह नामंजूरीकी इत्तिला बेंचने वालेको दे देवे तो इसे काफ़ी समझना चाहिये। परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि नामंजूरीकी इत्तिला उसी समय काफ़ी समझी जावेगी जबकि खरीदारको नामजूर करनेका अधिकार प्राप्तहो।

अगर मुवाहिदेमें उक्त नियमके विरुद्ध फरीक़ैनने कोई बात तय कर रक्खी हो तो उसकी पावन्दी आवश्यक समझना चाहिये अर्थात् उस समय इस दफ़ाके नियमका लागू होना नहीं माना जावेगा।

भारतीय क़ानून मुवाहिदेमें कोई खास नियम इस दफाके अनुसार नहीं था परन्तु फिर भी कुछ मामलोंमें फैसले ऐसेही नियमको उचित ठहराते हुए किये गए हैं जैसे कि एक मामलेमें यह तय किया गया था कि यदि खरीदार मालको लेनेके लिये तैयार न होवे तो उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने खर्चेसे माल देनेकी जगहसे उसे बेंचने वालेके पास भेजे, देखो—35 All. 325; 19 I. C. 254.

यह बात ध्यानमें रहना चाहिये कि खरीदारकी इन्कारी साफ़ लफ्जोंमें होवे अगर उसने साफ़ लफ्जोंमें नामंजूरीकी सूचना न दी हो और मालको भी वापिस न भेजा हो तो इस दफ़ाके अनुसार काफ़ी इत्तिला नहीं समझी जावेगी।

दफा ४४ मालके लेनेमें लापरवाही करने या इन्कार करने पर ख़रीदारकी ज़िम्मेदारी

जबकि माल बेंचने वाला मालको देनेके लिये तैय्यार व राज़ी होवे तथा वह ख़रीदारसे उसके लेनेकी प्रार्थना करे और खरीदार इस प्रार्थनाके बाद उचित समय

बीत जानेपर मालको न लेवे तो वह बेंचने वालेके उस नुक़सानका जिम्मेदार समझा जावेगा जो उसे माल लेनेमें लापरवाही या उसके न लेनेके कारण हुआ हो और उसे मालकी रक्षा व हिफ़ाज़तके लिये उचित व्ययके लिये भी ज़िम्मेदार समझना चाहिये।

परन्तु शर्त यह है कि इस दफ़ाकी किसी बातका प्रभाव बेंचने वालेके हक़ पर उस समय नहीं पड़ेगा जबकि ख़रीदारकी लापरवाही या माल लेनेसे इनकार करना ऐसा हो जिससे मुवाहिदेका तोड़ दिया जाना समझा जा सकता हो।

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफ़ा ३७ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 37 English Sale of Goods Act 1893.

भारतीय क़ानून मुवाहिदामें कोई इस किस्मका नियम नहीं है किन्तु अङ्गरेजी क़ानूनकी उक्त दफ़ाको उपयुक्त मानते हुए भारतीय सौदोंके लिये भी उक्त नियमका रख दिया जाना मुनासिब समझा गया और इसी लिये सिलेक्ट कमेटीने उक्त दफ़ाके बनाये जानेकी सिफ़ारिश की थी, देखो—Report of Select Committee.

जब कि बेंचने वाला मालको देनेके लिये तैयार व राजी होवे तथा वह ख़रीदारसे उसके लेनेके लिये प्रार्थना करे तभी इस दफ़ाके नियमको लागू समझना चाहिये अन्यथा नहीं।

बेंचने वालेकी उक्त प्रकारसे प्रार्थना होने पर यदि उचित समयके अन्दर ख़रीदार मालको न लेवे तब बेंचने वालेको अपना नुकसान वसूल करनेका हक़ पैदा हो जाता है वह केवल अपना नुक़सानही वसूल नहीं कर सकता है बल्कि ख़रीदारसे मालकी रक्षाके लिये तथा उसके रखनेके बदले उचित ख़र्चा भी ले सकता है।

यदि बेंचने वालेके पास माल तैयार न हो किन्तु वह ख़रीदारसे उसके लेनेके लिये कहे तो ऐसी हालत में इस दफ़ाके नियमको लागू नहीं समझना चाहिये।

इसी प्रकार यदि ख़रीदार उक्त प्रार्थनाके बाद उचित समयके अन्दर मालको लेनेनेके लिये तैयार होवे तो इस दफ़ाके नियमका प्रयोग नहीं समझना चाहिये।

उचित समय (Reasonable Time) क्या है यह एक वाक़याती सवाल है और हर सौदेके वाक़यातको देखते हुए तय किया जा सकता है। इसके लिये इस एक्टकी दफ़ा ६३ को देखिए।

यदि बेंचने वालेके पास माल ठीक समय पर तैयार न होवे और ख़रीदने वाला भी उसे लेनेके लिये तैयार न होवे तो ऐसी हालतमें दोनोंकी बचत समझना चाहिये।

एक मामलेमें (क) ने एक नियत तारीख़ तक (ख) के लिये एक चीज तैयार कर देनेका मुवाहिदा किया तथा वह चीज़ (ख) द्वारा भेजी हुई नावमें ले जाई जानेको थी। (क) निर्धारित तारीख़ तक उस चीजको तैयार नहीं कर सका और (ख) ने भी (क) को कोई नाव भेजनेकी सूचना उस तारीख़ तक नहीं दी ऐसी हालतमें दोनों से एक भी दूसरेके हर्जेका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, देखो—फ़ारेस्ट बनाम अरापायो (1900) 9 Asp. Mar. Cas. 134 C. A.

मालको रखने व उसकी रक्षाके सम्बन्धमें क्या उचित व्यय होगा यह भी एक वाक़याती प्रश्न है तथा प्रत्येक मामलेके वाक़यातको देखते हुए तय किया जाना चाहिये। मालकी क़िस्म तथा उसके रखनेकी जगह आदिका ध्यान रखते हुए उचित व्यय तय किया जा सकता है।

यदि बर्बाद होने वाले मालका सौदा तय हुआ हो और मालकी मालियत ख़रीदारको पहुंच चुकी हो परन्तु वह उसको उठानेमें लापरवाही करे या न लेवे तो बेंचने वाला उसे अपने पास रक्ख रक्खे बर्बाद कर देने का जिम्मेदार नहीं है। वह उसकी क़ीमतके लिये यह कह कर दावा कर सकता है कि माल उसके पास तैयार रक्खा है तथा वह उसे देनेके लिये तैयार है। बेंचने वाला अगर चाहे तो बजाय क़ीमतका दावा करनेके उस मालको खरीदारकी जिम्मेदारी पर (उसको उचित सूचना देनेके बाद) बाजार भाव बेंच सकता है तथा जो कमी क़ीमत होवे उसका दावा ख़रीदारके विरुद्ध कर सकता है, देखो—सैण्डस बनाम टेलर 5 Johns395.

इस दफाके साथ एक शर्त भी जोड़ दी गई है जिसका ध्यानमें रखना आवश्यक है और जिसके अनुसार ख़रीदार हर हालतमें माल न लेने पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उक्त शर्तसे यह प्रकट है कि अगर ख़रीदारकी लापरवाही या इन्कारसे मुआहिदाका तोड़ना साबित होता हो तो भी वह इस दफाके अनुसार हर्जे व ख़र्चेका जिम्मेदार समझा जावेगा जबकि बेंचनेवाला मुआहिदेकी सब शर्तोंको पूरा कर चुका हो। इस सम्बन्धमें देखो—ब्रिटिश वगैरा बनाम एन. डब्ल्यू. फाचरटी कम्पनी (1923) A. C. 48.

पांचवा प्रकरण

मालके विरुद्ध उस बेंचने वालेके हक़ जिसकी क़ीमत अदा न कीगई हो।

दफा ४५ बिला अदा किया हुआ बाया

(१) मालका बेंचने वाला इस एक्टके लिये उस समय "बिला अदा किया बाया" माना जावेगा।

(ए) जबकि कुल क़ीमत अदा न कीगई हो या न दी जाती हो;

(बी) जबकि कोई हुण्डी या दूसरी इन्तक़ाल करने योग्य दस्तावेज़ अदायगीके लिये किसी शर्तके साथ दीगई हो तथा जिस शर्त पर वह लीगई थी वह उसके न सकारे जानेके कारण या अन्य किसी वजहसे पूरी न हुई हो।

(२) इस प्रकरणमें 'बाया' (Seller) शब्दमें वह व्यक्ति भी शामिलहै जो बेंचने वालेकी हैसियत पर होवे जैसेकि उदाहरण स्वरूप बेंचने वालेका एजेण्ट जिसके हक़में बिल आफ़ लेडिंग कर दिया गया हो, अथवा वह व्यक्ति जिसके नाम माल भेजा गया हो या कोई एजेण्ट जिसने स्वयं क़ीमत अदा की हो अथवा जो सीधा क़ीमत पानेके लिये ज़िम्मेदार हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ३८ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ९५ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 38 English Sale of Goods Act 1893; S 95 Indian Contract Act 1872.

इस प्रकरणमें बिला अदा किये हुए बाया (Unpaid seller) के उन अधिकारोंका वर्णन है जो उसे मालके सम्बन्धमें प्राप्त होते हैं।

इस दफामें यह बतलाया गया है कि 'बिला अदा किया हुआ बाया' (Unpaid seller) किसे कहते हैं तथा वह किन बातोंसे समझा जा सकता है।

भारतीय क़ानून मुवाहिदेमें कोई खास दफा इस दफाकी भांति नहीं है किन्तु दफा ९५ में बिला अदा किये हुए बायाके एक अधिकारका वर्णन मिलता है अङ्गरेजी एक्टकी दफा ३८ में बिला अदा किये हुए बायाके बारेमें विशेष विवरण मिलता है और इसीलिये सिलेक्ट कमेटीने इस दफाको उक्त दफा तथा उसके सम्बन्धमें दिये हुए फैसलोंके आधार पर बनाया है, देखो—Report of Select Committee.

यह दफा दो भागोंमें विभक्त है। पहिली उपदफामें यह दिखलाया गया है कि किन कामोंके होने पर 'बिला अदा किया हुआ बाया' (Unpaid seller) माना जावेगा तथा दूसरी उपदफामें वह लोग बतलाये गये हैं जो बाया (Seller) माने जासकते हैं।

उपदफा (१) दो हिस्सोंमें बंटी हुई है पहिले क्लाजमें यह बतलाया गया है कि यदि बेंचने वाले को पूरी क़ीमत अदा न की गई हो या न दी जाती हो तो उसे 'बिला अदा किया हुआ बाया' माना जावेगा।

दूसरे क्लाजमें यह बतलाया गया है कि यदि क़ीमतकी अदायगीमें हुण्डी या कोई अन्य इन्तक़ाल करने योग्य दस्तावेज़ दी गई हो तथा वह किसी शर्तके साथ दी गई हो और वह शर्त उस हुण्डी या दस्तावेज़के मंजूर न किये जानेके कारण या अन्य किसी कारणसे पूरी न हुई हो तो ऐसी हालतमें भी बेंचने वाला 'बिला अदा किया हुआ बाया' माना जावेगा।

'इन्तक़ाल करने योग्य दस्तावेज' (Negotiable Instrument) में इन्दुलतलब रुक्कोंको शामिल समझना चाहिये, देखो—मिलर बनाम रेस 1 Sm. L. C.

चेक (Cheque)—के बारेमें, देखो—नेशनल बैंक बनाम स्लाटक 1 Q. B. 435.

शर्तका पूरा न होना हुण्डी या अन्य उपरोक्त दस्तावेज़के न सकारे जाने पर हो सकता है तथा अन्य कारणोंसे भी हो सकता है जैसे कि दिवालिया आदिका होना।

उपदफा (२) में बेंचनेवालेसे तात्पर्य उस व्यक्तिका भी बतलाया गया है जो उसकी जगह पर होवे।

बेंचने वाले (Seller)—की परिभाषा दफा २ की उपदफा (२) में दी हुई है तथा वहीं पर इसका विशेष हाल भी मिलेगा इस उपदफाके अनुसार उक्त परिभाषाको और भी विस्तृत कर दिया है परन्तु इस विस्तृत परिभाषाका प्रयोग इसी दफाके सम्बन्धमें समझना चाहिये।

इस उपदफामें 'बेंचने वालेकी जगह पर होने वाले व्यक्ति' (Person in the position of a seller) के लिये उदाहरणके तौर पर दो प्रकारके लोग बतला दिये गए हैं एक तो वह एजेन्ट जिसके नाम बायाने बिल आफ लेडिङ्ग (Bill of lading) कर दिया हो; दूसरे वह एजेण्ट या माल पाने वाला व्यक्ति जिसने अदायगीकी हो या जो सीधा क़ीमत पानेके लिये जिम्मेदार हो। खरीदारके एजेण्टको उक्त प्रकारका एजेण्ट समझना चाहिये, देखो इम्पीरियल बैंक बनाम लण्डन 5 Ch. D. 195; 46 L. J. Ch 335.

इस दफाके अनुसार बिला अदा किये हुए बाया (Unpaid seller) के अधिकार मालके विरुद्ध ऐसे लोगोंको भी प्राप्त समझना चाहिये जिनका मामला बायासे मिलता जुलता हुआ होवे, देखो—कैसेवागलो बनाम गिब 11 Q. B. D. 804.

दफा ४६ बिला अदा किये हुए बायाके हक़

(१) इस एक्ट तथा अन्य प्रचलित क़ानूनके नियमोंका ध्यान रखते हुए बिला इस बातका लिहाज़ किये हुए कि मालकी मालियत ख़रीदारको पहुंच चुकी है बिला अदा किया हुआ बाया बेंचनेवालेकी हैसियतसे क़ानूनन निम्न अधिकार रखता है।

(ए) मालके ऊपर जबकि वह उसके कब्ज़ेमें होवे क़ीमतके लिये बार किफालत रखता है।

(बी) ख़रीदारके दिवालिया होनेके मामलेमें वह अपने क़ब्ज़ेसे हटानेके बाद मालको जब वह रवानगीमें होवे रोकनेका हक़ रखता है।

(सी) दुबारा बेंचनेका हक़ रखना जैसाकि इस एक्टके अनुसार महदूद है।

(२) जबकि मालकी मालियत ख़रीदारको न पहुंची हो तो बिला अदा किया हुआ बाया अपनी दूसरी चाराजोईके अतिरिक्त मालको रोकनेका हक़ उसी प्रकार तथा उतना ही रखता है जितना कि उसका बार या रवानगीमें रोकनेका हक़ है जबकि मालियत ख़रीदारको पहुंच चुकी हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ३९ तथा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ९५, ९६, ९७, ९८ तथा १०० से १०७ तकके आधार पर बनाई गई है।

इस दफामें 'बिला अदा किये हुए बाया' (Unpaid seller) के अधिकारोंका वर्णन है।

दफा दो भागोंमें विभक्त है पहिली उपदफामें उन अधिकारोंको बतलाया गया है जो ख़रीदारके हक़में मालियत मुन्तकिल हो जाने पर भी बायाको प्राप्त होते हैं; दूसरी उपदफामें वह अधिकार बतलाये गए हैं जो मालियत मुन्तकिल न होने पर बायाको प्राप्त हैं।

उपदफा (१) तीन क्लाज़ोंमें विभक्त है अर्थात मालियत मुन्तकिल हो जाने पर भी बिला अदा किये हुए बायाको तीन प्रकारके अधिकार क़ानूनी रूपमें प्राप्त समझना चाहिये।

पहिले क्लाजके अनुसार यदि माल बायाके क़ब्जेमें होवे तो उस पर उसकी क़ीमतका बार समझना चाहिये अर्थात वह अपनी क़ीमत न अदा होने पर उसे रोक कर क़ीमत वसूल कर सकता है दूसरे क्लाजके अनुसार यदि माल बायाके क़ब्जेमे हट चुका हो परन्तु वह रवानगीहीमें होवे और उसे ख़रीदारके दिवालिया होनेका पता लगे तो वह अपनी क़ीमत न अदा होनेके कारण मालको रवानगीमें रोक सकता है।

तीसरे क्लाजके अनुसार वह इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए मालको दुबारा बेंच सकता है।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि यदि मालियत ख़रीदारके हक़में मुन्तकिल न हुई हो तो उसको वह सब अधिकार तो प्राप्त होवेंगेही जो अन्य दफाओंमें बतलाए गए हैं किन्तु उनके अलावा उसे बार व रोकनेके भी वैसेही अधिकार प्राप्त होंगे जो मालियत मुन्तकिल हो जाने पर उसे प्राप्त होते अर्थात् वह अधिकार प्राप्त होंगे जो उपदफा (१) के क्लाज (ए) व (बी) में दिखलाए गए हैं।

'बार किफ़ालत' (Lien) का वर्णन क़ानून मुआहिदेकी दफ़ा ९५ से ९८ तकमें मिलता है तथा रवानगीमें माल रोकनेका ज़िक्र दफ़ा १०० से १०६ तकमें पाया जाता है और दफ़ा १०७ में दुबारा बेंचने के अधिकारका उल्लेख है। अङ्गरेजी क़ानूनकी दफ़ा ३९ में इन सब बातोंका एक साथ वर्णन मिलता है इसी कारण सिलेक्ट कमेटीके विद्वान सदस्योंने उक्त दफ़ा ३९ हीका अनुसरण किया है, देखो—Report Select Committee.

सिद्धान्त—बिक्रीसे आमतौर पर यह समझमें आता है कि माल देने पर क़ीमत नक़द दामोंमें अदा की जाना चाहिये परन्तु बहुधा ऐसा नहीं होता है खास कर तिजारती मामलोंमें अक्सर ऐसा देखा जाता है और इसी कारण बेंचने वालेके हक़ोंको सुरक्षित रखनेके लिये इस दफ़ाकी रचनाकी गई है। मालकी मालियत मुन्तक़िल न होने पर बेंचने वालाही मालका मालिक बना रहता है और वह उन सब अधिकारोंका प्रयोग कर सकता है जो इस एक्टके अनुसार उसे मालिककी हैसियतसे प्राप्त हैं, परन्तु वह उन अधिकारोंके अतिरिक्त माल को रवानगीमें रोक सकता है तथा उसकी क़ीमतका बार भी बराबर बेंचे हुए माल पर बना रहता है। किन्तु जब मालियत खरीदारके हक़में मुन्तक़िल हो चुकी हो तो बेंचने वाला मालका मालिक नहीं रह जाता है और ऐसी हालतमें यदि उसे क़ीमत न मिली हो तो उसके लिये बार न रवानगीमें माल रोकने तथा उसे दुबारा बेंच सकनेके अधिकार इस दफ़ाकी पहिली उपदफ़ाके अनुसार रख दिये गए हैं जिससे वह अपने क़ीमत पानेके हक़ को सुरक्षित रख सके।

इस दफ़ाके नियमोंका प्रयोग इस एक्टके नियमों तथा अन्य प्रचलित एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिये अर्थात् यदि कोई नियम इसके विरुद्ध पड़ते हों तो उनके अनुसारही काम किया जाना चाहिए।

'बार किफ़ालत' (Lien) से तात्पर्य जायदादको उस वक्त तक रोकनेसे है जब तक कि उस पर होने वाला कोई बार (Charge) चुका न दिया जावे। इसे एक प्रकारकी धरोहर या ज़मानत ऐसा अधिकार समझना चाहिये। यह जायदादकी मालकियत नहीं समझा जा सकता है किन्तु यह सिर्फ़ रोकनेहीका अधिकार है जो किसी बारकी अदायगीके लिये बतौर ज़मानतके प्रयोग किया जावे। बायाके बार किफ़ालत (Lien) से उस अधिकारका तात्पर्य है जो उसे पूरी क़ीमत न अदा होने तक मालको रोक रखनेके सम्बन्धमें प्राप्त होवे। यदि खरीदार थोड़ीसी क़ीमत अदा कर देवे तो इससे उक्त बार किफ़ालत नष्ट नहीं हो जाती है किन्तु उससे केवल उक्त बार कम हो जाता है चाहे क़ीमतका थोड़ासाही हिस्सा बाक़ी रह गया हो तो भी उस का बार मालके प्रत्येक हिस्से पर कहा जासकता है, देखो—हागसन बनाम लाम 7 T. R. 445.

यदि माल उधार न दिया गया हो अथवा क़ीमतकी अदायगीके लिये मुआहिदेके अनुसार कोई समय न नियत किया गया हो तो यह समझना चाहिये कि बेंचने वाला मालको उस समय तक रोक सकता है जब तक कि उसकी पूरी क़ीमत न अदा कर दी गई हो अर्थात् बिना क़ीमतकी अदायगी हुए बेंचने वाला माल देनेके लिये बाध्य नहीं कहा जा सकता है, देखो—आरनोल्ड बनाम डेलानो 4 Lushing 33, 38.

उक्त बार किफ़ालत (Lien) का होना बाया (Seller) के क़ब्ज़े (Possession) पर निर्भर समझना चाहिये, देखो—ब्लिक बेरो बनाम मैसन 2 T R. 63; और नीज़ 50 Bom. 360.

जब तक कि माल पर बायाका स्वयं या किसी एजेण्टके ज़रिए क़ब्ज़ा होवे तब तक वह उक्त बार (Lien) के अधिकारका प्रयोग कर सकता है और जैसेही उसका क़ब्ज़ा जाता रहे उसके उक्त बार (Lien) का अधिकार चला जाता है, देखो—हेवुड बनाम वेयरिंग 4 Camp. 291.

बार किफ़ालत (Lien) तथा रवानगीमें माल रोकनेके अधिकार (Stoppage in transit) में अन्तर है अर्थात् वह दोनों एकही बातें नहीं समझी जाना चाहिये और इसी कारण अलाहिदा अलाहिदा दो दफ़ाओंमें उनका उल्लेख किया गया है। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है बाया या उसके एजेण्टका क़ब्ज़ा रहने पर बार किफ़ालत (Lien) के अधिकारका प्रयोग हो सकता है परन्तु उसका क़ब्ज़ा छूट जाने पर यदि माल रवानगीहीमें होवे तो वह रवानगीमें रोका जा सकता है। क़ब्ज़ेसेही दोनोंका अन्तर समझा जा सकता है, देखो—ब्लोक्सर बनाम साण्डर्स 4 Barn & Cress 946.

मालकी क़ीमत बाक़ी होने परही बार किफ़ालत (Lien) का हक़ बेंचने वाला प्रयोग कर सकता है परन्तु यदि मालकी क़ीमत उसे अदा करदी गई हो या दी जाती हो तो वह उक्त हक़को प्रयोग नहीं कर सकता, देखो—2 Kent. Com. 496; Leven Ver Smth 1 Denio 571.

बिला क़र्ज़ेके बार किफ़ालत (Lien) नहीं हो सकता है और न भविष्यके क़र्ज़ेके सम्बन्धमेंही उक्त बार (Lien) हो सकता है।

यदि कोई माल उधार बेंचा गया हो तो इसमें एक प्रकारसे बेंचने वाला अपने बार किफ़ालत (Lien) के अधिकारको छोड़ देता है परन्तु यदि ख़रीदार दिवालिया हो जावे और माल सबका सब या उसका कोई हिस्सा बेंचने वालेके क़ब्ज़ेमें बना हो तथा उसकी क़ीमत भी उस वक़्त तक अदा न हुई हो तो बार किफ़ालतका हक़ दिवालिया होने पर फिरसे पैदा हो जाता है अर्थात दिवालिया होने पर बेंचने वाला मालको अपनी क़ीमत के बदले उसकी अदायगी होने तक रोक सकता है, देखो—आरनोल्ड बनाम डिलैमो 3 Cushing 33, 39.

यदि ख़रीदार मालको रखनेके बदले बेंचने वालेको कुछ किराया देता हो तो इससे बेंचने वालेके बार किफ़ालत (Lien) के अधिकारमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि किराया देनेसे बायाका गोदाम ख़रीदारका गोदाम नहीं हो जाता है और उस वक़्त भी माल पर बायाका क़ब्ज़ाही बना रहता है, देखो—माइल्स बनाम गार्टन 2 Comp. & Mees 513.

परन्तु यदि माल पर ख़रीदारका क़ब्ज़ा हो चुका हो तो उक्त बार (Lien) का अधिकार जाता रहता है। इस प्रकार यदि माल किसी कोठेमें रख दिया गया हो और उसमें ताला बंद करके ताली ख़रीदारको दे दी गई हो तो ख़रीदारका पूरा क़ब्ज़ा होना मान लिया जावेगा और बायाका बार (Lien) ऐसी हालतमें नहीं रह जाता है।

यदि बेंचा हुआ माल तीसरे व्यक्तिके क़ब्ज़ेमें होवे तो ऐसी हालतमें यह समझना कि आया बायाको उक्त बार (Lien) का अधिकार हासिल है या नहीं इस बातके देखनेसे मालूम होसकता है कि वह तीसरा व्यक्ति मालको किसके एजेण्टकी हैसियतसे रखता है यानी ख़रीदारके एजेण्टकी हैसियतसे अथवा बायाके एजेण्ट की हैसियतसे। यदि वह ख़रीदारके एजेण्टकी हैसियतसे रखता हो तो बायाके उक्त बार (Lien) का अधिकार जाता रहता है अन्यथा नहीं।

चूंकि एजेण्टका क़ब्ज़ा मालिकका क़ब्ज़ा समझा जाता है इसलिये एजेण्ट जिसकी ओरसे माल रखता हो उसीका क़ब्ज़ा माना जावेगा। यदि माल तीसरे व्यक्तिके पास होवे और पहिले वह बेंचने वालेकी ओरसे उसे रक्खे हुए हो परन्तु बिक्रीके बाद वह उसे ख़रीदारकी बदमें रक्खे तो माल उसी व्यक्तिके पास रहते हुए भी ख़रीदारके क़ब्ज़ेमें समझा जावेगा और उक्त बार (Lien) का अधिकार बायाको उस मालके सम्बन्धमें नहीं होगा, देखो—गार्डनर बनाम होलैण्ड 2 Pick. 599; गिब्सन बनाम स्टिवैन्स 8 Haward 384; आरनोल्ड बनाम डिलैनो 4 Cushing 39, 40.

यदि क़ब्ज़ा किसी नियत समयके लिये या किसी खास कामकी वजहसे दिया गया हो तथा दरअस्ल क़ब्ज़ा न दिया गया हो तो ऐसी हालतमें क़ब्ज़ा देदेने परभी बार (Lien) बना रहता है जैसे कि एक घोड़ेकी बिक्रीका सौदा हुआ तथा यह तय हुआ कि क़ीमत अदा होने परही घोड़ा दिया जावेगा परन्तु साथही साथ यहभी तय हुआ कि खरीदारको चन्द दिनोंके लिये घोड़ा इस्तैमालके लिये देदिया जावे तो ऐसी हालतमें घोड़ेके दे दिये जाने परभी बिला क़ीमतकी अदायगीके उसका दिया जाना नहीं माना जावेगा और बायाका क़ब्ज़ा मानते हुए उसे उक्त बार (Lien) का अधिकार बना रहेगा, देखो—रीविस बनाम कैपर 5 Bing. N. C. 136.

किन अवस्थाओंमें बाया अपने बार किफालत (Lien) के हक़को इस्तैमाल कर सकता है इसका वर्णन दफ़ा ४७ में दिया हुआ है उसके नियमोंको मानते हुए ही इस दफ़ाका प्रयोग समझना चाहिये।

'बिला अदा किये हुए बायाका' बार किफालत

दफ़ा ४७ बायाका बार

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए 'बिला अदा किया हुआ बाया' जो माल पर क़ाबिज़ होवे उसको उस वक्त तक रोकनेका हक़ है, जब तक कि क़ीमतकी अदायगी या दिया जाना निम्न लिखित मामलोंमें न होवे यानीः—

(ए) जबकि माल किसी एतबारकी शर्त पर न बेंचा गया हो।

(बी) जबकि माल उधार बेंचा गया हो और उधारकी मियाद बीत गई हो।

(सी) जबकि खरीदार दिवालिया होजावे।

(२) बेंचने वालेको अधिकार है कि वह अपने बार किफ़ालतके हक़को इस्तैमाल करे चाहे वह माल पर एजेण्ट या खरीदारके सुपुर्ददार (Bailee) की हैसियतसे क़ाबिज़ होवे।

व्याख्या—

यह दफा अङ्ग्रेजी क़ानूनकी दफा ४१ तथा भारतीय क़ानून मुआहिदाकी दफा ९५ से ९७ तकके आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 41 English Sale of Goods Act 1893; S. 95 to 97 Indian Contract Act 1872.

इस दफामें यह बतलाया गया है कि बायाका बार (Sellers Lien) कब होसकता है यह दफा दो भागोंमें विभक्त है। पहिली उपदफामें वह हालत बतलाई गई है जबकि बायाका माल पर क़ब्ज़ा होवे। यह उपदफा तीन क्लाजोंमें विभक्त है पहिले क्लाजके अनुसार यदि माल बिला किसी उधारकी शर्तके बेंचा गया हो, तो बिला अदा किया हुआ बाया अपनी क़ीमतके लिये उसे उक्त बार (Lien) के अधिकारको प्रयोग करते हुए रोक सकता है।

दूसरे क्लाजमें यह बतलाया गया है कि यदि माल उधार बेंचा गया हो परन्तु उधारकी मियाद खतम होजावे और क़ीमत न अदा कीगई हो तो बिला अदा किया हुआ बाया मालको अपने बार (Lien) के अधिकारका प्रयोग करते हुए रोक सकता है।

तीसरे क्लाजमें वह हालत बतलाई गई है जबकि खरीदार दिवालिया होजावे उस वक्त भी बिला अदा किया हुआ बाया मालको रोक सकता है।

उपदफ़ा (२) में कोई नई बात नहीं बतलाई गई है सिर्फ यही बतलाया गया है कि बायाका कब्जा बार (Lien) का अधिकार प्रयोग करनेके लिये उस समय भी माना जावेगा जबकि वह खरीदारके एजेण्ट या सुपुर्ददारकी हैसियतसे माल पर काबिज होवे। पहिले इस सम्बन्धमें अङ्गरेजी अदालतोंकी रायमें मतभेद था परन्तु सन् १८९३ ई० का अङ्गरेजी बिक्रीका कानून बनाया जाने पर उक्त मतभेद दूर करने की कोशिश कीगई। इसी बातको ध्यानमें रखते हुए इस उपदफाके अनुसार यह साफ कर दिया गया है कि यदि बाया खरीदारके एजेण्ट या सुपुर्ददारकी हैसियतसे काबिज होवे तो भी वह उक्त बार (Lion) के अधिकारका प्रयोग कर सकता है बार (Lion) के बारेमें पिछली दफामें बतलाया जा चुका है कि उससे किस बातका तात्पर्य है। इस दफाको प्रत्येक प्रकारके मालके सम्बन्धमें लागू समझना चाहिये। एक मामलेमें मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया था कि उक्त नियम सिर्फ खास व निश्चित किये हुए मालके सम्बन्ध हीमें लागू नहीं समझना चाहिये, देखो—108 Ind. Cas. 77; A. I. R. 1928 Mad. 279.

बिला कब्जेके बार (Lien) का होना नहीं हो सकता है, देखो—50 Bom. 360.

कब्जे (Possession) के बारेमें भी पिछली दफामें काफी प्रकाश डाला जा चुका है उसके देखनेसे यह समझा जा सकता है कि कब्जा बायाका कब व किन किन हालतोंमें माना जा सकता है।

यदि बायाने इन्तकाल करने योग्य दस्तावेजको कीमतके एवजमें लिखवा लिया हो तो उसे बिला अदा किया हुआ बाया नहीं माना जावेगा और इसीलिये वह कीमत रुपयेकी शकलमें न अदा होने पर उक्त बार (Lien) के अधिकारका प्रयोग नहीं कर सकता है। और न वह मालको रवानगीहीमें रोक सकता है, देखो—3 M. I. A. 422.

यदि बाया खरीदारको माल देनेका आर्डर (Delivery order) देदेवे तो इससे मालका कब्जा देना नहीं माना जावेगा तथा इससे बायाके बार (Lien) पर प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु जैसेही माल दे दिया जावे उसका उक्त बार (Lien) का अधिकार जाता रहता है जैसेकि यदि खरीदारके जहाज पर माल लाद दिया जावे तो ऐसी हालतमें कब्जा मुन्तक़िल होजाता है और बाया उक्त बार (Lien) के अधिकारसे वञ्चित होजाता है, देखो—3 M. I. A. 422; और भी 50 Bom. 360.

एक मामलेमें १२५०० बंडल मालका सौदा हुआ था जिसके लिये बयाना देदिया गया था। खरीदारने ३५००० बंडल ले लिये व १३००० बंडल और गिने गये परन्तु बायाने कहा कि वह न तो यह १३००० बंडल उठाने देगा तथा न बकीया मालही देगा जबतक कि उसकी कुल कीमत न अदा कर दीजावे, इस पर खरीदारने मामला चलाया। अदालतने यह तय किया कि चूंकि मुवाहिदेमें कोई खास बात माल देने या कीमतकी अदायगीके सम्बन्धमें तय नहीं हुई थी इसलिये यही मानना चाहिये कि बायाको उसके रोकनेका अधिकार था और मुवाहिदा शिकनीके कारण हर्जेका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, देखो—28 I. C. 639; A. I. R. 1924 Nag. 416.

एक मामलेमें मुद्दईने कुछ दरख्त काटनेको मुद्दालेहके लिये उसकी कीमत किस्तसे अदा की जानेको थी; आखिरी किश्त ११ अप्रैलको अदा होना चाहिये थी। मुद्दई ४ मईको दरख्त काटनेके लिये गया परन्तु मुद्दालेहने कहा कि पहिले सब कीमत चुका दो तब दरख्त काट सकते हो इस पर मामला चलाया गया। उसमें यह

तय हुआ कि मुद्दई कुछ दरख्त काट चुका है और कुछ कीमत अदा भी कर चुका है परन्तु चूंकि कीमत बाकी है इसलिये मुद्दालेह उसकी अदायगीके लिये कह सकता है, देखो—108 I. C. 177.

एक मामलेमें सौदा दो महीनेकी मुद्दतपर उधार बेंचा गया लेकिन सौदा तय होनेके बाद बेंचनेवालेको यह पता लगा कि खरीदार दिवालियेकी हालतमें है इसलिये उसने माल देनेसे पहिले खरीदारसे कीमत चाही खरीदारने इसे मंजूर नहीं किया तथा इस बातका दावा किया कि मुवाहिदा तोड़ दिया जाना चाहिये तथा उसकी जिम्मेदारी पर माल बेंचने वाला उसे न बेंच सके अदालतमें यह तय हुआ कि बेंचने वाला खरीदारके दिवालियेकी हालतको जानकर उससे कीमत मांग सकता था और खरीदार इस बिना पर मुवाहिदेको तोड़ नहीं सकता है, देखो—84 I. C. 912.

इस दफाके अनुसार बार (Lien) मालकी कीमतहीके सम्बन्धमें समझना चाहिये। यदि खरीदारकी गलतीकी वजहसे माल गोदाममें रक्खा रहा हो या कोई दूसरे खर्च करना पड़े हों तो उनका बार (Lien) मालको रोकनेके सम्बन्धमें नहीं समझना चाहिये। बेंचने वाला उनके सम्बन्धमें हर्जेकी नालिश कर सकता है जिसके लिये खरीदारको जाती तौर पर जिम्मेदार समझा जाना चाहिये।

एक मामलेमें माल उधार बेंचा गया था। खरीदारने मालको बेंचने वालेहीके पास छोड़ दिया और वह उधारकी मियाद तक उसके पासही रहा ऐसी हालतमें पेश्तर उधारके कारण बेंचने वालेके बार (Lien) का हक जाता रहा था परन्तु उधारकी मियाद समाप्त होने पर उक्त बार (Lien) का हक फिरसे पैदा होगया अर्थात् बिला कीमतको लिये हुए बाया मालको देनेके लिये बाध्य नहीं समझा जा सकता है और वह कीमतकी अदायगीके लिये मालको रोक सकता है, देखो—न्यू बनाम स्वेभ 1 Dans. & L. 123.

यही बात पहिली उपदफाके क्लाज (बी) में दी हुई है पहिली उपदफाके तीसरे क्लाजमें दिवालिया होने का जिक्र है उससे यह समझा जा सकता है कि दिवालिया होने पर बायाको बार (Lien) का हक पैदा होजाता है चाहे उधारकी मियाद समाप्त हुई हो या न हुई हो।

यदि माल उधार बेंचा गया हो और खरीदार दिवालियेकी हालतमें न होवे तो वह बेंचने वाले पर मालके देनेका दावा कर सकता है और बेंचने वाला ऐसी हालतमें कीमतकी अदायगीके लिये मालको नहीं रोक सकता है, देखो—84 I. C. 912.

दफा ४८ कुछ मालका दे चुकना

जबकि कोई बिला अदा किया हुआ बाया कुछ मालको दे चुका हो तो वह बाक़ी माल पर अपने बारका हक़ इस्तैमाल कर सकता है जब तक कि ऐसी परिस्थितिमें उस हिस्सेका दिया जाना न हुआ हो जिससे बार छोड़ देनेका इक़रार प्रकट होता हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफा ४२ के आधार पर बनाई गई है। भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा १०६ के उदाहरणमें इसी नियमका हवाला मिलता है, देखो—S. 42 English Sale of Goods Act 1893; S. 106 (Ill.) Indian Contract Act 1872.

(अ) ने (ब) को सौ गद्दे रुईके बेंचे उनमेंसे ६० (ब) को दिये गये, बाकी ४० रवानगीमें थे। (ब) इसी दर्मियानमें दिवालिया हो गया और (अ) की कीमत भी उस वक्त तक अदा नहीं हुई थी उसने

उक्त ४० गट्ठोंको रास्तेहीमें रोक दिया। ऐसी हालतमें (अ) उन चालीस गट्ठोंको रोक सकता था जबतक कि उसकी पूरी क़ीमत १०० गट्ठोंके लिये अदा न हो जावे, देखो—Ill. S. 106 Indian Contract Act 1872.

इस दफ़ाके अनुसार मालके थोड़े भागके दिये जाने पर भी बाया बक़ाया मालको अपनी क़ीमतकी अदायगीके सम्बन्धमें रोक सक्ता है परन्तु ऐसा उस समय नहीं हो सकेगा जबकि उक्त थोड़ा माल ऐसी परिस्थितिमें दिया गया हो जिससे यह प्रकट होता हो कि बाया अपने बार (Lien) को छोड़ चुका है। उक्त परिस्थिति प्रत्येक मामलेके वाक़यातसे समझी जा सकती है और जबतक बार (Lien) को छोड़ देनेका इक़रार (Agreement) न साबित होता हो तबतक इस दफ़ाके नियमका प्रयोग उचित समझना चाहिये।

दफा ४९ बारका समाप्त होना

(१) बिला अदा किया हुआ बाया मालपर अपना बार उस वक्त खो बैठता है:—

(ए) जब कि वह मालको बिला उसके अलाहिदा करनेका हक़ सुरक्षित किये हुए ले जाने वालेको या किसी दूसरे सुपुर्ददारको ख़रीदारके पास पहुंचानेके लिये दे देवे,

(बी) जबकि ख़रीदार या उसका एजेण्ट माल पर क़ानूनन क़ब्ज़ा पा जावे;

(सी) जबकि वह बारका हक़ छोड़ देवे।

(२) बिला अदा किया हुआ बाया जिसका बार माल पर होवे केवल इसही बातसे उक्त बारसे वञ्चित नहीं हो जाता है कि उसने मालकी क़ीमतके बदले डिक्री प्राप्त करली है।

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफ़ा ४३ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 43 English Sale of Goods Act 1893.

इस दफ़ामें यह बतलाया गया है कि बेंचने वालेका बार (Lien) कब समाप्त हो जाता है।

दफ़ा दो भागोंमें विभक्त है। पहिली उपदफ़ामें यह बतलाया गया है कि बायाका बार (Lien) कब जाता रहता है तथा दूसरी उपदफ़ामें बतलाया गया है कि बायाका बार (Lien) कब नहीं जाता है।

उपदफा (१) तीन क्लाज़ोंमें विभक्त है।

क्लाज (ए) में यह बतलाया गया है कि यदि बाया मालको ख़रीदारके पास पहुचानेके लिये ले जाने वाले (Carrier) को या अन्य किसी सुपुर्ददार (Bailee) को दे देवे तो उसका बार (Lien) का हक़ जाता रहता है किन्तु ऐसा उस समय नहीं समझा जावेगा जबकि उसने मालको अलाहिदा करनेका हक़ अपने लिये सुरक्षित रक्खा हो।

दफ़ा ३९ में बतलाया जा चुका है कि ले जाने वाले (Carrier) या सुपुर्ददारको माल इसलिये देना कि वह ख़रीदारके पास पहुचाया जावे एक प्रकारसे ख़रीदारको माल देना है और उसी नियमको मानते हुए इस दफ़ाकी पहिली उपदफ़ाके क्लाज (ए) की रचना समझना चाहिये क्योंकि ले जाने वाले (Carrier) या अन्य किसी सुपुर्ददार (Bailee) को माल दे देनेसे ख़रीदारको मालका दे दिया जाना समझना चाहिये यानी बायासे क़ब्ज़ेका निकल जाना समझना चाहिये। क़ब्ज़ा जाते रहने पर बायाको बार (Lien) का हक़

स्वभावतः नहीं रह जाता है जैसा कि पिछली दफाओंको देखनेसे भली भांति प्रकट है। उक्त क्लाजके अनुसार बायाको बार (Lien) का अधिकार तो नहीं रह जाता है किन्तु वह मालको रवानगीमें रोक सकता है जब तक कि वह खरीदारको न मिल जावे जैसा कि दफा ५० व दफा ४६ की उपदफा (१) के क्लाज (बी) को देखनेसे प्रकट है।

उपदफा (१) के क्लाज़ (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि खरीदार अथवा उसका एजेण्ट कानूनन माल पर कब्जा हासिल कर लेवे तो बायाके बार (Lien) का अधिकार जाता रहता है।

बार (Lien)—का होना कब्जेही पर निर्भर है और जब बायाका कब्जा जाता रहता है तभी उक्त बार (Lien) का चला जाना भी समझना चाहिये, देखो—Re. Me Laren 11 Ch. D. 68 C.A.

खरीदार या उसके एजेण्टका कब्जा कानूनी तौर पर होना चाहिये अर्थात यदि वह धोखादेहीसे या बेईमानीसे कब्जा हासिल कर लेवें तो इस क्लाजके अनुसार उनका कब्जा नहीं माना जावेगा।

यदि बेंचने वालेका एजेण्ट या अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास माल होवे बायाकी रजामन्दीसे माल खरीदारकी ओरसे रक्खे तो मालका खरीदारको दे दिया जाना माना जावेगा; देखो—डाक्सले बनाम वार्ले 2 A. & E. 632.

यदि बेंचा हुआ माल खरीदारके पास बायाके सुपुर्ददार (Bailee) की हैसियतसे होवे और खरीदने पर वह उसको मिल जावे तो उसका कब्जा बजाय सुपुर्ददारके अपना कब्जा हो जावेगा और उस समय मालपर बायाके बार (Lien) का अधिकार समाप्त हो जावेगा, देखो—Cain Ver Moon (1896) 2 Q. B. 283.

उपदफा (१) के क्लाज़ (सी) में बतलाया गया है कि यदि बार (Lien) का हक छोड़ दिया जावे तो बार (Lien) को समाप्त समझना चाहिये। इससे यह प्रकट है कि बार (Lien) का छोड़ा जाना प्रकट रूपमें होना चाहिये परन्तु कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उक्त बार (Lien) के सम्बन्धमें ऐसा काम किया गया हो जिससे उसका छोड़ दिया जाना समझा जा सकता हो, जैसे कि यदि बायाने मालकी क़ीमतके सम्बन्धमें कोई हुण्डी लिखवा ली हो तो इससे बार (Lien) का समाप्त होना माना जा सकता है परन्तु यदि वह हुण्डी सकारी न जावे तो बार (Lien) का अधिकार उसके न सकारे जानेपर फिरसे पैदा हो जाता है, देखो—वाल्दी बनाम ओकेल 16 Q. B. 941.

या जैसे कि बाया खरीदार द्वारा किसी व्यक्तिको माल बेंचनेके सम्बन्धमें अपनी रजामन्दी दे देवे, देखो—नाइट्स बनाम पिकेन L. R. 5 Q. B. 660.

खरीदारके जहाज या उसकी गाड़ी पर मालको रख देना एक प्रकारसे उसको माल पर कब्जा देना माना जावेगा, देखो—14 Bomb. 57 (65).

मालको एक जगहसे दूसरी जगह ले जानेकी हालतमें रोकना

दफा ५० मालको ले जाते हुए रोकनेका हक़

इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए जब कि मालका खरीदार दिवालिया हो जावे तो बिला अदा किए हुए बायाको जो मालके क़ब्ज़ेको छोड चुका है उसे ले जानेकी हालतमें रोकनेका अधिकार है यानी वह माल पर उस समय तक क़ब्ज़ा

फिरसे ले सकता है जब तक कि माल एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जारहा हो तथा वह उसे उस समय तक रोक सकता है जब तक कि क़ीमत अदा न कर दी जावे या न मिल जावे।

व्याख्या—

यह दफा अंग्रेज़ी एक्टकी दफा ४४ के आधार पर बनाई गई है तथा इस दफाके नियमका भास भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ९९ से १०६ तकमें भी होता है, देखो—S. 44 English Sale of Goods Act 1893; S. 99 to 106 Indian Contract Act 1872.

रवानगीमें रोकने (Stoppage in transit) का हक़ वह हक़ है जो बायाको माल रोकनेके सम्बन्धमें उस समय प्राप्त होता है जब कि माल ख़रीदारके पास जाते हुए रास्तेमें होवे और ख़रीदार दिवालिया हो जावे। बाया उसी समय ऐसे हक़का प्रयोग कर सकता है जब कि उसकी क़ीमत अदा न की गई हो।

यह हक़ एक प्रकारसे बारके हक़को बढा देता है क्योंकि जब माल बायाके क़ब्ज़ेमें होवे तब बार (Lien) का हक़ इस्तेमाल किया जा सकता है और जब माल उसके क़ब्ज़ेसे निकल चुका हो परन्तु ख़रीदारके पास न पहुचा हो तब इस हक़का प्रयोग किया जा सकता है। दोनोंमें मालका रोकना क़ीमतकी न अदायगी होने परही होता है, देखो—रावली बनाम विगेऊो 12 Pick 313.

यही बात निम्न लिखित मामलेमें भी बतलाई गई है और साथही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि बार (Lien) का हक रास्तेमें रोकने (Stoppage in transit) का हक़ एकही चीज नहीं है, देखो—गिबसन बनाम कैरूथर 8 Mees & W 341.

बारका हक़ उस समय इस्तेमाल किया जा सकता है जब कि माल बायाके क़ब्ज़ेमें हो और रास्तेमें रोकनेका हक़ उस समय इस्तेमाल किया जा सकता है जब कि माल ख़रीदारके क़ब्ज़ेमे न पहुचा हो किन्तु रास्ते में हो अर्थात किसी तीसरे व्यक्तिके हाथमें होवे इस प्रकार दोनों बातोंका अन्तर बाया व ख़रीदारके क़ब्ज़ेको समझनेसे मालूम किया जा सकता है। एक बात और भी है जिससे दोनोंका अन्तर समझा जा सकता है यानी यह कि बार (Lien) के हक़का प्रयोग बाया क़ीमत न अदा होने पर हर समय कर सकता है अर्थात उन हालतोंमें कर सकता है जो दफा ४७ में बतलाई गई हैं परन्तु रवानगीमें मालको रोकनेके हक़का प्रयोग उसी समय हो सकता है जब कि ख़रीदार दिवालिया हो जावे।

माल ढोने वालेका या घाट वालेका यदि कोई हिसाब किताबका रुपया बाक़ी हो तो उसका बार बायाके बार (Lien) से अच्छा नहीं समझा जावेगा अर्थात पहिले बायाका बार (Lien) चुकाया जावेगा तब उक्त बार चुकाया जा सकेगा परन्तु यदि ढोने वालेकी ढुलाईके दाम या घाट वालेके रखाईके दाम बाक़ी हों तो उनका बार बायाके बार (Lien) से पहिले अदा किये जाने वाला बार समझा जावेगा और वह पहिले चुकाया जाना चाहिये तब बायाकी क़ीमत, देखो—ओपनहैम बनाम रसैल 3 Bos, & Pull 42.

आमतौर पर रास्तेमें माल रोकनेके हक़का प्रयोग बाया द्वारा किया जा सकता है जिसके नाम माल रवाना किया गया हो और जिसे क़ीमत अदा करनेके लिये ख़रीदार पाबन्द होवे।

यदि किसी शख़्ससे कोई माल मांगा गया हो और वह उस मालको अपनी थदमें बाज़ारसे ख़रीद कर ख़रीदारके पास रवाना करे और इसके लिये कमीशन लेवे तो वह मालको रास्तेमें रोक सकता है क्योंके जहां तक ख़रीदारका ताल्लुक़ है वह व्यक्ति एक प्रकारसे बेंचने वालाही व्यक्ति है, देखो—फाज बनाम रे 3 East 93 और भी 16 I. C. 61.

बायासे तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्तिका समझना चाहिये जो उसकी जगह पर समझा जा सकता हो, देखो—53 I.C. 986; 41 I.C. 944; 45 Cal. 111; 24 I.C. 798; 7 S L. R. 163.

यह आवश्यक नहीं है कि बाया या माल भेजने वालाही मालको रास्तेमें रोकनेके अधिकारका प्रयोग करे यदि उसका एजेण्ट जिसे उसकी ओरसे आम या खास अधिकार हासिल हो मालको रोके तो यह उचित रोकना ठहराया जा सकता है, देखो—बैल बनाम मास 5 Wharton 189.

इस दफाका प्रयोग होनेके लिए निम्न लिखित तीन बातोंके साबित होनेकी आवश्यकता समझना चाहिये:—

(१) यह कि बेंचे हुए मालकी कीमत अदा न हुई हो, या

(२) यह कि खरीदार दिवालिया होवे, तथा

(३) यह कि माल रवानगीमें होवे।

१ बेंचे हुए मालकी कीमत अदा हो जाने पर इस दफाका अधिकार नहीं रह जाता है पूरी कीमतका अदा हो जानाही अधिकारको अपहरण करनेके लिये काफी समझना चाहिये। यदि थोड़ी कीमत अदा हो गई हो तो इससे बार (Lien) का बोझा कम हो जाता है परन्तु वह बिल्कुल लोप नहीं हो जाता है अर्थात कीमत का यदि थोड़ा भी हिस्सा अदा होनेको बाकी होवे तो भी उसका बार मालके प्रत्येक भाग पर समझना चाहिये इसी प्रकार यदि कीमतकी अदायगीमें रुक्का या कोई दूसरी दस्तावेज लिखदी गई हो तो बार (Lien) का छोड़ दिया जाना समझा जा सकता है परन्तु यदि माल रवानगीमें होवे और खरीदारके दिवालिया हो जानेका सवाल पैदा हो जावे तो उक्त बार (Lien) का हक पैदा हो जाता है अर्थात बाया उसे रवानगीमें रोक सकता है, देखो—वही फीज बनाम रे 3 East 93

२ खरीदारके दिवालिया हो जाने परही रास्तेमें माल रोकनेके हकका प्रयोग किया जा सकता है अन्यथा नहीं, देखो—न्यूसम बनाम थार्नटन 6 East 17. यही बात 84 I.C. 912; A.I.R. 1925 Mad. 292 में भी मद्रास हाईकोर्टने तय की थी।

यदि बाया खरीदारके दिवालिया हो जाने पर अपने मालकी कीमतके कर्जेका समझौता कर लेवे तो इससे एक प्रकारसे रास्तेमें रोकनेके हकका छोड़ दिया जाना समझा जा सकता है।

माल रवानगीहीमें होने पर रोका जा सकता है यदि वह खरीदारके कब्जेमें पहुंच चुका हो तो उक्त अधिकार नहीं रह जाता है।

अङ्गरेजी क़ानून गुड्स आफ सेल एक्ट १८९३ की दफा ४४ को अक्षरशः इस दफाके रूपमें रख दिया गया है किन्तु भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ९९ से १०६ तकमें इस दफामें बतलाया हुआ सिद्धान्तही प्रगट होता है। उक्त दफाओं तथा उनमें दी हुई परिभाषाओंसे इस दफाके विषय पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी कुछ दफायें नीचे दी जाती हैं जो इस क़ानूनसे सम्बन्ध रखती हैं:—

—दफ़ा ९९ बायाके रवानगीमें माल रोकनेके अधिकार

यदि कोई बाया मालका कब्जा छोड़ चुका हो और उसकी पूरी कीमत अदा न हुई हो तथा खरीदार दिवालिया होजावे तो वह मालको उस समय रोक सकता है जबकि वह खरीदारके लिये रवानगीमें होवे।

—दफ़ा १०० माल कब रवानगीमें माना जावेगा

मालको उस समय रवानगीमें माना जावेगा जबकि वह लेजानेवालेके कब्जेमें होवे अथवा खरीदारके पास लेजानेके सिलसिलेमें किसी जगह पर वह बंद होवे तथा वह उस समय तक खरीदार या उसकी ओरसे अन्य

किसी व्यक्तिके क़ब्ज़ेमें न पहुचा हो सिवाय उक्त प्रकारसे लेजाने वालेके क़ब्ज़ेमें पहुचनेके या उक्त प्रकारसे बद किये जानेके ।

उदाहरण—

(ए)—(ब) मद्रासमें रहता है उसने (अ) को जो पटनेमें है कुछ माल मद्रास भेजनेके लिये आर्डर दिया । माल कलकत्ता भेजा गया और वहा (स) बन्दरगाह वालेको दे दिया गया जिसमें वह मद्रास भेज दिया जावे । माल जबकि वह (स) के क़ब्ज़ेमें है रवानगीमें समझा जावेगा ।

(बी)—(ब) जो दिल्लीमें रहता है उसने (अ) को जो कलकत्तेमें है कुछ मालका आर्डर दिया । (अ) ने माल रवाना करके (ब) के पास देहली भेजा । माल दिल्लीमें पहुंचने पर (ब) के गोदाममें छोड़ दिया गया । (ब) उसको लेनेसे इन्कार करता है और इसके बाद फौरन ही क़ीमतकी अदायगी रोक देता है । माल ऐसी दशामें रवानगीमें माना जावेगा ।

(सी)—(ब) पूनामें रहता है उसने (अ) को बम्बईमें कुछ मालका आर्डर दिया । (अ) ने मालको (स) के हाथ पूना भेजा जिसे (ब) ने लेजाने वालेकी हैसियतसे मुकर्रर किया था पूना पहुंचने पर माल (ब) के कहनेसे उसके लिये उसके गोदाममें रक्खा गया तो ऐसी हालतमें माल रवानगीमें न माना जावेगा ।

(डी)—(ब) लण्डनका एक व्यापारी है उसने (अ) को जो बम्बईमें व्यापार करता है १०० गट्ठे रुईका आर्डर दिया, तथा अपना जहाज रुईके लिये बम्बई भेजा । रुई जिस समय उस जहाज पर लाद दी जावेगी उस समय रवानगीकी हालत समाप्त होजाना समझना चाहिये ।

(ई)—(ब) लण्डनका एक व्यापारी है उसने (अ) को जो बम्बईका व्यापारी है १०० गट्ठे रुईका आर्डर दिया तथा अपना जहाज रुईके लिये बम्बई भेजा । (अ) ने जहाज पर माल लाद दिया तथा जहाजके मास्टरसे लेडिंगका बिल (Bill, of Lading) ले लिया व यह तय किया कि माल (अ) के हुक्म पर या उस शख्सको जिसके हक़में वह मुन्तकिल कर देवे दिया जावेगा । रुई लण्डनमें पहुंच गई परन्तु उसके, (ब) के क़ब्ज़ेमें पहुंचनेसे पहिले (ब) दिवालिया होगया । रुईकी क़ीमत भी अदा न हुई थी । (अ) मालको रोक सकता है ।

—दफ़ा १०१ रोकनेका हक़ जारी रहना

इस दफ़ाके बादमें दिये हुए मामलोंको छोड़कर बेंचने वालेके रोकनेका हक़ उस वक्त नहीं माना जावेगा जबकि माल रवानगीमें होते हुए खरीदार द्वारा बेंच दिया गया हो व उसकी क़ीमत हासिल कर लीगई हो किन्तु वह उस समय तक बना रहता है जब तक कि माल उस दूसरे खरीदारको या उसकी ओरसे अन्य किसी व्यक्तिको न देदिया गया हो ।

—दफ़ा १०२ लेडिंग बिलके मुन्तक़िल कर दिये जाने पर रोकनेका हक़ जाता रहना

यदि खरीदार लेडिंगका बिल (Bill of Lading) या हककी अन्य किसी दस्तावेजके मिल जाने पर उसे दूसरे खरीदारके हक़में कर देवे जबकि माल रवानगीहीमें होवे तथा दूसरा खरीदार नेकनीयतीसे काम करता हो और उसने मालके लिये अच्छी क़ीमत अदाकी हो तो माल रोकनेका हक़ जाता रहता है ।

उदाहरण—

(ए)—(अ) ने (ब) के हाथ कुछ माल बेंचा व उसके नाम उसे रवाना कर दिया तथा लेडिंगका बिल (Bill of Lading) भी भेज दिया । (अ) के क़ीमतकी अदायगी होनेसे पहिले ही (क),

दिवालिया होगया तथा माल रवानगीहीमें था । (ब) ने नकद दाम लेकर लेडिंगका बिल (स) के हक्कमें कर दिया जिसे उसके दिवालिया होनेका हाल नहीं मालूम था । (अ) मालको रवानगीमें नहीं रोक सकता है ।

(बी)—(अ) ने (ब) के हाथ कुछ माल बेंचा व उसके नाम उसे रवाना कर दिया तथा लेडिंगका बिल (Bill of Lading) भी भेज दिया । (अ) के कीमतकी अदायगी होनेसे पहिले ही (ब) दिवालिया होगया था तथा उस समय माल रवानगीमें था । (ब) ने नक़द दाम लेकर लेडिंगका बिल (स) के हक्कमें कर दिया । (स) को (ब) के दिवालिया होनेका पता था । ऐसी हालतमें चूंकि उक्त बिलका मुन्तक़िल किया जाना नेकनीयतीसे नहीं हुआ इसलिये (अ) उस समय भी मालको रोक सकता था ।

—दफ़ा १०३ यदि रुपया लेनेके लिये लेडिंगका बिल गहने या ज़मानतमें रक्खा गया हो तो उस समय रोकनेके अधिकार.

यदि लेडिंगका बिल या माल पर हक्क प्रकट करने वाली दूसरी दस्तावेज़ जो खरीदारको देदीगई हो खरीदार द्वारा गहने रख दीजावे या उसकी जमानत पर नेकनीयतीसे कोई रुपया लिया जावे तो बेंचने वाला उक्त गहना रखने वाले या जमानत रखने वाले व्यक्तिकी बिला क़ीमत अदा किये हुए मालको रवानगीमें नहीं रोक सकता है ।

उदाहरण—

(ए)—(अ) ने (ब) के हाथ १२०००) रुपयेका माल बेंचा व उसे (ब) के नाम रवाना किया । (ब) ने (स) से ५०००) रुपये लेडिंगके बिलकी जमानत देकर लिये तथा उक्त बिल भी उसके नाम कर दिया । (ब) इसी बीचमें दिवालिया होगया । उस पर (स) का ९०००) रुपयेका क़र्ज़ा था । ऐसी हालतमें (अ), (स) का ५०००) रुपये चुकाये बिना मालको रवानगीमें नहीं रोक सकता है ।

(बी)—(अ) ने (ब) के हाथ १२०००) रुपयेका माल बेंचा व उसे (ब) के नाम रवाना किया । (ब) के जिम्मेआम हिसाबके सम्बन्धमें (स) के ५०००) रुपये निकलते थे उसने उक्त रुपयोंकी जमानतके लिये लेडिंगका बिल उसके नाम कर दिया । (ब) इसी दर्मियानमें दिवालिया होगया । ऐसी हालतमें (अ) को अधिकार है कि वह (स) के ५०००) रुपये अदा किये बिना ही मालको रवानगीमें रोक देवे ।

—दफ़ा १०४ किस प्रकार माल रोका जासकता है

रवानगीमें माल रोकनेके लिये बेंचने वाला माल पर दरअस्ल क़ब्ज़ा कर सकता है या वह अपने इस हक्ककी सूचना लेजाने वाले या अन्य किसी सुपुर्ददारको देसकता है जिसके क़ब्ज़ेमें माल होवे ।

—दफ़ा १०५ बेंचने वालेके हक्कका नोटिस

उक्त प्रकारका नोटिस या तो उस व्यक्तिको दिया जासकता है जिसके क़ब्ज़ेमें दरअस्ल माल होवे अथवा उस मालिकको दिया जासकता है जिसके नौकरके क़ब्ज़ेमें माल होवे । परन्तु दूसरी अवस्थामें नोटिस ऐसे समयमें देना चाहिये तथा ऐसी हालतमें देना चाहिये जिससे वह मालिक उचित मेहनत करते हुए अपने नौकरको ठीक समयसे माल खरीदारको देनेसे रोक सके ।

—दफ़ा १०६ रोकने पर बायाके अधिकार

रवानगीमें माल रोकनेसे बायाको हक्क पैदा होजाता है कि वह रोके हुए मालको उस वक्त तक रोके रक्खे जब तक कि बेंचे हुए मालकी सब क़ीमत न चुक गई हो ।

उदाहरण—

(अ) ने (ब) के हाथ १०० गद्दे रुई बेची । ६० गद्दों पर (ब) को क़ब्ज़ा देदिया गया था और बक़ीया ४० गद्दे रवानगीमें थे । (ब) इसी बीचमें दिवालिया होगया और (अ) की क़ीमत भी उस वक्त

तक अदा नहीं हुई थी। (अ) उन ४० गद्दोंको रवानगीमें रोक्ता है। ऐसी हालतमें (अ) को अधिकार है कि जब तक उसके १०० गद्दोंकी पूरी क़ीमत अदा न होजावे तब तक वह उक्त ४० गद्दोंको रोके रक्खे।

ऊपर बतलाई हुई क़ानून मुआहिदाकी दफायें हैं जिनमें 'रवानगीमें रोकने' (Stoppage in Transit) के हक़का वर्णन मिलता है।

दफ़ा १०२ के सम्बन्धमें कलकत्ता हाईकोर्टने एक मामलेमें यह मतप्रकट किया था कि 'नेकनीयतीसें तथा अच्छे दाम लेकर माल खरीदा गया था' इस बातको साबित करनेके लिये बार सुबूत दूसरे खरीदार पर समझना चाहिये जिसने दिवालिये खरीदारसे लेडिंगका बिल हासिल किया हो, देखो—50 Cal. 399.

दफा ५१ माल ले जानेकी मियाद

(१) माल उस समयसे ले जानेकी हालतमें माना जावेगा जबसे वह ले जाने वालेको या दूसरे सुपुर्ददारको इसलिए दिया गया हो कि वह ख़रीदारके पास पहुंचा दे व उस समय तक माना जावेगा जबकि ले जाने वालेसे या सुपुर्ददारसे खरीदार या उसके एजेण्टने उसे ले लिया होवे।

(२) यदि नियत किये हुए स्थानमें पहुंचनेसे पहिले खरीदार या इस सम्बन्ध के लिए उसका एजेण्ट मालको ले लेवेतोले जानेकी हालतको समाप्त समझना चाहिए।

(३) यदि नियत किये हुए स्थान पर माल पहुंच जानेके बाद, ले जाने वाले व्यक्ति या दूसरा सुपुर्ददार ख़रीदार या उसके एजेण्टसे मंजूर कर लेवे कि वह माल उसकी ओरसे लिये हुए है तथा वह ख़रीदार या उसके एजेण्टका सुपुर्ददार होनेकी हैसियतसे उस पर क़ाबिज़ बना रहे तो मालको ले जाये जानेकी हालतको समाप्त समझना चाहिये और इस बातका कोई असर नहीं समझना चाहिये कि ख़रीदारने माल को आगे किसी और स्थानमें पहुंचानेको कहा है।

(४) यदि ख़रीदार मालको नामंजूर कर देवे तथा ले जाने वाला या अन्य सुपुर्ददार उस पर क़ाबिज़ बना रहे तो मालके ले जानेकी हालतको समाप्त नहीं समझना चाहिये। चाहे बेंचने वालेने उसे वापिस लेनेसे इन्कार भी कर दिया हो।

(५) जबकि माल ऐसे जहाज़में दिया गया हो जिसे ख़रीदारने दिया हो तो यह ऐसा प्रश्न है जो हर मामलेकी परिस्थिति पर निर्भर है कि आया वह माल जहाज़के मास्टरकी सुपुर्दगीमें बहैसियत लेजाने वालेके है या बहैसियत ख़रीदारके एजेण्टकेहै।

(६) जबकि ले जाने वाला या दूसरा सुपुर्ददार बेजा तौर पर ख़रीदारको या उसकी ओरसे उसके एजेण्टको माल देनेसे इन्कार करे तो माल ले जानेकी हालत को समाप्त मान लेना चाहिये।

(७) जबकि कुछ माल ख़रीदार या उसके लिये उसके एजेण्टको दे दिया गया हो तो बक़ीया माल जानेकी हालतमें रोका जा सकता है। जब तक कि उक्त मालका दिया जाना ऐसी परिस्थितिमें न हुआ हो जिससे यह इक़रारनामा मालूम होता हो कि पूरे मालका क़ब्ज़ा छोड़ दिया गया है।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी कानूनकी दफा ४५ के आधार पर लिखी गई है। इस दफामें जो सिद्धान्त दिया हुआ है वही सिद्धान्त भारतीय क़ानून मुआहिदाकी दफा १०० में मिलता है, देखो—S. 45 The English Sale of Goods Act 1893; S. 100 Indian Contract Act. 1872.

भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा १०१ का वर्णन पिछली दफाकी व्याख्यामें दिया जा चुका है, देखो—दफा ५० ।

अङ्गरेजी सेल आफ गुड्स एक्टसे पहिले अङ्गरेजी कानून भी इस विषयमें अपूर्ण था और बहुतसे मामलों का फैसला करते हुए अङ्गरेजी जजोंने इस विषय पर महत्व पूर्ण प्रकाश डाला था। उक्त विद्वान जजोंकी राय को तथा प्रचलित व्यापारिक तरीकोंको ध्यानमें रखते हुए दफा ४५ की रचना सन् १८९३ ई० के उक्त अङ्गरेजी एक्टमें की गई थी। सिलेक्ट कमेटीके विद्वान सदस्योंने भी उक्त दफाको इस विषयके सम्बन्धमें सर्वथा उचित ठहराया और इस दफाके रूपमें रख दिया है। इस दफामें यह बतलाया गया है कि माल रवानगीमें कब तक माना जावेगा।

यह दफा ७ भागोंमें विभक्त है प्रत्येक उपदफाको ध्यानसे देखने पर माल ले जानेकी प्रत्येक अवस्था भली भांति समझमें आ सकती है अर्थात यह समझा जा सकता है माल कब रवानगीमें माना जावेगा व कब वह खरीदारके क़ब्जेमें पहुंचा हुआ माना जावेगा।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि मालको रवानगीमें उस समयसे मानेंगे जब कि वह खरीदारके पास पहुंचानेके लिये ले जाने वाले (Carrier) या दूसरे सुपुर्ददारको दिया गया हो। इसी उपदफामें यह भी बतलाया गया है कि मालकी रवानगी उस समय तक समझी जावेगी जब कि माल खरीदार या उसके एजेण्टको उक्त ले जाने वाले या सुपुर्ददार द्वारा दे दिया जावे।

कमीशन एजेण्ट जिसे खरीदनेके लिये नियुक्त किया गया हो तथा जो मालकी क़ीमत अदा करनेके लिये जिम्मेदार होवे उसे उक्त प्रकारका एजेण्ट समझा जावेगा, देखो—Ex. P. Miles. 15 Q. B. D. 39; 56 L. J. Q. B. 53.

मालका दिया जाना (Delivery) कब माना जावेगा यह एक वाक़यांती प्रश्न है और प्रत्येक मामलेके वाक़यातको देख कर तय किया जा सकता है। दफा २ में 'दिये जाने' (Delivery) की परिभाषा दी हुई है तथा अन्य दफाओंमें भी मालको दिये जानेके विषयका वर्णन है।

वाक़यातसे यही, सही प्रकार समझा जा सकता है कि माल लेजाने वाले या सुपुर्ददारको दिया गया था या नहीं और इसी प्रकार यह भी समझा जासकता है कि माल खरीदार या उसके एजेण्टको देदिया गयाहै या नहीं।

यह बात ध्यानमें रहना चाहिये कि लेजाने वाले (Carrier) या सुपुर्ददार (Bailee) को माल इसलिये दिया गया हो, कि वह खरीदारके पास पहुंचाया जावे अर्थात् यदि अन्य किसी नियतसे माल उक्त लेजाने वाले या सुपुर्ददारके पास पहुंचा हो तो उसे इस उपदफाके अनुसार रवानगीमें नहीं माना जा सकेगा।

उपदफा (२) में वह व्यवस्था बतलाई गई है जबकि माल किसी खास जगह पर पहुंचाया जानेको होवे परन्तु बीचहीमें खरीदार या इस कामके लिये नियुक्त किया हुआ उसका एजेन्ट उसे लेलेवे ऐसी हालतमें मालके ले लिये जाने पर रवानगीकी हालत खतम होजाती है। पहिली उपदफामें बतलाई हुई रवानगीकी हालत शुरू होजाने परही इस दफामें बतलाई हुई हालतका होना समझना चाहिये अर्थात् यदि माल

रवाना होनेके बाद व पहुंचाये जाने वाली जगह पर पहुंचनेसे पहिले खरीदार द्वारा ले लिया जावे तो उसके बाद माल लेजानेकी हालत (Transit) में नहीं माना जावेगा ।

एक मामलेमें माल दक्षिण अफ्रीकाको रवाना किया गया था परन्तु खरीदारने उसको साउदैम्पटन स्थान परही रोक लिया । मामला चलने पर यह तय किया गया कि साउदैम्पटनमें माल रोक लिये जाने पर रवानगी की हालतको समाप्त समझ लेना चाहिये, देखो—रिडैल बनाम यूनियन कैसिल स्टीमशिप कम्पनी (1914) 20 Com. Cas. 86, 90.

आम तौर पर मालकी रवानगीका उस जगह पर ख़तम होना समझा जाता है जहां कि माल पहुंचाया जानेको होवे, देखो—कैविन बनाम कैम्पबैल 30 Peun. State 254.

और अगर बीचमें दायाका कोई एजेण्ट मालको अपने गोदाममें इसलिये रख लेवे कि जिसमें वह ठीक स्थान पर पहुचाया जा सके तो ऐसे रोके जाने पर मालकी रवानगी ख़तम नहीं होजाती है, देखो—कोट्स बनाम रेल्टन 6 Barn. & Cren. 422.

यदि ख़रीदार (Vendee) यथा स्थान पर पहुंचनेसे पहिले मालको लेजाने वाले (Carrier) या दूसरे सुपुर्ददार (Bailee) से अपने क़ब्जेमें लेलेवे चाहे उसने लेजाने वालेकी रज़ामन्दीसे ऐसा किया या बिला उसकी रज़ामन्दीके ऐसा किया हो तो रवानगीको समाप्त समझना चाहिये, देखो—व्हाइट हैड बनाम एण्डर्सन 9 Mees. & W. 518, 534.

यदि ख़रीदार उक्त अवस्थामें कोई ऐसा काम करे जिससे यह साबित होता हो कि उसने अपनी तरफसे दरअस्ल क़ब्जा ले लिया है तो भी रवानगीकी हालतको समाप्त समझना चाहिये, देखो—फास्टर बनाम फ्रैम्पसन 6 Barn.& Cress. 107.

'नियत किये हुए स्थान' के सम्बन्धमें अङ्गरेज़ी एक्टमें (Destination) शब्दका प्रयोग किया गया है और एक मामलेमें अङ्गरेज़ी जजने उक्त शब्दके अर्थको करते हुए यह कहा था कि इससे तात्पर्य मालको किसी ख़ास जगह पर भेजे जानेसे है तथा वह किसी ख़ास व्यक्तिके पास भेजा जानेको होवे जिसे माल मिलनेको हो । इससे तात्पर्य सिर्फ किसी ख़ास जगह भेजनेसे नहीं है जबकि यह न बतलाया गया हो कि किसके पास भेजा जानेको है, देखो—Ex. P. Miles. 15 Q. B. D. 39 (43) C. A.

यदि रेलवे कम्पनीने गाड़ी वालोंको कुछ माल देदिया हो तो इसे ऐसा दिया जाना नहीं माना जावेगा जिससे पूरे मालकी रवानगीकी हालत ख़तम होजाती है, देखो—मेचन बनाम नार्थ ईस्टर्न रेलवे कम्पनी (1911) S. C. 1348.

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि माल नियत की हुई जगह (Destination) पर पहुंच जावे और ले जाने वाला (Carrier) या सुपुर्ददार (Bailee) ख़रीदार या उसके एजेण्टसे यह मंजूर कर लेवे कि वह माल उसकी मद पर लिये हुए है और इसके बाद वह माल पर ख़रीदारके सुपुर्ददारकी हैसियतसे क़ाबिज़ बना रहे तो रवानगीकी हालतको समाप्त समझना चाहिये । इस प्रकार इस उपदफामें वह हालत बतलाई गई है जब कि माल एकही व्यक्तिके पास बना रहे परन्तु वह उसकी दूसरी हैसियतमें उसके पास होवे तो मालका दिया जाना मान कर रवानगीकी हालत ख़तम समझी जा सकती है ।

इसी उपदफामें यह भी साफ कर दिया गया है कि उक्त स्थिति उपस्थित होने पर यदि ख़रीदार मालको ले जाने वाले (Carrier) या सुपुर्ददार (Bailee) से कह कर दूसरी जगह पहुचवाना चाहे तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ेगा यानी हर हालतमें माल ख़रीदारके क़ब्जेमें पहुंचा हुआ माल समझा जावेगा ।

उपदफा (४) में वह अवस्था बतलाई गई है जबकि खरीदार मालको नामंजूर कर दे और उसे ले जाने वाले (Carrier) या सुपुर्ददार (Bailee) हीके पास छोड़ देवे ऐसी हालतमें माल रवानगीहीमें समझा जावेगा अर्थात उसके लिये यह नहीं माना जावेगा कि माल खरीदारको दिया जा चुका है चाहे बाया (Seller) भी उसे वापिस लेनेसे इनकार कर देवे।

उपदफा (५) में उस हालतका वर्णन है जबकि माल ऐसे जहाजमें दिया गया हो जिसे खरीदारने तय किया हो इसके लिये कोई खास नियम नहीं तय किया गया है बल्कि यह बतलाया गया है कि इसका तय होना हर मामलेके वाक़यात पर निर्भर है अर्थात यह देखना उस समय आवश्यक है कि आया जहाज वालेको माल ले जाने वाले (Carrier) की हैसियतसे दिया गया है या खरीदारके एजेण्टकी हैसियतसे। यदि खरीदारके एजेण्टकी हैसियतसे दिया गया हो तो रवानगीकी हालत समाप्त समझना चाहिये परन्तु ले जाने वालेकी हैसियतसे माल दिये जाने पर रवानगीकी हालतका समाप्त होना नहीं माना जावेगा।

भारतीय क़ानून मुआहिदाकी दफा १६० के (डी) व (ई) उदाहरणोंको देखनेसे यह बात भली भांति समझमें आ सकती है। पिछली दफामें दफा १०० की परिभाषाके साथ उक्त दोनों उदाहरण भी दिये जा चुके हैं, देखो—दफा ५०।

उपदफा (६) में उस अवस्थाका वर्णन है जबकि खरीदार या उसकी ओरसे उसका एजेण्ट मालको लेनेके लिये तैयार हो व मांगे परन्तु ले जाने वाला (Carrier) या अन्य सुपुर्ददार (Bailee) मालको देनेसे इनकार कर दे ऐसी हालतमें यह माना जावेगा कि रवानगीकी हालत खतम हो गई है।

उपदफा (७) में यह बतलाया गया है कि यदि मालका कुछ भाग खरीदार या उसके एजेण्टको दे दिया गया हो परन्तु बक़ीया माल ले जाने वाले या सुपुर्ददारहीके पास होवे तो बाया उसे रोक सकता है परन्तु ऐसा उस समय नहीं होगा जबकि परिस्थितिसे यह साबित होता हो कि फरीक़ैनके दर्मियान यह इक़रार था कि थोड़े मालका दिया जाना पूरे मालका दिया जाना माना जावेगा।

मालके थोड़े भागके दिये जानेसे जाहिरा तौर पर यही समझा जाना चाहिये कि मालका वही भाग दिया गया है जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात साबित न होती हो।

इसीलिये यदि मालका कुछ भाग बायाहीके पास होवे तो उस पर उसका बार (Lien) होता है और यदि वह बक़ीया माल ले जाने वाले या सुपुर्ददारके क़ब्जेमें होवे तो उसको रोकनेका हक़ बायाको प्राप्त समझना चाहिये परन्तु यदि थोड़े भागको देनेसे पूरे मालका दिया जाना समझा जा सकता हो तो बायाके रोकनेका अधिकार जाता रहता है, देखो—स्लबी बनाम हैवर्ड 2 H. Black 504.

इस मामलेमें गेहूंका सौदा हुआ था। असली खरीदारने लेडिंगके बिल (Bill of Lading) को दूसरे खरीदारके नाम कर दिया था जिसके हक़में उसने उक्त मालको बेंच दिया था। माल फालमाउथ मुक़ामको बाया (Seller) की रज़ामन्दीसे जहाज द्वारा रवाना किया गया था। माल फालमाउथ पहुंचने पर उक्त दूसरे खरीदारने जहाज वालेसे लेना शुरू कर दिया था और वह ८०० बुशेल माल ले भी चुका था उस समय असली बाया (Original seller) ने उसे रवानगीमें मान कर रोकना चाहा क्योंकि पहिला खरीदार (Original Purchaser) उस समय दिवालिया हो गया था। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया था कि ८०० बुशेल माल दे दिये जाने पर रवानगीकी हालतका समाप्त होना समझना चाहिये क्योंकि उससे पूरे मालका दिया जाना समझा जा सकता है। मालके लिये अलाहिदा करनेकी कोई मंशा मुआहिदेसे या फरीक़ैनके व्यवहारसे नहीं समझी जा सकती थी क्योंकि पूरे पूरेही मालका सौदा हुआ था।

एक मामले पर घाटमें पड़े हुए कुछ गद्दोंका एक मुश्त दाम पर सौदा हुआ। दाम दो महीनेमें अदा किये जानेको थे। बायाने घाट वालेसे माल दे देनेके लिये कह दिया। खरीदारने सब मालको तुलवा कर संभाल लिया उसमेंसे कुछ गद्दे उठवा ले गया इसी बीचमें वह दिवालिया हो गया और सौदा होनेके दसही दिन बाद बायाने यह नोटिस दिया कि बक़ीया माल खरीदारको न दिया जावे। मामला चलने पर यह तय किया गया कि खरीदारने पूरे माल पर क़ब्ज़ा लेनेके सिलसिलेमें उस थोड़े मालका क़ब्ज़ा लिया था इस प्रकारसे उसे पूरे मालका क़ब्ज़ा मिल चुका था और इसी कारण वह रवानगीमें नहीं कहा जा सकता है, देखो—टैनर बनाम स्कोवेल 14 Mees. & W 28.

परन्तु यदि वाक़यातसे बेंचने वालेकी यह मंशा प्रकट होती हो कि पूरे मालसे उसका कुछ भाग अलाहिदा किया जावे अर्थात कुछ भागके दिये जानेको पूरे मालके न दिये जानेकी मंशा साबित होती होवे तो उसके रोकनेका हक़ नहीं जाता रहता है अर्थात उस बक़ीया मालको वह रोक सकता है, देखो—बर्नी बनाम विंटज 4 Barn & Adol 568.

इस मामलेमें सूखी घासके एक ढेरके खरीदारने बायासे उसमेंका कुछ भाग ले जानेकी इजाजत मांगली थी। इसमें यह तय किया गया था कि फरीकैनकी मंशा ढेरमेंसे, कुछ भागको अलाहिदा करनेकी थी और इसीलिये बक़ीया मालमें रोकनेका हक़ समझना चाहिये:—

इसी प्रकार यदि खरीदार मालके कुछ हिस्से पर इस नीयतसे क़ब्ज़ा करे जिससे उसका पूरे मालसे अलाहिदा किया जाना साबित होता हो तथा वह पूरेको न लेवे तो ऐसी हालतमें बचे हुए मालके सम्बन्धमें रवानगीकी हालत मानी जावेगी, देखो—14 Mees & W. 28.

ले जाने वाले द्वारा मालका दिया जाना उस समय तक पूरा नहीं समझना चाहिये जब तक कि वह दरअस्ल व पूरे तौर पर मालका क़ब्ज़ा न दे देवे। यदि उसका भाड़ा पूरा न दिया गया हो या न दिया जाता हो तो उस वक्त तक वह पूरे मालका दरअस्ल क़ब्ज़ा देनेके लिये बाध्य नहीं है परन्तु यदि वह बिला उसे लिये हुएही मालको दे देवे तो इससे यह मान लिया जावेगा कि उसने अपने रोकनेके हक़को छोड़ दिया है, देखो—क्राश बनाम ईडेस 1 Barn & Cress 181.

इस मामलेमें (अ) ने कुछ लोहा ले जाने वालेको इसलिये दिया था कि वह उसे (ब) के पास पहुंचा देवे। माल ले जाने वाला (ब) की जगह पर पहुचा तथा उसके घाट पर उसमेंसे कुछ लोहा उतार दिया परन्तु जब उसने देखा कि उसकी रक़म अदा नहीं की जा रही है तो उसने उसे फिरसे लाद लिया तथा सब लोहेको अपनी जगह पर ले गया। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि उक्त मालके किसी भागको इस प्रकार नहीं दिया गया था जिससे भेजने वालेके रोकनेका हक़ जाता रहता क्योंकि जब तक भाड़ा अदा नहीं हुआ था तब तक माल ले जाने वालेके पास समझना चाहिये। इस प्रकार माल रवानगीहीमें माना गया तथा बायाका हक़ रवानगीमें रोकनेके लिये उस समय उपयुक्त ठहराया गया है।

छिलकोंका एक टाल बेंचा गया था। मालकी वजनके हिसाबसे बिक्री हुई थी। उक्त टालमेंसे कुछ माल तौल कर उठाया जा चुका था। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि ऐसी हालतमें थोड़े मालको दिये जानेसे पूरे मालका दिया जाना नहीं माना जा सकता है अर्थात बक़ीया मालको रोकनेका अधिकार बायाके लिये समझना चाहिये, देखो—सिमन्स बनाम स्विफ्ट 5 B & C. 857.

घाट पर पड़े हुए कुछ मालकी बिक्रीका सौदा हुआ। बायाने खरीदारको सब मालके दिये जानेका आर्डर दे दिया। खरीदारने सब मालको तौल लिया था व उसमेंसे कुछ उठा भी ले गया था। इस दरमियानमें

बायाने अपने माल दिये जाने वाले आर्डरको रद्द करते हुए बाकी मालको रोकनेकी कोशिश की। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि उक्त प्रकारसे थोड़े मालके ले जाने पर भी पूरे मालका दिया जाना माना जावेगा क्योंकि पूरे मालका सौदा एक साथ हुआ था व उसके तौले जाने पर वह पूरे हटाये जानेके सिलसिलेमें हटाया गया था इसलिये पूरे मालका दिया जानाही समझना चाहिये, देखो—हैमण्ड बनाम एण्डर्सन 1 B. & P. N. R. 69.

बम्बई हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि यदि ले जाने वाले (Carrier) को बाया द्वारा माल रोकनेका नोटिस दिया गया हो तो उसका कर्तव्य है कि वह मालको बायाको दे देवे या उसके कहने के अनुसार दे देवे परन्तु यदि दुतर्फा दावा पेश किया जाता हो तो वह अपना इत्मीनान करनेके बाद मालको देवे या इण्टर प्लीडर (Interpleader) का दावा दायर करे, देखो—11 Bomb. L. R. 1250; देखो दफा ५१ भी।

यही बात सिन्धके एक मामलेमें भी तय हुई थी। यदि बिला अदा किये हुए बायाने रेलवे कम्पनीको तार दिया हो कि वह माल खरीदारको न देवे तो इसे काफी नोटिस मालको रवानगीमें रोकनेके सम्बन्धमें माना जावेगा, देखो—26 I. C. 424; 8 S. L. R. 65.

दफा ५२ माल जानेकी हालतमें किस प्रकार रोका जाता है

(१) बिला अदा किया हुआ बाया, ले जानेकी हालतमें रोकनेका हक़ या तो माल पर दरअस्ल क़ब्ज़ा करनेसे या ले जाने वाले अथवा दूसरे सुपुर्ददारको अपने हक़का नोटिस देकर, इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकारका नोटिस या तो उस व्यक्तिको दिया जा सकता है जो दरअस्ल क़ाबिज़ होवे या उसके मालिकको।

यदि मालिकको नोटिस दिया जानेका सवाल हो तो नोटिस उसी हालतमें उपयुक्त होगा जबकि वह ऐसे समयमें व ऐसी परिस्थितिमें मालिकको दिया गया हो कि जिससे वह उचित कोशिश करने पर अपने नौकर या एजेण्टको ठीक समय से खरीदारको माल न दिये जानेकी इत्तला दे सके।

(२) जबकि ले जानेकी हालतमें रोकनेका नोटिस बेंचने वाले द्वारा ले जाने वाले को या अन्य किसी सुपुर्ददारको दिया गया हो, जो क़ाबिज़ होवे, तो वह माल बेंचने वालेहीको फिरसे दे देवेगा या उसकी हिदायतके अनुसार दे देवेगा। इस प्रकार फिरता दिये जानेका खर्च बेंचने वाला बरदास्त करेगा।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ४६ के आधार पर बनाई गई है। इसी विषयका वर्णन भारतीय क़ानून मुआहिदाकी दफा १०४ व १०५ में भी दिया हुआ है, देखो—S. 46 English Sale of Goods Act 1893; S. 104, 105 Indian Contract Act 1872.

भारतीय क़ानून मुआहिदेकी उक्त दफायें इस क़ानूनकी दफा ५० की व्याख्याके साथ दी जाचुकी हैं उनको उक्त दफामें देखा जा सकता है।

इस दफामें यह बतलाया गया है कि रवानगीमें माल किस प्रकार रोका जा सकता है। दफा दो भागों में विभक्त है। पहिली उपदफामें यह बतलाया गया है कि बाया रोकनेके अधिकारका किस प्रकार प्रयोग कर-

सकता है तथा दूसरी उपदफ़ामें यह बतलाया गया है कि यदि माल ले जाने वाले व्यक्ति (Carrier) को या सुपुर्ददारको माल रोकनेकी सूचना दी जावे तो उसका क्या कर्तव्य होगा।

उपदफा (१)में दो तरीके मालको रोकनेके सम्बन्धमें बतलाए गए हैं। पहिले तरीकेके अनुसार बाया माल पर दरअस्ल कब्जाले सकता है तथा दूसरे तरीकेके अनुसार वह ले जाने वाले या सुपुर्ददारको अपने हक़की सूचना दे सक्ता है।

सूचना भी दो प्रकारसे दी जा सकती है। एक तो उस व्यक्तिको जिसका माल पर दरअस्ल कब्ज़ा होवे; दूसरे उस व्यक्तिको जिसके नौकरके कब्ज़ेमें माल होवे।

जब कि सूचना मालिकको दी गई हो तो वह ऐसे समयसे व ऐसी अवस्थामें दी जाना चाहिये जिस से वह उचित प्रयत्न करने पर अपने नौकरको माल ख़रीदारको न दिये जानेकी सूचना दे सके।

इस दफ़ामें यह नहीं बतलाया गया है कि नोटिस (सूचना) किस शकलका होना चाहिये नोटिससे फ़रीकैनकी मंशाका जानना एक वाकयाती सवाल है। तारसे मालका रोकना काफ़ी नोटिस समझना चाहिए, देखो—8 S. L. R. 65; 26 I. C. 424.

इस उपदफ़ासे यह प्रकट है कि माल रोकनेके अधिकारका प्रयोग केवल माल पर दरअस्ल कब्ज़ा लेकर ही नहीं किया जा सकता है बल्कि अपने हक़की सूचना जो ख़रीदारके हक़के विरुद्ध पड़ती हो, देने परभी उक्त अधिकारका प्रयोग उचित तौर पर किया जा सकता है जब कि माल रवानगीमें होवे, देखो—बाकर बनाम वुड ब्रिज Cooks Bank L. 494.

एक मामलेमें बायाने रेलवे कम्पनीको दो तार दिये। एकमें यह लिखा था कि 'माल न दो' व दूसरेमें यह लिखा था कि 'माल एक तीसरे व्यक्तिको दिया जावे'। इसके बाद एक ख़त भेजा गया था उसमें यह लिखा था कि माल एक तीसरे व्यक्तिको दे दिया जावे परन्तु उसमें बिला अदा किये हुए बायाकी हैसियतसे बायाका हक़ नहीं बतलाया गया था। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि तारोंकी यह मंशा थी कि माल रोक दिया जावे और बिला अदा किया हुआ बाया ख़रीदारके दिवालिया होने परही ऐसा कर रहा था। उक्त तारको देना पर्याप्त सूचना (Sufficient Notice) मानी गई, देखो—8 S. L. R. 65.

एक मामलेमें माल उधार बेंचा गया था परन्तु बायाको बादमें मालूम हुआ कि ख़रीदार दिवालिया हो रहा है उस वक्त तक माल नहीं दिया गया था बायाने ख़रीदारसे नक़द दाम लेकर माल देनेको कहा इस पर ख़रीदार सौदाको रद्द किया चाहता था। बायाने लिखा पढ़ीमें यह नहीं दिखलाया था कि ख़रीदार दिवालिया हो रहा है। मामला चलाया जाने पर बायाने ख़रीदारको दिवालिया दिखलाते हुए अपने कामको उचित बतलाया। अदालतने यह तय किया कि बाया ख़रीदारका दिवालिया होना दिखला सकता है, देखो—84 I. C. 912; A. I. R. 1925 Mad. 292.

इस उपदफ़ासे यह प्रकट है कि यदि माल रवानगीमें होवे और ख़रीदार दिवालिया हो गया हो तो बाया किसी भी तरीकेसे मालको रोक सकता है यानी कब्ज़ा करके या रोकनेका नोटिस देकर परन्तु उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो फ़ौजदारीका जुर्म होता हो, देखो—स्नी बनाम प्रेस्काट 1 Atk. 245; 2 Kent Comm. 543.

उपदफ़ा (२) में बतलाया गया है कि जब बाया मालके रवानगीमें रोकनेका नोटिस ले जाने वाले (Carrier) या अन्य सुपुर्ददार (Bailee) को देवे तो इन लोगोंका कर्तव्य होगा कि वह मालका बायाको कब्ज़ा दे देवें या बायाके आदेशके अनुसार माल पर अन्य किसी व्यक्तिको कब्ज़ा दे देवें।

ले जाने वालेको माल न देनेके लिये नोटिसका देना पर्याप्त तौर पर रोकना समझा जावेगा और अगर माल ले जाने वाला उक्त नोटिसके होते हुए भी गलतीसे बादमें खरीदारको माल दे देवे तो ले जाने वाला उस गलतीके लिये जिम्मेदार ठहराया जावेगा, देखो—लिट बनाम कौली 7 Taunt 169.

इसी उपदफामें यह भी बतला दिया गया है कि दुबारा माल देनेके सम्बन्धमें जो खर्च पड़ेगा उसका जिम्मेदार बाया होगा।

यदि बाया स्वयं माल पर कब्जा लिया चाहे तो उसे खर्च देना पड़ेगा और यदि वह उक्त माल किसी अन्य व्यक्तिको दिलवाया चाहे या किसी खास स्थान आदिमें रखवाया चाहे तो भी उसेही इस प्रकार माल फिरसे पहुचनेका खर्च बर्दाश्त करना पड़ेगा। खर्चा न दिये जाने पर लेजाने वाला मालको देनेसे या बायाकी मंशाके अनुसार उसे रखनेसे इन्कार कर सकता है।

उचित प्रयत्न (Reasonable Diligance)—से तात्पर्य उस प्रयत्नका समझना चाहिये जो मामूली बुद्धि वाला आम तौर पर अपने कामके लिये कर सकता है अर्थात् यदि मालिक अपनी लापरवाहीके कारण सूचना मिलने परभी अपने नौकरको ठीक समयसे माल न देनेकी सूचना न देवे तो यह उसकीही गलती समझी जावेगी न कि बायाकी। 'उचित प्रयत्न' का सवाल भी एक वाकयाती सवाल है जो प्रत्येक मामलेके वाकयात व समयको देखते हुए समझा जा सकता है।

खर्चे (Explences)—से तात्पर्य उसी खर्चेका समझना चाहिये जो दुबारा मालको देनेके सम्बन्धमें किया गया हो या किया जानेको होवे। ले जाने वाला या सुपुर्दार किसी पिछले खर्चेको इस खर्चेकी भांति नहीं मांग सकता है। अगर खर्च पहिले दिया गया हो तो मुजरा होना चाहिये।

खरीदार या बेंचने वाले द्वारा मुन्तकिल किया जाना

दफा ५३ खरीदार द्वारा उस मालके फिरसे बेंच दिये जाने या गिरवी रखनेका असर

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए 'बिला अदा किये हुए बायाके' हक़ जो उसे बार या लेजानेकी हालतमें रोकनेके सम्बन्धमें हासिल हो, मालकी उस बिक्री या अन्य प्रकारसे उसके अलाहिदा किये जानेका कोई असर नहीं पड़ेगा जो खरीदार द्वारा कीगई हो जब तक कि बेंचने वाला उसके लिये रज़ामन्दी न देदेवे।

परन्तु शर्त यह है कि जब मालके हक़की दस्तावेज़ किसी व्यक्तिके हक़में खरीदार या मालके मालिककी हैसियतसे जारी कर दीगई हो या क़ानूनन् मुन्तक़िल कर दीगई हो तथा वह व्यक्ति उसे ऐसे व्यक्तिके हक़में मुन्तक़िल कर देवे जो उसे नेकनीयतीसे लेता हो तथा जिसने मुवाविज़ा अदा करके लिया हो तो यदि पीछे बतलाया हुआ इन्तक़ाल बिक्रीके तौर पर हुआ हो तो बिला अदा किये हुए बायाका बार या लेजानेकी हालतमें मालको रोकनेका हक़ जाता रहता है और यदि पीछे बतलाया हुआ इन्तक़ाल गिरवी या और किसी प्रकारसे अलाहिदा किये जानेकी सूरतमें होवे तो बिला अदा किये हुए बायाके बार या लेजानेकी हालतमें रोकनेका

हक उस व्यक्तिके हक़ोंका ध्यान रखते हुए इस्तैमाल किया जा सकता है जिसके हक़में पिछला इन्तक़ाल हुआ हो।

(२) जबकि मालका मुन्तक़िल किया जाना गिरवीके तौर पर हुआ हो तो बिला अदा किया हुआ बाया गिरवी रखने वालेकी वह रक़म जिसके सम्बन्धमें गिरवी रक्खी गई हो पहिले जहां तक हो सकेगा उस दूसरे माल या ज़मानतसे चुकानेके लिये कहेगा जो गिरवी वालेके पास खरीदारकी होवे और जो उसके विरुद्ध ली जासकती हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेज़ी क़ानूनकी दफ़ा ४७ तथा भारतीय कानून मुत्राहिदेकी दफ़ा ९८, १०१, १०२ व १०३ के आधार पर बनी हुई समझना चाहिये, देखो—S. 47 English Sale of Goods Act 1893; S. 98, 101, 102, 103 Indian Contract Act 1872.

इस दफ़ामें उस अवस्थाको बतलाया गया है जबकि खरीदार बिला क़ीमत अदा किये हुए खरीदे हुए मालको दूसरेके हाथ बेंच देवे या उसे गिरवी रख देवे या अन्य प्रकारसे अलाहिदा कर देवे। ऐसा किया जाने पर 'बिला अदा किया हुआ बाया' (Unpaid Seller) के उस हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उसे मालको रवानगीमें रोकनेके सम्बन्धमें या अपनी क़ीमतके बार (Lien) के सम्बन्धमें हासिल हों। अर्थात् मालके दुबारा बेंच दिये जाने परभी बायाका बार उस पर बना रहेगा तथा वह उसे रवानगीमें रोक सकेगा। बशर्ते कि ऐसा करनेके लिये और सब बातें उपस्थित हों। परन्तु यदि उक्त बिक्रीके लिये बायाने अपनी रज़ामन्दी देदी हो तो ऐसी हालतमें यह मान लिया जावेगा कि उसने एक प्रकारसे अपने बारका हक़ या रवानगीमें रोकनेका हक़ छोड़ दिया है।

ऊपर बतलाई हुई बातको इस एक्टमें बतलाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए समझना चाहिये अर्थात् यदि एक्टका कोई नियम किसी मामलेमें उक्त बातके विपरीत पड़ता हो तो उसकी पाबन्दी कीजावेगी।

पहिली उपदफ़ाके साथ एक शर्त भी लगी हुई है जिसका ध्यानमें रखना आवश्यक है। इस शर्तमें उस अवस्थाको बतलाया गया है जबकि मालके हक़की दस्तावेज़ किसी व्यक्तिके लिये खरीदार या मालके मालिककी हैसियतसे जारी कीगई हो या उसके हक़में मुन्तक़िल कीगई हो और वह व्यक्ति उस दस्तावेज़को दूसरे व्यक्तिके हक़में उससे मुआविज़ा लेकर कर देवे, तो ऐसी हालतमें असली बायाके बारका हक़ या रोकनेका हक़ उस दूसरे व्यक्तिके हक़के बाद समझना चाहिये। अर्थात् यदि उस दूसरे व्यक्तिने मालको खरीद लिया हो तो असली बायाका उसपर बार या रोकनेका न जाता रहेगा और यदि उस दूसरे व्यक्तिने क़ीमतके बदले मालको गिरवी रक्खा हो या और दूसरे तरीक़ेसे लिखवाया हो तो बायाका बार या रोकनेका हक़ उस गिरवी आदिके बारके बाद समझना चाहिये यानी उसको मानते हुए समझना चाहिये। यह बात भी खास तौरसे ध्यानमें रहना चाहिये कि उक्त दूसरे व्यक्तिने मालको खरीदारसे नेकनीयतीके साथ खरीदा या लिखवाया हो। यदि उसने नेकनीयतीसे ऐसा न किया हो तो इस शर्तके नियमोंको लागू नहीं समझना चाहिये अर्थात् बायाका बार (Lien) व रोकनेका हक़ (Stoppage in Transit) बदस्तूर बना रहेगा।

उपदफ़ा (२) में बायाके लाभके लिये एक बात और बतलाई गई है वह यह है कि यदि उक्त गिरवी रखने वाले दूसरे व्यक्तिके पास उस मालके अलावा खरीदारका दूसरा कोई मालभी गिरवी होवे तो 'बिला अदा

किया हुआ बाया' (Unpaid Seller) उससे गिरवीके बारकी अदायगी पहिले उस दूसरे मालसे करनेको केह सकता है अर्थात् गिरवीका बार पहिले दूसरे मालसे भुक्ताया जा सकता है तब इस मालसे जिसमें अस्ली बायाको विशेष हानि न पहुंच सके।

(अ) एक तेलका व्यापारी है उसने (ब) के हाथ कुछ तेलको बेंचा परन्तु उसे उस मुवाहिदेके अनुसार अलाहिदा नहीं किया था। (ब) ने अपनी खरीदसे २ टन तेल (स) को बेंचा। (स) ने (अ) से उक्त २ टन तेल मांगा। (ब) ने (अ) की कीमत अदा नहीं की थी और इसी कारण (अ) ने (स) को माल देनेसे इन्कार कर दिया। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि (अ) का बार (Lien) तेल पर था और वह माल देनेसे इन्कार कर सकता था, देखो—मोरडाण्ट ब्रदर्स बनाम ब्रिटिश आयल एण्ड केक मिल्स (1910) 2 K. B. 502.

एक मामलेमें २६००० बोरे मालका सौदा हुआ बेंचने वालेके पास ६००० बोरेका माल था। खरीदे हुए मालकी कीमत चेकसे अदा की गई। खरीदारने उक्त २६०० बोरे तीसरे व्यक्तिके हाथ बेंच डाले। पहिले खरीदारको बायासे माल दिये जानेका आर्डर मिल चुका था उसी आर्डरको उसने दूसरे खरीदारके नाम कर दिया था। पहिले खरीदारका चेक नहीं सकारा गया इस पर बायाने दूसरे खरीदारको माल देनेसे इन्कार कर दिया। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि बायाका बार (Lien) उस मालसे जाता रहा है और माल उक्त दूसरे खरीदारको दिया जाना चाहिये, देखो—अरजेन्स मारगेरीन फैब्रिकन बनाम लुई ड्रेफुस एण्ड कम्पनी (1914) K. B 40.

एक मामलेमें यह तय किया गया था कि यदि माल उधार बेंचा गया हो और उस मालको कोई व्यक्ति नेकनीयतीसे यह विश्वास करते हुए खरीदारसे खरीद लेवे कि उधारकी मुद्दत खतम होने पर उसकी कीमत बायाको चुका दी जावेगी तो भी उसकी खरीदको सुरक्षित समझना चाहिये अर्थात पहिला बाया उस माल पर अपने बार या रोकनेके हकको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस प्रकार यह समझना चाहिये कि दूसरे खरीदार का हक मजबूत करनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसको अस्ली बायाके कीमत न अदा होनेकी सूचना नहीं थी। यानी उधारकी सूचना होते हुए भी उसका सौदा सुरक्षित हो सकता है, देखो—कमिंग बनाम ब्राउन 1. Camp. 104.

इसी प्रकार यदि किसी व्यक्तिने खरीदारसे लेडिंगका बिल (Bill of Lading) यह जानते हुए लिया हो कि उसकी अदायगीमें खरीदार द्वारा बायाको कोई हुण्डी लिख दी गई है तथा उसका यह विश्वास भी होवे कि उक्त हुण्डीका भुगतान भी अवश्य ही हो जावेगा तो ऐसी हालतमें पहिले बायाको बेंचे हुए माल पर कोई रोकनेका हक नहीं समझना चाहिये, देखो—कोक्स बनाम हारडेन 4 East 211.

यदि कोई व्यक्ति खरीदारसे माल यह जानते हुए खरीदा कि वह दिवालिया है तथा उसने मालकी कीमतको अदा भी नहीं किया है अथवा धोखादेही या बेईमानीसे माल खरीदारसे लेवे तो उसकी खरीदसे अस्ली बायाके हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी वह बारके हक या रोकनेके हकका प्रयोग कर सकेगा, देखो—आंगली बनाम एटकिन्सन 5 Faunt 759.

यदि बायाने सादे बिल आफ लेडिंग पर दस्तखत करके खरीदारको दे दिया हो और वह खरीदार उसे तीसरे व्यक्तिके नाम कर देवे व बादमें उसका साझीदार बन जावे तथा उक्त तीसरे व्यक्तिने यह जानते हुए माल लिया हो कि उसकी कीमत बायाको अदा नहीं की गई है तो ऐसी हालतमें अस्ली बायाका रोकनेका या बारका हक बदस्तूर बना रहेगा, देखो—सामन्स बनाम निसेन्स 2 T. R. 674.

दफा ५४ आमतौर पर विक्री, बारसे या ले जानेकी हालतमें रोकने से मंसूख नहीं हो जाती है

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए विक्रीका मुवाहिदा केवल इस ही बातसे क़लादम नहीं हो जाता है कि विला अदा किये हुए बायाने अपने बारके हक़को या ले जानेकी हालतमें रोकनेके हक़का इस्तेमाल किया है।

(२) जबकि माल बर्बाद हो जाने वाला होवे या जबकि विला अदा किया हुआ बाया जिसने अपने बार या ले जानेकी हालतमें रोकनेके अधिकारका प्रयोग किया हो दुबारा बेंचनेकी नियत रखनेकी सूचना खरीदारको देवे तो बिला अदा किया हुआ बाया, खरीदार द्वारा उचित समयमें उसकी क़ीमत न अदा किये जाने पर या मिलने पर, मालको उचित समयके अन्दर बेंच सकता है और पहिले वाले खरीदारसे उसकी मुवाहिदा शिकनीके कारण हुए नुक़सानको वसूल कर सकता है परन्तु उक्त खरीदार इस दुबारा बेंचनेसे होने वाले किसी मुनाफ़ेको पानेका हकदार नहीं होगा। यदि उक्त प्रकारकी सूचना न दी गई हो तो विला अदा किया हुआ बाया हर्जा पानेका हक़दार नहीं होगा और खरीदार दुबारा विक्रीसे होने वाले मुनाफ़े को पानेका हक़दार होगा।

(३) जबकि विला अदा किये हुए बायाने अपने बार या ले जानेकी हालतमें रोकनेके हक़को इस्तेमाल करनेके बाद मालको दुबारा बेंचा हो तो खरीदारका हक़ माल पर पिछले खरीदारके मुक़ाबिले अच्छा पहुंचता है बिला इस बातका लिहाज़ किये हुए कि पहिले वाले खरीदारको दुबारा विक्रीकी कोई सूचना नहीं दी गई थी।

(४) यदि कोई बेंचने वाला खुलासा तौरसे यह अधिकार सुरक्षित रक्खे कि खरीदार द्वारा ग़लती होने पर वह मालको दुबारा बेंच सकेगा तथा खरीदारके ग़लती करने पर मालको दुबारा बेंचे तो विक्रीका पहिला मुवाहिदा इससे मंसूख समझा जावेगा परन्तु इसका कोई विरुद्ध प्रभाव बेंचने वालेके उस हक़ पर नहीं पहुंचेगा जो उसे हर्जेके सम्बन्धमें हासिल होवे।

व्याख्या—

यह दफ़ा अंग्रेज़ी क़ानूनकी दफ़ा ४८ तथा भारतीय क़ानून मुआहिदाकी दफा १०७ के आधार पर लिखी हुई समझना चाहिये, देखो—S. 48 English Sale of Goods Act 1893; S. 17 Indian Contract Act 1872.

उपदफ़ा (१) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि यदि बिला अदा किये हुए बाया (Unpaid Seller) ने अपने बार (Lien) के हक़को या स्थानगीमें माल रोकनेके हक़को इस्तेमाल किया हो तो केवल इसहीसे मुवाहिदेका तोड़ दिया जाना नहीं समझ लेना चाहिये। अर्थात् उक्त हक़के प्रयोग किये जाने पर भी फ़रीक़ैन मुवाहिदके अनुसार काम कर सकते हैं यानी खरीदार मालकी क़ीमत अदा करके मालको बदस्तूर ले सकता है या क़ीमतकी अदायगीके लिये अन्य किसी प्रकारसे समझौता होने पर माल उसी क़ीमत पर लिया जा सकता है जिस हिसाबसे फ़रीक़ैनके दरमियान पहले तय हुआ हो।

उक्त हकके प्रयोग किये जाने पर फरीकैन उसी स्थिति पर हो जाते हैं जिस स्थिति पर बाया द्वारा माल अलाहिदा किये जाते समय वह लोग थे, देखो—लिकबेरो बनाम मैसन 6 East 27.

इस प्रकार बायाकी क़ीमतका बार माल रोकने पर मालके ऊपर हो जाता है न कि उसे मालके ऊपर उससे अच्छा हक पहुंच सकता है जो उसे बिक्रीके बाद प्राप्त था अथवा जो उसे माल पर कब्ज़ा छोड़नेसे पहिले प्राप्त था। अर्थात् माल रोकनेके बाद बाया व खरीदार दोनोंही मुवाहिदेकी शर्तोंके अनुसार अपने अपने हक्कके लिये दूसरे फरीकको मजबूर कर सकते हैं, देखो—वेण्टवर्थ बनाम आथवेथ 10 Mees & W. 436,452.

ऊपर बतलाए हुए लिकबेरो बनाम मैसन (6 East 27) के मामलेमें कुछ माल ५०० पौंडका बेंचा गया था वह रवानगीमें रोका गया जिस समय माल बायाके क़ब्जेमें था उसकी कीमत चढ़ कर १००० पौंड हो गई। ऐसी हालतमें खरीदार द्वारा ५०० पौंड अदा किये जाने पर वह माल उसको मिलना चाहिये था।

रवानगीमें माल रोक लेनेका हक इस्तेमाल करने पर बायाका मालिकाना क़ब्ज़ा बेंचे हुए माल पर नहीं हो जाता है उसकी बिला अदाकी हुई क़ीमतका बार उस माल पर हो जाता है और अगर कुछ क़ीमत अदाकी जा चुकी हो तो बक़ीया क़ीमत अदा करने पर खरीदार उस मालको ले सकता है।

यदि खरीदारको नोटिस दिया गया हो तथा उचित मौक़ा दिया जावे इस पर भी वह बकाया क़ीमत न अदा करे तो खरीदारकी जिम्मेदारी पर बाया माल बाजार भाव बेंच सकता है और इस प्रकार प्राप्तकी हुई क़ीमतसे अपना बकाया रुपया वसूल कर सकता है। वह हर्जेका दावा भी कर सकता है अगर उसकी पूरी क़ीमत न चुकी हो, देखो—न्यूहाल बनाम वरगास 15 Maine 314; 2 Kent Comne. 541. कैमर बनाम स्वैरक्रोप 1 Camp. 109.

उपदफ़ा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि माल बर्बाद होजाने वाला होवे या यदि माल रोकनेके बाद 'बिला अदा किये हुए बाया' (Unpaid Seller) ने खरीदारको यह नोटिस देदिया हो कि माल न संभाले जाने पर वह उसे दुबारा बेंच देगा तथा वह खरीदारकी उचित समय तक प्रतीक्षा करता रहेगा और वह मालको न संभाले तो बायाको अधिकार है कि वह मालको दुबारा बेंच दे तथा अपना हर्जा पहिले खरीदारसे मुवाहिदा शिकनीकी बिना पर वसूल कर लेवे।

इसी उपदफामें यह भी बतलाया गया है कि यदि उक्त प्रकारसे काम किया गया हो तो खरीदार किसी नफेको पानेका हक़दार नहीं समझा जावेगा जबकि दुबारा बिक्रीसे कोई मुनाफा हुआ हो।

इस उपदफाके पहिले भागको देखनेसे यह प्रकट है कि यदि माल बर्बाद होजाने वाली क़िस्मका होवे तो उसमें नोटिसका दिया जाना आवश्यक नहीं बतलाया गया है परन्तु अन्य मामलोंमें नोटिसके होने परही उक्त नियमकी पाबन्दी समझना चाहिये अन्यथा नहीं।

इसी उपदफाके आखिरी हिस्सेमे उस अवस्थाको बतलाया गया है जबकि नोटिस देनेकी आवश्यकता होते हुए भी बिला नोटिस दिये हुए ही बायाने मालको बेंच डाला हो। ऐसी हालतमे बाया किसी हर्जेके पानेका मुस्तहक़ नहीं होगा अर्थात् दुबारा बिक्रीसे यदि कम क़ीमत वसूल हुई हो तो वह बक़ीया क़ीमत आदिके लिये हर्जेकी नालिश पहिले खरीदारके खिलाफ नहीं कर सकेगा। साथही साथ यदि दुबारा मालके बेंचे जाने पर यदि कोई अधिक क़ीमत वसूल हुई हो तो खरीदार उस अधिक क़ीमतके पानेका हक़दार समझा जावेगा।

इस प्रकार इस उपदफ़ासे निम्न बातें समझना चाहियेः—

(१) यह कि जब माल बर्बाद होजाने वाला होवे तो नोटिसकी आवश्यकता नहीं है व उचित समयमें वह रोके जानेके बाद बिला अदा किये हुए बाया द्वारा बेंचा जा सकता है।

(२) यह कि यदि रोके जानेके बाद बिला अदा किया हुआ बाया ख़रीदारको दुबारा बेंचनेकी इच्छा प्रकट करते हुए नोटिस ख़रीदारको देदेवे और उचित समयके अन्दर ख़रीदार उसे नहीं संभाले तो उक्त बाया ख़रीदारसे अपना हर्जा वसूल कर सकता है जबकि उसे दुबारा बेंचनेमें कोई घाटा हुआ हो, देखो—25 I. C. 799.

परन्तु यदि ऐसी हालतमें बायाको दुबारा बेंचने पर कुछ अधिक क़ीमत वसूल हुई हो तो वह भी उसीकी होगी अर्थात् ख़रीदार उस अधिक क़ीमतको पानेका हक़दार नहीं होगा।

(३) यह कि जब उक्त प्रकारका नोटिस बिला दिये हुए ही बिला अदा किया हुआ बाया मालको दुबारा बेंच देवे और इस दुबारा बिक्रीमें कम क़ीमत वसूल हुई हो तो वह ख़रीदारसे अपना हर्जा पानेका हक़दार नहीं होगा परन्तु यदि इस दुबारा बिक्रीमें अधिक क़ीमत आई हो तो ख़रीदार इस अधिक क़ीमतको पानेका हक़दार होगा। और वह उसे बायासे वसूल कर सकेगा।

उपदफा (३) में वह अवस्था बतलाई गई है जबकि 'बिला अदा किये हुए बाया' (Unpaid seller) ने अपने रोकने आदिके हक़का प्रयोग करते हुए मालको रोक लिया हो और उसे दूसरे ख़रीदारके हाथ बेंच दिया हो। ऐसी हालतमें उक्त दूसरे ख़रीदारको अच्छा हक़ पहुंचेगा चाहे पहिले ख़रीदारको कोई नोटिस दुबारा बिक्रीके सम्बन्धमें दिया गया हो या न दिया गया हो अर्थात पहिला ख़रीदार दूसरे ख़रीदारके विरुद्ध माल पानेके सम्बन्धमें या अन्य किसी प्रकारका दावा नहीं कर सकता है।

उपदफा (४) में वह अवस्था बतलाई गई है जबकि बायाने खुलासा तौर पर मुवाहिदा करते समय यह अधिकार सुरक्षित रखा हो कि यदि ख़रीदार कोई गलती करेगा तो वह मालको दुबारा बेंच देगा। तो ऐसी हालतमें यदि ख़रीदारकी गलती पर बाया मालको फिरसे बेंच दे तो इससे मुवाहिदेको टूटा हुआ समझना चाहिये यानी नोटिस आदिके न होनेका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। परन्तु बाया अपने हर्जेका हक़दार बना रहेगा यदि उसे ख़रीदारकी गलतीकी वजहसे कोई नुक़सान उठाना पड़ा हो।

लाहौर हाईकोर्टने एक मामलेमें यह विचार प्रकट किये थे कि ख़रीदारकी ज़िम्मेदारी पर माल उसी समय दुबारा बेंचा जा सकेगा जबकि मालकी मालियत उसके हक़में मुन्तक़िल हो चुकी हो, देखो—100 I. C. 795.

उचित समय (Reasonable time)—बायाका कर्तव्य है कि उचित समयके अनुसार ही मालको बेंचे यानी यह कि ख़रीदारको उचित समय उसकी क़ीमत अदा करके मालको उठा लेनेके लिये दिया जाना चाहिये तथा बेंचनेमें बहुत देर भी न कर देना चाहिये जिससे बाजारकी क़ीमत गिर जानेके कारण ख़रीदारको बहुत नुक़सान उठाना पड़े। अगर ख़रीदारको अधिक नुक़सान पहुंचानेकी नीयतसे बाज़ार भाव गिरने पर माल अधिक देर तक रोका गया हो तो ख़रीदार ऐसे नुक़सानका जिम्मेदार नहीं समझा जाना चाहिये, 72 I. C. 772; A. I. R. 1924 Lah. 319.

बायाको नोटिस देनेके बाद बेंचनेमें बहुत जल्दी भी न कर देना चाहिये यानी यह कि ख़रीदारको काफ़ी मौक़ा इस बातका मिल जाना चाहिये कि वह बायाको अपनी मशा लिख सके या वह क़ीमतका इन्तज़ाम करके मालको संभाल सके, देखो—100 I. C. 795; 8 Lah. 501; A. I. R. 1925 Bom. 547; 19 All. 535.

नागपुरकी अदालतने भी एक मामलेमें यही विचार प्रकट किये थे कि जब तक माल लिया जा सकता हो तब तक आखिरी दिन तक इन्तजार करनेके बाद मालको दुबारा बेंचना चाहिये, देखो—95 I. C. 188; A. I. R. 1926 Nag. 410.

जबकि बायाने रोकनेके बाद बहुत देर करके मालको दुबारा बेंचा हो तो वह खरीदारसे हर्जेके तौर पर क़ीमतका वह फ़र्क़ नहीं पा सकेगा जो खरीदने व बेंचनेके वक्तके भावमें पड़ता हो बल्कि वह केवल वही फ़र्क़ पा सकेगा जो मुवाहिदा शिकनीके वक्त वाले भावमें व विक्रीके भावमें पड़ता हो, देखो—56 I. C. 647; 23 O. C. 67.

बार सुबूत—इस बातका बार सुबूत कि नोटिस दिया गया था दुबारा बेंचने वाले पर समझना चाहिये, देखो – A. I. R. 1924 Nag. 162 (2).

छठवां प्रकरण

मुवाहिदा शिकनीके लिये दावे

दफ़ा ५५ क़ीमतके लिये दावा

(१) यदि किसी विक्रीके सौदेके अनुसार मालियत खरीदारको पहुंच गई हो और खरीदार बेजा तौर पर मुवाहिदेकी शर्तोंके अनुसार मालकी क़ीमत अदा करनेमें लापरवाही करे या उसे अदा करनेसे इनकार कर देवे तो बेंचने वाला उस पर मालकी क़ीमतके लिये दावा दायर कर सकता है।

(२) यदि किसी विक्रीके मुवाहिदेके अनुसार किसी निश्चित दिन क़ीमत अदा की जानेको होवे चाहे माल दिया गया हो या नहीं तथा खरीदार बेजा तौर पर उक्त क़ीमतको अदा करनेमें लापरवाही करे या उसके देनेसे इनकार करे तो बेंचने वाला उस पर क़ीमतका दावा कर सकता है गोकि मालियत मुन्तकिल नहीं हुई है और न माल मुवाहिदेके लिये इस्तैमाल किया गया है।

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफ़ा ४९ के आधार पर बनाई गई है। उक्त दफ़ाकी पहिली व दूसरी उपदफ़ाओंको इस दफ़ाकी सूरतमें रख दिया गया है उसकी तीसरी उपदफ़ा व्याजके सम्बन्धमें है जिसका जिक्र इस एक्टकी दफा ६१ में मिलेगा, देखो—S. 49 (1) & (2) English Sale of Goods Act 1893.

इस प्रकरणमें यह बतलाया गया है कि मुवाहिदा शिकनी (Breach of Contract) पर फ़रीक़ैन क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इस दफ़ा व अगली दफ़ामें खरीदार द्वारा मुवाहिदा शिकनी होने पर बायः

द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयोंका वर्णन है तथा दफ़ा ५७ व ५८ में बाया द्वारा मुवाहिदा शिकनी होने पर खरीदार द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयोंका उल्लेख है। अगली दफ़ामें यानी दफ़ा ५९, ६० व ६१ में मुवाहिदे शिकनीहीके बाबत दिया हुआ है।

इस दफ़ामें क़ीमतके बाबत दावा किये जानेका वर्णन है। दफ़ा दो भागोंमें विभक्त है। पहिली उपदफ़ामें यह बतलाया गया है कि यदि बिक्रीके मुवाहिदेके अनुसार मालियत खरीदारके हक़में मुन्तक़िल हो चुकी हो और ख़रीदार बेजा तौरसे मुवाहिदेकी शर्तोंके अनुसार मालकी क़ीमत न अदा करे या उसे टाले तो बाया को अधिकार है कि वह अपनी क़ीमतका दावा दायर कर देवे। इस उपदफ़ाका प्रयोग होनेके लिये यह उचित प्रतीत होता है कि ख़रीदारको मालियत मुन्तक़िल हो चुकी हो अर्थात् यदि मालियत मुन्तक़िल न हुई हो तो इस उपदफ़ाका प्रयोग नहीं समझना चाहिये।

इसी प्रकार जब ख़रीदार मुवाहिदेकी शर्तोंके अनुसार क़ीमत न अदा करे तभी इस उपदफ़ाके नियम लागू समझना चाहिये अन्यथा नहीं अर्थात् यदि ख़रीदार मुवाहिदेकी शर्तोंके अनुसार क़ीमत अदा करनेको तैय्यार होवे और उसकी ओरसे कोई बेजा कार्रवाई अमलमें न लाई गई हो तो इस उपदफ़ाके अनुसार क़ीमतका दावा नहीं चल सकता है।

उपदफ़ा (२) में बतलाया गया है कि यदि किसी बिक्रीके मुवाहिदेके अनुसार क़ीमत किसी निश्चित दिनमें अदा कीजानेको होवे चाहे माल दिया गया हो या न दिया गया हो और ख़रीदार बेजा तौरसे उक्त क़ीमतको न अदा करे तो उसके विरुद्ध क़ीमतका दावा किया जा सकता है चाहे मालकी मालियत ख़रीदारके हक़में मुन्तक़िल न हुई हो और माल मुवाहिदेके लिये इस्तैमाल न किया गया हो इस उपदफ़ाके लिये यह आवश्यक नहीं है कि ख़रीदारको मालियत मुन्तक़िल हो चुकी हो जैसाकि पिछली उपदफ़ाके प्रयोगके लिये आवश्यक है अर्थात् चाहे मालियत मुन्तक़िल हुई हो या न हुई हो यदि उक्त निश्चित दिन पर क़ीमत न दीगई हो तो बाया अपनी क़ीमतका दावा कर सकता है। इस उपदफ़ाके लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि माल मुवाहिदेके लिये इस्तैमाल किया गया हो अर्थात् चाहे वह उक्त प्रकारसे इस्तैमाल किया गया हो या न इस्तैमाल किया गया हो। निश्चित दिन पर क़ीमत न अदा किये जानेपर क़ीमतका दावा किया जा सकता है। इस उपदफ़ाका प्रयोग उसी समय समझना चाहिये जबकि मालके दिये जानेका लिहाज़ न करते हुए क़ीमतका अदा किया जाना किसी ख़ास दिनके लिये तय हुआ हो।

यदि किसी मालकी बिक्रीका सौदा हुआ हो तथा उसकी क़ीमत बिला किसी शर्तके एक नियत दिन पर अदा कीजानेको होवे तो ख़रीदार उक्त दिनपर अदा करनेके लिये बाध्य है चाहे जायदाद उसके हक़में मुन्तक़िल हुई हो या न हुई हो और मालके न दिये जाने परभी कोई ध्यान नहीं दिया जावेगा, देखो—डकहार्ट बनाम ईस्टर्न बैंक (1922) 1. K. B. 318 (323)

यही नियम उस समय भी लागू समझना चाहिये जबकि क़ीमत किस्त (Instalment) से अदा कीजानेको होवे, देखो—डनलप बनाम ग्रोट 2 C. K. 153; 30 R. R. 834.

यदि ख़रीदार मालकी क़ीमत अदा करनेमें देर करे तो बाया मुवाहिदेको तोड़ देनेका अधिकारी नहीं है किन्तु वह अपनी क़ीमतका दावा कर सकता है तथा माल क़ब्जेमें होने पर वह अपने बार (Lien) के हक़का भी प्रयोग कर सकता है, देखो—मारटिण्डेल बनाम स्मिथ 1 Q. B. 389 (395); 55 R. R. 285 (289).

यदि लैसंस वाले किसी क़ानूनके अनुसार किसी नशीली वस्तुका उधार बेंचना मना हो जो वहीं इस्तै-माल की जानेको होवे तो ऐसी चीजकी क़ीमतका दावा नहीं चल सकता है, क्योंकि नशेके क़ानूनसे वह वर्जित है (11 and 12 George, V. C. 42) S. 8. और भी देखो—87 I. C 353; 35 Mad. 582.

एक मालके बिक्रीका सौदा हुआ जिसकी क़ीमत अग्निबोट (Steamer) के आजावे पर दस्तावेज़के दिये जाने पर नक़द अदा की जानेको थी। यदि ख़रीदार दस्तावेज़को लेनेसे इन्कार कर देवे तो उसके विरुद्ध हर्जेका दावा चल सकता है क़ीमतका नहीं क्योंकि उपदफा (२) के अनुसार क़ीमत मालके दिये जाने या बिला लिहाज़ किये हुए किसी निश्चित दिन पर अदा कीजानेको नहीं थी, देखो - स्टीन फोर्बुस एण्ड कम्पनी बनाम काउण्टी टेलरिंग कम्पनी (1916) 115 L. T. 215; 88 L. J. (K. B.) 448; देखो—और सी कालेरी बनाम एक्सपोर्टर्स (1921) 3 K. B. 302.

एक मामलेमें माल ६ महीनेके उधार पर बेंचा गया तथा वह देदिया गया। क़ीमतकी अदायगी उस छै महीनेके बाद तीन महीनेके बिल पर होनेको थी। ऐसी हालतमें मुवाहिदेके नौ महीनेके बाद बायाको दावा करनेकी बिनाय मुख़ समत समझना चाहिये। मियाद उसी समयसे ली जावेगी न कि मालके दिये जानेके समयसे, देखो—हैल्युस बनाम विण्टर बाटम 2 B. & ad. 431.

मालकी क़ीमत क़ानूनी सिक्कों अर्थात् प्रचलित दामोंके अनुसार दी जाना चाहिये, देखो—बैटर बी बनाम डेविस 3 Camp. 70.

यदि ख़रीदारका महाजन (Banker) बायाको उधारका यक़ीन दिलावे तथा इस बातके लिये रज़ामन्दी ज़ाहिर करे कि वह इनवाइस (Invoice) दिखलाये जाने पर मालकी क़ीमत अदा कर देगा तो ऐसी हालतमें यदि इनवाइस दिखलाये जाने पर उक्त महाजन क़ीमत न अदा करे तो बायाके लिये उसे ज़िम्मेदार समझना चाहिये, देखो—1 K. B. 318 (323).

दफा ५६ नामंजूर करने पर हर्जा

जबकि ख़रीदार बेजा तौर पर मालको लेने व उसकी क़ीमत अदा करनेमें लापरवाही करे या इनकार करे तो बेंचने वाला उस पर उक्त नामंजूरीके लिए हर्जेका दावा कर सकता है।

व्याख्या—

उक्त दफा अङ्गरेज़ी क़ानूनकी दफा ५० (१) के आधार पर बनाई गई है। यही सिद्धान्त भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा ७३ व ७४ से भी प्रकट होता है, देखो—S. 50 (1) English Sale of Goods Act 1893; S. 73 & 74 Indian Contract Act 1872.

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि ख़रीदार मालको न लेवे तो बाया हर्जेका दावा कर सकता है। हर्जेका दावा माल न लिये जानेके सम्बन्धमें उसी समय किया जा सकेगा जब कि ख़रीदार बेजा तौरसे माल लेनेमें तथा उसकी क़ीमत अदा करनेमें लापरवाही करे।

बेजा तौरसे (Wrongfully) यह तात्पर्य समझना चाहिये कि मुवाहिदेकी शर्तोंके अनुसार माल न लिया जावे या यदि कोई शर्तें माल लिये जाने अथवा क़ीमत अदा किये जानेके सम्बन्धमें न हुई हों तो

चलनके अनुसार माल लिये जाने या क़ीमत अदा किया जानेका जो तरीक़ा हो उसके अनुसार ख़रीदार कार्रवाई न करता हो।

मालका न लेना व उसके लेनेमें लापरवाही करना दोनों बातें ऐसी हैं जिनसे बाया ख़रीदार पर हर्जे का दावा कर सकता है।

हर्जेकी तादाद मुवाहिदेके साथ तयकी जा सकती है अर्थात् फ़रीक़ैनके दरमियान इस क़िस्मका मुवाहिदा हो सकता है कि यदि ख़रीदार मालको न लेवेगा तो उसे एक नियत धन राशि हर्जेके तौर पर अदा करना पड़ेगी। ऐसी हालतमें उक्त तयकी हुई तादादके अनुसार हर्जा दिलाया जा सकेगा अन्यथा वाक़यातको देखते हुए हर्जेकी तादाद तयकी जा सकेगी, देखो—डंसूल बनाम स्टीवेंसन एण्ड कम्पनी (1906) 2 K. B. 345; 12 Com. Cas.

यही बात निम्न लिखित मामलोंमें भारतीय अदालतों द्वारा भी तय की गई है, देखो—103 Ind. Cas. 805; A. I. R. 1927 Lah. 659; 105 Ind Cas. 789; A. I. R. 1927 Mad. 965; 84 Ind. Cas. 865, A. I. R. 1925 Lah. 284; 91 Ind. Cas. 790, A. I. R. 1926 All. 278.

भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा ७४ में इसी विषयका वर्णन है। जहां पर मुवाहिदेके साथमें हर्जेकी तादाद निश्चित कर दी गई हो वहां हर्जे आदिके देखनेका सवाल नहीं रहेगा अर्थात इस बातका ख़्याल नहीं किया जावेगा कि आया कोई हर्जा हुआ है या नहीं।

इस दफ़ामें तथा इस एक्टकी अन्य दफ़ाओंमें यह नहीं बतलाया गया है कि हर्जा किस प्रकार समझा जावेगा तथा उसका अन्दाज़ा कैसे लगाया जावेगा। सिलेक्ट कमेटीके सदस्योंने इस एक्टमें इस बातको इस लिये नहीं रक्खा है कि यह बात भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा ७३ व ७४ में दी हुई है और उक्त दफ़ाओं हीके नियम इस सम्बन्धमें लागू समझना चाहिये:—

भारतीय क़ानून मुवाहिदेकी उक्त दफ़ाओंका विवरण सविस्तार नीचे दिया जाता है जिससे इस दफ़ा तथा बाद वाली दफ़ाओं पर अच्छा प्रकाश पड़े और हर्जेका मसला भली प्रकार समझा जा सके।

—दफ़ा ७३ मुवाहिदा शिकनीके कारण होने वाले नुक़सान या हर्जेका मुवाविज़ा

जब कि कोई मुवाहिदा तोड़ दिया गया हो, तो वह फ़रीक़, जिसे उसके टूटनेके कारण हानि उठानी पड़ी हो उस फ़रीक़से जिसने मुवाहिदा तोड़ा हो ऐसे नुक़सान या हर्जेके लिये मुवाविज़ा पानेका हक़दार समझा जावेगा जो उसे उससे हुआ हो और जो उक्त मुवाहिदा शिकनीके कारण मामूली तौर पर स्वभावतः हुआ हो या जिसके लिये मुवाहिदा करते समय फ़रीक़ैन यह जानते हों कि मुवाहिदा शिकनीके कारण उसके होनेकी सम्भावना है।

इस प्रकारका मुवाविज़ा मुवाहिदा शिकनीके कारण होने वाले ऐसे नुक़सान या हर्जेके कारण नहीं दिया जावेगा जो दूरका होवे तथा जो फेरसे हुआ हो।

मुवाहिदेसे मिलती हुई ज़िम्मेदारीके पूरा न करने पर मुवाविज़ेका देना—यदि कोई ऐसी ज़िम्मेदारी पैदा हो गई हो जैसे कि मुवाहिदेसे पैदा होती है तथा वह पूरी नकी गई हो तो उसके न करनेके कारण नुक़सान उठाने वाला व्यक्ति ग़लती करने वाले व्यक्तिसे वही मुवाविज़ा पानेका हक़दार होगा मानो कि उस व्यक्तिने उस ज़िम्मेदारीको पूरा करनेका मुवाहिदा किया हो तथा उस मुवाहिदेको तोड़ दिया हो।

खुलासा—मुवाहिदा शिकनीके कारण होने वाले नुकसान या हर्जेका अन्दाजा लगाते समय इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि मुवाहिदा पूरा न करनेके कारण जो असुविधा पैदा हुई हो उसको ठीक करने के लिये क्या जरिए उपस्थित थे

उदाहरण—

(ए)—(अ) ने (ब) से ५० मन गन्धक एक निश्चित क़ीमत पर बेंचने व देनेका मुवाहिदा किया तथा उक्त क़ीमत माल दिये जाने पर अदाकी जानेको थी। (अ) ने अपना वादा तोड़ दिया। (ब), (अ) से मुवाविज़ेके तौर पर वह रक़म पानेका हक़दार है जो उसे (अ) द्वारा ५० मन गन्धक दिये जाने पर उसी प्रकारके गन्धकमें क़ीमतके तौर पर अधिक मिलती।

(बी)—(अ) ने (ब) का जहाज बम्बईके लिये किराये पर लिया और वहां उस पर (ग) कुछ माल पहिली जनवरीको लादनेके बाद जो कलकत्ते ले जानेको था। कमाने पर उसका भाड़ा चुकाया जानेको था। (ब) का जहाज बम्बई नहीं गया परन्तु (अ) को अपना माल भेजनेके लिये ऐसी सवारियां मिल सकती थीं जिससे वैसाही सुभीता होता जैसा कि (ब) के जहाजसे। (अ) ने उन सुविधाओंसे लाभ उठाया परन्तु ऐसा करनेमें उसे परेशानी व खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा। (अ), (ब) से उक्त परेशानी व खर्चेके लिये मुवाविज़ा पानेका हक़दार है।

(सी)—(अ) ने (ब) से एक निश्चित क़ीमत पर ५० मन चावल खरीदनेका मुवाहिदा किया परन्तु उसके दिए जानेके लिये कोई समय निश्चित नहीं हुआ था। (अ) ने (ब) को इसके बाद यह सूचना दी कि यदि चावल उसको दिया जावेगा तो वह उसे नहीं लेवेगा। ऐसी हालतमें (ब), (अ) से बतौर मुवाविज़ेके वह रक़म पा सकता है जो उसे उक्त ५० मन चावलोंमें (अ) द्वारा मना किये जाते समय मुवाहिदेकी क़ीमतसे कम मिलती।

(डी)—(अ) ने (ब) से उसका जहाज ६००००) साठ हजार रुपयेमें खरीदनेका मुवाहिदा किया परन्तु उसे तोड़ दिया ऐसी हालतमें (ब), (अ) से वह रक़म पानेका हक़दार है जो उसे क़ीमतके तौर पर मुवाहिदा टूटते समय मुवाहिदेकी रक़मसे कम मिलती।

(ई)—(अ) एक नावका मालिक है उसने (ब) से यह मुवाहिदा किया कि वह उसका जूट बिक्री के लिये मिर्जापुर ले जावेगा। तथा वह एक निश्चित दिनको रवाना हो जावेगा। (अ) किसी ऐसे कारणसे जिसे वह दूर कर सकता था उस समयसे पहिले न चल सका जब कि उसे मिर्जापुर पहुंच जाना चाहिये था अगर वह ठीक समयसे चलता। उस तारीख़के बाद तथा माल पहुंचनेसे पहिले जूटकी क़ीमत गिर गई। ऐसी हालतमें (ब), (अ) से उस रक़मको मुवाविज़ेके तौर पर पानेका हक़दार है जो उसे कमी क़ीमतके तौर पर माल पहुंचने पर न मिली हो अर्थात उचित समयसे माल पहुंचने पर देरसे माल पहुंचनेके मुक़ाबिले उसे जो ज्यादा क़ीमत मिलती उसके पानेका वह हक़दार समझा जावेगा।

(एफ़)—(अ) ने (ब) के मकानकी मरम्मत एक ख़ास तौर पर करना तय किया तथा उसके लिये पेशगीके तौर पर क़ीमत लेली। (अ) ने मकानकी मरम्मतकी परन्तु वह मुवाहिदेके अनुसार नहीं की। ऐसी हालतमें (ब), (अ) से वह खर्च वसूल करनेका हक़दार है जो उसे मुवाहिदेके अनुसार मरम्मत करानेमें उठाना पड़े।

(जी)—(अ) ने पहिली जनवरीसे एक निश्चित क़ीमत पर अपना जहाज एक सालके लिये (ब) को किराए पर देनेका मुवाहिदा किया। भाड़ा बढ़ गया तथा पहिली जनवरीको जो किराया आता वह मुवाहिदेमें

तय किये हुए किरायेसे अधिक होता था । (अ) ने अपना वादा तोड़ दिया ऐसी हालतमें वह (ब) को वह रक़म अदा करनेके लिये जिम्मेदार है जो (ब) को उसी किस्मका जहाज़ पहिली जनवरीसे एक सालके लिये लेने पर मुवाहिदेकी क़ीमतसे अधिक देना पड़ती ।

(एच)—(अ) ने (ब) को कुछ लोहा एक निश्चित क़ीमत पर देनेका वादा किया परन्तु (अ) उक्त क़ीमतसे कम पर स्वयं उक्त लोहा पासकता था । (ब) ने बेजा तौर पर लोहा लेनेसे इन्कार किया । ऐसी हालतमें (ब), (अ) को क़ीमतका वह फ़र्क देनेका जिम्मेदार है जो मुवाहिदेकी क़ीमत व (अ) को मिलने वाले मालकी क़ीमतमें होवे ।

(आई)—(ब) एक आम लेजाने वाला (Carrier) व्यक्ति है (अ) ने उसको एक मशीन दी कि वह उसे फौरन (अ) के मिलमें पहुचादे तथा उससे यहभी कह दिया कि उस मशीनके कारण उसके मिलका काम बन्द पड़ा है । बिला वजह (ब) ने मशीन पहुंचानेमें देर की जिसके कारण (अ) का एक फ़ायदेका सरकारी ठेका छूट गया । ऐसी हालतमें (अ), (ब) से उस औसत रक़मको मुआविजेके तौर पर पानेका हक़दार है जो उसे उस दर्मियानमें मिलसे फ़ायदेके तौर पर होती जबकि माल नहीं पहुंचाया गया था परन्तु वह (ब) से उस नुक़सानके पानेका हक़दार नहीं है जो उसे सरकारी ठेका छूट जानेके कारण नुक़सानके तौर पर उठाना पड़ा हो ।

(जे)—(अ) ने (ब) को १००० टन लोहा १००) रुपया फी टनके हिसाबसे बेंचनेका मुवाहिदा किया जो एक नियत समय पर दिया जानेको था । तथा उसने (स) से ८० रुपया फी टनके हिसाबसे १००० टन लोहा ख़रीदना तय किया व यह बतला दिया कि उक्त लोहा (ब) को दिया जानेका है । (स), (अ) के साथ अपना मुवाहिदा पूरा नहीं कर सका । (अ) दूसरी जगहसे समय पर लोहा नहीं पासका जिससे (ब) ने मुवाहिदा छोड़ दिया । ऐसी हालतमें (स), (अ) को २०००० रुपये बतौर मुआविजेके देनेका जिम्मेदार है जो उसे फ़ायदेके तौर पर (ब) से मिल गये होते ।

(के)—(अ) ने (ब) से यह मुवाहिदा किया कि वह एक नियत दिन तक एक मशीनरीका हिस्सा तय्यार करके एक निश्चित क़ीमत पर दे देवेगा । (अ) नियत दिन तक उस हिस्सेको तैयार करके नहीं देसका जिससे (ब) को उससे अधिक क़ीमत पर उसे हासिल करना पड़ा । और इसके कारण वह उस मुवाहिदेको पूरा नहीं कर सका जो उसने एक तीसरे व्यक्तिके पास उक्त मुवाहिदेके किये जाते समय किया था परन्तु (अ) को उस समय इसका मुवाहिदेका हाल नहीं बतलाया गया था । (ब) को मुवाहिदा शिकनीके कारण उक्त तीसरे व्यक्तिको मुआविजा देना पड़ा ऐसी हालतमें (अ), (ब) को उस क़ीमतको देनेका जिम्मेदार है जो (ब) को मशीनरीके हिस्सेके सम्बन्धमें ज्यादा देना पड़ा हो । वह उस रक़मके देनेका जिम्मेदार नहीं है जो (ब) ने हर्जेके तौर पर तीसरे व्यक्तिको अदा की होवे ।

(एल)—(अ) एक इमारत बनाने वाला व्यक्ति है उसने (ब) से एक मकान पहिली जनवरी तक बना देनेका ठेका लिया जिसमें उस वक्त (स) उस मकानमें आबाद होसके क्योंकि (ब) ने (स) से उस तारीख़ पर मकान किराये पर देनेका वादा किया था । (अ) ने इस बुरी तरहसे मकानको बनाया जिससे कि वह पहिली जनवरीके पेश्तरही गिर गया और (ब) को उसे दुबारा बनवाना पड़ा जिसकी वजहसे (ब) को वह न किराया मिल सका जो उसे (स) से मिलनेको था तथा उलटे मुआविजेके तौर पर कुछ रक़म (स) को देना पड़ी । ऐसी हालतमें (अ) का कर्तव्य होगा कि वह (ब) को मकान दुबारा बनानेका ख़र्चा देवे तथा उसे वह किराया देवे जो (स) से मिलना चाहिये था और वह हर्जा अदा करे जो उसे (स) को देना पड़ा हो ।

(एम)—(अ) ने कुछ माल (ब) को बेंचा तथा उसके एक खास किस्मके होनेकी जिम्मेदारी ली। (ब) ने (अ) की जिम्मेदारी पर विश्वास करते हुए इसी जिम्मेदारीके साथ माल (स) को बेंच दिया। माल जिम्मेदारीके अनुसार नहीं निकला और (ब) ने (स) को मुआविजेके तौर पर कुछ रकम मजबूरन अदा की। ऐसी हालतमें (ब), (अ) से इस रक़मको पानेका मुस्तहक़ है।

(एन)—(अ) ने (ब) को एक निश्चित दिन पर कुछ रकम देनेका वादा किया। (अ) उस दिन वह रकम नहीं देसका। फलस्वरूप (ब) रकम न मिलनेके कारण अपने कर्जोंका भुगतान नहीं कर सका तथा पूणरूपसे तबाह होगया। ऐसी हालतमें (अ) सिर्फ असल रकम (ब) को देनेका जिम्मेदार है जो उसे मुवाहिदेके अनुसार देना थीं व उससे उस रकम पर अदायगी तकका सूद भी लिया जा सकता है। वह और किसी हानिका जिम्मेदार नहीं है।

(ओ)—(अ) ने (ब) को ५० मन गन्धक एक निश्चित क़ीमत पर पहिली जनवरीको देनेका वादा किया। (ब) ने पहिली जनवरीसे पेश्तरही (स) के हाथ उक्त गन्धक उस क़ीमतसे अधिक क़ीमत पर बेंचनेका सौदा किया जो पहिली जननरीको बाजार भावसे पड़ती। (अ) ने अपना वादा तोड़ दिया ऐसी हालतमें मुवाविजेका अन्दाजा लगानेमें केवल उसी क़ीमतका ध्यान रक्खा जावेगा जो पहिली जनवरीको बाजार भावके अनुसार हो, न कि उस बढ़ी हुई क़ीमतका जिसके अनुसार (ब) ने (स) के साथ बेंचनेका सौदा किया हो।

(पी)—(अ) ने (ब) को एक निश्चित दिन पर ५०० गट्ठे रुई बेंचने व देनेका सौदा किया। (अ) को (ब) के रोजगारके बाबत कुछ भी नहीं मालूम था कि वह किस तरीक़ेसे चलता है (अ) ने अपना वादा तोड़ दिया जिसके कारण रुई न होने पर (ब) को अपना मिल बन्द करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। ऐसी हालतमें (अ), (ब) को उस हर्जेका मुवाविजा देनेका जिम्मेदार नहीं है जो उसे मिल बंद करने पर उठाना पड़ा हो।

(क्यू)—(अ) ने (ब) के हाथ कुछ कपड़ा बेंचा व उसे पहिली जनवरीको देनेका वादा किया। (ब) वह कपड़ा इस लिये चाहता था कि उससे वह एक खास किस्मकी टोपी तैयार करे जो उसी फ़सलमें चलती थीं। अन्य फ़सलमें उसकी मांग नहीं थी। कपड़ा उक्त समय पर नहीं दिया जा सका तथा वह इतनी देरमें दिया जा सका जब कि टोपियां तैयार होकर उस फसलमें नहीं बेंची जा सकती थीं। ऐसी हालतमें (ब) (अ) से क़ीमतके उस फर्कको पा सकता है जो माल मिलने वाले दिन बाजार भाव व मुवाहिदेकी क़ीमतमें होवे। वह (अ) से उस हर्जेको नहीं वसूलकर सकता है जो उसे टोपी न तैयार कर सकनेके कारण हुआ हो।

(आर)—(अ) एक जहाजका मालिक है उसने (ब) के साथ यह मुवाहिदा किया कि वह उसे अपने जहाजसे कलकत्तासे सिडनी पहुंचा देगा। जहाज पहिली जनवरीको रवाना होगा। (ब) ने आधा किराया भी (अ) को दे दिया। जहाज पहिली जनवरीको रवाना नहीं हुआ जिसकी वजहसे (ब) को कलकत्तेमें बेजा तौर पर रुकना पड़ा व खर्च बर्दाश्त करना पड़ा इसके बाद वह दूसरे जहाजसे सिडनी गया जहां देरमें पहुंचनेके क़ारण उसे जो रक़म मिलने वाली थी नहीं मिली ऐसी हालतमें (ब), (अ) से जमाकी हुई किरायेकी रक़मको वापिस ले सकता है तथा वह कलकत्तेमें रुकनेके खर्चे व उस ज्यादा किरायेको भी वसूल कर सकता है जो उसे दूसरे जहाजसे जानेमें देना पड़ा हो किन्तु वह (अ) से उस रक़मको नहीं ले सकता है जो सिडनीमें, देरसे पहुंचनेके कारण उसे वहां न मिल सकी हो।

—दफा ७४ जबकि दण्ड तय हो चुका हो तो मुवाहिदा शिकनी पर मुवाविज़ेका मिलना

जब कि कोई मुवाहिदा तोड़ा गया हो तथा उस मुवाहिदेमें मुवाहिदा शिकनी पर किसी नियत रक़मका दिया जाना बतलाया गया हो या मुवाहिदेमें कोई और शर्त बतौर दण्डके तयकी गई हो तो मुवाहिदा शिकनी की शिकायत करने वाले फ़रीक़को मुवाहिदा तोड़ने वाले फरीक़से ऐसा उचित मुवाविजा मिल सकता है जो बतलाई हुई रकमसे अधिक न हो या तय किये हुए दण्डसे जैसा कि मामला होवे अधिक न हो चाहे मुवाहिदा शिकनीके कारण होने वाला असली नुक़सान साबित हुआ होवे, या न हुआ होवे।

अपवाद—दण्डके तौर पर यह तय किया जा सकता है कि गलती होनेके बादसे बढा हुआ सूद बतौर दण्डके लिया जावेगा।

खुलासा—यदि कोई व्यक्ति जमानत मुचलका या इसी किस्मकी दूसरी दस्तावेज लिखे या भारत सरकार अथवा किसी प्रान्तिक सरकारकी आज्ञाके अनुसार कोई दस्तावेज किसी सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य करनेके सम्बन्धमें लिखे जिससे जनताका सम्बन्ध होवे तो वह ऐसी दस्तावेजकी शर्त तोड़ने पर उसमें दिखलाई हुई पूरी रक़म देनेका जिम्मेदार होगा।

यदि कोई आदमी सरकारके साथ कोई मुवाहिदा करे तो यह आवश्यक नहीं है कि वह उसके जरिए कोई सार्वजानिक कर्तव्यहीको लेता है या ऐसे कामके करनेका वादा करता है जिससे जनताका सम्बन्ध होवे।

उदाहरण—

(ए)—(अ) ने (ब) से यह मुवाहिदा किया कि अगर वह एक नियत दिनको ५००) पाच सौ रुपये न देगा तो वह उसको १०००) एक हजार रुपये देवेगा। ऐसी हालतमें (ब), (अ) से मुवाविजेके तौर पर १०००) हजार रुपये तक पा सकता है जैसा कि अदालत उचित ठहरावे।

(बी)—(अ) ने (ब) से यह मुवाहिदा किया कि अगर वह कलकत्तामें डाक्टरीका काम करेगा तो (ब) उसे ५०००) रुपया देगा। (अ) ने कलकत्तेमें डाक्टरीका काम किया ऐसी हालतमें वह (ब) से ५०००) रुपये तक बतौर हर्जे पा सकता है जैसा कि अदालत मुनासिब समझे।

(सी)—(अ) ने अदालतमें ५००) रुपयेका मुचलका किसी खास दिन पर हाजिर होनेके सम्बन्धमें दिया। उसका उक्त मुचलका जब्त कर लिया गया ऐसी हालतमें वह पूरे दण्डको अदा करनेका जिम्मेदार है।

(डी)—(अ) ने (ब) को यह दस्तावेज लिखदी कि वह छै महीनेमें एक हजार रुपया मय सूद बारह रुपये सैकड़के हिसाबसे अदा करेगा और अगर ऐसा न करे तो जिस तारीखसे वह भूल करे उस तारीखसे ७५) रुपये सैकड़के हिसाबसे सूद देनेका जिम्मेदार होगा। यह शर्त एक प्रकारसे दण्डके तौर पर है और ऐसी हालतमें (ब), (अ) से वही रकम बतौर मुआविजेके पानेका हक़दार है अगर अदालत उचित ठहरावे।

(ई)—(अ) को (ब) का कुछ रुपया देना है उसने यह इकरार किया कि एक नियत तारीख तक वह १० मन नाज दे देवेगा और अगर वह ऐसा न करे तो वह २० मन नाज देनेका जिम्मेदार होगा। यह इकरार एक प्रकारसे दण्डके तौर पर है और इसीलिये मुवाहिदा शिकनी होने पर (ब) उचित मुआविजा ही बतौर हर्जेके पानेका हक़दार है।

(एफ़)—(अ) ने (ब) से १०००) एक हजार रुपयेका ऋण लिया तथा यह वादा किया कि पाच बराबरकी किश्तोंसे उसे अदा करेगा और अगर एक भी किस्त अदा न कीजावे तो पूरा रुपया एक मुश्त दिया जावेगा। इस प्रकारका इकरार दण्डके तौर पर नहीं है और इसी कारण मुवाहिदा अपनी शर्तोंके अनुसार पूरा कराया जासकता है यानी यहकि-एक किश्तके न अदा किये जानेपर पूरा रुपया एक-मुश्त वसूल किया जासकता है।

(जी)—(अ) ने (ब) से १००) सौ रुपये उधार लिये तथा एक दस्तावेज लिख दी जो २००) दोसौ रुपयेके लिये थी और जिसमें यह २००) रुपये ४०) चालीस चालीस रुपयेकी पांचसालाना किश्तोंमें अदा किये जानेको थे। यह भी इकरार था कि यदि एक भी किश्त अदा होनेसे रह जावे तो सब रुपया एकदम वाजिबुल अदा होवेगा इस प्रकारका इकरार एक प्रकारसे दण्डके तौर पर किया हुआ इकरार समझना चाहिये।

बिक्री व खरीदके मामलेमें मालकी क़ीमत इस प्रकार मालूम की जासकती है कि उसे खुले बाजारमें बेचने पर उसकी क्या क़ीमत होगी। मुवाहिदेमें तय कीहुई क़ीमत व ऐसी क़ीमतके फर्कको नुक़सान माना जा सकता है, देखो—मथुरेश बनाम बाईदही 4 Bom. L. R. 818.

यदि किसी मुवाहिदेमें मालका दिया जाना किसी खास मियादके अन्दर तय हुआ हो और माल उक्त मियादके अन्दर न दिया गया हो तो हर्जेका अन्दाजा क़ीमतके उस फर्कके अनुसार लगाया जाना चाहिये जो मुवाहिदेकी क़ीमत तथा मियाद गुजरनेके बाद मालकी बाजारू क़ीमतमें होवे, देखो—मुथय्या बनाम मनियाम 37 Mad. 412; अब्राहम बनाम सरूपचन्द 42 Bom. 224.

यदि भिन्न भिन्न तारीखों पर माल दिये जानेके सौदे किये गये हों तो हर्जेकी तादाद उक्त तारीखोंके अनुसार तय कीजाना चाहिये यानी जबकि मुवाहिदा पूरा किया जाना चाहिये था। अर्थात यदि मुवाहिदा माहवारी माल देनेके सम्बन्धमें तय हुआ हो और बाया माल न देवे तो खरीदार उस सब हर्जेका मीजान पासकता है जो उसे प्रत्येक महीनेके अन्तमें माल न मिलनेके कारण हुआ हो, देखो—ताराचन्द (1910) Pung. W. R. No. 14; बिलासीराम 43 Cal 305.

एक मामलेमें एक निश्चित तादादका माल माहवारी किश्तके हिसाबसे दिये जानेके लिये तय हुआ। बाया एक किश्तका माल नहीं पहुंचा सका क्योंकि लड़ाईके कारण भाड़ा नहीं तय होसकता था। खरीदारने उस मालके एवजमें कोई दूसरा माल नहीं खरीदा। क्योंकि उस समय माल दिये जानेकी जगह पर उसकी मांग भी नहीं थी इस प्रकार उसको कोई खास नुक़सान नहीं उठाना पड़ा। उसने हर्जेका दावा किया जिसमें यह तय किया गया कि गो उसे कोई खास हर्जा नहीं हुआ था परन्तु वह दफा ७३ (ए) के अनुसार क़ीमतके उस फर्कको वसूल कर सकता है, जो मुवाहिदेकी क़ीमत व माल दिये जाते समय बाजारू क़ीमत होवे, देखो—हाजी इस्माइल एण्ड सन्स बनाम मैसर्स विल्सन एण्ड कम्पनी 41 Mad. 709; असमतुल्ला बनाम बिहारीलाल एण्ड सन्स 68 I. C. 912.

एक मामलेमें यह तय किया गया था कि यदि किसी बिक्रीके मुवाहिदेमें बयाना दिया गया हो और खरीदार स्वयं मुवाहिदेको छोड़ देवे तो उसका बयाना मुवाहिदेकी शर्तके अनुसार जब्त किया जा सकता है तथा वह उसे इस बिना पर वापिस नहीं पा सकता है कि मुवाहिदा शिकनीसे बायाको कोई नुक़सान नहीं उठाना पड़ा है, देखो—मनगोविन्ददत्त बनाम बसोगामक 67 I. C. 714.

परन्तु यदि कोई व्यक्ति क़ानूनी तौर पर मुवाहिदा छोड़ देवे तो वह बयानाके वापिस पानेका हक़दार समझा जावेगा, देखो—ऐडम इशाक बनाम हुसेन अकबरी 43 M. L. J. 199.

दफा ७३ के साथमें जो उदाहरण दिये हुये हैं उनसे उस दफाके अर्थ पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उदाहरण—(ए), (बी), (सी), (डी) (ई), (एफ). (जी), (एच), (एम) तथा (क्यू) में उस नुक़सान व हर्जेके बाबत बतलाया गया है जो मामूली तौर पर स्वभावतः हुआ करते हैं। उदाहरण—(के), (पी) व (आर) में वह मामले बतलाये गए हैं जबकि नुक़सान दूरका व फेरसे होनेके कारण नहीं

दिलाया जा सकता है। उदाहरण—(जे) में वह मामला बतलाया गया है जबकि फरीकैनको मुवाहिदा करते समय यह मालूम था कि मुवाहिदा शिकनी पर क्या नुकसान होगा।

दफा ७३ के अनुसार मुआविजा किसी ऐसे नुकसान या हर्जेके सम्बन्धमें नहीं दिलाया जा सकता है जो फेरसे हुआ हो तथा दूरके कारणसे होता हो, किन्तु वह ऐसे हर्जेके सम्बन्धमें दिलाया जा सकता है जो मुवाहिदा शिकनीकी उचित मियादके अन्दर हुआ हो, देखो—रामकुंवर बनाम शंकरदत्त 108 I. C. 433 (2).

एक मामलेमें एक व्यक्तिने कपासके मिल वालेसे यह सौदा किया कि वह एक नियत मियाद तक निश्चित क़ीमत पर आधे दिन बराबर अपनी कपास ओटाया करेगा इसके लिये वह कपास इकट्ठा करना भी शुरू करेगा। सादा होनेके बादही मिल वालेने मुवाहिदा तोड़ दिया व इसकी सूचना दूसरे फरीकको कर दीगई। इस पर उसने मिल वाले पर उस नुकसानका दावा किया जो उसे मिलमें काम न करा सकनेके कारण होता अर्थात् यदि वह कपास खरीद कर उक्त मिलमें ओटवाता व उसके गट्ठे बनवा कर बाजारमें बेंचता तो ऐसा करनेमें उसे जो फ़ायदा होता उस फ़ायदेके सम्बन्धमें उसने हर्जेका दावा किया। अदालतने उसके ऐसे हर्जेको बहुत दूरका हर्जा ठहराया तथा वह ऐसे हर्जेके पानेका हक़दार नहीं समझा गया क्योंकि सौदा फौरन ही तोड़ दिया गया उसने मालभी नहीं खरीदा था अगर उसने कोई माल खरीद लिया होता या वह मिल वालेको कोई माल देता और वह माल उसे दूसरे मिलसे अधिक दामोंमें ओटवाना पड़ता तो वह उस अधिक क़ीमतको बतौर हर्जेके वसूल कर सकता था, देखो—रामगोपाल बनाम प्यानजी श्रीदेवजी 55 I. A. 299; 55 Cal. 1048; A. I. R. 1928 P. C. 200.

कुछ मालके खरीदनेका सौदा हुआ उसमें यह तय किया गया था कि यदि खरीदार सौदा सम्बन्धी कागजातके दिये जाने पर उनको मंजूर करे तो बायां उसे खरीदारकी जिम्मेदारी पर बेंच सकता है तथा उससे क़ीमतके फर्कको वसूल कर सकता है। माल आने पर खरीदारने सौदा सम्बन्धी कागजातको नहीं संभाला यानी उसकी ओरसे मुवाहिदा शिकनी कीगई। ऐसी हालतमें बाया खरीदारसे क़ीमतके उस फर्कको पासकता है जो मुवाहिदेकी क़ीमत तथा मुवाहिदा शिकनीके समय मालकी बाजारू क़ीमतमें होवे। मुवाहिदेमें किसी खास दण्ड दिये जानेकी बात तय नहीं थी इसी कारण बाया दण्डके तौर पर किसी मुआविजेको वसूल नहीं कर सकता है, देखो—नरायनदास जैनीमल बनाम केदारनाथ गोमनका A. I. R. 1928 Lah. 817.

एक व्यक्तिने दूसरे व्यक्तिको १००) रुपये रुई बेंचनेके सौदेके सम्बन्धमें दिये थे। उसने उस दूसरे व्यक्ति पर १००) रुपयेका दावा इस बिना पर किया कि उस दूसरे व्यक्तिने मुवाहिदा शिकनी कीहै। अदालतने यह तय किया कि मुवाहिदा शिकनी स्वयं उसीकी तरफ़से हुई थी तथा उक्त दूसरे व्यक्तिको मुवाहिदा शिकनीके कारण ४०) रुपयेका नुकसान उठाना पड़ा था और इसी कारण उसका दावा खारिज कर दिया गया अपील होने पर यह तय किया गया कि उक्त वाक़यात साबित होने परभी उसे ६०) रुपये दिलाये जाना चाहिये था यानी उसका दावा सबका सब नहीं खारिज कर दिया जाना चाहिये, देखो—रामप्रताप खण्डेलवाल बनाम गोविंद बारी 107 I. C. 524.

एक म्यूनिसिपैलिटीने कुछ काम बनानेके लिये टेंडर मांगे एक व्यक्तिने टेंडर दिया तथा उसके अनुसार जो रक़म जमा कीजानेको थी वह भी जमा कर दी। म्यूनिसिपल बोर्डने उसके टेंडरको मञ्जूर कर लिया और उस व्यक्तिसे काम शुरू करनेको कहा गया। उसने काम शुरू कर दिया परन्तु इसके बादही म्यूनिसिपलबोर्डने यह तय किया कि किसी एक्सपर्ट (Axpert) की राय ले लेनेके बाद उक्त काम कराया जाना चाहिये और इसी प्रस्तावके आधार पर उक्त व्यक्तिसे काम बन्द करा दिया गया। इसके बाद कुछ संशोधित कामका

कराया जाना तय किया गया तथा वह उक्त व्यक्तिको नहीं दिया गया इस पर उसने मुआहिदा शिकनीके आधार पर हर्जेका दावा किया मामला चलने पर यह तय किया गया कि म्यूनिसिपल कमेटीने मुआहिदा शिकनी की है और वह हर्जेकी जिम्मेदार है, देखो—नादिरशाह बनाम म्यूनिसिपलबोर्ड कानपुर 27 A. L J. 735.

खरीदार बिला अदा कीहुई कीमतको नहीं देसका इस पर हर्जेके तौर पर सूद लगा कर दावा किया गया कि उसमें यह तय किया गया कि वह दफा ७३ के अनुसार हर्जेके तौर पर सूद पासकता है और १२) रुपये सैकड़ा सालाना अनुचित शरह सूद नहीं है, देखो—इम्पायर इन्जीनियरिंग कम्पनी बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बरेली 27 A. L. J, 674; A. I. R. 1928 A. 801.

यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको जायदाद बेंचनेको तैयार हो और उससे बयाना लेवे परन्तु बादमें वह दूसरा व्यक्ति मुआहिदा शिकनी करे और उसे खरीदनेको तैयार न हो तो वह बयानेका रुपया वापिस नहीं पास कता है, देखो—अब्बास अली बनाम कोगूसाव 114 I.C.461; A.I.R. 1929 Nag.30 (2).

एक मोटरकारका किराये व बिक्रीके तौर पर सौदा हुआ जिसमें कीमत किश्तसे अदा की जानेको थी मुआहिदेमें यह भी तय था कि अगर खरीदार एक भी किश्त न अदा कर सके तो बाया मोटर छीन सकता है तथा उसकी पूरी क़ीमत वसूल कर सकता है। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि ऐसे मामलेमें दफा ७४ के नियमोंका प्रयोग समझना चाहिये। उक्त शर्तें दण्डके तौर पर समझना चाहिये, देखो—मांग बाहो बनाम मोटर हाउस कम्पनी लिमिटेड 7 R. 431; A. I. R 1929 R. 368.

दफा ७४ के अनुसार अदालत दरसूद दिलानेके लिये रोकी नहीं गई है परन्तु जहां पर वह दण्डके तौर पर होवे वहां हर्जेका अन्दाजा लगाते हुए उचित मुआविजा दिलाना चाहिये अर्थात् दण्डके तौर पर होते हुए भी दरसूद हर्जेका अन्दाजा लगा कर दिलाया जा सकता है, देखो—मुथू चेटियर बनाम मरुथ नयागम पिछे 1929 M. W. N. 810.

दफा ७४ से यह प्रकट है कि मुद्दईको चाहिये कि वह साबित करे कि उसे क्या हर्जा हुआ था वह मुआहिदेमें दिखलाई हुई दण्डकी रकमको बिला उक्त सुबूतके पानेका हकदार नहीं कहा जासकता है, देखो—भाई पन्नासिंह बनाम भाई अर्जुनसिंह 27 A. L J. 791; 117 I. C, 485.

यदि किसी मुआहिदेमें यह तय हुआ हो कि गलती होने पर बजाय सादा सूदके, सूद दरसूद देना पड़ेगा तो इस प्रकारकी शर्तको दफा ७४ के अनुसार दण्डके तौर पर समझना चाहिये, देखो—गङ्गाधर राव माधाराव बनाम परशुराम 106 I. C. 38; A. I. R. 1928 Nag. 120.

यदि किसी मुआहिदेमें यह तय किया गया हो कि गलती पर सूद उसी दरके अनुसार देना पड़ेगा तो इस प्रकारके इक़रारको दण्डके तौर पर समझना चाहिये व दफा ७४ के नियम लागू होंगे। अदालत ३७ फी सैकड़ेके बजाय १२ फी सैकड़ेका सूद दिलवा सकती है, देखो—नजफ़ अली खां बनाम मुहम्मद फजल अली खां 107 I C. 249; A I. R. 1928 A. 255.

दफा ७३ को मुआहिदा शिकनी (Breach of Contract) के सम्बन्धमें लागू समझना चाहिये न कि किसी जिम्मेदारी (Warranty) के पूरा न होने पर, देखो—A. I. R. 1929 Lah. 843.

मद्रास हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया है कि यदि सूदके क़ानूनके अनुसार अथवा अन्य किसी प्रचलित क़ानूनके अनुसार सूद न दिलाया जा सकता हो तो दफा ७३ के उदाहरण (एन) के अनुसार भी सूद बतौर हर्जेके न दिलाया जा सकेगा क्योंकि उक्त दफाका तात्पर्य यह है कि यदि क़ानूनन सूद दिलाया जा सकता हो तो उदाहरण (एन) में बतलाई हुई बातके उपस्थित होने पर केवल सूदही दिलाया जा सकेगा,

देखो—नानथैय्या कौंडन वगैरा बनाम बनासगी इतिचयग मन्नाडियर A. I. R. 1930 Mad. 727. यदि बायाका हक्क न पहुंचनेके कारण किसी खरीदारसे जायदाद निकल गई हो तो वह हर्जेके तौर पर बायाके विरुद्ध केवल उसी क़ीमतका दावा नहीं कर सकता है जो उसने अदाकी हो बल्कि उस जायदादकी बढ़ी हुई क़ीमतका दावा कर सकता है जो उस समय होवे, देखो—पद्मा रंगैय्या वगैरा बनाम कोटैय्या वगैरा A. I. R. 1930 Mad. 748.

लाहौर हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया है कि यदि मुवाहिदेमें यह शर्त तय हुई हो कि रेल्वे रसीद या इन्वाइस (Invoice) मिलने पर खरीदार क़ीमत अदा करेगा तथा मालको लेवेगा परन्तु उसको केवल दो या तीन गट्ठोंके आनेकी सूचनाही दी गई हो तो इसे उक्त शर्तका पूरा किया जाना नहीं माना जावेगा और ऐसी हालतमें खरीदार क़ीमत देने या मालको लेनेके लिये बाध्य नहीं है। ऐसा न करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि खरीदारने मुवाहिदा शिकनीकी है। इसी मामलेमें यह भी तय हुआ था कि यदि मुवाहिदेमें फ़रीकैनके दरमियान मालके दब जानेके सम्बन्धमें कोई शर्त न हुई हो तो मुद्दालेह हर्जेसे बचनेके लिये मालके दब जानेका बहाना नहीं पेश कर सकता है, देखो—छोटेलाल बनाम नत्थूमल A. I. R. 1930 Lah. 193(2).

यदि कोई मुवाहिदा गलत होनेके कारण लागू न किया जा सकता हो परन्तु उसमें दफा ७० के अनुसार कुछ मुवाविजा इन्साफ़न दिलवा दिया गया हो तो ऐसे मुवाहिदेके सम्बन्धमें दफा ७३ के अनुसार सूद किसी भी हालतमें नहीं दिलाया जावेगा, देखो—सेक्रेटरी आफ़ स्टेट वगैरा बनाम जी. टी. सरीन एण्ड कम्पनी A. I. R. 1930 Lah. 364.

अनिश्चित हर्जे (Unliquideted damages)—के सम्बन्धमें सूद नहीं दिलवाया जाना चाहिये, देखो—मोतीलाल मदनलाल बनाम किशोरीलाल एण्ड ब्रदर्स A. I. R. 1930 Lah. 374.

एक मामलेमें यह तय किया गया था कि यदि किसी बिक्रीके मुवाहिदेमें यह तय हुआ हो कि ड्राफ्ट (Draft) भेजे जाने पर मालकी क़ीमत अदा की जावेगी परन्तु केवल इन्वाइस (Invoice) की नक़ल खरीदारके पास भेजी गई हो जिस पर उसने क़ीमत अदा नकी हो तो बाया केवल इतनीही बातसे मालको दुबारा नहीं बेंच सकता है। इसी कारण बाया मुवाहिदेकी क़ीमत व दुबारा बिक्रीकी क़ीमतके फ़र्कको बतौर हर्जेके खरीदारसे नहीं पा सकता है, देखो—नानकचंद बनाम पन्नालाल A. I. R. 1930 Lah. 309.

मद्रास हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि क़ानून मुवाहिदेकी दफा ७४ के अनुसार अदालत मुवाहिदेमें बतलाए हुए दण्डके भीतरही उचित मुवाविजा दिलवा सकती है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि अदालत उक्त मुवाविजेको दो हिस्सोंमें बाट दे यानी यह कि सूद न देनेके एवजमें सूद, दर सूद दिला दे तथा असल के एवजमें कुछ और मुवाविजा दिलवा दे।

उसी मामलेमें यह भी विचार प्रकट किया गया था कि मुवाहिदेमें सूदकी शरह जो दी हुई हो उसीके अनुसार सूद, दर सूद दिलाया जाना उचित है क्योंकि इसे इस प्रकारसे अच्छा मुवाविजा कहा जा सकता है किसी दूसरी शरहके अनुसार सूद, दर सूदका दिलाया जाना उचित नहीं समझा जा सकता है, देखो—पी. सी. मुथुचेटियर बनाम मरथानयागम पिल्ले A. I. R. 1930 Mad. 428.

(अ) ने (ब) के हक़में कुछ जायदाद इस शर्त पर लिख दी कि वह (अ) के क़र्ज़ख्वाहोंका रुपया चुका देगा। कोई खास तारीख उसकी अदायगीके लिये तय नहीं हुई थी परन्तु यह इक़रार था कि यदि रुपया देनेमें देर होगी तो जिस क़दर सूद उस पर हो जावेगा उसकी अदायगी भी (ब) को करना पड़ेगी। (ब), (अ) के क़र्ज़ख्वाहोंका रुपया नहीं चुका सका जो (अ) के भाईको चुकाना पड़ा। (अ) ने (ब) के विरुद्ध

उस रुपयेके पानेका दावा किया जो उसने अदा नहीं किया था। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि (ब) ने मुवाहिदा शिकनी की थी और (अ) इसी कारण उस पर दावा करनेका हक रखता था (अ) के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह दिखलाता कि उसे उक्त बातसे कोई हर्जा उठाना पड़ा था। अर्थात वह (ब) से न अदा किये हुए रुपयोंको वसूल कर सकता था, देखो—रामरछैया सिंह बनाम रघुनाथप्रसाद मिसिर A. I. R. 1930 Pat. 46.

थाटनकी मुकामकी म्यूनिसिपलिटीने पानकी एक दुकानको नीलाम किया जिसे एक व्यक्तिने ख़रीदा उसे तीन सालके लिये म्यूनिसिपैलिटीकी तरफसे लैसन्स दे दिया गया परन्तु उक्त नीलामके विरुद्ध दूसरे बोली बोलने वालेने कमिश्नरके यहां अपील की जिसे वह क़ानूनन सुन सकता था। कमिश्नरने अपने अधिकारोंका प्रयोग करते हुए उक्त नीलामको अनुचित ठहराया इस पर वह दूकान दुबारा नीलामकी गई और उसी व्यक्तिने फिरभी उसे बढ़ी हुई क़ीमतमें ख़रीद लिया इसके बाद उसने मुवाहिदा शिकनीके आधार पर म्यूनिसिपैलिटी पर हर्जेके तौर पर उस क़ीमतके फर्कका दावा किया जो उसे दूसरेकी लाभमें पहिलेके बनिस्बत अधिक देना पड़ी थी। अदालतने म्यूनिसिपैलिटीको मुवाहिदा शिकनी करने वाला नहीं ठहराया क्योंकि उसकी रायमें म्यूनिसिपैलिटीने कमिश्नरके कामोंकी गारण्टी करके नीलाम नहीं किया था और न उसे उसमें रुकावट डालनेहीका अधिकार था। म्यूनिसिपैलिटी हर्जेकी जिम्मेदार नहीं ठहराई गई, देखो—आह क्यू बनाम म्यूनिसिपल कमेटी थाटन A. I. R. 1930 Rang. 16.

दफा ५७ माल न देने पर हर्जा

यदि बेंचने वाला बेजा तौर पर ख़रीदारको माल देनेमें लापरवाही करे या उससे इन्कार कर देवे तो ख़रीदार बेंचने वालेके विरुद्ध माल न दिये जानेके कारण हर्जेका दावा कर सकता है।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी एक्टकी दफा ५१ (१) के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 51 (1) English Sale of Goods Act 1893.

यह दफा उसी क़िस्मकी है जैसी कि पिछली दफा। अन्तर यह है कि पिछली दफाके अनुसार ख़रीदारके माल न लेने पर बाया हर्जेका हक़दार बतलाया गया है व इस दफाके अनुसार माल न देने पर ख़रीदार हर्जेका हक़दार बतलाया गया है।

हर्जेका अन्दाजा लगाया जानेके सम्बन्धमें पिछली दफाकी भांति इस दफाके लिये भी उन्हीं नियमोंको लागू समझना चाहिये जो क़ानून मुवाहिदेकी दफा ७३ व ७४ में दिये हुए हैं पिछली दफामें क़ानून मुवाहिदा (Indian Contract Act) की उक्त दफाओंको उदाहरण व नजीरों सहित दिया जा चुका है उसको देखकर उक्त दफाओंका मानें तथा हर्जे (Damages) का अन्दाजा समझा जा सकता है।

बाज बाज समय बाया माल दिये जानेसे पहिले मुवाहिदेको तोड़ सकता है उस समय ख़रीदार चाहे तो माल दिये जाते समय तक इन्तज़ार कर सकता है व अगर वह चाहे तो उसी समय कार्रवाई कर सकता है परन्तु वह अनुचित तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकता है।

यदि ख़रीदारने फर्वरीमें मालका दिया जाना तय किया हो और उसे जनवरीहीमें यह इत्तला देदी जावे कि बाया मुवाहिदेको पूरा नहीं कर सकता है तो ख़रीदारको यह हक़ नहीं है कि वह बाजारके बढ़नेका इन्तज़ार

करता रहे और तब फर्वरीमें बढ़ी हुई क़ीमतके अनुसार हर्जेका दावा कर करे जबकि वह जनवरीमें कम क़ीमत पर वह माल खरीद सकता हो, देखो—निकाल बनाम अहटन (1900) 2 Q. B 298 (305) देखो—और भी मिलेट बनाम वानहीक एण्ड कम्पनी (1921) 2 K. B. 368 C. A.

कभी कभी ऐसा होसकता है कि माल दिये जानेकी जगह पर कोई बाजार न होवे तो ऐसी हालतमें उस जगहकी बाजारू क़ीमतका अन्दाजा रक्खा जावेगा जहां फरीकैन मालको अन्तमें लेजाना चाहते हों; देखो—वरथेम बनाम चिकोटिमी पल्प कम्पनी (1911) A. C. 301 (P. C.)

फरीकैन मुवाहिदेमें यह तय कर सकते हैं कि मुवाहिदा शिकनी पर तय किया हुआ हर्जा दिया जावेगा ऐसी हालतमें ग़लती करने वाले फरीकसे उक्त इक़रारके अनुसार ही हर्जा दिलाया जाना चाहिये, देखो—डनलप न्यूमैटिक टायर कम्पनी बनाम न्यूगैरेज एण्ड मोटर कम्पनी (1915) A. C. 79 H L.

१०००० टन कोयला ल्यूबक मुक़ाममें दिया जाना तय हुआ। मुवाहिदा पूरा न किये जाने पर ४ शिलिंग फी टनके हिसाबसे हर्जा दिया जाना निश्चित हुआ। उक्त इकरारको दण्ड नहीं कहा जासकता है बल्कि निश्चित किया हुआ हर्जा समझना चाहिये और यदि गलती कीजावे तो बक़ाया माल पर इसी अनुसार हर्जा मिलना चाहिये, देखो—डैंग्टल बनाम स्टीवेन्सन एण्ड कम्पनी (1906) 2 K. B 345.

यदि किसी ग़ैर मुल्कमें किसी नियत तारीख़ पर माल दिये जानेमें ग़लती हुई हो तो हर्जा उस बाजारू क़ीमतके अनुसार समझना चाहिये जो उस जगह पर तथा उस तारीख़में होवे इसका अन्दाजा मुवाहिदा शिकनीके समय होने वाले सिक्कोंके तब्दीलीकी क़ीमतके अनुसार समझना चाहिये अर्थात एक मुल्कके सिक्केका उस वक्त दूसरे मुल्कके सिक्कोंके अनुसार जो मान होवे उसीके अनुसार समझ कर हर्जा निश्चित किया जाना चाहिये, देखो—डी० फर्डीनैण्डो बनाम साइमन स्मिट्स एण्ड कम्पनी (1920) 3 K. B. 409 (414 & 415)

एक मामलेमें (अ) ने जूनमें कोयला (ब) के हाथ बेंचा जो नवम्बरमें जहाज पर लादा जानेको था। (ब) ने अक्टूबरमें उक्त माल (स) के हाथ बेंच दिया और अपना हक़ जो (अ) पर था उसे (स) के हक़में कर दिया। माल नहीं दिया गया। (ब) ने (अ) पर मामला चलाया। इसमें हर्जेका अन्दाजा क़ीमतके उस फ़र्क़के अनुसार लगाया जाना तय हुआ जो मुवाहिदेकी क़ीमत तथा मुवाहिदा शिकनीके समय बाजारू क़ीमतमें होती थी। (स) के साथ जो बीचमें सौदा हुआ था उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, देखो—विलियम्स बनाम एजिअस (1914) A. C. 510 (525) H. L.

दफा ५८ मुवाहिदेका जैसेका तैसा कराया जाना

सन १८७७ ई० के क़ानून दादरसीके दूसरे प्रकरणके नियमोंका ध्यान रखते हुए खास या निश्चित किए हुए मालके दिए जानेके सम्बन्धमें होने वाली मुवाहिदा शिकनीके सम्बन्धमें दायर किये हुए मामलेमें अदालत यदि मुनासिब समझे तो मुद्दईके दरख्वास्त देने पर अपनी डिक्रीमें यह हुक्म दे सकती है कि मुवाहिदा जैसेका तैसा पूरा किया जावेगा तथा मुद्दालेहको हर्जा अदा करनेके बदले मालको रोकनेका अधिकार न रहेगा।

डिक्री बिला किसी शर्तके हो सकती है या ऐसे इक़रार व शर्तोंके साथ हो सकती है जो क़ीमतकी अदायगीके सम्बन्धमें या और प्रकारकी बातके लिये होवे जैसा कि अदालतको उचित प्रतीत हो और डिक्रीदारकी दरख्वास्त डिक्री होनेसे पहिले किसी समय भी दी जा सकती है।

व्याख्या—

यह दफ़ा अङ्गरेज़ी क़ानूनकी दफ़ा ५२ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 52 English Sale of Goods Act 1893.

क़ानून दादरसीमें मुवाहिदोंको जैसेका तैसा कराये जानेका उल्लेख है इसी कारण इस दफ़ाके नियमोंका प्रयोग उक्त एक्टके नियमोंको मानते हुए बतलाया गया है।

इस दफ़ाका प्रयोग 'ख़ास माल' या 'निश्चित माल' हीके सम्बन्धमें समझना चाहिये।

'ख़ास माल' (Specific goods) इसकी परिभाषा दफ़ा २ के चौदहवें क्लाज़में दी हुई है उसी दफ़ामें इसका विशेष विवरण भी मिलेगा, देखो—3 Q. 14.

'निश्चित माल' (Ascertained goods) इसका भी विवरण उक्त परिभाषाकी व्याख्याके साथमें दिया हुआ है उसके देखनेसे दोनोंका अर्थ तथा अन्तर समझा जा सकता है।

इस दफ़ामें बतलाये हुए नियमका प्रयोग अदालतके हाथमें है अर्थात क़ानून अदालतको मजबूर नहीं करता है कि वह अवश्य उसके मुताबिक़ काम करे। यदि अदालत वाक़यातको देखते हुए मुवाहिदेको जैसेका तैसा पूरा किया जाना उचित ठहरावे तो वह इस दफ़ाके अनुसार हुक्म दे सकती है, देखो—ह्विटले बनाम हिल्ट (1918) 2 K. B. 808.

यही बात निम्न मामलोंमें भी तय की गई है, देखो—कोहन बनाम रोचे (1927) 1 K. B. 169; नेलसन मरडच बनाम वुड (1922) 126 L. T. 745.

आमतौर पर बिक्रीके मुवाहिदोंमें उक्त नियमका प्रयोग उचित नहीं होता है क्योंकि उनमें हर्जा दिलाया जा सकता है परन्तु यदि सौदा किसी 'ख़ास माल' या 'निश्चित माल' के सम्बन्धमें हुआ हो और मुद्दई अदालत में इस बातकी दरख्वास्त देवे कि वही माल दिलाया जावे तो अदालत उचित समझने पर दावा डिक्री करते हुए उसमें यह हुक्म दे सकती है कि मुवाहिदा जैसेका तैसा पूरा किया जावे और मुद्दालेहको यह अधिकार नहीं है कि वह मालको रोक ले और उसके एवज़में हर्जा अदा कर दे। उक्त डिक्री बिला किसी शर्त लगाए हुए दी जा सकती है या उसमें हर्जा व क़ीमतकी अदायगी आदिके सम्बन्धमें शर्तें भी लगाई जा सकती है यानी यह कि अगर अदालत उचित समझे तो उक्त डिक्री देते हुए यह भी हुक्म दे सकती है कि मुवाहिदेको जैसेका तैसा न करने पर मुद्दालेहको मालकी क़ीमत व कोई नियत किया हुआ हर्जा आदि देना पड़ेगा।

इस दफ़ाकी कार्रवाई मुद्दईकी दरख्वास्त गुज़ारने पर ही की जा सकेगी। मुद्दई ऐसी दरख्वास्त डिक्री होनेसे पहिले किसी समय भी दे सकता है।

यदि किसी मामलेमें ५०० चायकी सन्दूकोंका सौदा हुआ हो तो ऐसे सौदेमें इस नियमको लागू नहीं समझना चाहिये क्योंकि इसमें माल 'ख़ास' व 'निश्चित' नहीं कहा जा सकता है परन्तु यदि यह सौदा हुआ हो कि बाया किसी ख़ास क़िस्मकी चायके ५०० सन्दूक देगा जो गोदाममें रक्खे हुए हैं तो ऐसे सौदेमें इस दफ़ाके नियमोंका प्रयोग हो सकता है, देखो—हालरोइड बनाम मार्शल 10 H. L. Cas. 191.

'निश्चित माल' के सम्बन्धमें एक मामलेमें यह बतलाया गया था कि मुवाहिदा होनेके बाद इकरारनामेके अनुसार जो माल पहिचाना गया हो उसे निश्चित माल समझना चाहिये, देखो—रीवेट (1927) 1 Co. 606.

इस दफ़ाके अनुसार जहाज़ (Ship) को भी माल (Goods) समझा जा सकता है। जहाज़ की बिक्रीके मुवाहिदेको जैसेका तैसा पूरा किये जानेके सम्बन्धमें अदालत हुक्म दे सकती है, देखो—बेहङ्क बनाम बोडी शिपिंग कम्पनी लिमिटेड (1927) 1 K. B. 649; 32 Chm. Ca.

एक मालकी बिक्रीके मुवाहिदेमें यह तय हुआ था कि माल तैयार करने वाला (Manufacturer) मालको मुद्दईके अलावा किसी अन्य व्यक्तिके हाथ नहीं बेंचेगा। अदालतने माल न बेंचनेकी शर्तके सम्बन्धमें रोकनेका हुक्म (Injunction order) देना उचित ठहराया। अर्थात इस दफाका नियम माल न देनेके सम्बन्धमें उसी प्रकार इस्तैमाल किया जाने योग्य समझा गया जिस प्रकार वह माल देनेके सम्बन्धमें है, देखो—डानेल बनाम बेनेट 22 Ch. D. 835; और भी डेविस बनाम फोरमैन 3 Ch. 654; ब्रिग्सटन बनाम कनिंघम 1 Q. B. 125; मैट्रोपालिटन इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी बनाम गिंडर (1901)2 Ch. 799; मैटेड पावेल बनाम हैमस्ले (1909) 78 L. J. Ch. 741.

यदि माल नेकनीयतीसे खरीदने वाले अन्य खरीदारके हाथ पहुंच गया हो जिसने क़ीमत अदा करके उसे लिया हो तो ऐसे मालके सम्बन्धमें मुवाहिदेको जैसेका तैसा पूरा किये जानेका नियम उचित नहीं होगा अर्थात उक्त मालको दिये जानेका हुक्म अदालत नहीं देवेगी, देखो—शैकिनो बिस्की बनाम लासन (1904) T S. 326.

मुद्दईको अधिकार है कि यदि वह मुवाहिदेको जैसेका तैसा पूरा करानेका दावा करे तो उसीके साथमें यह भी प्रार्थना कर सकता है कि यदि मुवाहिदा उक्त प्रकारसे पूरा न कराया जावे तो वह तोड़ दिया जावे और मुवाहिदा शिकनीके आधार पर उसे उचित हर्जा दिलाया जावे, देखो—रास बनाम सिमसन (1904) T S. 254.

यदि मुवाहिदा इस प्रकारका हुआ हो कि जितना कोयला स्टील वर्क्सके लिये जरूरी होगा वह सब लाया देवेगा तो इस प्रकारका मुवाहिदा जैसेका तैसा पूरा नहीं कराया जा सकता है, देखो—डोमीनियन कोल कम्पनी बनाम डोमीनियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (1909) A. C. 293 P. C.

सन् १८७७ ई० के क़ानून दादरसी (Specific Relief Act. 1877) के दूसरे प्रकरण (Chapter II.) में मुवाहिदेको जैसेका तैसा करानेका वर्णन दिया हुआ है। उक्त एक्टकी १२ दफासे लेकर ३० दफा तकमें इस विषयका वर्णन दिया हुआ है उन दफाओंके नियमोंका ध्यान रखते हुएही इस दफामें बतलाए हुए नियमोंका प्रयोग समझना चाहिये। क़ानून दादरसी (Specific Relief Act.) की उक्त दफाओंमेंसे कुछ खास खास दफायें नीचे दी जाती हैं जिससे इस दफाका अर्थ समझनेमें सहायता प्राप्त हो सके—

क़ानून दादरसीका दूसरा प्रकरण

(नीचे क़ानून दादरसी की दफा समझना)

—दफा १२ मामले, जिनमें मुवाहिदा जैसेका तैसा पूरा कराया जा सकता है

उन मामलोंको छोड़ कर जो इस प्रकरणमें दूसरे प्रकार बतलाए गए हैं अदालतको अधिकार है कि वह अपनी समझके अनुसार नीचे दिये हुए मामलोंमें मुवाहिदेको जैसेका तैसा किये जानेका हुक्म दे सके।

(ए) जब कि वह काम जिसके किये जानेका इकरार हुआ हो पूर्ण रूपसे या उसका कोई भाग ट्रस्ट के तौर पर किया जानेको होवे।

(बी) जबकि किसी कामके किये जानेके लिये इकरार हुआ हो और उस कामके न किये जाने पर ठीक हर्जा समझनेके लिये कोई पैमाना न होवे।

(सी) जबकि वह काम जिसके किये जानेका इकरार हुआ हो ऐसा हो कि जिसके न किये जाने पर रुपये पैसेका मुआविज़ा उचित सहायता न पहुंचा सकता हो।

(डी) जबकि यह सम्भव हो कि उस कामके न किये जाने पर जिसके किये जानेका इक़रार हो, रुपये पैसेका मुआविजा न मिल सकता हो।

खुलासा—जब तक कि कोई बात विरुद्ध साबित न कीगई हो, अदालत यह मान लेवेगी कि गैर मनकूला जायदादके मुन्तकिल किये जाने वाले मुवाहिदेकी मुवाहिदाशिकनी रुपये पैसेके मुआविजेसे उचित तौर पर पूरी न की जासकेगी तथा मनकूला जायदादके मुन्तकिल किये जाने वाले मुवाहिदेकी मुवाहिदाशिकनी उक्त प्रकारसे पूरी की जासकती है।

उदाहरण—

क्लाज़ (ए) के लिये—(अ), (ब) के लिये कुछ माल अमानतके (Trust) के तौर पर रक्खे हुए है। क़ानूनन् (अ) के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह उक्त माल (ब) को जैसेका तैसा देदेवे और इसी कारण (ब) ऐसे मालके सम्बन्धमें मुवाहिदेको जैसेका तैसा पूरा करानेका दावा कर सकता है।

क्लाज(बी) के लिये—(अ) एक मृतक रंगसाजकी तस्वीर तथा दो क़ीमती सोनेकी चीजें खरीदनेके लिये राजी हुआ और (ब) उनको बेंचनेके लिये राजी हुआ ऐसे मामलेमें (अ), (ब) पर मुवाहिदेको जैसेका तैसा पूरा करनेका दावा कर सकता है क्योंकि इसके पूरा न किये जाने पर जो हर्जा होगा उसका अन्दाजा लगानेके लिये कोई पैमाना नहीं है।

क्लाज़ (सी) के लिये—(अ) ने (ब) से एक मकान १०००) रुपयेमें बेंचना तय किया। (ब) को हक है कि वह मकानको मुन्तकिल करानेकी डिक्री (अ) के विरुद्ध करा सके जबकि वह स्वयं उसकी क़ीमत अदा करनेको तैयार हो।

—दफा २१ मुवाहिदे जो जैसेके तैसे नहीं कराये जा सकते हैं

नीचे दिये हुए मुवाहिदे जैसेके तैसे पूरे नहीं कराये जा सकते हैं :—

(ए) वह मुवाहिदा जिसके पूरा न किये जानेपर रुपये पैसेके मुआविजासे उचित सहायता होसकती है।

(बी) वह मुवाहिदा जिसमें इतनी छोटी बहुतसी तफ़सील होवे, अथवा जो फरीकैनके एसे जाती गुण या इच्छा पर निर्भर हो या स्वभावतः ऐसा हो कि अदालत उसकी खास शर्तोंको जैसेका तैसा पूरा न करा सकती हो।

(सी) वह मुवाहिदा जिसकी शर्तें अदालत उचित विश्वासके साथ न जान सकती हो।

(डी) वह मुवाहिदा जो स्वभावतः तोड़ा जासकता हो।

(ई) वह मुवाहिदा जिसे ट्रस्टी (Trustee) ने अपने अधिकारसे बाहर या अमानतकी शर्तको तोड़ते हुए किया हो।

(एफ़) वह मुवाहिदा जिसे किसी कार्पोरेशन (Carporation) या सार्वजनिक संस्थाने जो किसी खास कामके लिये बनाई गई हो या उक्त संस्थाके किसी सहायता पहुंचाने वालेने अपने अधिकारसे बाहर किया हो।

(जी) वह मुवाहिदा जिसके पूरा किये जानेमें मुवाहिदेकी तारीखसे तीन साल तक लगातार काम करनेका कर्तव्य होता हो।

(एच) वह मुवाहिदा जिसका खास भाग जिसे मुवाहिदेके समय दोनों फरीकैन मौजूद जानते थे मुवाहिदा होनेसे पहिले ही नष्ट हो चुका हो।

संग्रह कानून दीवानी व इण्डियन आर्बीट्रेशन एक्ट ९, सन १८९९ई० में दीहुई बातोंको छोड़ कर वह मुवाहिदे जो वर्तमान या भविष्यके झगड़ोंको पचायतके जरिये निपटानेके सम्बन्धमें किये गये हों जैसेके तैसे पूरे नहीं कराये जासक्ते हैं। परन्तु अगर कोई व्यक्ति जिसने उक्त मुवाहिदा किया हो और उसके करनेसे इन्कार किया हो उस बातके सम्बन्धमें दावा करे जिसका उक्त पंचायतमें जिक्र हो तो उक्त मुवाहिदेकी परिस्थितिके कारण ऐसा दावा नहीं चलेगा।

उदाहरण—

क्लाज़ (ए) के लिये—(१)—भारत सरकारके चार फी सैकड़ेके कर्जेको (अ) १०००००) रुपयेके सम्बन्धमें बेंचनेके लिये राजी हुआ तथा (ब) उसको खरीदनेके लिये तैयार हुआ। ऐसा मुवाहिदा जैसेका तैसा पूरा नहीं कराया जासकता है क्योंकि फरीकैन रुपये पैसेका मुआविजा उचित तौर पर मुवाहिदा शिकनीके होने पर पासकते हैं।

(२)—(अ) नीलकी ४० पेटियां एक हजार रुपया फी पेटीके हिसाबसे बेंचनेके लिये तैयार हुआ व (ब) उसको उक्त भावसे लेनेके लिये राजी हुआ। मुवाहिदा शिकनी होने पर दोनों फरीक रुपये पैसेका मुआविजा उचित रूपसे अपने हर्जेके सम्बन्धमें पा सकते हैं। इसी कारण उक्त मामलेमें मुवाहिदा जैसका तैसा पूरा नहीं कराया जा सकता है।

(३)—(अ) ने कुछ जायदाद (ब) के हकमें खरीदी जिसके एवज़में (ब) ने (अ) के १००००) दस हजार रुपये अपने यहां जमा कर लिये व यह वादा किया कि वह (अ) के सब हुण्डी पुरजोंको उक्त तादाद तक सकार देगा। इस मामलेमें भी मुवाहिदा जैसेका तैसा पूरा नहीं कराया जा सकता है क्योंकि (अ) अपना हर्जा उचित तौर पर रुपये पैसेके मुआविजेके तौर पर ले सकता है।

कानून दादरसीकी अन्य दफाओं तथा विशेष विवरणके लिये देखो—कानून दादरसी (Specific Relief Act I of 1877).

दफा ५९ ज़िम्मेदारीके पूरा न किये जाने पर तजवीज़

(१) यदि बेंचने वालेने किसी ज़िम्मेदारीको पूरा न किया हो या जबकि खरीदार बेंचने वालेकी किसी शर्तकी पावन्दी न करनेको ज़िम्मेदारीका न पूरा किया जाना माने या इसके माननेके लिये मजबूर होवे तो खरीदार इस प्रकारकी ज़िम्मेदारी पूरी न की जानेके कारणही मालको नामंजूर नहीं कर सकता है परन्तु वह—

(ए) बेंचने वालेके विरुद्ध ज़िम्मेदारी पूरी न की जानेके कारण क़ीमत घटा सकता है या उसे गायब कर सकता है, या

(बी) बेंचने वालेके विरुद्ध ज़िम्मेदारी पूरी न होनेके कारण हर्जेका दावा कर सकता है।

(२) यदि खरीदारको ज्यादा नुक़सान हुआ हो तो वह ज़िम्मेदारीके पूरा न होने पर क़ीमत कम कर देने या गायब कर देनेके अलावा ज़िम्मेदारीके पूरा न किये जानेके लिए हर्जेका दावा भी कर सकता है, उक्त बातसे इसमें रुकावट नहीं पड़ेगी।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी कानूनकी दफा ५९ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 59 (1) & (4) English Sale of Goods Act 1893.

इस दफामें यह बतलाया गया है कि जिम्मेदारी (Warranty) के पूरा न किये जाने पर उस से हानि उठाने वाला व्यक्ति किस प्रकार अपनी हानिको पूरा कर सकता है।

इस दफाके अनुसार उस शर्तको भी जिम्मेदारी (Warranty) ही समझा जावेगा जिसे खरीदार ने स्वयं जिम्मेदारी मान लिया हो अथवा जिसे जिम्मेदारी माननेके लिये वह मजबूर हुआ हो। इसी कारण ऐसी शर्तकी पाबन्दी का न किया जाना जिम्मेदारीका पूरा न किया जाना माना जावेगा और उसमें भी वही नियम लागू होंगे जो जिम्मेदारीके पूरा न करने पर लागू हो सकते हैं।

इस दफाके अनुसार जिम्मेदारीके पूरा न किये जाने पर खरीदार मालकी कीमत उसी हिसाबसे कम करके यानी मालके खराब होनेके हिसाबसे दे सकता है अथवा पूरीकी पूरी क़ीमतको जब्त कर सकता है जबकि माल बिल्कुल बेकार होवे या अगर वह चाहें तो अपने हर्जेका दावा कर सकता है परन्तु वह मालको नामंजूर नहीं कर सकता है।

दफाके दूसरे भागमें यह भी बतलाया गया है कि यदि खरीदारने बायाकी जिम्मेदारी (Warranty) पूरी न होनेके कारण मालकी क़ीमत कम करके दी हो अथवा उसे कुछ भी क़ीमत न दी हो तो भी वह अधिक नुकसान बर्दाश्त करनेके कारण हर्जेका दावा कर सकता है। अर्थात उपदफा (१) के क्लाज (ए) व (बी) में बतलाई हुई दोनों बातोंको एक साथ अमलमें ला सकता है।

'शर्त' (Condition) व जिम्मेदारी (Warranty) में ज़ाहिरा तौर पर यह अन्तर समझना चाहिये कि मुवाहिदेकी शर्तको पूरा न किये जाने पर मुवाहिदा तोड़ा जा सकता है अथवा माल नामंजूर किया जा सकता है पर 'जिम्मेदारी' (Warranty) के पूरा न किये जाने पर मालकी क़ीमत कमकी जा सकती है व हर्जा वसूल किया जा सकता है।

(अ) ने (ब) के हाथ टीनमें बन्दकी हुई मछलीको बेंचा जो खाने योग्य नहीं थी गो (ब) पर यह जिम्मेदारी थी कि वह खाने योग्य होवे। (ब) की स्त्री ने उसे खाया जिससे उसके बदनमें जहर फैल गया और वह मर गई। (ब) ने (अ) पर मुवाविज़ेका दावा किया जिसमें यह तय किया गया कि (ब), (अ) से उचित डाक्टरी खर्चेको तथा मृतक संस्कारके सम्बन्धमें किये हुए खर्चेको और उस उपयुक्त नुकसानको वसूल कर सकता है जो उसे स्त्री रहित हो जानेके कारण हुआ हो, देखो—जैक्सन बनाम वाटन एण्ड सन्स (1909) 2 K. B. 193 C. A.

एक मामलेमें एक घोड़ा इस जिम्मेदारी व शर्तके साथ बेंचा गया था कि वह लौटा दिया जावेगा। घोड़ा बिला खरीदारकी ग़लतीके लौटाये जानेकी अवधि पूरी होनेसे पहिले मर गया। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि खरीदार जिम्मेदारीके न पूरा किये जानेके आधार पर दावा कर सकता है गो वह घोड़ा लौटा नहीं सकता है, देखो—चैपमैन बनाम विथर्स 20 Q. B. D. 82.

(अ) ने (ब) के हाथ सलफ्यूरिक ऐसिड (Sulpheric Acid) बेंचा जो व्यापारिक तौर पर आरसेनिक (Arsenic) से पाक रहता है। (ब) ने उसको ऐसी चीज तैयार करनेमें इस्तैमाल किया जो शराब बनाने वाले शराब तैयार करनेमें इस्तैमाल करते हैं। उक्त सलफ्यूरिक ऐसिडके सम्बन्धसे तैयार कीहुई शराबके पीने वालों पर जहरका असर होगया। (अ) को नहीं मालूम था कि एसिड उससे किस कामके लिये ली जारही है (ब) ने (अ) पर दावा किया जिसमें यह तय किया गया कि (ब), (अ) से एसिडकी क़ीमत लेसकता है तथा उस शराबकी क़ीमत लेसकता है जो खराब होगई हो वह (अ) से उस हर्जेको वसूल नहीं कर सकता है जो उसे शराब तैयार करने वालोंको देना पड़ा हो या जो उसे अपने दूकानकी

नेकनामीं कम होनेके कारण बर्दाश्त करना पड़ा हो, देखो—बोसोटक बनाम निकोलन (1904) 1. K. B. 725 (C. A.).

एक ख़ास क़िस्मके रूईके कपड़ेका सौदा हुआ। जो कपड़ा दिया गया वह कुछ घटिया मेलका था। ऐसी हालतमें ख़रीदार वायासे क़ीमतके उस फ़र्कको पा सकता है जो वारण्टीके हिसाबसे माल होने पर दिये जाने वाले मालकी क़ीमतसे ज़्यादा होती। यदि ख़रीदारने मालका सौदा किसी तीसरे व्यक्तिके साथ कर रखा हो तो उस सौदेका कोई प्रभाव हर्जेके सम्बन्धमें नहीं पड़ेगा, देखो—स्लैटर बनाम हुआयल एण्ड स्मिथ (1920) 2 K. B. 11 C. A.; 25 Com. Cas. 140, C. A.

एक मालका सौदा हुआ जो अगस्तके महीनेमें जहाज़ पर लादा जानेको था। वह मंजूर किया गया व उसकी क़ीमत भी देदी गई। इसके बाद ख़रीदारको यह पता लगा कि माल सितम्बरमें जहाज़से रवाना किया गया था। यदि इस देरीसे भेजनेके कारण, माल दिये जाते समय क़ीमतमें कोई अन्तर न पड़ता हो तो ऐसी हालतमें ख़रीदार केवल नाममात्रका हर्जा पा सकता है, देखो—टेलर एण्ड सन्स लिमिटेड बनाम बैंक आफ़ एथेन्स (1922) 27 Com. Cas. 142; देखो,—और भी पिनक बनाम लुई (1923)1 K B. 690.

यदि ख़रीदारने बेजा तौर पर मालको मंजूर कर दिया हो तथा मुवाहिदेको तोड़ दिया हो तो हर्जे का दावा होने पर यह नहीं कह सकता है कि माल वायाकी ज़िम्मेदारीके अनुसार नहीं था इसलिये हर्जा कम दिलाया जाना चाहिये अर्थात माल लेने पर वह ज़िम्मेदारीके अनुसार उसे न पाकर क़ीमत कम कर सकता था अथवा अपना हर्जा वसूल कर सकता था अपनी ओरसे मुवाहिदा शिकनी करनेके बाद वह ज़िम्मेदारीके पूरा न न किये जानेके सवालको नहीं उठा सकता है, देखो—ब्रेथवेट बनाम फारेन हार्डवुड कम्पनी (1905) 2 K. B. 543, 552 C. A.

दफ़ा ६० नियत की हुई तारीख़से पहिले मुवाहिदेका तोड़ दिया जाना.

यदि दोमेंसे कोई फ़रीक दिये जानेकी तारीख़से पहिले मुवाहिदेको तोड़ देवे, तो दूसरा फ़रीक या तो मुवाहिदेको क़ायम मान सकता है तथा माल देनेकी तारीख़ तक उसका इन्तज़ार कर सकता है या वह मुवाहिदेको नामंजूर किया हुआ मानकर उसके पूरा न किये जानेके सम्बन्धमें हर्जेका दावा कर सकता है।

व्याख्या—

यह दफ़ा भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा ३९ व १२० के अनुसार समझना चाहिये, देखो—S. 39 & 120 Indian Contract Act 1872.

अङ्गरेजी क़ानूनमें इस दफ़ाके अनुसार कोई निर्धारित नियम नहीं है और न भारतीय क़ानून मुवाहिदामें ही कोई ख़ास दफ़ा इस प्रकारकी मौजूद है परन्तु भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफ़ा ३९ व १२० में ऐसाही विषय दिया हुआ है। जो बात इस दफ़ामें बतलाई गई है वही बात बहुधा अङ्गरेजी अदालतों व भारतीय अदालतोंने अपनी तजवीज़ोंमें प्रकट की है। सिलेक्ट कमेटी पहिले यह नियम रखनेका विचार कर रही थी कि जिस तारीख़ पर मुवाहिदा तोड़ा जावे उस तारीख़की बाजारू क़ीमतके अनुसार हर्जेको तय किया जाना चाहिये परन्तु बादमें विचार करनेके बाद उक्त नियमको असुविधा जनक ठहराया क्योंकि मालकी क़ीमत घटती हुई देखकर कोई भी फ़रीक बीचमें अच्छी क़ीमत अनायास होजाने पर उस समय मुवाहिदेको तोड़ सकता है और ऐसी दशामें डावा डोल बाजार होनेके कारण दूसरा फ़रीक वृथामेंही हानि उठा सकता है इसी कारण इस दफ़ामें दिये हुए नियम हीका रक्खा जाना उचित ठहराया गया, देखो—रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी।

हर्जेका अन्दाजा कानून मुवाहिदाकी दफा ७३ व ७४ में दिये हुए नियमोंके अनुसारही लगाया जाना उचित है। उक्त दफाओंका विशेष वर्णन दफा ५६ में दिया जा चुका है, देखो—पिछली दफा ५६।

इस दफाके नियमोंके अनुसार यदि देनेकी मियादसे पहिले कोई फरीक मुवाहिदेको तोड़ देवे तो दूसरे फरीकके लिये उस समय दो रास्ते खुले हुए होते हैं। एक तो यह कि वह मुवाहिदेको टूटा हुआ मानकर मुवाहिदा शिकनीके आधार पर उसी समय हर्जेका दावा कर सकता है। दूसरे यह कि वह उस मुवाहिदेको मियाद तक जैसेका तैसा मानते हुए उस समय तक रुक सकता है और माल न मिलने पर या कीमत न अदा होने पर जैसाकि मामला होवे इस एक्टके नियमोंके अनुसार उस समय कार्रवाई चालू कर सकता है।

मुवाहिदा शिकनीसे नुकसान उठाने वाला व्यक्ति इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि बीचहीमें मुवाहिदा तोड़ दिये जाने पर वह उसी समय कोई न कोई कार्रवाई करे अथवा उस समय जो बाजारू कीमत होवे उसीके अनुसार वह अपने हर्जेको वसूल कर सके अर्थात वह मुवाहिदेमें माल दिये जानेकी जो मियाद होवे उस समय तक इन्तजार करनेके बाद अपने हर्जे आदिके लिये कार्रवाई कर सकता है तथा वह उसी समयके बाजार भावके अनुसार हर्जा वसूल करनेका अधिकारी हो सकता है।

भारतीय कानून मुवाहिदेकी दफायें ३९व१२० जिनका हवाला इस दफामें मिलता है इस प्रकार हैं:—

—दफा ३९ मुवाहिदेको पूर्णरूपसे पूरा करनेमें इन्कारी करनेका परिणाम

यदि किसी मुवाहिदेका कोई फरीक अपने वादेको पूर्णरूपसे करनेमें इन्कार कर देवे या उसके करनेमें अयोग्य होजावे तो दूसरा फरीक मुवाहिदेको तोड़ सकता है जबकि उसने स्वयं शब्दों द्वारा या अपने बर्तावसे उस मुवाहिदेको छोड़ दिये जानेमें अपनी रजामन्दी न देदी गई हो।

उदाहरण—

(ए)—(अ) एक गानेवाली है उसने (ब) से जो एक थियेटरका मैनेजर है यह मुवाहिदा किया कि वह अगले दो महीने तक हफ्तेमें दो रातोंको थियेटरमें गाना गावेगी और (ब) उसे प्रत्येक रातके लिये १००) रुपया दिया करेगा। छठवीं रातको जानबूझ कर (अ) थियेटरसे गैर हाजिर रही ऐसी हालतमें (ब) को अधिकार है कि वह मुवाहिदेको तोड़ देवे।

(बी)—(अ) एक गानेवाली है, उसने (ब) से जो एक थियेटरका मैनेजर है यह मुवाहिदा किया कि वह अगले दो महीने तक हफ्तेमें दो रातोंको थियेटरमें गाना गायेगी और (ब) उसे प्रत्येक रातके लिये १००) देवेगा। छठवीं रातको जानबूझ कर (अ) थियेटरसे गैर हाजिर रही जिसमें (ब) की रजामंदी भी थी, (अ) ने सातवीं रातको गाना गाया और (ब) ने भी मुवाहिदेके जारी रहनेमें अपनी रजामन्दी देदी ऐसी हालतमें (ब) मुवाहिदेको तोड़ नहीं सकता है किन्तु वह (अ) के ऊपर छठवीं रातको गाना न गानेके आधार पर हर्जेका दावा कर सकता है।

—दफा १२० बेजा तौर पर माल मंजूर करनेमें इनकारी करनेका परिणाम

यदि कोई खरीदार बेजा तौर पर अपने खरीदे हुए मालके मंजूर करनेमें इनकार करे तो इसे बिक्रीके मुवाहिदेका तोड़ा जाना कहेंगे।

उक्त दोनों दफाओंमें इस दफाके विषयका आभास होता है। इस दफाके नियमोंका लाभ दोनों फरीक यानी बाया व खरीदार दोनोंही उठा सकते हैं अर्थात् बायाकी मुवाहिदा शिकनी होने पर खरीदार व खरीदारके कबूल न लेने पर या किसी अन्य शर्तकी पाबन्दी न करने पर बाया। इस दफाके नियमोंके अनुसार मुवाहिदेको

उसी समय टूटा हुआ मान कर हर्जेका दावा कर सकता है या मियादके समाप्त होने पर हर्जे आदि की कार्रवाई कर सकता है।

दफा ६१ ख़ास हर्जा या हर्जेके तौर पर सूदका मिलना

(१) यदि क़ानूनन किसी मामलेमें सूद या ख़ास हर्जा लिया जा सकता हो तो इस एक्टकी किसी बातसे सूद या ख़ास हर्जा ख़रीदार या बाया द्वारा लिये जाने में कोई असर नहीं पड़ेगा या उस वक्त जबकि रुपयेकी अदायगीके अनुसार काम न हुआ हो उस अदा किये हुए रुपयेके वापिस लेनेमें उक्त बातका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(२) यदि इसके विरुद्ध कोई मुवाहिदा न होवे तो अदालत क़ीमतकी रक़म पर उस दरके अनुसार सूद दिला सकती है, जो उसे उचित प्रतीत हो तथा वह नीचे दिये अनुसार समझना चाहिये।

(ए) बेंचने वालेको जबकि उसने अपनी क़ीमतके रुपयेके लिये दावा किया हो उस तारीख़से जबकि माल दिया गया हो या उस तारीख़से जब कि क़ीमत वाजिबुल अदा होवे।

(बी) ख़रीदारको जबकि उसने बायाकी मुवाहिदा शिकनीके मामलेमें वापिसी क़ीमतका दावा किया हो उस तारीख़से जबकि अदायगी की गई हो।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ५४ व दफा ४९ (३) के आधार पर बनाई गई है, देखो— S. 49 (3) & 54 English Sale of Goods Act 1893.

भारतीय क़ानून मुवाहिदे (Indian Contract Act) में कोई ख़ास नियम इस दफाके अनुसार नहीं है तथा भारतीय अदालतोंका मत भी इस विषयमें एक दूसरेसे मिल रहा है किसी अदालतने दफा ७३ क़ानून मुवाहिदाके आधार पर हर्जेके तौरसे सूदका दिलाया जाना उचित ठहराया है परन्तु किसी अदालतने सूदका दिलाया जाना सर्वथा अनुचितही ठहराया है। अङ्गरेजी एक्टकी जिन दो दफाओंका उल्लेख ऊपर किया गया है वह भी पूर्ण रूपसे इस दफाके नियमोंके अनुसार नहीं है। उपदफा (२) के क्लाज (बी) में जो नियम दिया गया है वह उक्त दफाओंमें नहीं मिलता है किन्तु सिलेक्ट कमेटीके सदस्योंने इस नियमका रख दिया जाना भी उचित ठहराया अतः दफा मौजूदा शक्लमें रख दी गई है, देखो—रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी।

हर्जा दिलाये जानेका मुख्य उद्देश्य यही है कि मुवाहिदा शिकनीसे नुकसान उठाने वाले व्यक्तिको उसी स्थितिमें कर दिया जावे मानो कि मुवाहिदा तोड़ाही नहीं गया था अर्थात वह जैसेका तैसा बना रहा, देखो—वांथेम बनाम चिकारिमी पल्प कम्पनी (1911) A. C. 301 (P. C.)

इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि मुवाहिदा शिकनीसे हानि उठाने वाला व्यक्ति उचित रूपसे काम करे अर्थात यदि वह नुकसान कम करनेके लिये कोई काम कर सकता हो तो उसे करना चाहिये वरना हर्जेका दावा होने पर मुवाहिदा शिकनी करने वाला व्यक्ति उक्त लापरवाहीके कारण हर्जेको कम करवा सकता है, देखो—राथ बनाम टेसन 1 Com. Cas. 306 C. A.

इस दफामें 'ख़ास-हर्जा' (Special Damages) व हर्जेके तौर पर सूद दिलाये जानेका उल्लेख है।

खास हर्जा (Special Damages) उस हर्जेको समझना चाहिये जो आम हर्जेके अलावा होवे और जो मामलेकी किसी खास स्थितिके कारण होता हो, देखो—रौक्लिफ बनाम इवन्स 2 Q. B. 528.

इस एक्टमें आम हर्जेहीका जिक्र है परन्तु इस दफाके अनुसार खास हर्जेके दिलाये जानेमें भी बाधा नहीं रखी गई है।

दफा दो भागोंमें विभक्त है। पहिली उपदफामें यह बतलाया गया है कि बाया व खरीदार दोनोंही सूद या खास हर्जा पा सकते हैं तथा यदि कोई रुपया किसी खास मुवाविजेके बदले दिया गया हो तो उस मुवाविजेके अदा न किये जाने पर वह रुपया भी वापिस लिया जा सकता है। साथही साथ यह भी बतला दिया गया है कि सूद या खास हर्जा उसी समय मिल सकेगा जबकि क़ानूनन वह दिलाया जा सकता हो अर्थात् यदि सूदके क़ानून (Usurious Loans Act or Interest Act) से अथवा अन्य किसी प्रचलित क़ानूनके अनुसार सूद दिलानेमें या खास हर्जा दिलानेमें कोई रुकावट पड़ती हो तो ऐसी हालतमें सूद आदि नहीं दिलाया जावेगा।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि अदालत सूद उस दरके हिसाबसे दिला सकती है जो उसे मुनासिब मालूम पड़े तथा वह दो प्रकारकी रक़मोंमें दिलाया जा सकता है जिसका जिक्र उसी उपदफाके क्लाज (ए) व (बी) में किया गया है।

क्लाज (ए) के अनुसार बाया मालकी क़ीमत पर सूद उस तारीखसे पा सकता है जब कि माल दिया गया हो अथवा जब कि मालकी क़ीमत वाजिबुल अदा होती हो अर्थात् यदि माल दिये जानेके बाद किसी खास मियादके बाद क़ीमत दी जानेको होवे और उस मियादके बीतने पर वह न दी गई हो तो बाया मियाद बीतनेके बादसे सूद वसूली रक़म तक पा सकता है।

क्लाज (बी) के अनुसार खरीदार अपनी दी हुई क़ीमत पर सूद उस समयसे पा सकता है जब कि उसने क़ीमत अदा की हो। दोनों सूरतोंमें सूद उसी समय मिल सकेगा जब कि दूसरे फरीक़ने मुवाहिदा शिकनी की हो और नुक़सान उठाने वाला फरीक़ अपनी क़ीमत या दाम पानेका मुस्तहक़ होवे।

उपदफा (२) के नियमोंका प्रयोग उसी समय समझना चाहिये जबकि मुवाहिदेमें कोई बात उसके विरुद्ध तय न की गई हो अर्थात् यदि मुवाहिदेमें कोई बात इस उपदफाके नियमोंके विरुद्ध दी हुई हो तो उनका पालन किया जावेगा न कि इस उपदफाके नियमोंका।

यदि मुवाहिदा शिकनी साबित होने पर क़ीमतकी अदायगी या हर्जेकी तादाद किसी गैर मुल्कके सिक्कोंके हिसाबसे तय की जानेको होवे तो उसका अन्दाजा सिक्कोंकी क़ीमतके उस सम्बन्धके अनुसार लगाया जावेगा जो मुवाहिदा शिकनीके समय उस गैर मुल्कके सिक्कोंका अपने मुल्कके सिक्कोंसे होवे अर्थात् हर्जा या क़ीमतका दिया जाना अपने देशके प्रचलित सिक्कों आदिके अनुसार दिया जाना उचित है देखो—बैरी बनाम वैंडेन हर्ट (1920) 2 K. B. 709; सोसाइटी बनाम कमिंग्स (1922) 1 K. B. 151 C. A.

सातवां प्रकरण

मुतफर्रिक़

दफा ६२ खुलासा इक़रार आदिसे लगाये जाने वाले इक़रार व शर्तोंका छोड़ दिया जाना

यदि क़ानूनके कारण किसी बिक्रीके सौदेमें कोई हक़, फ़र्ज़, या ज़िम्मेदारी पैदा होवे तो वह खुलासा इक़रारनामा होने पर या फ़रीकैनके व्यवहारके अनुसार अथवा चलनके मुवाफ़िक़ जबकि चलन ऐसा होवे जिसकी पावन्दी मुवाहिदेके दोनों फ़रीकों पर होती हो रद्द हो सकती है या तबदील हो सकती है।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी कानूनकी दफा ५५ के आधार पर बनाई गई है, देखो—S. 55 English Sale of Goods Act 1893.

इस दफासे यह भली भांति प्रगट है कि फ़रीकैन अपने मुवाहिदेके सम्बन्धमें जो शर्तें चाहें रख सकते हैं तथा उन शर्तोंकी पाबन्दी आवश्यक होगी अर्थात् उन्हीं शर्तोंके अनुसार काम किया जावेगा।

इसी प्रकार यदि फ़रीकैनका व्यवहार किसी ख़ास नियमके अनुसार होता हो तो उसी नियमके अनुसार उनका व्यवहार समझा जावेगा।

यदि बाजार चलन ऐसा हो जिसकी पाबन्दी दोनों फ़रीकैन पर होती हो तो उक्त बाजार चलनके अनुसार भी काम किया जावेगा।

उक्त तीनों बातोंकी उपस्थितिमें क़ानूनी नियमोंके अनुसार अन्दाजा लगा कर काम नहीं किया जावेगा अर्थात् यदि ऊपर बतलाई हुई कोई भी बात न होवे तो क़ानूनी नियमोंके अनुसार अन्दाजा लगा कर काम किया जावेगा।

उक्त बातें यदि क़ानूनी अन्दाजेके विपरीत पड़ती हो तो क़ानूनी अन्दाजेका रद्द किया जाना समझना चाहिये और यदि उक्त नियमोंसे क़ानूनी अन्दाजेमें कोई परिवर्तन होता हो तो उसीके अनुसार परिवर्तन समझना चाहिये।

एक फुटकर बेंचने वाला बूचड़ स्मिथफील्डके एक गोश्त वालेसे सुअरका मृतक शरीर ख़रीदा करता था। उक्त बूचड़की दूकानमें रक्खा हुआ सुअरका गोश्त पकड़ा गया और वह मनुष्योंके खाने योग्य नहीं ठहराया गया। यदि बूचड़ उक्त गोश्त वाले पर हर्जेका दावा करे तो गोश्त वाला इस बातके बाजार चलनकी शहादत दे सकता है कि बाजारमें गोश्त वाले इस ज़िम्मेदारी पर उक्त गोश्त नहीं बेंचते हैं कि वह मनुष्योंके खाने योग्यही होगा अर्थात् बाजार चलनकी शहादतके अनुसार फ़रीकैनके सौदेकी शर्तका निर्णय किया जा सकता है तथा हर्जेके लिये तय किया जा सकता है कि आया वह मिलना चाहिये या नहीं, देखो—क्वाइन्टैंट बनाम मेहम (1914) T. L. R. 282 C. A.

दफा ६३ उचित समयका सवाल एक वाक़याती सवाल है

इस एक्टमें जहांपर उचित समयका हवाला दिया गया हो तो उचित समयका प्रश्न एक वाक़याती प्रश्न समझना चाहिये।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ५६ तथा भारतीय क़ानून मुआहिदाकी दफा ४६ के खुलासेके आधार पर समझना चाहिये, देखो—S. 56 English Sale of Goods Act 1893; S. 46 (Expl.) Indian Contract Act, 1872.

क़ानून शहादतके अनुसार उचित समयका सवाल कहीं पर वाक़याती सवाल होता है तथा कहीं पर क़ानूनी सवाल और कहीं कहीं पर वाक़याती व क़ानूनी मिला। इस एक्टके लिये इस दफाके अनुसार यह बात बिलकुल साफ़ कर दी गई है कि जहां पर 'उचित समय' (Reasonable time) का उल्लेख हो वहां उसे वाक़याती प्रश्नही समझना चाहिये और प्रत्येक मामलेकी परिस्थिति पर ध्यान रखते हुए इस प्रश्नको अदालत द्वारा तय किया जाना चाहिये।

यदि विक्रीका मुवाहिदा तहरीरी होवे और उसमें समयके सम्बन्धमें कोई भी बात न लिखी हो तो उसका 'उचित समय' हीमें पूरा किया जाना समझना चाहिये। इसी प्रकारका अर्थ समयके सम्बन्धमें अन्य अवस्थाओंमें भी लगाया जाना चाहिये॥

दफा ६४ नीलाम

नीलामके ज़रियेकी हुई विक्रीके मामलेमें इस प्रकार समझना चाहिये:—

(१) यदि माल थोकोंके हिसाबसे बेंचा जावे तो हर एक थोकका सौदा प्रकट रूपमें एक अलाहिदा विक्रीके मुवाहिदेके तौर पर समझा जाना चाहिये।

(२) विक्रीका उस समय पूरा होना समझना चाहिए जबकि नीलाम करने वाला हथौड़ेको मार कर या अन्य किसी व्यवहारिक तरीक़े पर उसके पूरे होनेका ऐलान करे; और जब तक उक्त ऐलान न कर दिया गया हो कोई भी बोलने वाला अपनी बोलीको वापिस ले सकता है।

(३) बोली बोलनेका हक़ खुलासा तौर पर बेंचने वाले द्वारा या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा सुरक्षित रक्खा जा सकता है और जहां पर इस प्रकारका हक़ खुलासा तौरसे सुरक्षित रक्खा गया हो, तथा अन्य किसी सूरतमें नहीं, वहां बेंचने वाला या उसकी ओरसे अन्य व्यक्ति आगे बतलाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए नीलाममें बोली बोल सकता है।

(४) यदि किसी विक्रीके लिए यह ऐलान न किया गया हो कि उसमें बेंचने वालेने बोली बोलनेके हक़को सुरक्षित रक्खा है तो यह बेंचने वालेके लिए न्याय पूर्ण नहीं होगा कि वह उक्त विक्रीमें स्वयं बोली बोले या अपनी तरफ़से किसी अन्य व्यक्तिसे बोली बुलवाए और न नीलाम करने वालेके लिये यह क़ानूनन उचित है कि वह बेंचने वालेकी बोलीको या उसकी ओरसे बोलने वालेकी बोलीको जानते हुए लेवे।

और यदि कोई बिक्री इस नियमकी अवहेलना करके की गई हो तो खरीदार उसे धोखादेहीकी बिक्री मान सकता है।

(५) बिक्रीके लिये यह ऐलान किया जा सकता है कि वह किसी निर्धारित क़ीमत या इब्तदाई क़ीमतके अनुसार होवेगी।

(६) यदि बेंचने वाला बनाई हुई बोलियोंका इस्तैमाल क़ीमत बढ़ानेके लिये करे तो खरीदार बिक्रीको मंसूख कर सकता है।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ५८ के आधार पर बनाई गई है और इसी नियमका वर्णन भारतीय क़ानून मुवाहिदाकी दफा १२२ व १२३ में किया गया है, देखो—S. 58 English Sale of Goods Act 1893; S. 122 & 123 Indian Contract Act 1872.

इस दफामें नीलामसे कीजाने वाली बिक्रीको नियमित करनेके लिये कुछ नियम बना दिये गये हैं दफा छः भागोंमें विभक्त है।

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि यदि कोई माल भिन्न भिन्न थोकके अनुसार नीलाम किया जावे तो प्रकट रूपमें प्रत्येक थोक सौदेको एक प्रथक मुवाहिदा समझा जावेगा। अर्थात नीलाम करनेवाला व्यक्ति तथा खरीदने वाला व्यक्ति प्रत्येक थोकके सम्बन्धमें बाया व खरीदार समझे जावेंगे चाहे उक्त खरीदारने एकसे अधिक थोक खरीदे हों या बायाने बहुतसे थोक बेंचे हों परन्तु यदि नीलाममें उक्त बातके विरुद्ध कोई बात तय की गई हो तो कार्रवाई उसीके अनुसार मानी जावेगी जैसाकि 'प्रकट रूपमें' (Primafaci) शब्दोंसे प्रकट होता है। जबकि कई थोक एक साथ एकही बोलीमें नीलाम किये गये हों तो उनको एकही सौदा माना जावेगा।

उपदफा (२) के अनुसार नीलाममें बिक्रीके मुवाहिदेका पूरा होना उस समय माना जावेगा जबकि नीलाम करने वाला हथौड़ीकी चोटसे यह ऐलान करदे कि नीलाम पूरा होगया है या अन्य किसी प्रचलित तरीकेसे यह प्रकट करदे कि नीलाम पूरा होगया है जैसेकि नीलाममें एक, दो, तीन बोल कर नीलाम करने वाले नीलामकी कार्रवाईको करते हैं और जब तीन बोल दिया जाता है तब यह मान लिया जाता है कि नीलाममें बोली खतम हो गई अर्थात जिस बोलीके लिये तीन बोला गया है उसी बोली पर नीलाम समाप्त हो गया है ऐसा माना जावेगा।

इसी उपदफामें यह भी बतला दिया गया है कि जब तक उक्त प्रकारका ऐलान न होवे अर्थात जब तक नीलाम करने वाला किसीकी बोलीको मंजूर न कर लेवे तब तक बोली बोलने वाला व्यक्ति अपनी बोली वापिस ले सकता है। अर्थात उस समय तक नीलाम करने व बोली बोलने वालेके दर्मियान खरीदार व बाया का ताल्लुक नहीं होता है यानी यह कि मुवाहिदा उनके दर्मियान उस समय तक पूरा नहीं समझा जा सकता है और इसी कारण बोली बोलने वाला व्यक्ति अपनी बोलीको वापिस ले सकता है अर्थात वह मुवाहिदेसे हट सकता है और उसके ऊपर ऐसा करनेमें कोई जिम्मेदारी आयद नहीं हो सकती है।

यदि बोली खतम होने पर बोली बोलने वाला वापिस हटना चाहे तो उसकी ओरसे मुवाहिदा शिकनीका होना माना जावेगा और वह क़ानूनी नियमोंके अनुसार उक्त मुवाहिदाशिकनीके आधार पर हर्जे आदिके देनेका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

उपदफा (३) में बतलाया गया है कि यदि बाया चाहे तो वह स्वयं या उसकी ओरसे अन्य कोई व्यक्ति खुलासा तौर पर उसके लिये बोलनेके अधिकारको सुरक्षित रख सकता है और ऐसा किये जाने पर वह या उसकी ओरसे अन्य कोई व्यक्ति नीलाममें बोली बोल सकता है। इस उपदफाके अनुसार स्वयं बायाको या उसकी ओरसे अन्य किसी व्यक्तिको बोली बोलनेका अधिकार उसी समय समझना चाहिये जबकि खुलासा तौर पर इस प्रकारका अधिकार सुरक्षित रक्खा गया हो अन्यथा नहीं।

साथही साथ उक्त प्रकारका अधिकार उन नियमोंको मानते हुए बर्ता जा सकता है जो इस उपदफाके बाद दिये हुए हैं।

यदि बिला किसी अधिकारको सुरक्षित रक्खे हुए किसी मालको बेंचनेकी मुश्तहरी कीगई हो तो बाया बिक्रीमें किसी प्रकारकी दस्तन्दाजी नहीं कर सकता है चाहे वह सीधे तौरसे की जानेको होवे अथवा घुमाकर कार्रवाई की जारही हो तथा जिससे सबसे अधिक बोली बोलने वालेके हकमें किसी प्रकारका असर हुआ हो, देखो—थारनेट बनाम हेन्स 15 Mees & W. 367 (392).

उपदफा (४) में उस सूरतको बतलाया गया है जबकि नीलाममें इस बातको न बतलाया गया हो कि उसमें बायाकी ओरसे भी बोली बोली जावेगी। ऐसी हालतमें कानूनन् बाया या उसकी ओरसे अन्य कोई व्यक्ति बोली नहीं बोल सकता है और यदि ऐसा किया गया हो तो खरीदार नीलाम उक्त बिक्रीको धोखा-देहीकी बिक्री मान सकता है इसी प्रकार यदि नीलाम करने वाला यह जानते हुए कि नीलाममें बायाकी बोली होनेका कोई ऐलान नहीं हुआ है बायाकी बोलीको अथवा उसकी ओरसे अन्य किसी व्यक्तिकी बोलीको लेवे तो ऐसा होने परभी खरीदार नीलाम उक्त बिक्रीको धोखादेहीसे कीहुई बिक्री मान सकता है।

इस उपदफासे यह प्रकट है कि यदि खरीदार उक्त बातको जानते हुए भी नीलामकी बिक्रीको मंजूर करना चाहे तो वह कर सकता है अर्थात उक्त प्रकारसे बेजा कार्रवाईके होने पर बिक्रीका मुवाहिदा अपने आप नहीं टूट जाता है किन्तु वह खरीदार द्वारा तोड़ा जासकता है यदि वह ऐसा किया चाहे। धोखादेहीकी बिना पर खरीदार नीलाम द्वारा कानूनन् जो कार्रवाई की जासकती है उसे वह कर सकता है।

उपदफा (५)—के अनुसार नीलाममें यह ऐलान किया जा सकता है कि वह किसी खास कीमत से शुरू किया जावेगा या उसके सम्बन्धमें कोई खास कीमत सुरक्षित रक्खी जा सकती है अर्थात् नीलाममें माल उस कीमतसे नीचे दामोंपर नहीं बेंचा जावेगा। यदि उक्त बात नीलाममें बतला दी गई हो तो सबसे अधिक बोली बोलने वालेके हकमें उस समय तक माल नहीं छोड़ा जावेगा जब तक कि वह सुरक्षित कीमत या उससे अधिक कीमत उसके द्वारा न लगाई गई हो। इसी प्रकार यदि किसी खास कीमतसे मालकी बोली शुरू की जानेको होवे तो उससे कम दामोंकी बोली नहीं ली जावेगी।

एक मामलेमें नीलाम करने वालेने गलतीसे सुरक्षित कीमतसे कमही पर बोली खतम करदी। अपनी गलती मालूम होने पर उसने बिक्रीका मुवाहिदा पूरा करनेसे इन्कार कर दिया तथा उस सम्बन्धमें उचित कागजात पर दस्तखत करनेसे इन्कार कर दिया। मामला चलाया जाने पर यह तय किया गया कि नीलामके खरीदारको नीलाम करने वालेके विरुद्ध ऐसी हालतमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है चाहे उसको यह भी न मालूम होवे कि दरअस्ल सुरक्षित कीमत क्या थी अर्थात् नीलाम करने वाला मुवाहिदा शिकनी करने वाला नहीं माना जावेगा और न उसके आधार पर उसके विरुद्ध हर्जेका दावाही चल सकेगा, देखो—मैक मानुस बनाम फारटेस्कू (1907) 2 K. B. 1 A. C.

यदि खरीदारान आपसमें यह तय कर लेवें कि वह एक सब नियत क़ीमतसे अधिक क़ीमत नहीं लगावेंगे अथवा वह आपसमें यह तय कर लेवें कि वह एक दूसरके विरुद्ध बोली नहीं बोलेंगे तो इस प्रकारकी कार्रवाई ग़ैर क़ानूनी नहीं मानी जावेगी अर्थात् इस बिना पर नालाम समाप्त किया हुआ नीलाम मंसूख़ नहीं किया जासकेगा और न उक्त बोली बोलने वालोंके विरुद्ध हर्जे आदिका दावाही चल सकेगा। यदि बायाको यदि नीलाम खरीदनेवाले खरीदारोंके इस प्रकार मिल जानेसे बोली कम चढ़नेका अंदेशा हो तो वह सुरक्षित क़ीमतका ऐलान कर सकता है अर्थात् पेश्तरहीसे वह यह प्रकट कर सकता है कि किसी खास रक़मसे कम पर माल नहीं छोड़ा जावेगा, देखो—रावलिंग बनाम जनरल ट्रेनिंग कम्पनी (1921) 1 K. B 635 C. A.

यही विचार भारतीय अदालतों द्वारा भी कुछ मामलोंमें प्रकट किये गए हैं। एक मामलेमें यह तय किया गया था कि यदि दो या दोसे अधिक व्यक्ति आपसमें यह तय कर लेवें कि वह किसी आम नीलाममें एक दूसरेके विरुद्ध नहीं बोली बोलेंगे तो उनकी यह कार्रवाई ग़ैर क़ानूनी कार्रवाई नहीं ठहराई जावेगी और न इस प्रकारके मुवाहिदेको पब्लिक पालिसी (Public Policy) के विरुद्धही कहा जा सकता है, देखो—56 Ind. Cas. 963; 44 Ind. Cas. 223; 46 Ind. Cas. 755.

पहिले यह नियम इस प्रकारका नहीं माना जाता था। उक्त प्रकारकी कार्रवाईका करना अनुचित समझा जाता था तथा उसे एक प्रकारसे बायाको धोखा देना समझ कर उसकी बिना पर नीलाम तक मंसूख किये जाने की व्यवस्था थी परन्तु अब ऐसा नहीं है उक्त प्रकारसे खरीदारोंका आपसमें मिल जाना किसी भी प्रकारसे क़ानून विरुद्ध नहीं माना गया है।

उपदफ़ा (६)—के अनुसार यदि बाया बनावटी बोलियोंका प्रयोग क़ीमतके बढ़ानेके सम्बन्धमें करे तो खरीदार बिक्रीके मुवाहिदेको तोड़ सकता है।

इस उपदफाका नियम एक प्रकारसे उपदफा (४) के नियमोंसे मिलता जुलता हुआ है। उपदफा (४) में बिला ऐलान किये हुए ही बाया द्वारा या उसकी ओरसे अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बोलीका बोलना या नीलाम करने वाले द्वारा ऐसी बोलीका लेना अनुचित बतलाया गया है तथा उक्त नियमोंकी अवहेलना करने पर खरीदार बिक्रीके मुवाहिदेको धोखादेहीसे किया हुआ मुवाहिदा मान सकता है और धोखादेहीके आधार पर उक्त मुवाहिदे के सम्बन्धमें वह अपने क़ानूनी अधिकारोंका प्रयोग कर सकता है। इस उपदफाके अनुसार यदि बाया बनावटी बोलियां क़ीमत बढ़ानेके सम्बन्धमें इस्तैमाल करे तो खरीदार नीलामको छोड़ सकता है अर्थात् यदि नीलाममें किसी व्यक्तिकी बोली मंजूर भी कर ली गई हो तो वह उक्त बोलीको नामंजूर करते हुए मुवाहिदेसे हट सकता है यह आवश्यक नहीं है कि उक्त नीलामका खरीदार मुवाहिदेको तोड़ही देवे परन्तु यदि वह चाहे तो उसे मंजूर भी कर सकता है।

बनावटी बोलीसे नीलामकी क़ीमत बढ़ाई जाने पर वह व्यक्ति जिसके नाम आखिरी बोली खतम हुई हो नीलामको नामंजूर कर सकता है, देखो—मेमले बनाम एट 3 Ves Jr. 624.

दफा ६५ मंसूख़ी

सन् १८७२ ई० के भारतीय क़ानून मुवाहिदेका सातवां प्रकरण इससे मंसूख़ किया जाता है।

व्याख्या—

अन्य दफ़ाओंकी भांति इस दफामें कोई खास नियम नहीं दिया हुआ है किन्तु इसमें यह बतलाया गया है कि इस एक्टसे पहिले इसके स्थानमें जिन नियमोंका प्रयोग किया जाता था वह अब लागू नहीं रहे हैं।

भारतीय क़ानून मुवाहिदामें मुवाहिदा सम्बन्धी सभी विषय दिये हुए हैं। मालकी विक्रीका विषयभी उक्त क़ानूनके सातवें प्रकरणमें दिया हुआ है परन्तु जो नियम इस सम्बन्धमें उस प्रकरणमें दिये हुए हैं वह पर्याप्त नहीं समझे गए जिसकी समालोचना समय समय पर भिन्न भिन्न हाईकोर्टके जजों द्वारा अपनी तजवीज़में की गई। इसके अलावा व्यापार संसार व्यापी हो जानेके कारण यह भी आवश्यकता प्रतीत हुई कि भारतका विक्री सम्बन्धी क़ानून ऐसा होना चाहिये जो अन्य देशोंके वैसे क़ानूनसे मिलता जुलता हुआ होवे अथवा खास कर ऐसा तो अवश्य होवे जो ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागोंके अनुसार हो। चूंकि इङ्गलैण्डका बिक्री सम्बन्धी क़ानून परम उपयोगी तथा उपयुक्त साबित हुआ है और ब्रिटिश साम्राज्यके भागोंहीमें नहीं किन्तु दूसरे देशोंमें भी उसीके अनुसार क़ानून बनाए गए हैं इसलिये इस देशका क़ानून भी उसी क़ानूनके अनुसार बनाया जाना तय किया गया।

मालकी विक्रीका विषय एक प्रकारसे पूरा विषय है इस लिये उसे एक अलाहिदा एक्टकी शकलमें रख दिया जाना तय किया गया और इसीके अनुसार इस बिक्रीके कानूनकी रचना व्यवस्थापक सभा द्वारा की गई है।

इस क़ानूनके बना दिये जानेके बाद अब भारतीय क़ानून मुवाहिदाके सातवें प्रकरणकी आवश्यकता नहीं रही क्योंकि एक दूसरेके नियम आपसमें नहीं मिलते हैं और बहुतसी नई बातें भी इस एक्टमें बढ़ा दी गई हैं तथा बहुतसी बातें जो उक्त प्रकरणमें हैं इस एक्टमें नहीं रक्खी गई हैं इसी कारण उसका मंसूख़ कर दिया जाना उचित ठहराया गया और इस दफ़ामें इसी मंसूख़ीका ज़िक्र खास तौरसे कर दिया गया है जिसमें इस सम्बन्धमें कोई भ्रम न रह जावे।

सातवें प्रकरणकी मंसूख़ीसे यह न समझ लेना चाहिये कि भारतीय क़ानून मुवाहिदेके किसी नियमसे इस एक्टका ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि पिछली दफ़ाओंके देखनेसे यह भली भांति प्रकट है कि जगह जगह उक्त क़ानूनकी दफ़ाओंका हवाला दिया गया है तथा बाज़ बाज़ बातोंमें उक्त क़ानूनकी दफ़ाओंमें दिये हुए नियम पूर्ण रूपसे लागू क़रार दिये गए हैं जैसेकि दफ़ा ७३ व ७४ के नियम इस एक्टकी दफ़ा ५६ व ५७ आदिके सम्बन्धमें लागू समझना चाहिये। इसके अलावा दफ़ा २ के क्लाज़ (१५) में भी यह साफ़ कर दिया गया है कि जिन शब्दों या वाक्योंकी परिभाषा इस एक्टमें न हो परन्तु वह भारतीय क़ानून मुवाहिदामें होवे तो उसे उसीके अनुसार समझना चाहिये अर्थात् इन सब बातोंका तात्पर्य यह है कि सातवें प्रकरणके अलावा भारतीय क़ानून मुवाहिदेके अन्य सब प्रकरण इस एक्टके लिये लागू समझना चाहिये जबकि उसके नियम इस एक्टके किसी नियमके विरुद्ध न पड़ते हों।

सातवें प्रकरणकी भांति भारतीय क़ानून मुवाहिदेके अन्य प्रकरणोंका संशोधन भी व्यवस्थापक मण्डलके सम्मुख उपस्थित है और सम्भावना है कि क़ानून मुवाहिदा मौजूदा शकलहीमें अथवा भिन्न भिन्न एक्टके रूपमें व्यवस्थापक सभा द्वारा शीघ्रही संशोधित रूपमें बनाया जावे।

दफ़ा ६६ बचत

(१) इस एक्टकी किसी बातसे या इसके अनुसार कीहुई मंसूख़ीसे नीचे दीहुई बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं माना जावेगा।

(ए) इस एक्टके प्रारम्भ होनेसे पहिले कीहुई या पैदा हुई कोई ज़िम्मेदारी, या पाबन्दी, सम्बन्ध, हक़ या अधिकार।

(बी) उक्त ज़िम्मेदारी, पाबन्दी, सम्बन्ध, हक़ या अधिकारके सम्बन्धमें की हुई कोई क़ानूनी कार्रवाई या चाराजोही।

(सी) इस एक्टके प्रारम्भ होनेसे पहिले किया हुआ या बर्दास्त किया हुआ कोई काम।

(डी) मालके बिक्री सम्बन्धी कोई क़ानून जो खुलासा तौर पर इस एक्टसे मंसूख़ न किया गया हो।

(ई) क़ानूनका कोई नियम जो इस एक्टके विपरीत न पड़ता हो।

(२) बिला इस एक्टमें दीहुई किसी बातका ख्याल किये हुए मालकी बिक्री के मुवाहिदा सम्बन्धी दिवालियेके नियमोंका इसके लिये लागू होना ज़ारी रहेगा।

(३) इस एक्टके बिक्रीके मुवाहिदा सम्बन्धी नियम उन सौदोंके लिये लागू नहीं होंगे जो बिक्रीके मुवाहिदेके तौर पर होवें परन्तु वह रहन, गिरवी, बार किफालत या किसी दूसरी ज़मानतके तौर पर होवें।

व्याख्या—

यह दफा अङ्गरेजी क़ानूनकी दफा ६१ के आधार पर रची गई है, देखो—S 61 (1) & (4) English Sale of Goods Act 1893.

यह दफा एक आवश्यक दफा है जिसमें बचतका वर्णन है। अर्थात जिसमें यह बतलाया गया है कि किन किन बातों पर इस एक्टके नियमोंका अथवा इसके अनुसार कीहुई मसूखीका असर नहीं पड़ेगा। दफा तीन भागोंमें विभक्त है।

उपदफा (१) में वह काम या नियम बतलाये गये हैं जिन पर इस एक्ट या इसके द्वारा होने वाली मसूखीका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेके नियम जो मालकी बिक्रीके मुवाहिदोंके सम्बन्धमें हैं बदस्तूर लागू समझे जावेंगे।

उपदफा (३) में यह उल्लेख है कि रहन गिरवी, बार किफालत या दूसरी जमानत सम्बन्धी सौदों के लिये जो बिक्रीके मुवाहिदेके तौर पर होवें इस एक्टके नियमोंका प्रयोग नहीं किया जावेगा।

उपदफा (१) पाच क्लाजोंमें बटी हुई है। क्लाज (ए) के अनुसार यदि कोई जिम्मेदारी, पाबन्दी, सम्बन्ध, हक़ या अधिकार इस एक्टके प्रारम्भ होनेसे पहिले होचुका हो या पैदा हुआ हो तो वह बदस्तूर बना रहेगा अर्थात वह पिछले नियमोंके अनुसार ही समझा जायगा इस एक्टके नियमोंके विरुद्ध होते हुए भी वह मंसूख़ नहीं किया जावेगा।

इस एक्टका प्रयोग पहिली जुलाई सन् १९३० ई० से रक्खा गया है जिसका उल्लेख पहिलीही दफामें मिलता है अतः पहिली जुलाइसे पहिले किये हुए सौदों पर इस एक्टके नियमोंका प्रयोग नहीं समझना चाहिये पहिली जुलाई कबसे मानी जावेगी इसको भी समझ लेना चाहिये। ब्रिटिश चलनके अनुसार दिनका प्रारम्भ १२ बजे रातके बादसे माना जाता है अतः ३० जूनको १२ बजे रात तक जो सौदे पूरे हो चुके हों उन सब सौदोंको इस एक्टके नियमोंसे सुरक्षित समझना चाहिये।

क्लाज (बी) में एक प्रकारसे क्लाज (ए) के अर्थहीको बढ़ा दिया गया है अर्थात क्लाज (ए) में यह बतलाया गया है इस एक्टसे पहिले पैदा हुई जिम्मेदारी, पाबन्दी, सम्बन्ध, हक़ या अधिकार पर इस एक्ट या इसके अनुसार होने वाली मसूखीका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस क्लाजमें यह बतलाया है कि यदि

उक्त जिम्मेदारी, पाबन्दी, हक़, सम्बन्ध या अधिकारके सम्बन्धमें यदि कोई मुक़दमा या कार्रवाई चालू कीगई हो तों उस परभी इस एक्ट या इसके अनुसार होने वाली मंसूखीका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्लाज़ (सी) के अनुसार यदि इस एक्टके प्रारम्भ होनेसे पहिले कोई काम किया गया हो या बर्दास्त किया गया हो तों उस परभी इस एक्ट या इसके अनुसार होने वाली मंसूखीका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात वह जैसेका तैसा माना जावेगा।

क्लाज (डी) से बिक्री सम्बन्धी उन क़ानूनोंकी रक्षा कीगई है जो इस एक्टके अनुसार मंसूख न किये गये हों।

मंसूखीका जिक्र दफा ६५ में किया गया है और उसके अनुसार भारतीय क़ानून मुवाहिदाका सातवां प्रकरण मंसूख किया गया है अतः उस प्रकरणके अतिरिक्त जिस क़ानूनमें मालकी बिक्रीका वर्णन हो और जो इस एक्टसे पहिले चालू होवे उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं समझना चाहिये।

क्लाज (ई) में आम क़ानूनकी महत्ताका उल्लेख है अर्थात यदि कोई प्रचलित क़ानून इस एक्टके विरुद्ध न पड़ता हो तो उसकी पाबन्दी होना चाहिये अर्थात उस पर इस एक्ट या इससे होने वाली मंसूखीका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपदफा (२) के अनुसार दिवालियेके नियमोंको इस एक्टके नियमोंके ऊपर रखा गया है अर्थात यदि कोई बात दिवालियेके नियमोंमें पाई जावे जिसका प्रयोग मालकी बिक्री सम्बन्धी सौदोंमें होता हो किन्तु जो इस एक्टके नियमोंके विपरीत पड़ती हो तो उक्त नियम ही लागू समझना चाहिये नकि इस एक्टके नियम।

प्रान्तिक क़ानून दिवालिया एक्ट नं० ५ सन् १९२० ई० (The Provincial Insolvency Act No 5 of 1920) की दफा ५३ व ५४ में उक्त प्रकारके सौदोंका जिक्र है इसी प्रकार 'प्रेसीडेन्सी टाउन्स क़ानून दिवालिया' में भी उक्त प्रकारके सौदोंका जिक्र पाया जाता है। उक्त क़ानूनके नियमोंका ध्यान रखते हुए ही इस एक्टके नियमोंका प्रयोग समझना चाहिये।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि इस एक्टके नियम रहननामा, गिरवी, बार या अन्य किसी जमानतके सम्बन्धमें लागू नहीं समझना चाहिये चाहे वह बिक्रीके मुवाहिदोंकी शकलमें क्यों न किये गये हों। ऐसे मामलोंके सम्बन्धमें प्रथक क़ानून बने हुए हैं जैसेकि 'क़ानून इन्तकाल जायदाद' (Transfer of Property Act).

यदि किसी सौदेमें प्रत्यक्ष रूपसे कोई गैर क़ानूनी कार्रवाई दिखलाई पड़े तो अदालतका कर्तव्य है कि वह उसमें हस्तक्षेप करे चाहे उक्त गैर क़ानून कार्रवाईके लिये कोई जवाबदेही न कीगई हो, देखो—नार्थवेस्ट सास्ट कम्पनी (1913) 3 K. B. 422 C. A.

परन्तु जब प्रत्यक्ष रूपसे गैर क़ानूनी कार्रवाई न दिखलाई पड़ती हो तब फरीकैनही अपनी जवाबदेहीमें उक्त कार्रवाईका उज्र ले सकते हैं, देखो—लिप्टन बनाम पावेल (1921) 2 K. B. 51.

इस दफामें एक प्रकारसे यह दर्शाया गया है कि इस एक्टके नियम एक प्रकारसे आम मुवाहिदेके नियमका एक ख़ास अंग है तथा मुवाहिदा सम्बन्धी आम नियम मालकी बिक्रीके सम्बन्धमें भी लागू समझना चाहिये जबकि वह क़ानून विरुद्ध न पड़ते हों। एक्टमें जो कमी रह गई हो उसकी भी पूर्ति इस दफाके नियमोंसे होती है।

॥ इति ॥

From the Government Gazette U. P. April 5, 1930.

An Act to define and amend the law relating to the sale of goods.

WHEREAS it is expedient to define and amend the law relating to the sale of goods; It is hereby enacted as follows:—

Chapter I.

PRELIMINARY.

1. Short title, extent and commencement.

(1) This Act may be called the Indian Sale af Goods Act, 1930

(2) It extends to the whole of British India, including British Baluchistan and the Southal Parganas.

(3) It shall come into force on the first day of July, 1930.

2. Definitions.

In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(1) "buyer" means a person who buys or agrees to buy goods;

(2) "delivery" means voluntary transfer of possession from one person to another;

(3) Goods are said to be in a "deliverable state" when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them;

(4) "document of title to goods" includes a bill of lading, dock-warrant, warehouse keeper's certificate, railway receipt, warrant or order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorising or purporting to authorise, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented;

(5) "fault" means wrongfull act or default;

(6) "future goods" means goods to be manufactured or prodused or acquired by the seller after the making of the contract of sale;

(7) "goods" means every kind of moveable property other than actionable claims and money; and includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale;

(8) a person is said to be "insolvent" who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business, or cannot pay his debts as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not;

(9) "mercantile agent" means a mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods, or to consign goods for the purposes of sale, or to buy goods, or to raise money on the security of goods;

(10) "price" means the money consideration for a sale of goods;

(11) "property" means the general property in goods, and not merely a special property;

(12) "quality of goods" includes their state or condition

(13) "seller" means a person who sells or agrees to sell goods;

(14) "specific goods" means goods identified and agreed upon at the time a contract of sale is made; and

(15) "expressions" used but not defined in this Act and defined in the Indian Contract Act, 1872, have the meanings assigned to them in that Act.

3. Application of provisions of Act IX of 1872.

The unrepealed provision of the Indian Contract Act, 1872, save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this Act, shall continue to apply to contracts for the sale of goods.

Chapter II

FORMATION OF THE CONTRACT

Contract of Sale.

4. Sale and agreement to sell

(1) A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part-owner and another.

(2) A contract of sale may be absolute or conditional.

(3) Where under a contract of sale the property in the goods is transferred form the seller to the buyer, the contract is called a sale, but where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell.

(4) An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred.

Formalities of the Contract.

5. Contract of sale how made.

(1) A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both, or for the delivery or payment by instalments, or that the delivery or payment or both shall be postponed.

(2) Subject to the provisions of any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, or partly in writing and partly by word of mouth or may be implied from the conduct of the parties.

Subject-matter of Contract.

6. Existing or future goods

(1) The goods which form of the subject of a contract of sale may be either existing goods, owned or possessed by the seller, or future goods.

(2) There may be a contract for the sale of goods the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen.

(3) Where by a contract of sale the seller purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell the goods.

7. Goods perishing before making of contract.

Where there is a contract for the sale of specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have, at the time when the contract was made, perished or become so damaged as no longer to answer to their discription in the contract.

rejecting the goods and treating the contract as repudiated, unless there is a term of the contract express or implied, to that effect.

(3) Nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfilment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise.

14. Implied undertaking as to title, etc.

In a contract of sale, unless the circumstances of the cantract are such as to show a different intention there is—

(a) an implied condition on the part of the seller that, in the case of a sale, he has a right to sell the goods and that, in the case of an agreement to sell, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass;

(b) an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods;

(c) an implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favour of any third party not declared or known to the buyer before or at the time when the contract is made.

15. Sale by description.

Where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description; and if the sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk of the goods corresponds with the sample if the goods do not also correspond with the description.

16. Implied conditions as to quality or fitness.

Subject to the provisions of this Act and of any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale, except as follows:—

(1) Wher the buyer, expressly or by implicrtion, makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on the seller's skill or judgment, and the goods are of a description which it is in the course of the seller's business to supply (whether he is the manufacturer or producer or not), there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose:—

Provided that, in the case of a contract for the sale of a specified article under its patent or other trade name, there is no implied condition as to its fitness for any particular purpose.

(2) Where goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description (whether he is the manufacturer or producer or not), there is on implied condition that the goods shall be of merchantable quality:

Provided that, if the buyer has examined the goods, there shall be no implied condition as regards defects which such examination ought to have revealed.

(3) An implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade.

(4) An express warranty or condition does not negative a warranty or condition implied by this Act unless inconsistent therewith.

17. Sale by sample.

(1) A contract of sale is a contract for sale by sample where there is a term in the contract, express or implied, to that effect.

(2) In the case of a contract for sale by sample there is an implied condition—

(a) that the bulk shall correspond with the sample in quality ,

(b) that the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample;

(c) that the goods shall be free from any defect, rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of the sample.

Chapter III.

Effects of the Contract.

Transfer of property as between seller and buyer.

18. Goods must be ascertained.

Where there is a contract for the sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained.

19. Property passes when intended to pass

(1) Where there is a contract for the sale of specific or ascertained goods the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intend it to be transferred.

(2) For the purpose of ascertaining the intention of the parties regard shall be had to the terms of the contract, the conduct of the parties and the circumstances of the case.

(3) Unless a different intention appears, the rules contained in section 20 to 24 are rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which the property in the goods is to pass to the buyer.

20. Specific goods in a deliverable state

Where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods, or both, is postponed.

21 Specific goods to be put into a deliverable state.

Where there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state, the property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof.

22 Specific goods in a deliverable state, when the seller has to do anything thereto in order to ascertain price.

Where there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to weigh, measure, test or do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price, the property dose not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof.

23 Sale of unascertained goods and appropriation.

(1) Where there is a contract for the sale of unascertained or future goods by description and goods of that description and in a deliverable state are

unconditionally appropriated to the contract, either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller, the property in the goods thereupon passes to the buyer. Such assent may be express or implied, and may be given either before or after the appropriation is made.

Delivery to carrier.

(2) Where, in pursuance of the contract, the seller delivers the goods to the buyer or to a carrier or other bailee (whether named by the buyer or not) for the purpose of transmission to the buyer, and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract.

24. Goods sent on approval or "on sale or return."

When good are delivered to the buyer on approval or "on sale or return" or other similar terms, the property therein passes to the buyer.

(a) when he signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the transaction;

(b) if he does not signify his approvol or acceptance to the seller but retains the goods without giving notice of rejection, then if a time has been fixed for the retnrn of the goods, on the expiration of such time, and if no time has been fixed, on the expiration of a reasonable time.

25. Reservation of right of disposal.

(1) Where there is a contract for the sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the terms of the contract or appropriation, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. In such case, notwithstanding the delivery of the goods to a buyer, or to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods does not pass to the buyer until the canditions imposed by the seller are fulfilled.

(2) Where goods are shipped and by the bill of lading the goods are deliverable to the order of the seller or his agent, the seller is primafacie deemed to reserve the right of disposal.

(3) Where the seller of goods draws on the buyer for the price and transmits the bill of exchange and bill of lading to the buyer together, to secure acceptance or payment of the bill of exchange, the buyer is bound to return the bill of lading if he does not honour the bill of exchange and if he wrongfully retains the bill of lading the property in the goods does not pass to him.

26. Risk primafacie passes with property.

Unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to to the buyer, but when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not:-

Provided that, where delivery has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in fault as regards any loss which might not have occurred but for such fault:

Provided also that nothing in this section shall affect the duties or liabilities of either seller or buyer as a bailee of the goods of the other party.

Transfer of title.

27. Sale by person not the owner.

Subject to the provisions of this Act and of any other law for the time being in force, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who

does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell:

Provided that where a mercantile agent is with the consent of the owner, in possession of the goods or of a document of title to the goods, any sale made by him, when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent, shall be as valid as if he were expressly authorised by the owner of the goods to make the same; provided that the buyer acts in good faith and has not at the time of the contract of sale notice that the seller has not authority to sell.

28. Sale by one of joint owners

If one of several joint owners of goods, has the sole possession of them by permission of the co-owners, the property in the goods is transferred to any person who buys them of such joint owner in good faith and has not at the time of the contract of sale notice that the seller has not authority to sell.

29. Sale by person in possession under voidable contract

When the seller of goods has obtained possession thereof under a contract voidable under section 19 or section 19A of the Indian Contract Act, 1872, but the contract has not been rescinded at the time of the sale, the buyer acquires a good title to the goods, provided he buys them in good faith and without notice of the seller's defect of title.

30. Seller or buyer in possession after sale.

(1) Where a person, having sold goods, continues or is in possession of the goods or of the documents of title to the goods, the delivery or transfer by that person or by a mercantile agent actiong for him, of the goods or documents of title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery or transfer were expressly authorised by the owner of the goods to make the same.

(2) Where a person, having bought or agreed to buy goods, obtains with the consent of the seller, possession of the goods or the documents of title to the goods, the delivery or transfer by that person or by a mercantile agent acting for him, of the goods or documents of title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of any lien or other right of the original seller in respect of the goods shall have effect as if such lien or right did not exist

---

Chapter IV.

PERFORMANCE OF THE CONTRACT.

31. Duties of seller and buyer.

It is the duty of the seller to deliver the goods and of the buyer to accept and pay for them, in accordance with the terms of the contract of sale.

32. Payment and delivery are concurrent conditions.

Unless otherwise agreed, delivery of the goods and payment of the price are concurrent conditions, that is to say, the seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange for the price; and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for possession of the goods.

33. Delivery.

Delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorised to hold them on his behalf.

34. Effect of part delivery.

A delivery of part of goods, in progress of the delivery of the whole, has the same effect, for the purpose of passing the property in such goods, as a delivery of the hole; but a delivery of part of the goods, with an intention of severing it from the whole, does not operate as a delivery of the remainder.

35. Buyer to apply for delivery.

Apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery.

36. Rules as to delivery.

(1) Whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract, express or implied, between the parties. A part from any such contract goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the sale, and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the agreement to sell, or, if not then in existence, at the place at which they are manufactured or produced.

(2) Where under the contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer, but no time for sending them is fixed, the seller is bonnd to send them within a reasonable time.

(3) Where the goods at the time of sale are in the possession of a third person, there is no delivery by seller to buyer unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf:

Provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to goods.

(4) Demand or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made at a reasonable hour. What is a reasonable hour is a question of fact.

(5) Unless otherwise agreed, the expenses of and incidental to putting the goods into a deliverable state shall be borne by the seller.

37. Delivery of wrong quantity.

(1) Where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contacted to sell, the buyer may reject them, but if the buyer accepts the goods so delivered he shall pay for them at the contract rate.

(2) Where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest or he may reject the whole. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay for them at the contract rate.

(3) Where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with goods of a different description not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest, or may reject the whole.

(4) The provisions of this section are subject to any usage of trade, special agreement or course of dealing between the parties.

38. Instalments Deliveries.

(1) Unless otherwise agreed, the buyer of goods is not bound to accept delivery thereof by instalments.

(2) Where there is a contract for the sale of goods to be delivered by stated instalments which are to be separately paid for, and the seller makes no delivery or defective delivery in respect of one or more instalments, or the buyer neglects or refuses to take delivery of or pay for one or more instalments, it is a question, in each case depending on the terms of the contract and the circumstances of the case whether the breach of contract is a repudiation of the whole contract, or whether it is a severable breach giving rise to a claim for compensation, but not to a right to treat the whole contract as repudiated.

39. Delivery to carrier or wharfinger.

(1) Where in pursuance of a contract of sale, the seller is authorised or required to send the goods to the buyer, delivery of the goods to a carrier, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer or delivery of the goods to a wharfinger for safe custody is prima facie deemed to be a delivery of the goods to the buyer.

(2) Unless otherwise authorised by the buyer, the seller shall make such contract with the carrier or wharfinger on behalf of the buyer as may be reasonable having regard to the nature of the goods and the other circumstances of the case. If the seller omits so to do and the goods are lost or damaged in course of transit or whilst in the custody of the wharfinger, the buyer may decline to treat the delivery to the carrier or wharfinger as a delivery to himself, or may hold the seller responsible in damages.

(3) Unless otherwise agreed, where goods are sent by the seller to the buyer by a route involving sea transit, in circumstances in which it is usual to insure, the seller shall give such notice to the buyer as may enable him to insure them during their sea transit, and if the seller fails so to do, the goods shall be deemed to be at his risk during such sea transit.

40. Risk where goods are delivered at distant place.

Where the seller of goods agrees to deliver them at his own risk at a place other than that where they are when sold, the buyer shall, nevertheless, unless otherwise agreed, take any risk of deterioration in the goods necessarily incident to the course of transit.

41. Buyer's right of examining the goods.

(1) Where goods are delivered to the buyer which he has not previously examined, he is not deemed to have accepted them unless and until he has had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract.

(2) Unless otherwise agreed, when the seller tenders delivery of goods to the buyer, he is bound, on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract.

42. Acceptance.

The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them, or when the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, or when, after the lapse of a reasonable time, he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them.

43. Buyer not bound to return rejected goods.

Unless otherwise agreed where goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them, having the right so to do, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them.

44. Liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods.

When the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take delivery, and the buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods.

provided that nothing in this section shall affect the rights of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to a repudiation of the contract.

Chapter V.

RIGHTS OF UNPAID SELLER AGAINST THE GOODS.

45. "Unpaid seller" defined.

(1) The seller of goods is deemed to be an "unpaid seller" within the meaning of this Act—

(a) when the whole of the price has not been paid or tendered ;

(b) when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment, and the condition on which it was received has not been fulfiled by reason of the dishonour of the instrument or otherwise.

(2) In this Chapter, the term "seller" includes any person who is in the position of a seller, as, for instance, an agent of the seller to whom the bill of lading has been indorsed, or a consignor or agent who has himself paid, or is directly responsible for, the price.

46. Unpaid seller's rights.

(1) Subject to the provisions of this Act and of any law for the time bieng in force, notwithstanding that the property in the goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of goods, as such, has by implication of law—

(a) a lien on the goods for the price while he is in possession of them.

(b) in case of the insolvency of the buyer a right of stopping the goods in transit after he has parted with the possession of them ;

(c) a right of resale as limited by this Act.

(2) Where the property in goods has not passed to the buyer the unpaid seller has, in addition to his other remedies, a right of with-holding delivery similar to and co-extensive with his rights of lien and stoppage in transit where the property has passed to the buyer.

Unpaid seller's lien.

47. Seller's lien.

(1) Subject to the provisions of this Act, the unpaid seller of goods who is in possession of them is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price in the following cases, namely:—

(a) where the goods have been sold without any stipulation as to credit ;

(b) where the goods have been sold on credit, but the term of credit has expird ;

(c) where the buyer becomes insolvent.

(2) The seller may exercise his right of lien notwithstanding that he is in possession of the goods as agent or bailee for the buyer.

48. Part delivery.

Where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien.

49. Termination of lien.

(1) The unpaid seller of goods loses his lien thereon—

(a) when he delivers the goods to a carier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods ;

(b) when the buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods ;

(c) by waiver thereof.

(2) The unpaid seller of goods, having a lien thereon, does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods.

Stoppage in transit.

50. Right of stoppage transit.

Subject to the provisions of this Act, when the buyer of goods becomes insolvent, the unpaid seller who has parted with the possession of the goods has the right of stoopping them in transit, that is to say, he may resume possession of the goods as long as they are in the course of transit, and may retain them until payment or tender of the price.

51. Duration of transit.

(1) Goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailee.

(2) If the buyer or his agent in that behalf obtains delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at an end.

(3) If, after the arrival of the goods at the appointed destination, the carrier or other bailee acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf and contiues in possession of them as bailee for the buyer or his agent, the transit is at an end and it is immaterial that a further destination for the goods may have been indicated by the buyer.

(4) If the goods are rejected by the buyer and the carrier or other bailee continues in possession of them, the transit is not deemed to be at an end, even if the seller has refused to receive them back.

(5) When goods are delivered to a ship chartered by the buyer it is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in the possession of the master as a carrier or as agent of the buyer.

(6) Where the carrier or other bailee wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, the transit is deemed to be at an end.

(7) Where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stoped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods.

52. How stoppage in transit is effected.

(1) The unpaid seller may exercise his right of stoppage in transit either by taking actual possession of the goods, or by giving notice of his claim to the carrier or other bailee in whose possession the goods are. Such notice may be given either to the person in actual possession of the goods or to his principal. In the latter case the notice, to be effectual, shall be given at such time and in such circumstances that the principal, by the exercise of reasonable diligence, may communicate it to his servant or agent in time to prvent a delivery to the buyer.

(2) When notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or other bailee in possession of the goods, he shall re-deliver the goods to, or according to the directions of, the seller. The expenses of such re-delivery shall be borne by the seller.

Transfer by buyer and seller

53. Effect of sub-sale of pledge by buyer.

(1) Subject to the provisions of this Act, the unpaid seller's right of lien or stoppage in transit is not affected by any sale or other disposition of the goods which the buyer may have made, unless the seller has assented thereto:

Provided that where a document of title to goods has been issued or lawfully transferred to any person as buyer or owner of the goods, and that person transfers the document to a person who takes the document in good faith and for consideration, then if such last mentioned transfer was by way of sale, the unpaid seller's right of lien or stoppage in transit is defected, and, if such last mentained transfer was by way of pledge or other disposition for value, the unpaid seller's right of lien or stoppage in transit can only be exercised subject to the rights of the transferee.

(2) Where the transfer is by way of pledge the unpaid seller may require the pledgee to have the amount secured by the pledge satisfied in the first instance as far as possible, out of any other goods or securities of the buyer in the hands of the pledgee and available against the buyer.

54. Sale not generally rescinded by line or stoppage in transit.

(1) Subject to the provisions of this section, a contract of sale is not rescinded by the mere exercise by an unpaid seller of his right of lien or stoppage in transit.

(2) Where the goods are of a perishable nature, or where the unpaid seller who has exercised his right of line or stoppage in transit gives notice to the buyer of his intention to re-sell, the unpaid seller may, if the buyer does not within a reasonable time pay or tender the price, resell the goods within a reasonable time and recover from the original buyer damages for any loss occasioned by his breach of contract, but the buyer shall not be entitled to any profit which may occur on the re-sale. If such notice is not given, the unpaid seller shall not be entitled to re-cover such damages and the buyer shall be entitled to the profit, if any, on the re-sale.

(3) Where an unpaid seller who has exercised his right of line or stoppage in transit re-sells the goods, the buyer acquires a good title thereto as against the

original buyer, notwithstanding that no notice of the re-sale has been given to the original buyer.

(4) Where the seller expressly reserves a right of re-sale in case the buyer should make default, and, on the buyer making default, re-sells the goods, the original contract of sale is thereby rescinded, but without prejudice to any claim which the seller may have for damages.

Chapter VI.

Suits for breach of the contract.

55. Suit for price.

(1) Where under a contract of sale the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods.

(2) Where under a contract of sale the price is payable on a day certain irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract.

56. Damages for non-acceptance.

Where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for damages for non-acceptance.

57. Damages for non-delivery.

Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer, the buyer may sue the seller for damages for non-delivery.

58. Specific performance.

Subject to the provisions of Chapter II of the Specific Relief Act, 1877, in any suit for breach of contract to deliver specific or ascertained goods, the Court may, if it thinks fit, on the application of the plaintiff, by its decree direct that the contract shall be performed specifically, without giving the defendant the option of retaining the goods on payment of damages. The decree may be unconditional, or upon such terms and conditions as to damages, payment of the price or otherwise, as the Court may deem just, and the application of the plaintiff may be made at any time before the decree.

59. Remedy for breach of warranty.

(1) Where there is a breach of warranty by the seller, or where the buyer elects or is compelled to treat any breach of a condition on the part of the seller as a breach of warranty, the buyer is not by reason only of such breach of warrnty entitled to reject the goods ; but he may—

(a) set up against the seller the breach of warranty in diminution or extinction of the price ; or

(b) sue the seller for damages for breach of warranty.

(2) The fact that a buyer has set up a breach of warranty in diminution or extinction of the price does not prevent him from suing for the same breach of warranty if he has suffered further damage.

60. Repudiation of contract before due date.

Where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, the other may either treat the contract as subsisting and wait

till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for damages for the breach.

61. Interest by way of damages and special damages.

(1) Nothing in this Act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in any case where by law intrest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed.

(2) In the absence of a contract to the contrary, the Court may award intrest at such rate as it thinks fit on the amount of the price:—

(a) to the seller in a suit by him for the amount of the price—from the date of the tender of the goods or from the date on which the price was payable;

(b) to the buyer in a suit by him for the refund of the price in a case of a breach of the contract on the part of the seller—from the date on which the payment was made.

Chapter VII.

MISCELLANEOUS.

62. Exclusion of implied terms and conditions.

Where any right, duty or liability would arise under a contract of sale by implication of law, it may be negatived or varied by express agreement or by the course of dealing between the parteis, or by usage, if the usage is such as to bind both parties to the contarct.

63. Reasonable time a question of fact.

Where in this Act any reference is made to a reasonable time, the question what is a reasonable time is a question of fact.

64. Auction sale.

In the case of a sale by auction—

(1) where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be the subject of a separate contract of sale;

(2) the sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer or in other customary manner; and, until such announcement is made, any bidder may retract his bid;

(3) a right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller and where such right is expressly so reserved, but not otherwise, the seller or any one person on his behalf may, subject to the provisions hereinafter contained, bid at the auction;

(4) where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person; and any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer;

(5) the sale may be notified to be subject to a reserved or upset price;

(6) if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer.

65. Repeal.

Chapter VII of the Indian Contract Act, 1872, is hereby repealed.

66. Savings.

(1) Nothing in this Act or in any repeal effected thereby shall affect or be deemed to affect—

(a) any right, title, interest, obligation or liability already acquired, accrued or incurred before the commencement of this Act, or

(b) any legal proceedings or remedy in respect of any such right, title, interest, obligation or liability, or

(c) any thing done or suffered before the commencement of this Act, or

(d) any enactment relating to the sale of goods which is not expressly repealed by this Act, or

(e) any rule of law not inconsistent with this Act.

(2) The rules of insolvency relating to contracts for the sale of goods shall continue to apply there to, notwithstanding any thing contained in this Act.

(3) The provisions of this Act relating to contracts of sale do not apply to any transaction in the from of a contract of sale which is intended to operate by way of mortgage, pledge, charge or other security.

(Sd.) L. GRAHAM,
SECY. TO THE GOVT. OF INDIA.